रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/97 REGISTERED NO. DL--33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण भाग प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार 17 मई, 1997 (वैशाख 27, 1919)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1997 (VAISAKHA 27, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate page numbers are given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुम्बई-400 005, दिनांक 6 अगस्त 1996

सं. आईबीएस 279/23-03-004/96-97—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 उप-धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन कर लिये जायें, अर्थात :

'एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी' शब्दों के स्थान पर 'एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड' शब्द रखे जायें।

जे. आर. प्रभु, कार्यपालक निदेशक

पर्यवेक्षण विभाग

मुम्बई-400 005, दिनांक 26 मार्च 1997

सं. 589/08-21-002/96—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परिक्षकों के रूप में निम्नलिखित को उक्त बैंक की अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक के लिए नियुक्त किया है :—

(1) मैसर्स भट्टाचार्य दास एंड कं., कलकत्ता
(2) मैसर्स खिमजी कुंवरजी एंड कं., मुंबई
(3) मैसर्स पी. के. चोपड़ा एण्ड कं., नयी दिल्ली
(4) मैसर्स जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन, मद्रास
(5) मैसर्स सोराब एस. इंजीनियर एंड कं., मुंबई
(6) मैसर्स चतुरकार एंड कं., मुंबई
(7) मैसर्स के. के. सोनी एंड कं., नयी दिल्ली

(8) मैसर्स आर. सिंघी एंड कं., कलकत्ता

(9) मैसर्स अकोंद एस. किलचे एंड कं., मुंबई

(10) मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कं., नयी दिल्ली

(11) मैसर्स खन्ना एंड कं., नयी दिल्ली

(12) मैसर्स पी. जी. विजयराघवन एंड कं., मद्रास

(13) मैसर्स रघुनाथ राय एंड कं., नयी दिल्ली

एस. रंगराजन, कार्यपालक निदेशक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुंबई-400005, दिनांक 15 अप्रैल 1997

सं. बीपी-44/12-01-001/96-97—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (7) के साथ पठित उपधारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक 11 अप्रैल 1997 को पखवाड़ा स्तर से ऊपर विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) [फ़ि सी एन आर (बी)] योजना, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया (एन आर एन आर) जमा खातों और अनिवासी (गैरह) रुपया (एन आर ई) जमा खातों के अंतर्गत देयताओं में किसी भी वृद्धि पर 26 अप्रैल 1997 से शुरू पखवाड़े से 10 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) लगाएं गएं ।

जे. आर. प्रभु, कार्यपालक निदेशक

सं. बीसी. 45/12-01-001/96-97—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक 26 अप्रैल 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत गणना की जाने वाली देयताओं के संदर्भ में उस औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को रखने से छूट प्रदान करता है, जो 19 अक्तूबर 1996 की अधिसूचना बैंपविधि. सं. बीसी.-140/12-01-001/96-97 में विनिर्दिष्ट है ।

2. उपर निर्दिष्ट छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत गणना की जाने वाली मांग और मीयादी देयताओं के उसके जोड़ की कम से कम 3 प्रतिशत पर रखे जाने वाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी ।

जे. आर. प्रभु, कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 1 नवम्बर 1996

सं. 15/1996—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 (1959 का 38 वां) की धारा 25, उप धारा (1) खण्ड (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, श्री आर. विश्वनाथन, जो बैंक से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के स्थान पर श्री ओ. पी. भंडारिया, उप प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं सहायक), भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को दिनांक 11 नवम्बर 1996 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित करता है :

1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक आफ इन्दौर
4. स्टेट बैंक आफ मैसूर
5. स्टेट बैंक आफ पटियाला
6. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
7. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर ।

पी. जी. काकोडकर, अध्यक्ष

दिनांक 14 मार्च 1997

सं. 16/1997—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उपधारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने श्री आर. वी. श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (सहयोगी एवं सहायक), भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को श्री एस. नटराजन के स्थान पर निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक पद पर आज से नामित किया है :—

(1) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

(2) स्टेट बैंक आफ मैसूर

(3) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

(4) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर ।

पी. जी. काकोडकर, अध्यक्ष

दिनांक 20 मार्च 1997

सं. 18/1997—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने श्री एस. के. भट के स्थान पर श्री बी.पी.राव, नं. 703, नाइन्थ मेन, थर्ड स्टेज, थर्ड ब्लाक, बसवेश्वरनगर, बंगलौर-560 079, को स्टेट बैंक आफ मैसूर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 24 मार्च 1997 से 23 मार्च 2000 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित किया है ।

पी. जी. काकोडकर, अध्य

मुम्बई, दिनांक 21 मार्च 1997

सं. 17/1997—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनि 1959 की धारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नलिखि

के लिये उनके नाम के आगे लिखी संख्या परीक्षा फर्मों को संख्या परीक्षक नियुक्त किया है :

बैंक का नाम	लेखा परीक्षक का नाम
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	मैसर्स प्रकाश चन्द जैन एण्ड कं०, 123-124, सदर बाजार, दूसरी मंजिल, उदयपुर ।
	मैसर्स ठक्कर आशर एण्ड कं०, 7/7, देश बंधु गुप्ता रोड, पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।
	मैसर्स पी० एस० डी० एण्ड एसोसिएट्स जे-95, कृष्णा मार्ग 'सी' स्कीम जयपुर ।
	मैसर्स एस० एन० गोयल एण्ड कं०, 1-ई/23, झण्डेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	मैसर्स जी० के० राव एण्ड कं०, 5-3-340 राष्ट्रपति रोड, हैदराबाद ।
	मैसर्स एस० आर० मोहन एण्ड कं०, 3-1-435/18 दूसरी मंजिल, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद ।
	मैसर्स डी० वी० रमना राव एण्ड कं०, 1-1-773/ए, माडीनेयर, हैदराबाद ।
	मैसर्स श्रीनिवास कामत एण्ड कं०, 55 बापत्ल सेगल, दूसरी मंजिल, 165, आर० एन० टी० रोड, इन्दौर ।
	मैसर्स सी० एस० हरिहरन एण्ड कं०, हरिहरन बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 16/6 कालेज रोड, चेन्नई ।
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	मैसर्स कंथलिया एण्ड कं०, 12 शहीद भगत सिंह मार्ग नई दिल्ली ।
	मैसर्स के० एम० अग्रवाल एण्ड कं०, 36 नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली ।
	मैसर्स एस० सी० जे० एसोसिएट्स, 1/129 एफ० प्रोफेसर्स कालोनी, हरिपर्वत, आगरा ।
	मैसर्स एस० पी० मारवाहा एण्ड कं०, 8ए/4, वेस्टर्न एक्सटेन्शन एरिया, कोल बाग, नई दिल्ली ।
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	मैसर्स ओ० पी० तुलसियान एण्ड कं०, 508, रतन ज्योति, 18, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली ।
	मैसर्स एस० सी० मित्रा एण्ड कं०, 10, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता ।
	मैसर्स एस० एस० कपूर एण्ड कं०, फ्लैट 17, नं० 4, नार्थ बोग रोड, टी० नगर, चेन्नई ।
	मैसर्स हरिहरन नारायण एण्ड कं०, 4581 नरसिंहराय मोहल्ला, 'गोमती', मैसूर ।
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	मैसर्स मिसल गुप्ता एण्ड कं०, 406, सिटीलैण्ड हाऊस, 16, स्टेशन रोड, लखनऊ ।
	मैसर्स गाँधी मित्तल एण्ड कं०, 1-यू, ट्रिब्यून कालोनी, जगाधरी रोड, अम्बाला ।
	मैसर्स बंसल सिंगला एण्ड एसोसिएट्स एस० सी० ओ०-1111-15, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़ ।
	मैसर्स शर्मा गोयल एण्ड कं०, बाय-59 हौजखास, नई दिल्ली ।
	मैसर्स एन० के० भट्टाचार्या एण्ड कं०, राजा चैम्बर्स, (पहली मंजिल) 4 किरण शंकर राय रोड, कलकत्ता ।
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	मैसर्स कान्ति लाल पटेल एण्ड कं०, 'अरिहंत' दूसरी मंजिल, उस्मानपुरा, (स्टेशन साइड), अहमदाबाद ।
	मैसर्स श्री रवि वर्मा एण्ड कं०, नं० 1, कम्युनिटी सेंटर, पहली मंजिल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली ।
	मैसर्स टी० के० घोष एण्ड कं०, 6, किरन शंकर राय रोड, कलकत्ता ।
	मैसर्स रमेश सी० अग्रवाल एण्ड कं०, 33, शिव चरण लाल रोड, मानसरोवर सिनेमा के पास, इलाहाबाद ।
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	मैसर्स एसवीयार 59, फोर्थ स्ट्रीट अभिरामपुरम, चेन्नई ।
	मैसर्स जार्ज रीड एण्ड कं० 1, चौरंगी स्क्वेयर एक्सचेंज हाऊस, कलकत्ता ।
	मैसर्स अनन्थन एण्ड सुब्बरु, डी० 'मियकर्णी' 123, गांधार नगर, तिरुअंनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ।
	मैसर्स पटेल माहुल रमेश एण्ड कं०, नं० 8, दूसरी मंजिल, जे० एस० एस० बिल्डिंग ।

1	2
	शुभश्री ए० एम० रोड जर्नलिस्ट कालोनी नंगलौर मैसर्स जोध जोशी एण्ड कं० पहली मंजिल, जे० पी० हाऊस, रविनगर स्क्वेअर अमरावती रोड, नागपुर।

2. ये नियुक्तियां 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाली लेखावधि के लिये हैं, लेकिन उपरोक्त फर्मों की अब तक की सेवाओं सहित 4 वर्षों की अवधि के लिये रखा जाएगा, बशर्ते कि वे निर्धारित मानदण्डों एवं अन्य सामान्य अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

ओ० पी० सेठिया
उपप्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं समनुषंगी)

बैंक आफ इंडिया

कार्मिक विभाग

(प्रधान कार्यालय)

मुंबई-400021, दिनांक 19 मार्च 1997

सं. पी : आईआर : एसएएफ-1267—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम, 1970) (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंक आफ इंडिया का निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेकर निम्न विनियम बनाता है,

अर्थात :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ होने की तारीख

(1) ये विनियम बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) (सेवा) (संशोधन) विनियम, 1997 नाम से जाने जाएंगे ।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में, विनियम 19 के उप विनियम (1) के प्रथम परन्तुक को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"परन्तु बैंक, यदि इसकी राय में यह जनहित में है, अपने विवेकानुसार, इसमें उसके पश्चात उप विनियम (2) में यथा उपबंधित विशेष समिति/विशेष समितियों के पुनर्विलोकन पर, किसी अधिकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर या उसके पश्चात् अथवा अधिकारी कर्मचारी के रूप में या अन्यथा तीस वर्ष की कुल सेवा पूरी कर लेने के पश्चात किसी समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सेवानिवृत्त कर सकेगा ।"

जे. चक्रवर्ती, उप महाप्रबंधक

कार्मिक

देना बैंक

(प्रधान कार्यालय)

कार्मिक विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 3 मार्च 19..

अधिकारियों एवं कर्मचारियों सम्बन्धित (अनुशासन एवं अपील) अधिनियम 4, 6, 8, 17 एवं 18 अधिनियम, 1976 ।

भारत सरकार के राजपत्र सं. 43 दिनांक 30-11-1996 संशोधन सं. आईआर/एमेण्ड/3/96 में प्रकाशित हुआ है । सरकार के अनुदेश पर हम इस में निम्न परिवर्तन कर रहे हैं ।

1. 'उसकी पेंशन' के स्थान पर, जो परिच्छेद 2 (डी) की तीसरी पंक्ति में आया है] 'अधिकारी का पेंशन' लिखा जाए ।

2. इस तरह से प्रस्तावित अधिनियम 4 के उपनियम (इ) का पाठ अब यूं होगा ।

(इ) वेतनमान में ऐसी कमी जो तीन वर्ष से अधिक तक न की गई हो और अधिकारी के पेंशन पर जिसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो" ।

कुमार शाह, उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

कार्मिक प्रशासन (अधिकारी कर्मचारी) प्रभाग

(प्रधान कार्यालय)

कलकत्ता-700001, दिनांक 01 अप्रैल 1997

सं. 1/97—यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का निदेशक-मंडल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का नाम यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 है ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रभावी होंगे ।

2. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में; धारा 19 के उप-विनियम (1) के प्रथम परन्तुक के लिए निम्नोक्त अंश प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :

"परन्तु बैंक चाहे तो अपने विवेकानुसार, विशेष समिति/विशेष समितियों जैसा कि अतः पर उप-विनियम (2) में प्रदत्त है, द्वारा समीक्षा करके, यदि जन-हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए तो, किसी अधिकारी-कर्मचारी को उसकी आयु के 55 वर्ष पूर्ण होने पर या पूर्ण होने के उपरांत किसी भी समय अथवा एक अधिकारी-कर्मचारी के रूप में उसकी कुल सेवा के 30 वर्ष पूर्ण होने पर या पूर्ण होने के उपरांत किसी भी समय अथवा अन्यथा, जो भी पहले हो, सेवा-निवृत्त कर सकता है ।"

डी. भट्टाचार्य, उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

बैंक आफ महाराष्ट्र
(केन्द्रीय कार्यालय)

पुणे-411005, दिनांक 1996

सं. ए एस 1/कार्मिक/अधिसूचना/14046/96—बैंककारी कम्पनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक आफ महाराष्ट्र का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :
(संशोधन) विनियम, 1996 कहलाएगा ।

2. बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी संवा विनियम, 1979 नुसार वे विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा विनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा), में, विनियम 4 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् 4(1) 01-11-1987 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे ।

(क) वरिष्ठ कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान 7 रु. 6400-150-7000

वेतनमान 6 रु. 5950-150-6550

(ख) वरिष्ठ प्रशासन श्रेणी :

वेतनमान 5 रु. 5350-150-5950

वेतनमान 4 रु. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 3 रु. 4020-120-4260-130-4910

वेतनमान 2 रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 1 रु. 2100-120-4020

4(2) 01-07-1993 को तथा इसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे

(क) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 7 रु. 12650-300-13250-350-13500-400-14000

वेतनमान 6 रु. 11450-300-12650

(ख) वरिष्ठ प्रशासन श्रेणी :

वेतनमान 5 रु. 10450-250-11450

वेतनमान 4 रु. 8970-230-9200-250-10450

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 3 रु. 8050-230-9200-250-9700

वेतनमान 2 रु. 6210-230-8740

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 1 रु. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

4(3) उक्त विनियम (1) और (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है ।

3 मूल विनियमों में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

5(1) विनियम 4(2) के उपबंधों के अध्यधीन, दिनांक 01-11-1992 को या उसके बाद से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उप खण्डों के अध्यधीन दी जाएंगी :

(क) विनियम 4 के उपबंधित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियों, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती है उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी ।

(ख) वेतनमान 1 तथा 2 के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष के पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे-(ग) में निर्दिष्ट आधार पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षता-रोध को पार कर लें ।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 2 तथा 3 के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान 2 तथा 3 के अंतिम प्रक्रम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि (यां) दी जाएगी/जाएंगी । वेतनमान 2 के अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु. 230/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियों दी जाएंगी तथा वेतनमान 3 के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु. 250/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

परन्तु 1-11-1994 और उसके बाद से, मूल वेतनमान 3 के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान 3 में भरती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जाएगी ।

टिप्पणी :

अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा । ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान 2 तथा 3 के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे ।

(2) नियत तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आइ आइ बी) परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1

जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आइ आइ बी) परीक्षा का भाग 1 या भाग 2 उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो ।

स्पष्टीकरण 2

(क) 01-11-1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सी ए आइ आइ बी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :

जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है।	(i) एक वर्ष पश्चात् रु० 100/- प्रति माह जिसमें से रु० 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिये गिने जायेंगे।
जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिये हैं।	(i) एक वर्ष पश्चात् रु० 100/- प्रति माह जिसमें से रु० 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिये गिने जायेंगे ।
	(ii) दो वर्ष पश्चात् रु० 250/- प्रति माह जिसमें से रु० 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिये गिने जायेंगे।

(ख) 01-11-1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेगी :

जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है ।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु० 120/- प्रति माह।
जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिये हैं।	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु० 120/- प्रति माह ।
	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर दो वर्ष पश्चात् रु० 300/- प्रति माह।

परन्तु विनियम 5(3) (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग 1 या 2 के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे ।

टिप्पणी :

(1) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, सी ए आइ आइ बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं अथवा केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा ।

(2) 01-11-1994 को तथा उसके बाद से परिशोधित व्यावसायिक अर्हता भत्ते को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।

3(क) जो अधिकारी 01-11-1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी। जो अधिकारी 01-11-1993 को परीक्षाधीन पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी ।

टिप्पणी :

अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 01-11-1993 को अवरोध वेतनवृद्धि (यां) प्राप्त कर चुका है वह 01-11-1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 01-11-1993 को देय महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा । यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा ।

वेतन वृद्धि घटक	01-11-1993 को महंगाई भत्ता	बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)	(ख)	(ग)
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

टिप्पणी :

(1) ऊपर (सी) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है ।

(2) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता, विनियम 4 के उप विनियम (2) में निर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर, (क)+(ख) सम्बद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा ।

(3) नियत वैयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में देय व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष दिया जाएगा ।

(4) नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।

(ख) जिस अधिकारी को यह अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर (क) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते की प्रभावी, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी ।

4. मूल विनियमों में, विनियम 21 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

21(1) 01-11-1987 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी—

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा ।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(1) रु. 2,500/- तक 'वेतन' का 0.67%, धन (+),

(2) रु. 2,500/- से ऊपर परन्तु रु. 4,000/- तक 'वेतन' का 0.55%, धन (+),

(3) रु. 4,000/- से ऊपर परन्तु रु. 4,260/- तक 'वेतन' का 0.31%, धन (+),

(4) रु. 4,260/- से ऊपर 'वेतन' का 0.17%

21(2) 01-07-1993 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा—

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा ।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(क) रु. 4,800/- तक 'वेतन' का 0.35%, धन (+),

(ख) रु. 4,800/- से ऊपर परंतु रु. 7,700/- तक 'वेतन' का 0.29%, धन (+),

(ग) रु. 7,700/- से ऊपर परंतु रु. 8,200/- तक 'वेतन' का 0.17%, धन (+),

(घ) रु. 8,200/- से ऊपर 'वेतन' का 0.09%

टिप्पणी :

(1) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(2) महंगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक अहर्ता भत्ते को 01-11-1994 से गिना जाएगा ।

5. मूल विनियमों में, विनियम 22 के उप-विनियम (1) और (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,

22(1) 1-11-1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को सैन्य द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 4% के बराबर सकल या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा ।

22(2) 1-11-1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को सैन्य द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा:—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 13 प्रतिशत प्रति माह
(2) क्षेत्र 1 में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12 प्रतिशत प्रति माह
(3) क्षेत्र 2 तथा उपर्युक्त (1) और (2) के अन्तर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10½ प्रतिशत प्रति माह
(4) क्षेत्र III	वेतन का 9½ प्रतिशत प्रति माह

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 4% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ 2 के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, होगा ।

टिप्पणी : (1) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा 1-7-1993 को परिशोधित वेतनमान के अनुसार अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 1-11-1994 से प्रभावी गिना जाएगा ।

6. मूल विनियमों में, विनियम 23 के उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

23(1) 1-11-1993 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर मासिक परिलब्धि भत्ता पाने का पात्र होगा :

स्थान	दर
(क) क्षेत्र 1 के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4½% अधिकतम रु० 335/- प्रतिमाह
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चण्डीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते ।	मूल वेतन का 3½% अधिकतम रु० 230/- प्रतिमाह

7. मूल विनियमों में विनियम 24 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

24(1) अधिकारी अपने परिवार के लिए किए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात्:—

(क) चिकित्सा व्यय

1-11-1994 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अधीन की जायेगी । इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :

सारणी

श्रेणी	वार्षिक
1	2
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु. 1,500/-
वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु. 2,000/-

टिप्पणी : (1) उपरोक्त में से आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी ।

(2) चिकित्सा सहायता-योजना के अधीन वर्ष 1994 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने, अर्थात् नवंबर और दिसम्बर, 1994 के लिए रद्दीनपाने बताई जाएगी ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी की 'परिवार' में उसकी पत्नि/पत्नी, पूर्णतः आश्रित बच्चे और पूर्णतः आश्रित माता-पिता को शामिल होंगे ।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

(1) 1-11-1994 को और उसके बाद से, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी । सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों को, यथास्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी अधिकारी द्वारा, घर पर इलाज की आवश्यकता अस्पताल अर्थात् किसी न्यास, सोसायटी संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन चलने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु आपातकालीन परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक खाता अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऊपर वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि तक सीमित रहेगी ।

(3) 1-11-1994 को या उसके बाद से, मान्यताप्राप्त अस्पताल के अधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों की अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :—

कैंसर, श्वेतरक्तता, थैलसीमिया, सांघातिक पक्षाघात, हृदयरोग, कार्डियक सर्जरी, गर्भ की खराबी, मिरगी, न्यूरोसर्जन की बीमारियां, मनोविकार दीप और मधुमेह ।

टिप्पणी : (1) उपरोक्त उपचार के अस्पताल में लगाई आदि की लागत की प्रतिपूर्ति निम्नोक्त के समान है जो निम्नलिखित अवधि के लिए की जाएगी यदि डाक्टरों का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु समान 90 दिनों तक सीमित होगा ।

(2) उक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के होते हुए भी और उसके अतिरिक्त प्रतिस्थापित करते हुए, जिसमें तारीख को सरकार चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) देने के उपलब्ध में, निर्देशक-मान्यता संस्थाओं द्वारा परिवर्तन किया जिस, जहां सरकार समय को निर्णायक कर संतुष्ट है और यदि निर्देशक-मान्यता संस्था तय करता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के लिए

नियत तारीख को बैंक में लागू निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे ।

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निलंबित अधिकारियों को भी दी जाएंगी ।

8. मूल विनियमों में, विनियम 25 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

25. अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा । किंतु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1-11-1994 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 4% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराए दर, जो भी कम हो, भुगतान करेगा ।

परंतु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी ।

यदि बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे ।

9. मूल विनियमों में, विनियम 41 के उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

41(4) 1-6-1995 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी स्तम्भ 2 में वर्णित तदनुरूपी दरों से विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :—

दैनिक भत्ता (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2	3	4
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	250.00	200.00	175.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	200.00	175.00	150.00

परन्तु :

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किन्तु 4 घन्टे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा ।

(ख) विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के होटलों में एकल आवास कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी :—

खान पान खर्च (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
वेतनमान VI और VII	4* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान IV और V	3* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान II और III	2* होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00
वेतनमान I	1* होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00

(ग) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर परन्तुक (ख) में निर्धारित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति कोई निर्धारित कर सकता है ।

(घ) यदि आवास की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गयी है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा ।

(ङ) यदि भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा निःशुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जाएगा ।

(च) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गई है तो चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा । लेकिन, यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना, घोषणा के आधार पर आवास खर्च का दावा करता है तो उसे चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिए रुपए 10/- का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घन्टे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के तात्कालिक समय तक की जाएगी । यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घन्टे से कम है तो 'प्रतिदिन' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो ।

10. मूल विनियमों में, विनियम 42 के उप-विनियम 2(1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

42.2(1) 1-7-1993 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालभाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी —

वेतन-सीमा	परिवार-सहित	परिवार-रहित
रु० 4,250/– से रु० 6,210/– प्रतिमाह	3,000 किलोग्राम	1,000 किलोग्राम
रु० 6,211/– प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2,000 किलोग्राम

11. मूल विनियमों में, विनियम 45 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

45. भविष्य निधि और पेन्शन :

(1) प्रत्येक अधिकारी, यदि वह पहले ही भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो बैंक द्वारा गठित भविष्य का सदस्य बनेगा तथा वह ऐसी निधि को शामिल करने वाले नियमों द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत होगा ।

(2) भविष्य निधि नियमों में यह व्यवस्था है कि 1-11-1993 को और उससे बाद से :—

(क) पेन्शन योजना द्वारा शासित अधिकारी के मामले में केवल अधिकारी द्वारा वेतन के 10% की दर से भविष्य निधि में अंशदान, बैंक की ओर से किसी समतुल्य अंशदान के बिना किया जाएगा ।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ।

(ख) पेंशन योजना द्वारा शासित न होने वाले अधिकारी के मामले में, अधिकारी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान और बैंक द्वारा समतुल्य अंशदान वेतन 10% की दर से किया जाएगा ।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ।

(3) 29-9-1995 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारी पेन्शन योजना द्वारा शासित होंगे ।

तथापि, निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं होंगे :—

(क) जो अधिकारी 29-9-1995 को एक बैंक की सेवा में था, बशर्ते कि उसने पेन्शन योजना के संबंध में बैंक की नोटिस के जवाब में पेंशन योजना का सदस्य होने का विकल्प विशेष रूप से चुन लिया हो ।

(ख) जो अधिकारी 29-9-1995 को या उसके बाद 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु में भरती हुआ है, और जिसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का अपना अधिकार छोड़ देना चुना है ।

टिप्पणी : भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु 'वेतन' का अर्थ है मूल वेतन, जिसमें अवरोध वेतनवृद्धियां स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक अहर्ता भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक शामिल है ।

12. मूल विनियमों में, विनियम 46 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

46. उपदान :

(1) प्रत्येक अधिकारी, निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :—

(क) सेवा-निवृत्ति पर;

(ख) मृत्यु पर;

(ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है;

(घ) दस वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करने के बाद त्याग-पत्र देने पर; या

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्डस्वरूप सेवा-समाप्ति को छोड़कर अन्य किसी कारण से सेवा-समाप्ति पर ।

(2) अधिकारी को देय उपदान की राशि के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है ।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा ।

परन्तु जिस अधिकारी की सेवाएं 1-7-1993 से 31-10-1994 के दौरान समाप्त हो गयी हैं उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य विनियम

4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित अनुसार वेतनमान से है ।

टिप्पणी : यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छह महीने या उससे अधिक की कोई अवधि बचती है तो उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान दिया जाएगा ।

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन अधिसूचना सं. ए एक्स 1/कार्मिक/9174/90 दिनांक 23-7-90 द्वारा गजट किए गए थे ।

ह०/-अपठनीय
उप महाप्रबन्धक
कार्मिक

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया

नई दिल्ली—110002, दिनांक 24 जनवरी 1997

शुद्धिपत्र

सं० 13 सी० ए० (परीक्षा) एम०/97—भारत का राजपत्र भाग III, खण्ड—4, सं० 6 पर दिनांक 8 फरवरी 1997 को प्रकाशित हिन्दी पाठ में पायी गई मुद्रण की त्रुटि ।

पृष्ठ संख्या	त्रुटि	सुधार
458 (बायां भाग-फाइनल परीक्षा ग्रुप—1)	वर्ष 1977	वर्ष 1997

जगदम्बा प्रसाद
अतिरिक्त सचिव (परीक्षा)

दिनांक 30 अप्रल 1997

सं० 3-एन० सी० ए० (4)/4/96-97—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न कराने के कारण उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है।

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	4403	श्री पथरोज के० 258 गुलमोहर एन्कलेव, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली—110049	1-10-96
2.	5567	श्री महरोत्रा रवि कुमार एफ—2, निलिन अपार्टमेंटस 17, बेला रोड, सिविल लाइंस दिल्ली—110054	1-10-96
3.	6979	श्री गुरनानी निरंजन बी—139, ईस्ट आफ कैलाश 2 फ्लोर, नई दिल्ली—110065	1-10-96
4.	11106	श्री खजांची कैलाश चन्द्रा एच-7, साउथ एक्सटेंशन पार्ट नई दिल्ली—110049	1-10-96
5.	11501	श्री गुप्ता धनी राम 9827, नवाब गंज आजाद मार्किट, दिल्ली—110006	1-10-96
6.	14245	श्री हुंस सुरेश कुमार एम० के० हुंस एण्ड कं०, 438 लाजपत नगर मार्किट, अपोजिट गुरू नानक मिसन हास्पिटल, जलंधर सिटी—144001	1-10-96
7.	15654	श्री सेन समीर कुमार केयर आफ एसआरएफ फाइनेन्स लि० एबी—4, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली—110029	1-10-96
8	16640	श्री मल्होत्रा प्रदीप कुमार पी० के० मल्होत्रा एण्ड एसोसिएट्स 83-अबी, गौतम नगर, नई दिल्ली—110049	1-10-96
9.	17591	श्री सहाय मुकेश 105, अपटोन क्रिसेंट मरखान टोरोन्टो, ओन्टोरियो एल 3 आर 3 टी 3, कनाडा	1-10-96
10.	29024	श्री मुथाप्पन के० 2ई पाकेट एल, शेख सराय, फेस—2, नई दिल्ली—110017	1-10-96
11.	54665	श्री राहुल जय प्रकाश केयर आफ एस० के० शर्मा एच—1,39, मुखीर्जी एंकलेव बंगाली नियर डायरी मोड़ नई दिल्ली—110045	1-10-96
12.	56995	मिस चौधरी सुषमा केयर आफ ब्रिगेडियर पी० के० पाल जे—1949, सी० आर० पार्क नई दिल्ली—110019	1-10-96
13.	70093	श्री वरिन्दर कुमार पी ओ बाक्स 412, गैबोरोन, अफ्रीका, बोटसवाना	1-10-96
14.	72080	श्री दवे शिव कुमार 90, आकाश कुंज, सेक्टर—9, प्लाट नं० 14, रोहिणी, दिल्ली—110085	1-10-96
15.	73239	श्री अग्रवाल कृष्ण कुमार सी—17, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली—110065	1-10-96
16.	73641	श्री उबरोय विवेक ई—94, मस्जिद मोठ, ग्रैटर कैलाश—3, नई दिल्ली	1-10-96

1	2	3	4
17.	73856	श्री जितेन्द्र कुमार जे० कुमार एण्ड एसोसिएट्स, 6/1191, 2 फ्लोर, नाईवाला करोल बाग, नई दिल्ली–110005।	1–10–96
18.	80154	श्री तलवार अशोक एस सी चावला एण्ड कं० 59/1, न्यू मार्किट 2 फ्लोर, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–110005।	1–10–96
19.	80296	श्री खिंगरा कृष्ण कुमार फाइनैनशियल एडवाइजर, नैशनल को-ग्रोरेटिव डवलपमेंट 4, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली–110016।	1–10–96
20.	80595	श्री गुप्ता विपिन कुमार 1/ओ–ए, सरभा नगर, लुधियाना–141001।	1–10–96
21.	80763	श्री सजवाल रमेश केयर आफ डा दीपक शर्मा हाउस नं० 76, इंदिरा नगर, सैक्टर सी (कश्मीर), श्रीनगर-190004।	1–10–96
22.	80826	श्री विजयेश्वर ए–3/165 जनकपुरी, नई दिल्ली–110058।	1–10–96
23.	81045	श्री श्रीवास्तवा अम्बुज 47/221 फ्लोर, अभान चैम्बर्स, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060।	1–10–96
24.	81432	श्री सासी अशोक कुमार 124, मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018।	1–10–96
25.	81680	श्री नरेश कुमार डी–11, एच० एस० अपार्टमेंटस मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091।	1–10–96
26.	81908	श्री नवल किशोर 247, आफिस काम्पलैक्स–1, शाहदरा तीस हजारी एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055।	1–10–96
27.	81913	श्री चितकारा रमन कान्त ई–459, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली–110048।	1–10–96
28.	82042	श्री बालिया अरविन्द अरविन्द बालिया एण्ड एसोसिएट्स, सी–222, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048।	1–10–96
29.	82230	श्री गुप्ता राजीव केयर आफ पी आ बाक्स 1668, दिल्ली–110006।	1–10–96
30.	82463	श्री सेठ राजेश शोप नं० 112, 1 फ्लोर, लाजपतराय रोड, बाजार मार्किट, दिल्ली–110006।	1–10–96
31.	82475	श्री सुशील कुमार केयर आफ मैसर्स रोड़ा एण्ड कुमार एम–12 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016।	1–10–96
32.	82542	श्री साधु राम 4 फ्लोर, दिवाईट सिनेमा, बिल्डिंग, आफ अली रोड, नई दिल्ली–110002।	1–10–96
33.	84623	श्री भल्ला राजिन्दर सिंह के जी–1/427 विकासपुरी नई दिल्ली–110018।	1–10–96
34.	80063	श्री प्रवीण कुमार 2, पूसा रोड, दिहाइड ब्लड बैंक, नई दिल्ली–110005।	1–10–96
35.	83741	श्री बन्सल अशोक कुमार मै० अशोक कुमार बंसल एण्ड एसोसिएट्स केयर आफ एम० के० सरकार, के–45 कैलाश कालोनी नई दिल्ली–110065।	1–10–96
36.	83753	श्री अजय कुमार अजय गर्ग एण्ड एसोसिएट्स 3467 गली बजरंग बली, चावड़ी बाजार, दिल्ली–110006।	1–10–96
37.	84329	श्री बस्तगी सुधीर सुधीर बस्तगी एण्ड कं०, 10/10, हैली रोड, नई दिल्ली–110001।	1–10–96
38.	84708	श्री सिंह जोगिन्दर सी–2/2, राइटस फ्लैट्स, अशोक विहार फेस–3, दिल्ली–110052।	1–10–96
39.	85216	श्री हान्डा राय तरुण केयर आफ केपी एम जी पीटी मार्विक 6, डयूक स्ट्रीट, किंगस्टन जमैका, वैस्ट इंडीज।	1–10–96
40.	85227	श्री गयलशंग तामग्याल फुन्टसो केयर आफ श्री टी० बांड 10, रिंग रोड, लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024।	1–10–96
41.	85307	श्री गुप्ता अशोक कुमार, एच–37, शालीमार बाग, रिंग रोड, दिल्ली–110052।	1–10–96
42.	85191	श्री भास्करन एम० एम० भास्करन एण्ड एसोसिएट्स, 81–ए, पोकेट–1, मयूर विहार, दिल्ली–110091।	1–10–96
43.	85854	श्री अग्रवाल विरेन्द्र कुमार विरेन्द्र के अग्रवाल एण्ड कं०, ए–2/166, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058।	1–10–96
44.	86988	श्री आलागड्डा श्रीराम ए–124, डिफेंस कालोनी नई दिल्ली।	1–10–96

1	2	3	4
45.	87182	श्री भारती अभय हैप्पी बिल्डिंग, चण्डीगढ़ रोड़, डिस्ट० लुधियाना, नया शहर डोबा–144514।	1–10–96
46.	87213	श्री दवे नलिन नलिन दवे एण्ड कं०, आर–103 माडल टाउन, सोनीपत–131001।	1–10–96
47.	87241	श्री सुब्रामनयन गनेश ए–57, विवेक विहार फेज–2, दिल्ली–110032।	1–10–96
48.	80254	श्री ऋषि राकेश कुमार शोप नं० 10 एण्ड 11, धरम काम्पलैक्स, धर्मा कालोनी, दिल्ली रोहतक रोड़, नांगलोई, दिल्ली–110041।	1–10–96
49.	88452	श्री अश्वनी कुमार कुमार अश्वनी एंड कं०, हाउस नं० 257, 1 फ्लोर, सेक्टर 25–ए, चण्डीगढ़।	1–10–96
50.	88773	श्री सहगल विक्रम, विक्रम सहगल एण्ड कं०, 43 बनारसी दास इस्टेट, दिल्ली–110054।	1–10–96
51.	89026	श्री अग्रवाल अनिल कुमार अनिल तिलक एण्ड कं०, एडी–9ए, शालीमार बाग, दिल्ली–110052।	1–10–96
52.	90745	श्री जैन मोहित कुमार, बी–307, वर्धमान अपार्टमेंटस, मयूर विहार फेज–1, एक्सटेंशन, दिल्ली।	1–10–96
53.	91427	श्री संधु स्वर्ण सिंह ए–4, इंडस्ट्रियल स्टेट, भटिण्डा।	1–10–96
54.	91552	श्री आहूजा संजय ए–380, ग्राउन्ड फ्लोर डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली–110024।	1–10–96
55.	91959	श्री गुप्ता संजय क्यूपी–42(1 फ्लोर) पितमपुरा दिल्ली–110034।	1–10–96
56.	92184	श्री कोठार विनीत अनिल एकाउन्ट्स मैनेजर पोहटिकजैम लि०, 4 फ्लोर, वुलवरस्टोन हाऊस, 61–62, वैरनर स्ट्रीट, लंदन डब्ल्यू/पी यू० के०।	1–10–96
57.	93097	श्री श्रीवास्तवा अनुरंजन 154, शिवाजी अपार्टमेंट्स, 83, आई०पी० एक्सटेंशन, दिल्ली–110092।	1–10–96
58.	93186	श्री मल्होत्रा दीपक डी० मल्होत्रा एण्ड एसोसिएट्स, एफ–86 अशोक विहार–1 दिल्ली–110052।	1–10–96
59.	13856	श्री नागपाल जितेन्दर कुमार हाऊस नं० 10172, नवाबगंज, सायबरी रोड़, नई दिल्ली–110006।	1–10–96
60.	32779	श्री सुनिल भारद्वाज, 5021 जैवीयर कोमन क्रीमोन्ट, सी ए 94555, यू एस ए	1–10–96
61.	83351	श्री मैथ्यूज सी० एम० 13/239, ब्लाक सी–4बी जनकपूरी, नई दिल्ली–110058।	1–10–96
62.	83484	श्री चड्ढा अनिल मैसर्स अनिल चड्ढा एण्ड एसोसिएट्स पोकेट ईबी–184, जी–8 एरिया, राजौरी गार्डन्स, डी डी ए फ्लैटस, (एस एफ एस) (अपोजिट तिहार जैल) नई दिल्ली–110064।	1–10–96
63.	86540	श्री मियन लाल, बी–7/92, सफदरजंग एन्क्लेव एक्सटेंशन नई दिल्ली–110029।	1–10–96
64.	86791	श्री बरल विनोद चन्द्रा शर्मा 8/322, नाग धुंगा, पोखरा, नेपाल।	1–10–96
65.	88274	श्री मलिक इंदरजीत मैनेजर एकाउन्टस, डी एल एफ इंडस्ट्रीज लि०, इलैक्ट्रिक, सैक्टर 2, माडल टाउन, फरीदाबाद–121006।	1–10–96
66.	90886	श्री पसारी मनोज कुमार केयर आफ ग्लोरियस प्रिंटर्स एण्ड ट्रेडर्स 5/5, क्लाइव रो, रूम नं० 6, 2 फ्लोर, कलकत्ता–700001।	1–10–96
67.	92661	श्री गुप्ता अशोक कुमार हाउस नं० 1027, सैक्टर 18, ओल्ड फरीदाबाद फरीदाबाद।	1–10–96

अशोक हल्दिया
सचिव

बम्बई–400005, दिनांक 30 अप्रैल 1997

सं० 3–डब्ल्यू सी० ए० (5) 2/96–97—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 4–सी०ए०–(1) 3/66–67 दिनांक 17–5–66, 4–सी० ए० (1) 9/68–69—दिनांक 31–07–68, 4–सी०ए० (1) 20/75–76 दिनांक 25–3–76 4–सी० ए० (1) 27/76–77 दिनांक 5–3–77, 4–डब्ल्यू सी०ए० (1) 4/80–81 दिनांक 21–3–81

4-सी०सी०ए० (7)/8/81-82 दिनांक 5-3-83, 3-डब्ल्यू सी०ए० (4) 2/83-84, 3/डब्ल्यू० सी० ए० (4) 8/83-84, दिनांक 26-3-84, 3डब्ल्यू सी० ए० (4) 7/85-86 दिनांक 3-8-86, 3 डब्ल्यू सी० ए० (4) 11/87-88 दिनांक 5-1-88, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 10/88-89 दिनांक 15-2-89, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 12/89-90 दिनांक 20-11-89, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 13/88-89 दिनांक 27-11-89, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 15/89-90 दिनांक 20-12-89, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 17/89-90, दिनांक 22-12-89, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 21/89-90 दिनांक 3-3-90, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 8/90-91, दिनांक 2-1-91, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 11/91-92 दिनांक 27-12-91, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 11/91-92, दिनांक 16-3-92, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 5/92-93 दिनांक 1-12-92, 3-ओ० सी० ए० (4) 3/92-93 दिनांक 22-1-93, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 3/92-93 दिनांक 22-1-93, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 3/92-93 दिनांक 22-1-93, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 5/93-94 दिनांक 2-12-93, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 9/94-95 दिनांक 30-1-95, 3-डब्ल्यू सी० ए० (4) 2/95-96 दिनांक 13-5-96, 3-सी० सी० ए० (4) 3/95-96 दिनांक 4-1-96, 3-एन० बी० ए० (4) 2/95-96 दिनांक 7-5-96, के संदर्भ में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1988 के नियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त नियमों के नियमन 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है ।

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	001134	श्री मनोरंजन रसीलाल शॉफ, एफसीए, 3रा मजला, झाऊ सं० 7, काशीबाई नवरंग रोड, गामदेवी, मुम्बई–400007	7–11–96
2.	001853	श्री शिंदे बाबुराव गोविन्द राव, एफसीए, ए–6, विद्यामृत, 509/1, पुनर्टेकडी, निर्मल नगर, पुणे–411037	10–5–96
3.	002000	श्री सिन्हा सत्येन्द्र नाथ ए० सी० ए०, प्रदीप कुमार बिल्डिंग, गेब्रियल रोड, माहीम, मुम्बई–400016	20–5–96
4.	004404	श्री नालीनकांत चन्दूलाल शाह, ए० सी० ए० 1 विक्रम सोसायटी, शाही बाग, अहमदाबाद–380006	30–12–96
5.	005252	श्री मिस्त्री द्वारा रुस्तमजी, ए० सी० ए०, सी० पी० 154, 1211 जेनेवा 19 स्वीटजरलैण्ड	19–7–96
6.	005558	श्री पारीख प्रह्लाद कांतीलाल ए०सी०ए०, कृष्णा निवास गणेशवाडी, खांडराव मार्केट के पीछे, बरोडा–390001	5–8–96
7.	05600	श्री वसानिव जो० एस० ए० सी० ए०, सी–56 सुन्दर अपार्टमेंट्स, वी०एन० पुरम मार्ग, चेंबूर, मुम्बई–400071	9–7–96
8.	006191	श्री बी० एन० देसाई, ए०सी०ए०, जे०एस० कदम्बरी, अपार्टमेंट्स, जोधपुर चार रस्ता, सेटेलाइट रोड, अहमदाबाद–380015	21–1–97
9.	006584	श्री होजदार अदरबाद तेहमरास्प एफ० सी० ए० ए०टी० होजदार एण्ड कम्पनी बंगलो सं० 826, दस्तुरमेहर रोड, कैम्प, पुणे	26–7–96
10.	006929	श्री पण्डित अनील गजानन, ए० सी० ए०, 125, जोसेफ मार्ग, ई० ब्रनस्विक, एन० जे० 08816 यू० एस० ए०	19–7–96

1	2	3	4
11.	007163	श्री टी० एस० कस्तूरी, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 19, नवशांतिका हाउसिंग सोसाइटी, पुलिस ग्राउन्ड के सामने, फरग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे–411016	28–5–96
12.	007142	श्री शाह जैमेन्द्र कुमार ए० सी० ए०, 1, बेला अपार्टमेंट्स 'बी', बी/4, मनीष सोसाइटी, सैयद वँसना रोड, बड़ोदा–390015	9–7–96
13.	007202	श्री कालिक दीनसा होगी, ए० सी० ए०, द्वारा : जी० ई० सी० अलसोथम आस्ट्रेलिया लि०, 2, थीफटलॉफ एवेन्यू, पार्थ रोड, एल० एस० डब्ल्यू० 2113, आस्ट्रेलिया	15–7–9
14.	008712	श्री बी० के० बजहल, एफ० सी० ए०, सीनियर डी० जनरल मैनेजर, एल० आई० सी० आफ इण्डिया, जीवन प्रकाश, 6/7 शिवाजी नगर, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे–411005	24–7–96
15.	009164	श्री उमेश एच०, ए० सी० ए०, मैनेजमेंट अथारिटी आफ जेबेल अली पी० ओ० बाक्स 8258, दुबई, यू० ए० ई०	24–7–96
16.	009552	श्री चन्दर एल० एफ० सी० ए०, डायरेक्टर आफ फाइनेंस, आई० पी० सी० एल०, पी० ओ० पेट्रोकेमिकल्स टाउनशिप, बड़ोदा–390008	16–8–96
17.	009762	श्री जैन, निर्मलकुमार, एफ० सी० ए०, 5-बी, श्याम निवास, भुलाभाई देसाई रोड, मुम्बई–400026	2–7–96
18.	010023	श्री अग्रवाल सत्यप्रकाश, एफ० सी० ए०, सागर विला, 38, वाईन रोड, मुम्बई–400026	16–7–96
19	010239	श्री तेलावरे कालीदास नरसिंह, ए० सी० ए०, द्वारा : ए० आर० मुजावरे एण्ड कं०, आनन्द अपार्टमेंट्स, शीतल होटल के पीछे, एफ० सी० रोड, शिवाजी नगर, पुणे	17–7–96
20	010622	श्री श्रीनिवासन एन०एस०, ए० सी० ए०, डिप्टी जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, शारदा सेन्टर, दूसरा मंजला, "वृन्दावन", पुणे–411004	14–11–95
21.	011417	श्री एस० एल० विश्वनाथन, एफ० सी० ए०, द्वारा : रणजीत लि०, पी० बी० नं० 1915, सुरूनेरे, नागोम, सिंगापोर	18–9–96
22	011480	श्री तेलंगे दुर्गादास नारायण, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 38, सेक्टर नं० 15, कोपर खैराणे, नई मुम्बई–400701	17–8–96
23.	013245	श्री नेरुरकर अशोक कुमार, ए० सी० ए०, 3 रोज हिल टेरेस, फ्लोवर विलेज, बनावाडी, पुणे–411040	4–9–96

1	2	3	4
24.	013257	श्री शुक्लापारूल धनवीन, ए०सी०ए० 1031 मेकावोर ड्राइव, मेमी जॉन (एन०बी०), ई 2 एम 4 एम 2 केनेडा।	9-7-96
25.	013418	श्री समाताती अर्जुन, ए०सी०ए०, फायनान्सीअल कन्ट्रोलर, यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, 15, मार्थिव रोड़, मेहता महल, मुंबई-400 004.	17-7-96
26.	014330	श्री हरीहरन एन०ए०, ए०सी०ए०, जी०, 28, पंचकमल को-आप० हौसिंग सोसायटी, सेक्टर-29, वाशी, नवी मुंबई-400 703.	30-8-96
27.	014654	श्री उमेद राज सिंघवी, एफ०सी०ए०, 6, पुंजन अपार्टमेंट्स, जहानवी रेस्टोरेंट के पीछे, एस० आर० मार्ग, जंबावाडी, अहमदाबाद 380 015.	31-8-96
28.	015419	श्री पटेल प्रभाकर रसीकलाल, ए०सी० ए० एपटेक एज्युकेशन सेंटर, 5वाँ मंजला, चाणक्या, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड़, अहमदाबाद 380 009.	13-8-96
29.	015453.	श्री रामना मूर्ति पी०थी०, एफ० सी० ए०, मेनेजींग डायरेक्टर, आर्यामन फायना-सीयल सर्विसिस लि०, 35, अटलान्टा, 3रा मंजला, नरीमन पाइंट, मुंबई- 400 021.	18-7-96
30.	015835	श्री पाई के० मोहन, एफ० सी० ए०, 196-52, 49वा अवेन्यु, ड, न्यूयार्क 11365.	26-7-96
31	015965	श्री पंडियार शांतीलाल, ए० सी० ए०, आर० सी० एफ० सी०, 8वा मजला, प्रियादर्शनी, इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, सायन, मुंबई 400 022.	20-8-96
32.	016272	श्री मोहन एन०, ए० सी० ए० वीरकृपा, 1/375 तेलंग कौस रोड, माटूंगा, मुंबई 400 019.	21-8-96
33.	016748	श्री शाह राज कुमार, ए० सी० ए०, डेप्युटी मैनेजींग डायरेक्टर, जोसोबीना सदन के पीछे, 318, जलन अम्पंग किरी, क्वालालमपुर, मलाया।	16-1-96
34.	016756	श्री शाह सुधीर प्रवीणचन्द्र, ए० सी० ए० 1901, बाल्टीमोर, डा० रिचार्डसन टीएक्स 75081, यू० एस० ए०	3-1-97
35.	017369	श्री शाह प्रकाश इंदूलाल, एफ० सी० ए०, पी० एस० एसोसिएट्स, 28, सैलेक्सी कमर्शियल सेंटर, जवाहर रोड राजकोट 360001.	25-7-96
36.	017612	श्री एन० कृष्णामूर्ति, ए० सी०ए०, ए-14, वर्सोवा भास्करा निवास को-आप०हो०सोसायटी लि०, यारी रोड़, अंधेरी, मुंबई।	31-10-96
37.	017662	श्री बुक वाला हाकीम फखरुद्दीन, एफ० सी० ए०, 90 सारंग स्ट्रीट, बेहरोजशाह बिल्डिंग, 3रा मजला, रुम नं० 9, मुंबई 400 003.	16-8-9
39.	017835	श्री अजमेरा [illegible] सोमान, एफ० सी० ए०, 13, शिवाजी पार्क मेंटर, कस्तूर पार्क, बोरीवली (प०) मुंबई 400 092.	25-6-96

1	2	3	4
39.	018223	श्रीनेत्रावली उदयशंकर, ए० सी० ए०, 6/95 श्री पालेश्वर सोसायटी, एम० जी० रोड एक्स्टेन्शन, वीलेपार्ले (पू०) मुंबई 400 057.	10-12-96
40.	021641	श्री मालीवाल जी० एल०; एफ० सी० ए०, सी-12-16, एल० आय० सी० कालोनी, बोरीवली (प०), मुंबई-400 013.	4-7-96
41.	023464	श्री वर्धाराजन जी०, ए० सी० ए० 10, राफेल कोर्ट; कामर्सेट स्ट्रीट, ब्रिस्टल बी०एस०आई० यू० के०	23-10-96
42.	025342	श्री चलापती राव के०वी०; ए० सी०ए०; ए 7/3,विघ्या अपार्टमेंट्स, वेना बैंक के ऊपर, वाशी, नवी मुंबई 400 703.	8-7-96
43.	025595	श्री गिरधरण जी० एस०; ए० सी० ए०, ए-28, गुलाबवती का सोसायटी, भंडारिया रोड, बरोडा 390 020.	30-5-96
44.	025823	श्री कृष्णन के०, ए० सी० ए० द्वारा :मैरीको इंडस्ट्रीज लि०, रंग शारदा के० सी० मार्ग, बान्द्रा रिक्लेमेशन बान्द्रा (प०), मुंबई 400 050.	16-8-96
45.	025931	श्री श्रीनिवासन आर०, ए० सी० ए०, 63. लक्ष्मी पुरम, सेरकॉड रोड, चिन्नाप्ति पती पो० सालेम तमिलनाडू-631008	2-4-96
46.	027768	कु० राधा एस, ए० सी० ए०, एस पी ई-3/11, गोदरेज हिलसाइड कालोनी, एल० बी० एस० मार्ग, विक्रोली (प) मुम्बई-400079	18-04-96
47.	030446	श्री देसाई राजेन्द्र मगनलाल ए० सी० ए०, राजेन्द्र देसाई एण्ड कं० 26, अनजली किरन, मुबई-400 055	03-6-96
48.	030491	कु० काथीवाला अरूणा रशीद ए० सी० ए०, 401, करीश्मा, 3रा मजला, जंक्शन ऑफ 6वॉ अनू 12वॉ रोड, खार रोड (प) मुम्बई-400 052	13-09-96
49.	030527	श्री० बोथरा शांतीलाल ताराचन्द, ए० सी० ए०; मेन रोड, चौपड़ा मु० पो० चौपड़ा	09-09-96
50.	030736	श्री देसाई शांताराम कृष्णाजी ए० सी० ए०, बी-28, नाय ग्राम क्रास रोड, 5-बी, रॉयल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, वडाला, मुम्बई-400 031	19-04-96
51.	030818	श्री नामले एन० एस० ए०सी०ए० बी०/10, इंदिरा प्रस्था; सालबीवाडी मिठागर रोड के सामने; मुलुंड (पू) मुंबई-400 081	12-09-96
52.	030857	श्री शाह प्रकाशचन्द्र जयसिंहलाल, ए/23 कृष्णा कुटीर; एम० के० हाई स्कूल के सामने फैक्टरी लेन, बोरीवली(प); मुम्बई-400092	20-6-95
53.	030963	श्री शेखर नटराजन, ए० सी० ए०; नं० 17, गोरी निरीशर, रोड नं० 2, पेस्टम नगर, चेम्बूर, मुम्बई-400089	06-09-96
54.	031255	श्री चौगुले भारतभूषण विपीन सत्य प्रताप 10 नं० पुल, बेजान बाग कडवी चौक, नागपुर	26-09-96
55.	031684	श्री शेठ अरविन्द नारायण ए० सी० ए०, 2 स्टीवर्ट स्ट्रीट पमायक एन० जे० 07055 यू० एस० ए०	02-07-96

1	2	3	4
56.	031418	श्री गोराडिया कनैयालाल मनसुखलाल, ए० सी० ए०, पी० ओ० बाक्स 1274 सी नैरोबी, केनया स्लीनटाना रोड, वेस्टलैंड	14-06-96
57.	031970	श्री शाह जीतेन्द्र अमृतलाल, ए सी ए, 2, अक्षर अपार्टमेंट्स, बन्धु समाज के पास, पंचशील उस्मानपुरा, अहमदाबाद-38 0007	09-9-96
58.	032067	श्री चरना होसी बापुजी, ए सी ए, होसी चरना एण्ड कं०, चरना मास्टर एण्ड कम्पनी, बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग, 3रा मजला, कालबादेवी रोड, मुम्बई 400002	30-09-96
59.	032219	श्री भाटे सुधीर सदाशिव, ए सी ए, 401, शिवनेरी बिल्डिंग, गांवदेवी मैदान के सामने गोखले रोड, ठाणे (प)-400602	27-08-96
60.	032240	श्री शाह अमंजय आपुराजा, ए० सी० ए०, 702/ए, फ्लोरेन्टाइन, हीरा नन्दानी गार्डन्स, पवई मुम्बई-400076	13-05-96
61.	032414	श्री हरीतवाल विनोदकुमार रामनिरंज, हरीत निवास, योदावरी क्रास II अन्धेरी (पू०) मुम्बई-400069	12-08-96
62.	032462	श्री देसाई जवाहर नवीनचन्द्र ए सी ए, 11016 आउट पोस्ट ड्राइव, एन फोटोमैक, एम डी 208 78 यू० एस० ए०	24-07-96
63.	032514	श्री कुलकर्णी अजीत भास्कर, ए० सी० ए०, 28 ए/12 तक्षीला, महाकाली केवस रोड, अन्धेरी (पू) मुम्बई-400093	16-12-96
64.	032683	श्री डायस मार्क डेरीक, एफ० सी० ए०, पी० ओ० बाक्स 5412, दोहा—कतर	27-06-96
65.	033043	श्री शाह संजय लल्लूभाई, ए० सी० ए०, चन्द्रप्रभा, प्रभात रोड, पुणे 411004	25-06-96
66.	033056	श्री वासे भालचन्द्र विनायक ए० सी० ए० सी-20, चेन्नावम रेसीडेन्स, 3रा रोड, औन्ध, पुणे-411007	18-07-96
67.	033114	श्री बुच हरेश गुलाबराय ए० सी० ए०, 17, दसानीग्राम नं० 3, हेमकलानी क्रास रोड नं० 3 कांदीवली (प) मुम्बई-400067	7-09-96
68.	033471	श्री मेहता जितेन्द्र शांतीलाल, एफ० सी० ए० 13, शरद अपार्टमेन्ट्स, एल० टी० रोड नं० 6, आफ एम० जी० रोड, गोरेगांव (प०), मुंबई 400 062	10-7-96
69.	033493	श्री ए० के० विश्वानाथन, एफ० सी० ए० 4100 पोनी ट्रेल ड्राइव, अपार्टमेन्ट नं० 611, मिसीसागा, ओन्टेरीओ एल० 4 डब्ल्यू० 2 बाय 1, ओन्टेरीओ ।	23-4-96
70.	033618	श्री देशपांडे आनंद वसंत, एफ० सी० ए०, आनन्द देशपांडे एण्ड कम्पनी, पंडित कमर्शियल काम्प्लेक्स, मोदी लेन 3, सीताबुलडी, नागपुर 440 012.	30-1-97
71.	033793	श्रीजोशी जगदीश कुमार शांतीलाल, एफ० सी० ए०, 207, केशर कृपा, चंदावरकर लेन, बोरीवली (प०) मुंबई 400 092.	13-8-96

1	2	3	4
72.	033949	श्री शाह जितेन्द्र रमन लाल, 101, कमला नगर, बी–5 वींग, 1 ला मजला, एम० जी० रोड, कांदिवली (प०) मुंबई 400 061.	25–3–96
73.	034106	श्री दलाल मुरतजाअली जुलफीकार, ए० सी० ए०, मुर्तुजा एण्ड असोसिएटस् बिल्डिंग नं० 3, ब्लाक नं० बी०–602,दामोदरपार्क, लालबहाद्र, घाटकोपर (प०), मुंबई 400 086.	14–10–96
74.	034113	श्रीचारी चन्द्रराघवा, एफ० सी० ए० नं० 4,साईज्योतिबिल्डिंग, रोड, विष्णुनगर, वली ।	28–6–96
75.	034147	श्री अगरवाल पवन कुमार, ए० सी० ए०, पी० आर० अगरवाल एण्ड कं०, 42 गोपाल भवन, 199 प्रिन्सेस स्ट्रिट, कालबादेवी, मुंबई 400 002.	1–10–96
76.	034198	कु० नीलम जैन, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 3, राधामोहन, 7वा रोड, गोलीबार (पु०) सांताक्रुज, मुंबई 400 055.	18–10–95
77.	034318	श्री पोपट अजय कुमार चिमनलाल, एफ० सी० ए०, 232 जनरल असुरन्स बिल्डिंग, 1ला मजला, डा०डी०एन० रोड, फोर्ट, मुंबई 400 001.	13–12–96
78.	034385	श्री बर्दे सतीश सुधाकर, एफ० सी० ए०, 18/बी०, मुक्ती को–आप० होसीग सोसायटी, समर्थ नगर, नाशीक 422 005.	18–6–96
79.	034550	श्री गांधी विजय कुमार बालकृष्ण ।,एफ०सी०ए०, 12 इंडस कोर्ट, "ओररोड, चर्चगेट, मुंबई 400 020.	19–4–96
80.	034648	श्री जैन कैलाश चन्द्र, एफ०सी०ए०, 601, अजय अपार्टमेंटस, बाछानी नगर, दफ्तरी रोड, मुंबई 400 097.	12–7–96
81.	035225	श्री पारीख जयप्रकाश रसीकलाल, ए० सी० ए०, 14316 बोनट लेन, लारिल एमडी 20707–यू०एस०ए०	3–4–96
82.	035259	श्री शाह वेलचन्द वलीभाई, एफ० सी० ए० 105 लकी पलेस, स्टेट बैंक के पास नवधर, बसई रोड (प०), बसई–401202	4–4–96
83.	035511	श्री नाईक सुरेन्द्र दत्तात्रय, एम–309, रामायण नगरी, बीबवेवाडी, पुणे–411037.	30–8–96
84.	035617	श्री छाया शैलेश जयकान्त, एफ० सी० ए०, 22, मतरुका सोसायटी, न्यू आय० पी० सी० एल० रोड, सुबहानपुरा, बरोडा ।	11–9–96
85.	035826	श्री बाछानी हरेश शोभराज, ए० सी० ए०, 48/1884 सी० जी० एस० क्वार्टर्स, सेक्टर 7, अन्टाप हील, मुंबई 400 037.	17–5–96
86.	035954	श्री धार्दे संजय सदाशिव, ए०सी०ए०, द्वारा : अनील एस० धार्दे, 201, गोसालीया पार्क, बिल्डिंग नं० 4, ता० पालघर, जि० ठाणा बोईसर 401 501.	3–10–96
87.	036023	श्री शाह पंकज रतीलाल, ए० सी० ए, 2/206 स्वागत हिंगवाला लेन, घाटकोपर (पु०) मुंबई– 400 077.	10–9–96
88.	036285	श्री पुरोहित दीनदयाल हस्तीमल, एफ० सी० ए० 83-बी, डा० एनी बिसेंट रोड, 2रा मजला, वरली, मुंबई 400 018.	24–4–96

1	2	3	4
89.	036402	श्री दलाल भारत अश्विन, 18-10-96 ए० सी० ए०, 9/डी०, 504 अलीका नगर, आकुर्ली रोड, ला खंडवाला टाऊनशीप, कांदीविली (पू०) मुंबई 400 101.	
90.	036543	श्री भरमल सज्जाद फखरुद्दीन, ए० सी० ए०, 11-12-96 मुकवानो इंडस्ट्रीज (यु०) लि०, पी० ओ० बाक्स 2671, कम्पाला, युगान्डा, ईस्ट अफ्रीका	
91.	036580	श्री माथुर अनील 19-9-96 एफ० सी० ए० ए०बी०एन० अंगरो बैंक, पी० ओ० बाक्स 114, टी० डी० सेन्टर टोरोन्टो एम० एस० के० 168, कनेडा ।	
92.	036592	श्री शाह नीमेश रजनीकान्त, 15-7-96 एफ० सी० ए०, नीमेश शाह एण्ड असोसिएटस, 15-बी, टाटा रोड, सोपारीवाला इस्टेट, मुंबई 400 004.	
93.	036636	श्री चंद्रशेखर जी०, 21-5-96 ए० सी० ए० , 505 भागोदया टावर-1, पाशाभाई पार्क, रेस कोर्स, बरोडा 390 015.	
94.	036987	श्री लोचन राजीव, 27-3-96 एफ० सी० ए०, 21 तीलातम्मा ए० डी० एफ०, नेवी नगर, कोलाबा, मुंबई 400 005.	
95.	037091	श्री बत्रा रघुवीर, 30-4-96 ए० सी० ए०, द्वारा : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, फायनान्सीयल सेन्टर डिवीजन, पी० ओ० बाक्स 999 दुबई, यु० ए० ओ०	
96.	037142	श्री शाह भरत कांतीलाल, 27-9-96 ए० सी० ए०, ए०-304, शांती पार्क, सी० एस० काम्प्लेक्स रोड नं० 2, वहोसर (पू०) मुंबई 400 068.	
97.	037146	श्री पटनी फराह हुसैनअली, 21-6-96 ए० सी० ए० ; बी०-304, मधुवनअपार्टमेंटस, यारी रोड, वर्सोवा, मुंबई 400 061.	
98.	037214	श्री अल्लामावाडीआ सूनिल 20-8-96 ब लाल, ए० सी० ए०, 11 रेनबो, देवनार बाग सोसायटी, टेलीकाम फैक्टरी, देवनार, मुंबई 400 088.	
99.	037227	श्री पारीख निसार्ग रसीकलाल, एफ० सी० ए०, 17-7-96 602 मयूर फलेट, सेटेलाइट, अहमदाबाद 38 0915	
100.	037344	श्री लवटी सुरेन्द्र कुमार, 19-9-96 एफ० सी० ए०, 1003 सिध्दी टॉवर, साईबाबा नगर, बोरीवली (प), मुंबई 400 092.	
101.	037513	श्री रंगटा रविन्द्र कुमार बेनीगोपाल, 7-बी, शेष इंडस्ट्रीयल 27-8-96 इस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी (प०), मुंबई 400 057.	
102.	037534	श्री देसाई प्रकाश चन्द्र खेरजी, ए० सी० ए०; 9-7-96 3, जे ठालाल मुलजी मार्केट, अबाबाई हायस्कूल, वलसाड, वलसाड, 396 001.	
103.	037786	कु० रामानाथन विजयालक्ष्मी, ए०सी०ए०, 15-11-96 103, आशियाना, ऑफ जे० पी० रोड, अंधेरी (प०) मुंबई. 400 054.	
104	037813	श्री सुरेश कुमार वी०, 19-8-96 ए० सी० ए०, फ्लेट नं० 4, समृती, प्लाट नं० 20 (20) रफी अहमद कीदवाई रोड, वडाला, मुंबई 400031.	
105.	038187	श्री पंजाबी मुकेश परमानंद, 24-7-96 716, ई सुन्दरधाम, रामबाग लेन, बोरीवली (प०) मुंबई 400 092.	

1	2	3	4
106.	038668	श्री कचोलिया प्रकुल कुमार अंबोलाल, 54, वेंकुंठ, सल्लूभाई पार्क के पास, अंधेरी (प०), मुंबई 400 058.	25-6-96
107.	038676	श्री गोवर्धन सुनिल मनहर, एफ०सी०ए०, एस० एम० गोवर्धन एण्ड कं०, 302 हेप्पी अपार्टमेंट्स, 55/56 नेवी पे०, एन० सी० एस० मार्ग, पुणे 411 030.	14-10-96
108.	039115	कु० बालगी वर्नीता लामन, एफ०सी०ए०, बी०-36, कैलाश, डाहानुकरावाडी, कांदीवली (प०), मुंबई 400 0067	13-6-96
109.	039172	श्री शाह राजेन्द्र सुगनचंद, ए० सी० ए०, 4वीरेश्वर लिंक 12-ए, तेजपाल रोड, प्लाट नं० 6, वीलेपार्ले (प०), मुंबई 400 057.	19-7-96
110.	039924	श्री शाह राजेन्द्र जगन्नाथ, ए०सी० ए०, राजेन्द्र शाह एण्ड कं०, 35 कन्टीनेन्टल चेंबर्स, फर्ग्युसन रोड, पुणे 411 004.	13-10-96
111.	039974	श्री पांड्या नेनेश अम्बारीश, ए० सी० ए, नेनेश पांड्या एण्ड एसोसिएट, 309 रत्नदीप हाईकोर्ट लेन आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009	26-04-96
112.	040152	श्री देशमुख शंतुल वासुदेव, ए० सी० ए०, आदर्श नगर, रोटरी क्लब के पास, सोलापुर-413003	15-07-96
113.	040294	श्री चारी वेंकट रघुनाथ, ए० सी० ए०, बी 17/18, अनन्त आनन्द अपार्टमेंटस, मलबार हील रोड, मुलुण्ड कालोनी, मुम्बई-400082	19-12-96
114.	040365	श्री कुलकर्णी सुहास श्रीकृष्ण, ए० सी० ए०, पंचरत्ना अपार्टमेंट्स, फ्लैट नं० 2, बॉडीगार्डन हेल्थ क्लब, जोध, पुने 411007	13-01-97
115.	040677	श्री जमाका फिरदोस करीदुन, ए० सी० ए०, थम बेसीला, शर्वामंगल सोसायटी, तारनपुरा, अहमदाबाद-380013	20-11-96
116.	040785	श्री अग्रवाल कमल किशोर, ए सी ए, 203, अलोक ऋषि काम्प्लेक्स हीरा पन्ना स्ट्रीट, आई० सी० कालोनी, बोरीवली-400103	01-11-96
117.	040861	श्री शाह संजय कुमार किशोर, ए सी ए, ए 8, भागोदया, 1ला मंजला, [illegible], जे० बी० रोड, भायंदर (प) मुंबई-400086	12-07-96
118.	040916	श्री तेलंग अभय कमलाकर, एफ सी ए, जी-5, नटराज को० आप० हाऊसिंग सोसायटी, गोपाल वाड़ी, ठाने (प)-400602	17-10-96
119.	041201	श्री जैन उदयभा कुमार, ए सी ए, 2202, नागलकर हाउस, स्टेशन रोड, कोपिवली	02-08-96
120.	041313	श्री ठक्कर आसीम लक्ष्मणी, एफ सी ए काश्मीरा चेम्बर्स, हाई कोर्ट के पीछे, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380009	13-06-96
121.	041380	श्री कुलकर्णी उपेन्द्र अनन्तराव एफ सी ए, न्यू दीप ज्योति, तिलक नगर तिलक नगर स्कूल के पास, डोम्बिवली-421201	07-06-96

1	2	3	4
122.	041440	श्री पटेल राजेश कुमार रसिक लाल, ए सी ए, ए/4, हरी महादेव अपार्टमेंट्स मुनी गार्डनर्स के सामने, मीर अम्बिका रोड, नारनपुरा अहमदाबाद–380013	01–08–96
123.	041447	कु० वैद्यानाथन विजयालक्ष्मी, ए सी ए, 3 सी/1002, दामोदर पार्क, एल बी० एस० मार्ग, घाटकोपर (प) मुम्बई–400086	09–04–96
124.	041469	श्री सलेशा मुकेश एस, ए सी ए, 2/8 एम० आई० जी० कालोनी, कुर्ला (प) मुम्बई–400070	04-07-96
125.	041529	श्री पटना पराग इंद्रावदन, एफ सी ए, 313 ए, पाटील प्लाजा, मिलमण्डल कानपुर, पूणे-411009	19–12–96
126.	041752	कु० मलकास संगिता परमलाल, ए सी ए, द्वारा संजय अग्रवाल, पी० ओ० बाक्स, 3800, दुबई,	24-04-96
127.	041763	श्री सपरू विनय, ए सी ए, 3 रा मंजला, 16/एफ० ब्लाक, जोहरा आघाडी नगर, यारी रोड, वर्सोवा, अन्धेरी (प) मुम्बई 400061	22–04–96
128.	041765	श्री सिघानीया सुनिल बनवारी लाल, एफ सी ए, बी–1/404 सुन्दर नगर, एस बी रोड, मालाड (प) मुम्बई 400064	25–09–96
129.	041794	श्री वर्तक सुरेश जगन्नाथ, ए सी ए, सुरेश वर्तक एण्ड एसोसिएट्स साबेवाडी, वडावली, वसई 401201	08–07–96
130.	041856	श्री वाडिया खुशरु काली, ए सी ए, जी/003 विशाल अपार्टमेंट्स, अन्धेरी (पु) मुम्बई–400069	15–04–96
131.	041864	श्री पाठक धवलकुमार भास्कर भाई,ए० सी० ए, 30, महावीर नगर, वस्त्रापुर बस स्टैण्ड के सामने, वस्त्रापुर अहमदाबाद–380015	08–07–96
132.	041921	श्री सम्पत हरीश लक्ष्मीदास, ए सी ए, गीतागृह, 4 पिकेट रोड, 3 रा मजला, रूम नं० 83, मुम्बई–400002	20–05–96
133.	042089	श्री खालफलावाला सोराब पेल्सी, ए सी ए, 9, नागीन महल, 82 वीर नरीमन रोड, मुम्बई–400020	23–04–96
134.	042355	कु० शर्मा सारीका जगदीश, ए सी ए, शालोन्स इस्टेट, डा० सी० जी० रोड, चम्बूर, मुम्बई–400074	30–05–96
135.	042785	श्री गंगाधरन एन०, ए सी ए, 2 ऐश्वर निकेतन, 313 विद्यानगरी मार्ग, कालीना, मुम्बई–400098	05–08–96
136.	042806	कु० चतुर्वेदी अनुराधा नारेम, ए० सी० ए, 203, कावेरी, राहेजा काम्पलेक्स, बालकुम, ठाणे–400608	25–06–96
137.	043044	श्री शाह कलपेश जसवंतलाल ए० सी० ए, कलपेश शाह एण्ड एसोसिएटस, 10, पल्लवीत सोसायटी, होटल सिद्धार्थ प्लेस के पास, दफनाला, अहमदाबाद 380004	30–07–96
138.	043072	श्री कोठारी प्रवीण सुमेरचन्द, ए सी ए, 2 रा मजला, भारत मर्चेन्टस चैम्बर्स, 399 ए, कालबादेवी रोड, मुम्बई–400002	25–12–96
139.	043227	श्री रमेश विश्वनाथन, एसीए, ए–2/5 मानव कल्याण को-आप हाउसिंग सोसायटी लि०, बांगुर नगर, गोरेगांव (प) मुम्बई–400090	18–11–96

1	2	3	4
140.	043488	श्री मतरा महेन्द्र डुंगरशी, ए० सी० ए०, बिल्डिंग नं० 2ए, फ्लैट 104 म्हाडा टेनामेंटस, श्री अदी-शंकराचार्य मार्ग, पवई, अंधेरी (पू) मुम्बई–400076	28–6–96
141.	043511	श्री भेसानी उदय सागरलाल ए० सी० ए०, अरनेस्ट एण्ड यंग पी ओ बाक्स 9267, लेनेल 23, दुबई वर्ल्ड ट्रेड, दुबई, यू ए ओ	17–12–96
142.	043620	कु० सेलीना जाय, एसीए, 1 मीरा निकेतन, सेंट ग्लेस स्कूल मुलुंड (प) मुंबई–400080	10–9–96
143.	043660	श्री मेहता राकेश, एसीए, 84/1405, कल्पावृक्ष टावर्स 14वां मंजला, वसन्त विहार, पोखरन रोड नं० 2, ठाणे (प) मुम्बई–4000601	12–7–96
144.	043743	श्री रमाकान्त एस० किनी ए० सी० ए०, रूम नं० 12, काजवाला सोसायटी मस्जिद के पीछे, महाकाली रोड़ अंधेरी (पू) मुंबई–400093	20–8–96
145.	043802	श्री संजीव कृष्णन मेहरोत्रा ए० सी० ए०, 262/3, शिवतीर्थ एम० जी० रोड़ नोपाडा ठाणे–4000602	31–5–96
146.	043927	श्री आरसीवाला मुस्तफा यूसूफअली, ए० सी० ए०, एम० वाई० आरसीवाला एण्ड कं० 38, सेफी ज्यूबिली स्ट्रीट, मुंबई–400003	26–11–96
147.	044303	श्री बी० सुब्रमण्यम, ए० सी० ए०, नलीनी 6, फ्लाट नं० 304, सावन ट्राम्बे बिल्डिंग, चेम्बर, मुंबई–400071	21–8–96
148.	044325	कु० दांडेकर सुनंदा विष्णु ए० सी० ए०, गोविन्द नगर, 27–बी–12 बोरीवली (प) मुंबई–92	16–8–96
149.	044348	श्री पारस अशोक अडेनवाला ए० सी० ए०, चंदन डीसोजा कालोनी, कालेज रोड़, नासिक–432005	6–8–96
150.	044565	श्री शाह समीर इन्द्रजीत, ए० सी० ए०, बी 4, सुन्दरवन फ्लेट नं० 703 लोखंडवाला रोड़ अंधेरी (प) मुंबई–400058	7–6–96
151.	044701	श्री जोस, ए० सी ०ए० पी ओ बाक्स 1620, दुबई, यू ए ओ	28–8–96
152.	044728	श्री आयर राम, ए सी ए, 5 78 कृष्णा महल, जी एम रोड़ चेंबर, मुंबई–400089	11–6–96
153.	044810	श्री थामस कुरीयन, ए सी ए, पी ओ बाक्स 17691 अल–एन अबुधाबी, यू० ए० ओ	24–9–96
154.	044836	श्री पटवर्धन यतीन अवीनाश ए० सी० ए०, 46, कृपीनगर, कालेज रोड़ नासिक–432005	13–1–97
155.	044976	श्री नागराजन एम० ए० सी० ए०, फलैट नं० 1, सत्यम 1, आर सी मार्ग, चेंबुर, मुंबई–400071	14–8–96
156.	045002	श्री कुकीजन दीपक वामन ए० सी० ए०, बैंक आफ अमेरिका एक्सप्रेस टावर्स, नारीमन प्वाइंट, मुंबई–400021	17–6–96
157.	045108	कु० नीना जीन नोरोन्हा ए० सी० ए०, 5245 अलीकैन्ट स्ट्रीट, मिस्सीसोना ओन्टोरीओ एल5बी 1एस 9 कैनेडा	24–7–96

1	2	3	4
158.	045151	श्री बाविस्कर महेश गोविन्दा राव ए० सी० ए०, द्वारा : न्यू पूनम बाग 4था मंजला विलेपार्ले (पू) मम्बई	19-6-96
159.	045171	श्री बोरा शलेशकुमार मदनलाल, ए० सी० ए०, सेक्टर 9/बी-15/103, शांती नगर, मीरा रोड़, (पू) 401107	7-8-96
160.	045208	श्री अनूप मोहन जोहरी ए० सी० ए०, बी-1, गगुल अपार्टमेंट्स, सुबहानपुरा बरोडा-390001	9-7-96
161.	045233	कु० भरुछा प्रवीण बरजोर, ए० सी० ए०, ताहेर बिल्डिंग, जहाभाई स्ट्रीट, ग्रांट रोड़ मुम्बई-400004	15-4-96
162.	045243	श्री वेंदरकर नंदन सदानंद ए० सी० ए०, 2/446, रघुवंश मिल्ल लेन, देवरुख-415804	11-6-96
163.	045308	कु० शिंदे सुषमा राजीव, ए० सी० ए०, द्वारा श्री राजीव शिंदे पो० बाक्स नं० 243, अबु धबी यु० ए० ई०	12-7-96
164.	045337	श्री धाकप्पा यतीश त्रिम्बक, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 13, प्रियंका सोसा० प्लाट नं० 235, सैक्टर-3, कांदिवली (प) मुम्बई- 400067.	8-5-96
165.	045368	श्री बडोदारीआ जयेश अरविंद ए० सी० ए०, द्वारा : एम० पी० जानी, पुरुषोत्तम मंस्था, बोज़ासनवासी श्री अक्षर, 2रा मंजला एकाउंटस आफिस, शाहीबाग रोड़, अहमदाबाद-38 0004 ।	28-5-96
166.	045413	श्री मखनानी आजोय विनाल ए० सी० ए०, ई-77ए, बीएस अपार्टमेंट्स, वरली सीफेस, डा० आर० जी० थाडानी मार्ग, मुंबई-400018 ।	4-7-96
167.	045421	कु० प्रधान स्वीता वसंत, ए० सी० ए०, 406, शालका महर्षि कर्वे रोड़, मुम्बई-400021 ।	18-7-96
168.	045477	श्री पतनीस अक्षत मधुकर, ए० सी० ए०, 16, श्री रामनाथ सोसायटी, सयानी रोड़, मुम्बई-400025	20-8-96
169.	045496	श्री पंजाबी विजय मूलचन्द, ए० सी० ए०, यूनिट नं० 11,7604-29 एवेन्यू, एडमोन्टन अलबर्टा टी०6 के 322, कैनेडा	7-1-97
170.	045530	श्री पोपाली तुषार भगवानदास ए० सी० ए०, 402, चिंतामनी अपार्टमेंट्स, 22, जैन सोसायटी एलीसब्रिज अहमदाबाद-38 0006	4-6-96
171.	045772	कु० सीमा शिरीष ठाकुर ए० सी० ए०, क्वीनस पार्क, बिल्डिंग नं० 2, ब्लाक नं० 202, परनाका, बभई (प) 401201 ।	13-5-96
172.	045790	श्री जैन रामन मातीलाल, ए० सी० ए०, ●2, अम्बिकादेवी सोसायटी 1 शवेरी पार्क, नारनपुरा अहमदाबाद-38 0013 ।	24-9-96
173.	046058	श्री बागली त्रिपती मधुकर ए० सी० ए०, ए/303, देवदर्शन गोगज लेन माडीप, मुंबई-400016	16-8-96
174.	046158	श्री जैन नरेन्द्र कुदनलाल, ए० सी० ए०, बिल्डिंग नं० 1, फ्लैट नं० 6, समर्थ नगर, चनाभट्टी स्टेशन के सामने, चूनाभट्टी, मुंबई-400022 ।	11-7-96
175.	046209	श्री डीसोजा नारायन स्टेनली ए० सी० ए०, एफ 12, विश्राम धाम-7, वीना नगर फेस-2, मुलुण्ड (प), मुम्बई-400080 ।	8-10-96

1	2	3	4
176.	046392	श्री रुपारेल अतील नंदलालभाई ए० सी० ए०, 121, बेसमेंट नारायण चैम्बर्स, नेहरू ब्रिज, अहमदाबाद	20-6-96
177.	046408	श्री शुक्ला रसीक सूर्यप्रसाद ए० सी० ए०, ए-3, निर्मल काम्पलैक्स, डाक्टर हाऊस, एलीसब्रिज, अहमदाबाद-38 0006	14-6-96
178.	046544	श्री राणे दिनेश अनन्तराव ए० सी० ए०, डी 62, प्रसन्ना जीवन सोसायटी बाभाई ऐक्सर रोड़, बोरीवली (प) मुंबई-400092	5-7-96
179.	046609	श्री अग्रवाल अमृतकुमार ए० सी० ए०, गांधी स्पेशल ट्यूब्स लि०, जरीवाला मेन्सर्न, 43 के० एम मुन्शी मार्ग, मुंबई-400007	22-7-96
180.	046872	श्री कावसीया असर्फदीयार कैकुशरू, ए० सी० ए०, बी-1/54, पंचवटी अपार्टमेंट्स जुहु रोड़, अंधेरी (प०), मुबई-400058	9-7-96
181.	047094	श्री लाकडवाला मोहम्मद शारीफ इब्राहीम 8 1 8 3, बापु खोटे स्ट्रीट; जमील मोहल्ला, 3रा मंजला, मुंबई-400003	13-11-96
182.	047199	श्री कुडव कमलेश विनोद, ए० सी० ए०, ए 3, चौकसी बिल्डिंग, नामदेवी रोड़, मुंबई-400007	27-8-96
183.	047440	श्री वड्डी नागेश सुब्रामनयम, ए० सी० ए०, प्लाट नं० 27ए, टाईप-4, क्यू एफ वरणगांव इस्टेट, जि० जलगांव-425308	4-6-96
184.	047514	कु० कापडिया मीना देवेन्द्र ए० सी० ए०, 14 आयबी, प्रतापनगर कालोनी दर्गा रोड़, उस्मानपुरा, औरंगाबाद-431005	24-5-96
185.	047536	श्री छेछानी जगदीशचन्द्र, ए० सी० ए०, ए-33, बन्सीधर सोसायटी, एस० टी० स्टैण्ड के पास, ता० गोडासा धनसुरा, साबरकंठा-383310	3-4-95
186.	047699	श्री ताराचन्द फिरदोस जहांगीर, ए० सी० ए०, 204, जुना सिताराम बिल्डिंग प्रिन्सेस स्ट्रीट, मुंबई-400002	18-10-96
187.	047703	श्री बालासुब्रामनियम एस० ए० सी ए०, 7, अभंग अपार्टमेंट्स बी विंग, न्यू आत्रे रोड नं० 9, डोंबिवली-421201	25-9-96
188.	047715	श्री चीतलंवीया गिरधर कुमार ए० सी० ए०, 19, बालकृष्णन भवन, 1ला मंजला, 86, दादीशेठ अग्यारी लेन, मुम्बई- 400002	2-12-96
189.	047785	श्री गुलयारा चांदमीया गुलाम हुसैन 101, नबील अपार्टमेंट्स, चित्तेहखान गली, अरीम मस्जिद के पास, गांधीगेट रोड, बरोदा-390017	24-9-96
190.	047898	श्री कृष्णामूर्ति के० ए० सी० ए०, सी-33, अश्विन, 27/1, भावें रोड, मालाड (प) मुंबई-300064	14-10-96
191.	048286	श्री तलवार राज मटवालदास ए० सी० ए०, 209, शेरे पंजाब सोसायटी, महाकाली रोड़, अंधेरी (पु) मुंबई-400093	13-11-96
192.	048395	श्री जैन दिलीप कुमार, ए० सी० ए०, द्वारा : राज ज्वेलर्स, बिल्डिंग नं० बी-5, शाप नं० 4, सैक्टर नं० शांती नगर मीरा रोड- 401107	18-10-96

1	2	3	4
193.	048797	श्री पाटील बापुसाहेब गोविंद; ए० सी० ए०, 2799बी, मंगलवार पेठ, कोल्हापुर	25-7-96
194.	048829	कु० जयन्ती रामदास, ए० सी० ए०, 77, हरीभक्ति कालोनी एक्स-टेंशन, जुना पदरा रोड, बरौदा-390015	6-9-96
195.	048956	श्री मनीयार मर्तुजा रजमुद्दीन ए० सी० ए०, 36, सेफी पार्क, कस्कम बिल्डिंग 3रा मंजला, फ्लैट नं० 15, मरोल अंधेरी (पु.), मुंबई-400059	30-8-96
196.	053422	श्री सुमित्रा सेनगुप्ता ए० सी० ए०, 3रा मंजला, साखर भवन, सिटीबैंक, नारीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	22-4-96
197.	053594	श्री ब्रजा बंधु, साहु ए० सी० ए०, डिप्टी मैनेजर (एकाउन्ट्स) आयल इंडिया लि०, भवित नगर सर्कल, राजकोट-360002	6-1-97
198.	056683	श्री दुर्गा प्रसाद माहन्टी, ए० सी० ए०, द्वारा : इंडियन रेर अर्थस लि० शेरशानु, 6वां मंजला, 111, एम० के० रोड, मुंबई-400020	18-11-96
199.	071647	श्री भारुपल सुरेश, एसीए, सी-501, धरम प्लेस, शांतीवन, नेशनल पार्क, बोरीवली (पु), मुंबई-400066	8-4-96
200.	071677	श्री गंगा राजेन्द्र, ए० सी० ए०, 11/872, जुनी एम० एच० बी० कालोनी, एल टी रोड, बोरीवली (प), मुंबई-400091	8-4-96
201.	072984	श्री संजय कुमार ओझा, ए० सी० ए०, बी-2, नीरज अपार्टमेंट्स, नथुभाई सेन्टर, रेस कोर्स सर्कल बरौदा-390007	29-10-96
202.	074941	श्री राजीव लालवानी, ए० सी० ए०, पी ओ बाक्स 576, दुबई, यू० ए० ई०	15-5-96
203.	074921	कु० उषा डी०, ए० सी० ए० मैनेजर (आर बी० आय०) एक्सचेंज कंट्रोलर डिपार्टमेंट, गांधी ब्रिज के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014	28-6-96
204.	081091	श्री सेठ नरेश कुमार, ए० सी० ए०, एन० सेठ एण्ड कं०, 903, नूतन् आवास अपार्टमेंट, बटर रोड, सूरत	18-7-96
205.	082609	श्री श्रीराम खसार, एफ० सी० ए०, आई० टी० सी० लि०, इन्टरनेशनल बिजनेस डिवीजन, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर-1, 18 वां मंजला, कफ परेड, मुंम्बई-400005	20-6-96
206.	084349	श्री सबलोक वरुण, ए० सी० ए०, 13 डी एम्करेज सोसेना को-आप० हाउसिंग सोसाइटी, न्यू वर्सोवा लाइन रोड, अन्धेरी (प) मुम्बई-400053	19-6-95
207.	0201111	श्री साबु के० एस०, ए० सी० ए०, पोस्ट बाक्स नं० 52587, दुबई-यू० ए० ई०	29-8-96

1	2	3	4
208.	202174	श्री श्रीनिवासन एस०, ए० सी० ए०, मैसर्स पी० आर० एल० क्रेडिट एण्ड कैपिटल लि०, मैसर्स काकड़ा चेम्बर्स, एन० ए० 5वां मंजला, 132 डा० एनी बिसेन्ट रोड, वरली, बम्बई–400018	24–6–96

अशोक हलधिया,
सचिव

कलकत्ता–700071, दिनांक 28 अप्रैल 1997

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3–ई० सी० ए० (8)/2/96-97—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण–पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण–पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :

क्रम सं०	सदस्यता नं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	3079	श्री चट्टर्जी अजीत कुमार, एफ० सी० ए०, अमिया विल्ला, 2 धुरी हाल विलास, एडमंटन, लन्दन एन/99/एलई	23–3–97
2.	50443	श्री दाना स्वरूप चन्द, एफ० सी० ए०; 654 बी लेक गार्डन्स, डी ब्लाक; कलकत्ता–700045	31–3–97
3.	51088	श्री दत्त सुबीर, ए०सी०ए० 75बी जोधपुर पार्क, कलकत्ता–700068	3–1–97
4.	51648	श्री चक्रावर्ती श्यामल चन्द्रा, ए० सी० ए०, 52 बन्दाहु को–आप० कालोनी लिमिटेड, डि० 24 परगनास नार्थ, रहारा–743186	10–2–97
5.	52619	श्री बसु सुप्रदीप, ए० सी० ए०, 2/15, एनपीटीआई कालोनी, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर–713216	17–2–97
6.	53047	श्री लाहिरी सोमिना चन्द्रा, एफ० सी० ए०; केयर आफ सी० आर० चट्टर्जी, ब्लाक 17, फ्लैट नं० 221, हुडको कम्पलेक्स, अल्टांडा रोड, कलकत्ता–700054	18–3–97
7.	53094	श्री घोष निशिथ कुमार, एफ० सी० ए०, 226 रामकृष्णा रोड, माली स्मृति, रानी तथा नार्थ, बुर्दवान–713101	14–3–97
8.	53298	श्री चन्द्राक महेश, एफ० सी० ए०, रूम नं० 314–बी, कमर्शियल प्वाइंट, 79, लेनिन सारानी, कलकत्ता–700013	27–3–97
9.	53611	श्री पात्रा तरूण कुमार, एफ० सी० ए०, 9–2/1/12 कसुन्दिया 2 बायलेन, हावड़ा–711104	1–3–97
10.	54498	श्री मोदी नरेश कुमार एफ० सी० ए०, जनरल मैनेजर, मिन्दा इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, गट नं० ननकवाड़ी, चकन, तालुका खेड, पुणे	14–3–97
11.	54727	श्री इण्डो मेथ्यू, ए० सी० ए०, 128, राशबिहारी एवन्यू 1 फ्लोर, राजकमल बिल्डिंग, कलकत्ता–700029	31–3–97
12.	54794	श्री मोहन्ती अजय कुमार, ए० सी० ए०, मैनेजर इलाहाबाद बैंक, फोरेन डिपार्टमेंट, ह्वाइट हाऊस, 119, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता–700016	21–9–93

1	2	3	4
13.	55087	श्री केशरी विमल कुमार, ए० सी० ए०, केयर आफ स्पात मैक्सीकाना एस० ए० डे, सी० बी० एफको, जे० मूनिका 1वी, लजारी कार्डेन्स, मिच सी० पी० 6095, मैक्सीको	24-12-96
14.	55805	श्री बरूआ/ भास्कर ज्योति, ए० सी० ए०, केयर आफ पी० सी० बरूआ, मिलनपुर तिनाली, यामुनी मैदान, गुवाहाटी; 781021	23-9-96
15.	56456	श्री सील विशन कुमार, एस० सी० ए०, 6सी चन्द्रानाथ चट्टर्जी स्ट्रीट, भवानीपुर, कलकत्ता-700025	16-9-96
16.	56645	श्री मोहन्ती प्रताप कुमार, एस० सी० ए०, केयर आफ उत्कलबन्धु प्रेस, एट पुराना बाजार, भद्रक-756100	8-11-96
17.	57040	श्री घोष सुकुमार, ए० सी० ए०, 2/3, कनाट ईस्ट रोड, कलकत्ता-700067	28-2-97
18.	57367	श्री मुन्द्रा राजेश, ए० सी० ए०, 278, बुरलोल्ला लेन, थमाली बिल्डिंग, डिस्ट० हुगली, हिन्द मोटर-712233	21-3-97
19.	57517	श्री राठी सुभाष कुमार, ए० सी० ए०, केयर आफ श्री आलोक सुखानी, 42/2, मरियाहाट रोड, कलकत्ता-700029	25-3-97
20.	57676	श्री मल्लिक सुप्रतिप, ए० सी० ए०, जी० डी० 128, सैक्टर 3, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-700091	31-10-96
21.	57693	श्री बरूआ निवेदीता, ए० सी० ए०, सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर असम गैस कं० लि०, बुलियाजान-786602	17-3-97
22.	57760	श्री रे चौधरी कुन्तक, ए० सी० ए०, 11-एफ डॉ० जी० एस० घोष रोड, कलकत्ता-700039	31-3-97
23.	57765	श्री राय सुमन, ए० सी० ए०, 36, कुमार पारा लेन, कस्बा, कलकत्ता-700042	30-11-96
24.	57870	श्री दत्ता स्वरूप, ए० सी० ए० 260, पंचानन तला रोड, हावड़ा-711101	8-1-77
25.	58040	श्री दोषी अमित, ए० सी० ए०, 15-ए, देवेन्द्र घोष रोड, भवानीपुर, कलकत्ता-700025	24-2-97
26.	58065	मिस बागची फाल्गुनी, ए० सी० ए०, 55, नवीन दास रोड, कलकत्ता-700090	3-3-97
27.	84793	श्री रे सुदीप, ए० सी० ए०. बी-21, सोल्ली अपार्टमेंट्स, 49/49, प्रिंस बी० एम० शाह रोड, कलकत्ता-700033	15-12-96

अशोक हल्दिया,
सचिव

दिनांक 29 अप्रैल 1997

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3-ई० सी० ए० (8)/3/96/97—रेगूलेशन 10 (1) को धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के रेगूलेशन 1988 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझें जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था ।

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	2198	श्री बसु निरंजन, ए०सी०ए०, केयर आफ सुनिवास कालोनी, प्लाट नं० 8-ए, हेमंता मुखर्जी एस०, सेक्टर 2-ए, दुर्गापुर-713212	1-10-96
2.	3510	श्री नायक हर्षद खान्डभाई, एफ० सी० ए०, 36-बी, डा० राजेन्द्रा रोड, कलकत्ता-700020	1-10-96
3.	3880	श्री उपाध्याय योगेन्द्रा, एफ० सी० ए०, ब्लाक बी, 8 फ्लोर, बल्लीगंज पार्क टावर, 67-बी, बल्लीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता-700019	1-10-96
4.	6998	श्री मजुमदार सुशील कुमार, ए० सी० ए०, फ्लैट 2-सी, उदय भवन, 14/106, गोल्फ क्लब रोड, कलकत्ता-700033	1-10-96
5.	7837	श्री घोष अमल, एफ०सी०ए०, 31, करबला टैंक लेन, कलकत्ता-700006	1-10-96
6.	9231	श्री बन्दोपाध्याय प्रद्योत कुमार, एफ० सी० ए०, 5, अनिल राय रोड, ग्राउन्ड फ्लोर, कलकत्ता-700029	1-10-96
7.	12274	श्री सेन सुबीर कुमार, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 21, 11/3, ओल्ड बल्लीगंज 2 लेन, कलकत्ता-700019	1-10-96
8.	14781	श्री सेवक सत्या नारायन, ए० सी० ए०, केयर आफ हिन्डल कं०, 9/1 आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001	1-10-96
9.	16174	श्री चक्रवर्ती पिजुषकान्ती, ए० सी० ए०, 10/1/51, कवि करिनग्रन रोड, डिस्ट० हुगली, भद्राकाली-712232	1-10-96
10.	17416	श्री लाहिरी सुव्रता, ए० सी० ए०, 17 एन ए ब्लाक ए, न्यू अलीपुर, कलकत्ता-700053	1-10-95
11.	37203	श्री चौधरी सुप्रिया, एफ० सी० ए०, 66-डी, सुरन सरकार रोड, कलकत्ता-700010	1-10-96
12.	50442	श्री साहा रमेन्द्रा नारायण, ए० सी० ए०, जी० एम० प्रोजेक्ट्स एण्ड ओडिट, सुगर कारपोरेशन आफ युगान्डा एल० टी० पी० ओ० 1, लुगाजी इस्ट अफ्रीका युगान्डा	1-10-96
13.	51305	श्री चट्टोपाध्याय मेधार्वी केआर, ए० सी० ए०, 33/6/डी, नजीर लेन, कलकत्ता-700023	1-10-96
14.	51952	श्री सत्यादीन कांतिमहन्ती, ए० सी० ए०, एल 3/132, आचार्य विहार, भुवनेश्वर	1-10-96
15.	52066	श्री चौधरी देवाशीष, एफ० सी० ए०, 162 जोधपुर पार्क, कलकत्ता-700068	1-10-96
16.	52266	श्री अग्रवाल प्रवीण कुमार, एफ० सी० ए०, मेहता हाऊस, 354/ए, गंगा मन्दिर, कटक-753001	1-10-96
17.	52279	श्री शिवारामाकृष्णन पी० अ एफ० सी० ए० फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर, अमेरिकन हास्पीटल, पी० ओ० बाक्स-5566, दुबई, यू० ए० ई०	1-10-96
18.	52522	श्री संगानेरिया उमेश कुमार, एफ०सी०ए० 2-ए, जोगेश मित्रा रोड, कलकत्ता-700025	1-10-96
19.	52777	श्री झावर राजेश कुमार, एफ० सी० ए०, 77/79, नेताजी सुभाष रोड, 3 फ्लोर, रूम नं० 323, कलकत्ता-700001	1-10-96

1	2	3	4
20.	53007	श्री दत्त सुमित्रा, ए०सी० ए०, फ्लैट 401, गार्डन विल्ला को-आप० हाउसिंग सोसाइटी लि०, 52/2 प्रिंस घुलाम मो० शाह रोड, कलकत्ता-700045	1-10-96
21.	53058	श्री दत्त चौधरी चन्दन, एफ० सी० ए०, केयर आफ कनोई इस्टेट्स प्रा० लि०, 24 आर० एन० मुखर्जी रोड, 4फ्लोर, कलकत्ता-700073	1-10-96
22.	53031	श्री झुनझुनवाला अनुराग, एफ० सी० ए०, 54-ए, जकारिया स्ट्रीट, कलकत्ता-700073	1-10-96
23.	53113	श्री सोनथालिया राजेन्द्र प्रसाद, एफ० सी० ए०, 36, शिवतोल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता-700007	1-10-96
24.	53607	श्री चमारिया महेन्द्रा कुमार, ए०सी० ए०, 85, हेमचन्द्रा नस्कर रोड, 1 फलोर, कलकत्ता-700010	1-10-96
25.	53628	श्री रक्षित अतानू, एफ० सी० ए०, 181, राजादिनेन्द्रा स्ट्रीट, कलकत्ता-700004	1-10-96
26.	53759	श्री मुखर्जी जोयदीप, ए० सी० ए० पी-86, लेक रोड, कलकत्ता-700029	1-10-96
27.	54202	श्री खेतान अरूण कुमार, ए० सी० ए०, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, मैसर्स मैकीपोर टी इस्टेट, डि० सिबसागर, नजीरा-78 568 5	1-10-96
28.	54321	श्री साहू सुरेन्द्रा कुमार, एफ० सी० ए०, एमबी/16, मधुबन, पारादीप-754142	1-10-96
29.	54380	श्री घोष राजशेखर, ए०सी० ए०, 162/ए/104, लेक गार्डेन्स, कलकत्ता-700045	1-10-96
30.	54508	श्री गोइंका प्रदीप कुमार, ए० सी० ए०, 2, बरेस्तो लेन, स्यूट नं० 201, कलकत्ता-700069	1-10-96
31.	54520	श्री राजदान संजय, ए०सी० ए०, 10 विनचेस्टर एवेन्यू, पीकस्कील, एन० वाई०-10566 यू०एस० ए०	1-10-96
32.	54634	श्री साहू सुशांत कुमार, ए० सी० ए०, प्लाट नं० 5, सत्यानगर भुवनेश्वर-751007	1-10-96
33.	54636	श्री गुप्ता राजेश कुमार, ए० सी० ए०, केयरआफ एस० पी० मंगला एण्ड कम्पनी, 21-बी कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-700001	1-10-96
34.	54700	श्री बसु जयन्ता कुमार, ए० सी० ए०, 10/1/एन स्विनहोइस्ट्रीट, बल्लीगंज, कलकत्ता-700019	1-10-96
35.	54750	मिस दत्त मुद्रिया, ए० सी० ए०, फ्लैट 401, गार्डन विल्ला को०-आप० हाउसिंग सोसाइटी लि०, 25/2 प्रिंस घुलाम मोह० शाह रोड, कलकत्ता-700045	1-10-96

1	2	3	4
36.	54772	श्री दत्ता रोय इन्द्रानिल, ए०सी० ए०, 102,बी०टी०रोड, एफ० नं० बी–8/8, उत्तारायन हाउसिंग इस्टेट, कलकत्ता–700035	1–10–96
37.	54821	श्री बिस्वाल सुशांता कुमार, ए०सी०ए०, प्लाट नं० एन–6/172, आई० आर० सी० विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751015	1–10–96
38.	55372	श्री कपूर विपुल, ए०सी०ए०, 8ए, सर्कस एवन्यू, कलकत्ता–700017	1–10–96
39.	55597	श्री मण्डल रमा कांत, ए०सी० ए०, ए/62,श्री कुंज, 51,डोबसन रोड, हावड़ा–711101	1–10–96
40.	55831	श्री सिंघवी राजेन्द्रा, ए०सी०ए०, ई–24–5, करुणामयी साल्ट लेक, कलकत्ता–700091	1–10–96
41.	56057	श्री बसु इन्द्राजी, ए०सी०ए०, 4/17–बी, नेताजी नगर, कलकत्ता–700040	1–10–96
42.	56275	श्री पांडा मुकुन्दा कुमार, ए०सी० ए०, इण्डियन मेटल्स एण्ड फरो अल्लयोस लि०, बोमीखाल, रोसुलगढ़, भुवनेश्वर–751010	1–10–96
43.	56280	श्री बसाक अभिनवा, ए०सी०ए०, 49/1–डी, स्विनहोई लेन, कलकत्ता–700042	1–10–96
44.	46544	श्री गुहा सिवाशीष, ए०सी०ए०, नूतनपल्ली,पी०ओ० गरिया, कलकत्ता–700084	1–10–96
45.	56609	श्री मौर राजेश,ए०सी०ए०, 7–सी, ए०जे०सी० बोस रोड, 2फ्लोर, कलकत्ता–700017	1–10–96
46.	56833	श्री झा बिभूती नाथ, ए०सी०ए०, केयरआफ ए० के० लाल, 6–ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता–700007	1–10–96
47.	57164	श्री राय आसित बरण, ए०सी० ए०, केयर आफ अन्नापूर्णा पोल, इन्दिरा मल्ली "ओ" सिसु कल्याण 35–बी, राजा मल्लिन्द्रा रोड, कलकत्ता–700037	1–10–96
48.	57184	श्री मोहत्ता सुदर्शन, ए०सी० ए०, कैस्टल (मेन बिल्डिंग), 26पी के० टेगोर स्ट्रीट, कलकत्ता–700006	1–10–96
49.	57193	श्री चौधरी विकास, ए०सी०ए०, केयरआफ श्रीए०एन० चौधरी, जयाश्री टैक्सटाइल, डिस्ट० हुगली, रिसरा–712249	1–10–96
50.	57203	श्री सिन्हा सुप्रिया ए०सी०ए०, 39–ए, ऋषि बंकिम चन्द्रा स्ट्रीट, हुगली, फोणनगर–712235	1–10–96
51.	57236	श्री रे समीर कुमार, ए०सी०ए०, क्वाटर नं० ए–16, सेक्टर–7, राऊरकेला–769003	1–10–96
52.	57357	श्री साहा राय चिनमोय, ए० सी० ए०, 127 देवी निवास रोड़, पी०ओ० मोती झील, कलकत्ता–700074	1–10–96

1	2	3	4
53.	57457	श्री बनर्जी सुनान्दो, ए० सी०ए०, 1/बी० अक्रूर दत्ता लेन, कलकत्ता–700012	1–10–96
54.	57600	श्री पैट्रो च मनोज कुमार, ए०सी०ए०, ए/49 शहीद नगर, भुवनेश्वर 751007	1–10–96
55.	57622	श्री कुमार मुकेश, ए०सी०ए०, केयर आफ श्री राधा रमण सरकार, 6/1/1, पदमापुकुर, कलकत्ता 700092.	1–10–96
56.	82328	श्री रंगा राजेश कुमार, एफ०सी०ए०, रमेश कपुर एण्ड कं०, बी० डी० पुरोहित हाउस, 22 मिल्ला लेन, कलकत्ता–700007	1–10–96
57.	86242	श्री पान्डा त्रिलोचन, एफ० सी० ए०, एल–3/130, आचार्या विहार, भुवनेश्वर–751013	1–10–96
58.	89991	श्री मल्होत्रा संजीव सिंह, ए० सी०ए०, बी० डी० ओ० पटेल एण्ड कं०, पी० ओ० बाक्स, 1961, दुबई, यू० ए० ई०	1–10–96
59.	93467	श्री भोवल सरबर्धा, ए० सी० ए०, एकाउन्टस आफिसर—प्रोजेक्ट फाइनेन्स, इंडियन आयल कोरपोरेशन लि०, आसाम आयल डिविजन, डिगबोई 786171	1–10–96

अशोक हल्दिया,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1997

सं. यू-16/53/1/89-चि. 2 (महाराष्ट्र) संग्रह-2—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25-4-51 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में इसके द्वारा अमलनेर के डा. जी. पी. देशमाने को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 1-1-97 से 31-12-97 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इसमें से जो पहले हो अमलनेर केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा कराने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 1997

सं. एन. 15/13/14/1/96-यो: एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-3-1997 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात् "जिला कोयम्बतूर के कोयम्बतूर (उत्तर) तालुक में राजस्व ग्राम वेल्लमडै, नायक्कन पायलम और वीराकेरालम और कोयम्बतूर (दक्षिण) तालुक में राजस्व ग्राम वदावल्ली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

एल. के. पटनायक
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1997

सं० ए-33(11) 1/91--नि० चि० (मुख्या०) संग्रह-II:--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 यथा संशोधित) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (21) और उप-धारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) और (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 1990 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :--

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा पद) भर्ती (संशोधन) विनियम, 1997 कहे जाएंगे।

(2) ये भारतीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

भर्ती विनियम (चिकित्सा पद) 1990 के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :--

क्रम सं० 2	कालम सं०	मौजूदा उपबन्ध	संशोधित उपबन्ध
उप-चिकित्सा आयुक्त निदेशक (चिकि०) चिकित्सा अधीक्षक	5	चयन	गैर-चयन
क्रम सं० 4			
बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2	6	लागू नहीं	हां
क्रम सं० 5			
विशेषज्ञ ग्रेड-2 (चयन ग्रेड) गैर-कार्यात्मक	1	विशेष ग्रेड-2 (चयन ग्रेड) गैर-कार्यात्मक	विशेषज्ञ ग्रेड-1
	12	8 वर्ष की नियमित सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड-2 (वरिष्ठ वेतनमान) अधिकारियों में से पदोन्नति	3700-5000 रु० के वेतनमान 6 वर्ष की सेवा वाले अथवा 3000-5000 रु० और 3700-5000 रु० के वेतनमान में कुल 8 वर्ष की सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड-2 में से पदोन्नति
क्रम सं० 6			
विशेषज्ञ ग्रेड -2 (वरिष्ठ वेतनमान)	11	पदोन्नति द्वारा	वरिष्ठता व उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति
	12	पदोन्नति ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड -2 (3000-5000रु० का कनिष्ठ वेतनमान)	ग्रेड 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड-2 (3000-5000 रु० का कनिष्ठ वेतनमान)

टिप्पणी : मूल भर्ती विनियम (चिकित्सा पद)

अधिसूचना सं० ए-12(11) 3/88-स्था० शाखा-1 (क) द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-3 खण्ड-4 दिनांक 16-6-1990 में प्रकाशित हुए थे।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 25 मार्च 1997

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 4 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड (क) के अंतर्गत मैसर्स दी नूतन मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद 2 के नाम से जाना जाता था, की स्थीकृति छूट 1-1-1997 से रद्द करते हैं जिसे अधिसूचना संख्या ई. 102/19/ई/ए/एस. आर. ओ. 3416 दिनांक 17-10-57 के क्रम संख्या 167 पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी किया गया और भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 में दिनांक 17-10-57 को प्रकाशित किया गया ।

आर. एस. कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी० एन० (1320)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी एन/एमएस/31878	मै० क्राउन अपारेल्स, नं० 43, चिना थम्बी स्ट्रीट, फर्स्ट फ्लोर, जार्ज टाउन, मद्रास-600001	1-6-95
2.	टी एन/एम एस/31885	मै० फ्रेन्डास मेटल प्राइवेट लि०, 173, सिडको इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, अम्बाटूर, मद्रास-600098	1-2-95
3.	टी एन/पीसी/581	मै० इन्डू लैदर नं० 18, पुगलानथी स्ट्रीट, आनन्द नगर, काधीरकम्म, पांडीचेरी-605009	1-8-94
4.	टी एन/एम एस/31979	मै० डी० एस० एम० सोफ्ट (प्रा०) लि०. नं० 9, 15वां क्रास स्ट्रीट, शास्त्री नगर, अड्यार, मद्रास-600020	1-7-95
5.	टी एन/टी आर/32290	मै० दि सैन्ट्रल प्रैस, सिन्डीकेट (प्रा०) लि० नं० 29, टी० एस० आर० वीग स्ट्रीट, कम्बाकनम	1-4-95
6.	टी एन/एम एस/35565	मै० रावत मिष्ठान भण्डार, महाशक्ति होटल बिल्डिंग, 371 मिन्ट स्ट्रीट, सोथीरपेट, मद्रास-600079	1-7-95
7.	टी एन/एम एडी/29936	मै० एन० एन०, 547, थिरुवूपनाम फोरमर्स सर्विस को आप० सोसायटी लि० थिरुपूवनाम पी० एम० टी० डी टी (623611)	1-5-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

आर० के० कुरील
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी० एन० (1231) 96/—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी एन/एम एस/31994	मै० श्री कुमारन इंजीनियरिंग कं० ट्रिप्लीकेन, 17, डा० बेसेन्ट रोड, मद्रास-600005	1-3-95
2.	टी एन/एम एस/35757	मै० कार केयर सर्विसज, 2 पारासरमन स्ट्रीट, गांधी रोड, वेलाचेरी, मद्रास-600042	1-3-95

1	2	3	4
3.	टी एन एम डी/29852	मै० फरदिया फ्लो कं० मरुथनकोड पोस्ट चिम्मनकला, कन्याकूमारी डि०, तमिलनाडु	1-4-94
4	टी एन टी आर/27915	मै० टी आर डी 439, इदईकट्टु मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आप० सोसा० लि० उतकोट्टई पोस्ट, उथ्थारपलयम तालुक तिरुची, डि० 612901	1-3-94
5	टी एन एम एस/35615	मै० मद्रास स्कूल आफ इकनामिक्स अन्ना यूनीवर्सिटी बायोटैक्नालांजी सेंटर, मद्रास-600032	1-7-95
6.	टी एन एम डी/37029	मै० बालरमथी आटोमोबाइल्स 2/32, वर्कशाप रोड़, मदुरई, पिन-625001	1-6-95
7.	टी एन एम एस/35509	मै० मलतई फ्लो इंक 5/254, ओकियमपेट, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, मद्रास-600096	1-4-95
8.	टी एन एम डी/37028	मै० शिवा मोटर साइकिल कं० 84, नार्थवेकरूस स्ट्रीट, सिमाकल बस स्टाप, मदुरई-625001	1-6-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1 (4) टी० एस० (1323) 96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की जहां यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाएं।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन० एम०एस०/35729	मै० शिल्पी, 72, टी० टी० के० रोड, अल्वरपेट, मद्रास-600018।	1-4-95
2.	टी०एन० एम०एस०/35697	मै० ट्रेवल एयर (मद्रास) प्रा० लि०, ऊपर, 16, 'आरती चैम्बर्स', 189, माउंट रोड, मद्रास-600006	1-4-95
3.	टी०एन० एम०एस०/35592	मै० सेमियामंगलम मिल्क प्रोडयूसर्स को-ओपरेटिव सोसायटी, सेंमियामंगलम पोस्ट, पल्लूर, तालूक, टी० एस० डि०, (तमिलनाडू)	1-8-95
4.	टी०एन० एम०डी०/37316	मै० क्यू 785 वाटरेप को-ओप० स्थल बैंक लि०, 28, रोटटादी स्ट्रीट, कमरयार डि० वाटरेप, मदुरई-626132	1-1-96
5.	टी०एन० एम०डी०/37265	मै० लीला इंकस के०, ii, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सिवाकासी वैस्ट, मदुरई-616123।	1-12-95
6.	टी०एन० एम०एस०/35783	मै० टी० सी० आई० सीवेज लि०, 160, थम्बूचेटी स्ट्रीट, सैकण्ड फ्लोर, मद्रास-600001।	1-4-95
7.	टी०एन० एम०डी०/37312	मै० कनीमदाम मिल्क प्रोडयूसर्स को० ओपरेटिव सोसायटी, टी० वाई० डी० 166, कनीमदाम अजूगामम, के० के० डि०, मदुरई।	1-1-6

अतः, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

आर० के० कुरील,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० क० भा० नि० आ० I(4) टी० एन० (1329)/96—कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एम० टी०आर०/32363	मै० कमक दुर्गा कन्सट्रक्शन्स, 1सी, होस्टल टाइप, दिल्ली, सलाई, ब्लाक, 27, नेवेली–607803 ।	1–4–94
2.	टी०एन० एम०एस०/35699	मै० चायस एजेन्सीज, ए०बी०एम० स्टडी कम्पाउण्ड, 38, एरकाट रोड, मद्रास–260026 ।	1–4–95
3.	टी०एन० टी०आर०/27885	मै० माधवाचारी मिल्क प्रोडयूसर्स को–आप० सोसा० लि०, मार्थवाचारी व पोस्ट कालाकुरुचि, (टी० एम०) साउथ एरकाट, डि० तमिलनाडू ।	1–4–93
4.	टी०एन० एम०डी०/37295	मै० मलयागुन्डन पेटी प्राइमरी एग्री० को–आप० बैंक, वडाकू धाथनायकनपट्टी, पी० ओ० पलानी, ता० डिंडीगुल अन्ना डि०–624621 ।	1–4–93
5.	टी०एन० एम०डी०/37107	मै० डी० डी० 568, वी० अम्मापट्टी प्राइमरी एग्री० को–आप० बैंक, अथनामपट्टी, पी० ओ० अम्मापट्टी, वेदासुन्दरी अन्ना डि० तालुक ।	1–4–93
6.	टी०एन० एम०डी०/37184	मै० डी० डी० 603, सुलेरम्ब प्राइमरी एग्री० को–आप० बैंक, सुलेरुम्बू एट नारमाराथुपट्टी डिंडीगुल तालुक ।	1–9–95
7.	टी०एम० पी०सी०/638	मै० डालफिम लैटर्स, पी० टी० पलानीराजा, उदयार नगर, 100 फुट रोड, पक्कुमुडयामपेट, पांडिचेरी–605008 ।	1–9–95 1–8–95
8.	टी०एन० एम०एस०/35760	मै० हक्सा इन्फारमेटिक्स प्रा० लि०, 29, फर्स्ट मेन रोड, करपागन गार्डन्स, अदयार मद्रास–600020 ।	1–1–96
9.	टी०एन० एम०एस०/35788	मै० हालमार्क पिन्टर्स (प्रा०) लि०, प्लाट नं० 4, नेहरू नगर, पेरुनकुड्डी, मद्रास–600096 ।	1–4–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० प्रा० 1(4) टी० एन० (1333)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन०/एम०एस०/35507	मै० विक्रम फैशन्स (प्रा०) लि०, नं० 110, नेलसन मणिक्कम रोड, अमीनजीकरई, मद्रास–600029 ।	1–4–95
2.	टी०एन०/एम०एस०/31761	मै० फिनिक्स इंड० प्रोटैक्टर्स, नं० 10, श्रीनिवास रेड्डी स्ट्रीट, साउथ उस्मान रोड, टी० नगर, मद्रास–600017 ।	1–12–94
3.	टी०एन०/टी०आर०/27819	मै० टी–522, पेनापुर प्राइमरी एग्री० को-आप० बैंक लि०, पोनापुर पोस्ट, कवारथानेलई, टी० के० थंजावुर डि०, तमिलनाडु ।	1–12–92
4.	टी०एन०/पी०सी०/618	मै० करईकल मार्किट कमेटी, मिल्लनलर रोड, करईकल, तमिलनाडु–609602 ।	1–5–95
5.	टी०एन०/एम०एस०/35696	मै० एक्सल पैक नं० 1, हनुमंत राव रोड, बालाजी नगर, रोयापेटा, मद्रास–600014 ।	1–6–95
6.	टी०एन०/टी०आर०/27716	मै० डा० बी० वी० आर० नर्सिंग होम, 6, क्रास स्ट्रीट, अरुलनंदा नगर, थंजावुर–613007 ।	1–6–92
7.	टी एन०/पी०सी०/617	मै० एम० अल्फा सैंटर्स, 11, कमबर स्ट्रीट, पहला तल, सीनाक्षीपेट, पाण्डिचेरी–605009 ।	1–4–95
8.	टी०एन०/एम०डी०/37034	मै० ए० आर० 334, कामराजर डि० मैडीकल व फैमली वेलफेयर एम्पलाइज को–आप० क्रिप्ट व क्रेडिट सोसा० लि०, 20/1, पोस्ट आफिस स्ट्रीट, विरुधीननगर–626001 ।	1–6–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

आर० के० कुरील,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी०ए० (1352)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि निम्नलिखित कर्मचारी भविष्य निधि और निम्नलिखित स्थापनाओं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एम०/एम०एस०/35714	मै० हाईटैक होम एपलांइस, नं० 7, पाउडर मिल्स रोड, मद्रास–600012 ।	1–7–95
2.	टी०एन०/एम०एस०/35720	मै० डायनामिक स्कैम व रिसर्च सेंटर प्रा० लि०, विजय हैल्थ सेंटर, एन०एस०के०, सलाई, वडापलानी, मद्रास–600026 ।	1–8–95
3.	टी०एन०/एम०एस०/35795	मै० एस० धर्मराज 4, 11 स्ट्रीट, उलागनथापुरम, एन्नोर, मद्रास–600057 ।	1–4–95
4.	टी०एच०/एम०एम०/35769	मै० फैक्ट्री सिक्योरिटी सर्विस, 212, सिडको, ए०आई०ई०एम०ए० टावर, मद्रास–600058 ।	1–6–95
5.	टी०एन०/एम०एस०/35794	मै० प्रिंट पैक, 66, अरावून रोड, रोयापुरम, मद्रास–600013 ।	1–2–95
6.	टी०एन०/एम०एस०/35796	मै० टी०आई०एल० एक्सपोर्टस प्रा० लि०, 175/2, टी० एच० रोड, मद्रास–600081 ।	1–1–96

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते एवं उपयुक्त स्थापनाओं पर उस पर उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

आर० एस० कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी० एन०/सी० ए० (1353)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/एम०डी०/37180	मै० वी० आर० डी० 403, वैपनकुलम मिल्क प्रोड्यूसरस को-ओप० सोसायटी लि०, वैपनकुलम, पिल्लईयर कुलम, पो० ओ० श्रीविलीपुथूर टी० के० ।	1–10–95
2.	टी०एम०/एम०डी०/37206	म० एस० के० ए० मैट्रिकुलेशन स्कूल, आनडीपट्टी–626512 ।	1–9–95

1	2	3	4
3.	टी०एन०/एम०एस०/35644	मै० मिसरीमल नवजी मुनोथ जैन इंजि० कालेज वेरापक्कम, ज्योतिनगर, मद्रास-96 ।	1-7-95
4.	टी०एन०/एम०एस०/35646	मै० जनडू स्टील इंडस्ट्रीज रोड, अलनडूर 341, एम० के० एन०, मद्रास-600016 ।	1-6-95
5.	टी०एन०/एम०एस०/35647	मै० के० जे० बी० पेट्रो अलाकाली इंजीनियरिंग कं० (प्रा०) लि०, दुरईसेमी नगर, नं० 30-ए, ईस्ट तम्बारम, मद्रास-59 ।	1-10-95
6.	टी०एन०/एम०एस०/35672	मै० अम्बाटुर मिल्क प्रोड्यूसरस को-ओपरेटिव सोसायटी, अम्बाटुर, टी० डी० पी० 29, एन० ए० ए० डि० (635801) ।	1-11-95
7.	टी०एन०/सी०के०/28884	मै० मनीराजन डिजल सेल्स एण्ड सर्विसस, 105, सी, मैथुपलायम रोड, थुडीयालूर, कोयम्बटूर-34 ।	27-8-96
8.	टी०एन०/टी०आर०/32081	मै० पुडूपल्लापट्टू वुमेन मिल्क प्रोडयूसरस को-ओप० सोसायटी लिमिटेड, पुडूपल्लापट्टी पोस्ट 606401 कल्लाकुरिची (टी० के०) वी० आर० पी० डि० तमिलनाडु ।	1-4-94

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी० एन० (1354) 96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्न-लिखित स्थापनाओं सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/एम०डी०/37232	मै० एम० पी० 93, मयलादुमपरई पी०ए०सी० बैंक, पी० ओ० कन्दामनूर (वाया) मयलाडु, मयलादुमपरई, एन्डीपट्टी (टी० के०), डि० मदुरई-626579 ।	1-11-96
2.	टी०एन०/एम०एस०/31921	मै० आफताब लैदरस पी० जे० नेहरू रोड, 49/2-बी, कचेरी रोड, वलयामपेट, वनयामबडी, तमिलनाडु-635751 ।	1-6-95
3.	टी०एन०/एम०एस०/35685	मै० शिवोदया एन्टरप्राइजिज, 6/5, एस० वी० चिदम्बरम सलाई, जाफर खानपेट, मद्रास-600083 ।	1-7-95

1	2	3	4
4.	टी०एन०/टी०आर०/32173	मै० टी० एन० डी० 91 बंगाराम मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आप० सोसा० लि०, बंगाराम थेटियम पोस्ट, चिन्नासलेम (वाया) कालाकुरुचि (टी० के०) तमिलनाडु-606201 ।	1-4-94
5.	टी०एन०/एम०एस०/35687	मै० चैनिक व कं०, 153, डी डा० मुथुलक्ष्मी रोड, मद्रास-600041 ।	1-1-95
6.	टी०एन०/एम०एस०/35694	मै० मुगामबगई इंजीनियरिंग वर्क्स, नं० 2, सान्थना कृष्णन स्ट्रीट, मनाली, मद्रास-600068 ।	1-7-95
7.	टी०एन०/एम०एस०/35655	मै० अलसा ग्लोबल फाइनेंस व सिक्योरिटी लि०, एए-149, 111 एवन्यु, अन्ना नगर, मद्रास-600040 ।	1-9-95

अतः मैं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी०एन० (1356)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन०/टी०आर०/32354	मै० सें० मैरी मैट्रीकुलेशन स्कूल, पमरुति रोड, वदालूर-607303 ।	1-9-95
2.	टी०एन०/टी०आर०/32185	सै० कैट फैब, 634, एलविन नगर, कोयम्बटूर रोड, करूर-639002 ।	1-5-95
3.	टी०एन०/टी०आर०/32279	मै० जनानी फूड्स नं० 31, टी० वी० के० स्ट्रीट, संगीलियन्दापुरम, त्रिची-639001 ।	1-6-95
4.	टी०एन०/एम०एस०/35710	मै० पजांगकायल मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आप० सोसा० लि०, पोलूर, टी० एस० डी० तालुक (606751) ।	1-7-95
5.	टी०एन०/एम०एस०/35709	मै० अरासंगानी मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आप० सोसा०, अरासंगामी चांघ तालुक, टी० एस० डि० ।	1-9-95

1	2	3	4
6.	टी०एन०/एम०एस०-35708	मै० अलेगरेंगलम पोटूर बूमैन मिल्क प्रोडयूसर्स को-आप० सोसा०, अलंगरमंगलम पोटूर, पदागम पोस्ट लोलूर, तालुक, टी० एस० डि० विलेज, ।	1-7-95
7.	टी०एन०/एम०एस० 35731	मै० श्री कृष्णा इन्डस्ट्रीज, स्ट्रीट नं० 24, मलंगनानथापूरम, जमीन, जमीन, पल्लावरम, मद्रास-600043 ।	1-5-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी० एन० (1360)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थानाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन०/एम०डी०/37267	मै० एन० एन० 581, कीलापसाली पी०ए०सी० बैंक, कीलापसाली पोस्ट, मनामदुर ईतालुक, पी० एम० टी० डि० ।	1-12-95
2.	टी०एन०/एम०डी०/37268	मै० एन० एन० 556, नयवाल पी०ए०सी० बैंक, नयीवाल (पी० ओ०) थिरूवडानी तालुक, रमनाड डि० ।	1-12-95
3.	टी०एन०/एम०डी०/37273	मै० राजू प्रिंटर्स, 43/2-ए, वलयाथुम रोड, सिवाक सी 626123	1-1-96
4.	टी०एन०/एम०डी०/37270	मै० एन० एन० 67, एडुगुडडीपी०ए०सी० बैंक, अडडुगुडडी पडुगुडडी (पी०ओ०) थिरूवडानी (ता०) रामनाथापुरम डि० ।	1-12-95
5.	टी०एन०/एम०डी०/37262	मै० एम० डी० (स्पे०) 96, उथामपलयम प्राइमरी एग्री० को-आप० बैंक, उथामपलयम, मदुरई डि०-626533 ।	1-1-96
6.	टी०एन०/टी०आर०/32168	मै० दी० पनमुनी एग्रो० इंजी० व सर्विस को-आप० सेंटर लि०, ई-2738, 213, 7/ए/2, मद्रास, पनरूति मैन रोड, -607106 ।	1-11-94

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1(4) टी० एन० (1367)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन०/एम०एस०/35823	मै० "पैथवे सेन्टर फार रिहैबलीटेशन एजुकेशन आफ मैन्टली रिटारडिड, ई–76–1, 12वीं गली (वै०) कामराजनगर, थिरूवनमियूर, मद्रास–41।	1–11–95
2.	टी०एन०/एम०डी०/37134	मै० वयथेटम हैंडलूम वीवर्स को–आप० (प्रोडक्शन व मेल) सोसा० लि०, एच०–11, वयाहीथेटटर्म, पलयाडी, कन्याकुमारी डि०, मद्रास–629169।	1–9–93
3.	टी०एन०/एम०डी०/37117	मै० शीला केशो इंडस्ट्रीज, सर्वे नं० 1582/2, कीला थिरूथगल विलेज, सिवाकासी पोस्ट, सत्तूर टी० के०–626189।	1–11–94
4.	टी०एन०/एम०डी०/37291	मै० एम० डी० स्पे० 127, टी० सुबुलापुरम पी०ए०सी० बैंक, नं० 4/142 ए०टी० सुबुलापुरम, पी० ओ० (अमटीपटटी) टी० के०), मदुरई डि०।	1–12–95
5.	टी०एन०/एन०सी०/32303	मै० टी० एस० आर० व कं०, 55/508, श्री नागेश्वरनथीरू मंजना वीथी गोकुल गार्डन, कम्बाकोनम।	1–12–94
6.	टी०एन०/टी०आर०/37318	मै० अरूण इण्डस्ट्रीज, सर्वे नं० 1582/2, कीला थीरूथगाल, विल्लेज, शिवाकासी–626189, पोस्ट, सत्तूर टी० के०।	1–12–95
7.	टी०एन०/एम०डी०/37222	मै० गनेसामोनी नर्सिग होम, हिन्दु कालेज रोड, नागर कोयल, के० के० डि०।	1–11–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 को उप धारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० क० कुराल
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी एन (1375)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि नियुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन०/एम०डी०/37095	मै० आर० एस० 750, साथानूर पी०ए०सी बैंक, साथानूर (पो०ओ०) (सल.ईग्राम) (वाया) पी० ए म० टी० डिस्ट्रीक्ट–623710।	1–8–95
2.	टी०एन०/एम०डी०/37061	मै० आर० आर० 1482 रामनाथपुरम डिस्ट्रीक्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटल एम्पलाईज को–आपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि०, 2/102, गांधीजी रोड, पारमाकुडी–623707।	1–6–95
3.	टी०एन०/एम०डी०/37027	मै० चेलारामस मैचस यूनिट, 8/1, मैन रोड, पेरापटी शिवाकासी ईस्ट–626189।	1–6–95
4.	टी०एन०/एम०डी०/37062	मै० क्यू० 1388 पारामकुडी म्युनिसिपल अरबन टीचर्स को–आपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि० पारामकुडी, मदुरै।	1–6–95
5.	टी०एन०/एम०एस०/35521	मै० डिजाइन सेंटर, 4, एम० बी० स्ट्रीट आफिस, पपरटैक रोड, चेटपेट, मद्रास–600031।	1–7–95
6.	टी०एन०/एम०डी०/37030	मै० ग्राफिको, 172, वकील म्यू स्ट्रीट, मदुरै–625001।	1–6–95
7.	टी०एन०/एम०डी०/37036	मै० आर० के० आई० टी० ई० बी०, विरुधुनगर अरुप्पुकेटाई डिवीजन एम्पलाईज को–आपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसा[illegible] रामामूर्ति रोड, विरुधु नगर।	1–6–95
8.	टी०एन०/एम०डी०/37031	मै० ए० 5, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स 140, पुटुथोपु रोड, मदुरै–625010।	1–6–96
9.	टी०एन०/एम०डी०/37032	मै० श्री लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, 154, पुटुथोपू रोड, मदुरै–625010।	1–6–95
10.	टी०एन०/एम०डी०/37035	मै० लक्ष्मी विलास मनोहर इंडस्ट्रीज, 14, पटुथेप्पू रोड, मदुरै–625010।	1–6–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० जे० कुरीसा
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी एन (1381)/96/—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी० एन०/35551	मै० नूरी एसोसिएटस, नं० 142, पुरासावकम हाई रोड, क्रेलीस, मद्रास–600010।	1–4–95
2.	टी०एन०/31743	मै० न्यूमरिक पावर सिस्टम्स लि०, 63, डा० राधाकृष्णन सलाई, मयपापोर, मद्रास–600004।	1–12–94
3.	टी०एन०/31969	मै० ट्रिडेन्ट इंजीनियरिंग (प्रा०) लि०, नं० 37, 53वी स्ट्रीट, अशोक नगर, मद्रास–600083।	1–5–95
4.	टी०एन०/31860	मै० आर० वलगारफ व संस, दीवान बीड़ी फैक्ट्री मेल अग्रावरम, विलेज अगरावरम, पोस्ट थिरूपत्तूर ता०–635651।	1–4–95
5.	टी०एन०/पी०सी०/616	मै० अलफा लैदर व गारमेंटस, 101, एलेंगो स्ट्रीट, वडामंगलम, कंडामंगलम पोस्ट, पांडिचेरी–पिन–605110।	1–7–94
6.	टी०एन०/29958	मै० रोलिन क्रेंशो इंडस्ट्रीज, पुलुविल्लई वेरकोलम्बी पी० ओ० के० केके० डि०।	1–12–94
7.	टी०एन०/37120	मै० एन० एन० 459, पैरापुकुडी पंचायत यूनियन एम्पलाइज वटीचर्स क्रेडिट थ्रिफ्ट व को–आप० सोसा० लि०, पुरूमकुड्डी।	1–4–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी एन (1382)/96/—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/एम०डी०/37105	मै० एन० एन० 689, कयाटटु पी०ए०सी० बैंक, के० चोकन्थापुरम (पी० ओ०) सिवागमगी, ता० सम्वानूर (वाया) पी०एम०टी० डि० पिन–623313।	1–8–95

1	2	3	4
2.	टी०एन०/एम०एस०/31911	मै० क्वालिटी मैटल इंड०, नं० 77, एलिस रोड, माऊंट रोड, मद्रास–600002।	1–7–95
3.	टी०एन०/एम०एस०/31985	मै० करूणा स्वीटस, 7, सी० एन० ए० रोड, बस स्टैंड, वनियामबडडी–635751 ।	1–7–95
4.	टी०एन०/एम०एस०/35530	मै० सनराइज कैमिकल इंडस्ट्रीज, 32, परियाथम्बी मुटाली स्ट्रीट, बोलई, मद्रास–600112।	1–4–95
5.	टी०एन०/एम०डी०/37093	मै० दीपा ट्रेडर, 13–बी, गलासकार स्ट्रीट, मदुरई–625001 ।	1–8–95
6.	टी०एन०/एम०डी०/37089	मै० एम० एस० 16, मुदुवरपटटी को–आप० लि०, मिल्क प्रोडयूसर्स सोसाय०, मुदुवरपट्टी (पी० ओ०) वाटीपटटी टी०के०, मदुरई–625503।	1–8–95
7.	टी०एन०/एम०एस०/35515	मै० एम० एच० टी० इंजीनियरिंग व कन्स्ट्रेक्शन (प्रा०) लि०, नं० 1, पेरियाना मिस्ट्री स्ट्रीट, मद्रास–600001 ।	1–3–95
8.	टी०एन०/एम०एस०/35531	मै० आय स व कैमिकल्स ट्रेडर्स, 32, परियाथम्बी मदुलई स्ट्रीट, चौलई, मद्रास–600011।	1–4–95

अतः मैं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूंजो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी० एन० (1397)/96/—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	फोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/एम०एस०/31924	मै० सम्बुरयारनालूर वूमैन मिल्क प्रोडयूसर्स को–आप० सोसा०, नाडुकुप्पम पोस्ट, अरनी तालुक थिरूवनामलाई, सम्बूवरयार डि० ।	1–6–95
2.	टी०एन०/एम०एस०/31941	मै० विजय बाडी केयर प्रोडक्टस (प्रा०) लि०, प्लाट नं० 2156, ए०एफ०–ब्लाक 7वीं स्ट्रीट, अम्मा नगर, मद्रास–600040।	1–2–95

1	2	3	4
3.	टी०एन०/एम०एस०/31938	मै० जे० जय, टी० वी० प्राइवेट लि०, नं० 68, हब्बीबुल्ला रोड, टी० नगर, मद्रास–600017।	1–2–95
4.	टी०एन०/एम०एस०/31945	मै० हर्षा कन्स्ट्रक्शन्स, 51, हन्टरस रोड, वेपरी, मद्रास–600112।	1–11–94
5.	टी०एन०/एम०एस०/31934	मै० बालकी टूर कूलिंग टावरस लि०, 4–5 फ्लोर, एपेक्स प्लाजा, 3, नंगपक्कम हाई रोड, मद्रास–600034।	1–4–95
6.	टी०एन०/एम०डी०/37053	मै० कालकुलम को–आप० स्टोरस लि०, नं० 2048, थुकाले कन्याकुमारी डि०।	1–4–95
7.	टी०एन०,एम०एस०/35813	मै० सिटि सिक्योरिटी फोर्स, 28, गंगा नगर, (बिहाइन्ड टेलीफोन एक्सचेंज), कोडामबक्कम, मद्रास–600024।	1–1–96
8.	टी०एन०/एम०एस०/35870	मै० आलवान फिशनैट, 50, कालकक्षतरा रोड, थिरूवनमियार, मद्रास–600041।	1–8–95
9.	टी०एन०/सी०बी०/28882	मै० मेको पम्पस, 1/15, साउथ स्ट्रीट इंडस्ट्रीज, नं० 2, अवारापलयम, कोयम्बटूर–641006।	1–6–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी, प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के० कुरील
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1(4) टी०एन० (1408)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/एम०एस०/35873	मै० एस० के० एस० इंडस्ट्रीज, नं० 8–ए, कलाईवानी स्ट्रीट, कीलाकाथालाइ, मद्रास–600117।	1–2–96
2.	टी०एन०/टी०आर०/32197	मै० एम० सी० नाम पेस्ट्री शाप, 1469, गांधीजी रोड, तन्जावूर–613001।	1–5–95

1	2	3	4
3.	टी०एन० टी०आर०/32204	मै० मीना एजेंसीज, 1870, वैस्ट मैन स्ट्रीट, (अपरस्टेंयरस), तन्जावूर–613009 ।	1–6–95
4.	टी०एन० एम०डी०/37110	मै० एम० डी० स्पैशल 67, अनुपापेटीपी०ए०सी० बैंक, अनुपापेटी बीडीपासनपेटी (पी० ओ०) ओन्डोपेटी (टी० के)] मदुरै डिस्ट्रीक्ट–625536 ।	1–12–95
5.	टी०एन० एम०डी०/37338	मै० लिटल स्टोर नर्सरी स्कूल, 3, पारसक्थी नगर, मदुरै–625012 ।	1–1–96
6	टी०एन० एम०एस०/35869	मै० महाकृष्णा फाईनेंसिंग सर्विसज लि०, 5वां फ्लोर, कासी आरकडे, 116, सिरथोअगारायां, रोड, टी० नगर, मद्रास–600017 ।	1–9–95
7.	टी०एन० एम०डी०/37414	मै० एशियन मैट्रीकुलेशन स्कूल, (विकनेसधर एजुकेशनल ट्रस्ट), मदुरै डिस्ट्रीक्ट, मेलार–625106 ।	1–1–96
8.	टी०एन० एम०एस०/35814	मै० मजेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस, 110, भारतीपुरम, दूसरा स्ट्रीट, शिनोय नगर, मद्रास–600300	1–11–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस दिन या उसी स्थापना तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1(4) टी०एन० (1413)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है, कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन० एम०डी०/37335	मै० ए० 2709 नचीकुलम सुब्बुराम मिल्क प्रोडयूसर्स को–आपरेटिव सोसायटी, नचलकुलम (पी० ओ०) वाडीपट्टी (टी० के०) मदुरै डिस्ट्रीक्ट ।	1–2–96
2.	टी०एन० टी०आर०/32253	।० श्री मुरूगन कैफे, 73, मुत्त स्ट्रीट, कम्बाकोनम, तन्जावूर डिस्ट्रीक्ट–612001 ।	1–7–95
3.	टी० एन० एम०डी०/37343	मै० आर० वेल्लोडु प्राइमरी एग्रीकल्चरल को–आपरेटिव बैंक, आर० वेल्लोडु, वेडासान्दूर तालुक–624620 ।	1–4–95

1	2	3	4
4.	टी०एन० एम०डी०/37340	मै० अरुलमिगम पिल्लई सीथई अम्मल कॉलेज एण्ड मैट्रीकुलेशन स्कूल, को-आपरेटिव क्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि०, थिरूप्पाटूर–623211, पी० एम० टी० डिस्ट्रीक्ट ।	1–12–95
5.	टी०एन० एम०एम०/35838	मै० सी० जी० ईगारसी मोटर्स लि०, प्लाट नं० बी–12, सें० बां०–15, फेस–II, एम०वाई०ई०पी०ज इ०, टम्बाराम, मद्रास–600045 ।	1–1–96
6.	टी०एन० पी०सी०/641	मै० जयश्री कोरो कंटेनर्स (प्रा०) लि०, 23/10 एण्ड 23/11, थुथिपेट विल्लेज, काइरीकुप्पम, पांडीचेरी–605502 ।	1–6–95
7.	टी०एन० एम०एस०/35842	मै० मद्रास शिप रिपेयर्स (प्रा०) लि०, 282, टी० एच० रोड, ओल्ड वाशेरमनपेट, मद्रास–600021 ।	1–7–95
8.	टी०एन० टी०आर०/32102	मै० जयप्रिया चिट फण्ड्स, जयप्रिया बिल्डिंग, 5–ए 80, मेन रोड, तिवेली–607802 ।	1–4–94
9.	टी०एन० एम०एस०/35906	मै० बालमैन लारी फ्राईट कंटेनर्स लि०, प्लाट नं० डी–6, मैप, टम्बाराम (वैस्ट), मद्रास–600045 ।	1–4–95
10.	टी०एन० एम०डी०/37325	मै० पालीयाडी रत्ना चिट फण्ड (प्रा०) लि०, पालीयाडी एण्ड पी० ओ० कन्या कुमारी डिस्टीक्ट–629169 ।	1–12–95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०म०नि०आ०1(4)टी० एन० (1413)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अतः प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में नियोजित नियोजक तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से बहुत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाएं :—

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन० एम०एस०/35848	मै० निहाल एन्टरप्राईजिज, 96/2, अन्ना सलाई, नागलकेनी, चरोम्पेट, मद्रास–600044 ।	1–4–95
2.	टी०एन० एम०एस०/35849	मै० आर० एम० एस० एन्टरप्राईजिज, 11, विवेकानन्द नगर, पानागोटूर (पी० ओ०) मराईमलाई नगर, चिंगलपेट एम० जी० आर०, डिस्ट्रीक्ट–603209 ।	1–8–95

1	2	3	4
3.	टी०एन० एम०एस०/35830	मै० पूलोयामपट्टी मिल्क प्रोड्यूसर्ज को-आपरेटिव सोसायटी पूलीयामपट्टी पोस्ट चेनगम तालुक, डिस्ट्रीक्ट ।	1-1-96
4.	टी०एन० एम०एस०/35832	मै० चिन्नाकालूर मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आपरेटिव सोसायटी चिमकालूर विल्लेज, कालासपाकाम पोस्ट-पोलूर तालुक टी० एस० डिस्ट्रीक्ट ।	1-1-96
5.	टी०एन० एम०एस०/35833	मै० टी० पी० डी०-841, ईराईयूर मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आपरेटिव सोसायटी लि०, पोस्ट चेनगम तालुक इराईयूर, टी० एस० डिस्ट्रिक्ट ।	1-1-96
6.	टी०एन० एम०एस०/35831	मै० संधाई पुतुपाल्याम मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आपरेटिव सोसायटी, संधाई- पुतुपाल्याम पोस्ट चेनगम तालुक, टी० एस० डिस्ट्रीक्ट ।	1-1-96
7.	टी०एन० एम०एस०/35822	मै० किशोर इंजीनियरिंग, 52, साउथ फेस, 111, मेन रोड, अम्बाटूर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मद्रास-58 ।	1-4-95

अतः, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

सं० के० म० नि० आ० 1 (4) टी०एन० (1416)96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन० टी०आर०/32192	मै० संगम ट्रैवैल्स, 92-सी, सुपर बाजार, शिंगाराथोपे, त्रिची-620008 ।	1-2-95
2.	टी०एन० एम०डी०/37323	मै० श्री वेंकटेश्वरा टैक्सटाईल्स, 75/1 आईवायाक्कुलम, माम्सापूरम, पिन कोड-626110 ।	1-2-96
3.	टी०एस० एम०डी०/37329	मै० टी०एन०ई०बी०, राजपालयाम एण्ड श्रीविलीपुटूर डिवीजन एम्पलाईज को-ओपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि०, 68-ए, पेथिया स्ट्रीट, राजपालायाम, पिन कोड सं०-626117 ।	1-3-96
4.	टी०एन० टी०आर०/37359	मै० श्री धनलक्ष्मी होटल, 247, त्रिची रोड, थराईयर-621010 ।	1-5-95

1	2	3	4
5.	टी०एन० टी०आर०/32377	मै० टी० आर० डी०–674, पूलोवालेन मिल्क प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव सोसायटी फार वूमेन, पूलीवालम पोस्ट, थुराईयूर तालुक, त्रिची–621006।	1–9–95
6.	टी०एन० एम०एस०/35764	मै० जे० के० मोल्डर्स, प्लाट नं० 153, बाई० एस० आई० डेवेलोप्ड प्लाट, पेरुगडी, मद्रास–600096।	1–4–95
7.	टी०एन० एम०डी०/37292	मै० एम० यू०–3 तमिलनाडु इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड एम्पलाईज कोपरेटिव स्टोर, जवाहर नगर, थिरूमंगलम–626709।	1–11–95
8.	टी एन० एम०एस/ 35802	मै० इन्नोवेशन्स एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०, 95 डी 3, साउथ फेस इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अम्बाटूर, मद्रास–600058।	1–4–95
9.	टी०एन० एम०एस०/35779	मै० अन्ना जेम साईंस पार्क मैट्रिकिलेशन स्कूल, अन्ना यूनिवर्सिटी कैम्पस, मद्रास–25।	1–1–96

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) ए०पी० (1427)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/एम०एस०/35688	मै० कथारीकुपम मिल्क प्रोड्यूसर्ज कोआपरेटिव सोसायटी लि०, वन्नाथागल पोस्ट, (वाया) ओड्डागाथुर––632103, एन० ए० ए० डि०।	1–9–94
2.	टी०एन०/एम०एस०/15617	मै० मारूती प्रेसिंगस, नं० सी–12ए, इंडस्ट्रीयल इस्टेट गुंडी, मद्रास––600032।	1–6–95
3.	टी०एन०/32380	मै० कुरिन्जीपाड़ी को–आपरेटिव हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोडक्शंस प्रोजक्ट लि०। कुरिन्जीपाड़ी––607302।	1–10–95
4.	टी०एन०/एम०डी०/37252	मै० चिन्नासामी कनर्वसनस, सिमाडाईवेटी पलाकानथ पोस्ट, डिंडीगल तालुक––624624।	1–11–95

1	2	3	4
5.	टी०एन०/एम०एस०/35882	मै० कालिंगा स्पेशल (प्रा०) लि०, नं० 389, मेडावाकम हाई रोड, कोविलाम्बाकम, मद्रास—600117 ।	1-7-95
6.	टी०एन०/एम०एस०/35901	मै० किंग शिपिंग सर्विसेज, 250, थम्बु चेटी स्ट्रीट, फर्स्ट फ्लोर, मद्रास—600001 ।	1-2-96
7.	टी०एन०ए/म०एन०/31785	मै० वेलकम, नं० 21, अम्मासलाई, चिन्नामल, सैदापेट, मद्रास—600015 ।	1-3-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० सी० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० अ० नि० आ० 1(4) टी०एन० (1430) 96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन०/टी०आर०/32444	मै० श्री कृष्णा हैल्थ केयर एण्ड फार्मास्युटिकल्स प्रा० लि०, नं० 17-ए, होस्पीटल रोड, कूड्डालौर—607001 ।	1-1-96
2.	टी०एन०/एम०डी०/37441	मै० ग्रुप बायर मिल्स, नं० 38-ए, न्यू रोड, शिवाकासी—626123 ।	1-3-96
3.	टी०एन०/एम०एस०/35918	मै० सी० नाम्मीयान्थाल मिल्क प्रोडूसर्स, को-आपरेटिव सोसायटी, सी० नाम्मीयान्थाल, पोस्ट-थोगम तालुक, टी० एस० डिस्ट्रीक्ट ।	1-2-96
4.	टी०एन०/टी०आर०/27845	मै० प्लेड-256, थिरुवायमूर पी०ए०सी०बी० लि०, थिरुवायमूर पोस्ट, नागापट्टीनम तालुक ।	1-9-91
5.	टी०एन०/पी०सी०/583	मै० पांडीचेरी वैटरीनरि कोलेज सोसाईटी, कुनम्बापेट मुथीरापालयाम बी० पी० ओ०, पांडीचेरी—605009 ।	1-1-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० प्रा० 1 (4) टी एन (1433)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/एम०डी०/37401	मै० सध्या कारटोन्स, सी–7, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, के–पुदूर, मदुरै—625007 ।	1–10–95
2.	टी०एन०/एम०डी०/37407	मै० वाडासेरी को–आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, नं० थाई—4, वाडासेरी नागरकोईल, के० के० डिस्ट्रिक्ट ।	1–1–85
3.	टी०एन०/एम०डी०/35865	मै० चेनाई इलैक्ट्रीकल्स कंडक्टर्स, एस० पी०—80, इंडस्ट्रीयल इस्टट, फस्ट मेन रोड़, अम्बादूर मद्रास—600058 ।	1–11–95
4.	टी०एन०/एम०एस०/35816	मै० केद सोफ्टवेयर्स लि०, सिस्टम्स खलोचि सेंटर, तीसरी फ्लोर, 149, मानटथ रोड़, मद्रास—600008 ।	1–6–95
5.	टी०एन०/टी०आर०/32258	मै० मंगलम चैम्बर ब्रिक वर्क्स, प्लाट नं० जयालक्ष्मी नगर, त्रिची रोड, तन्जावूर (डि० एण्ड टी० के०)	1–6–95
6.	टी०एन०/एम०एस०/36046	मै० एम० एन० गणेशन एण्ड कं०, नं० 6, पहुसा क्रास स्ट्रीट, कृष्णा नगर, पम्माल मद्रास—600075 ।	1–1–96
7.	टी०एन०/एम०डी०/37403	मै० एन० एन० 487 रामनाड, डीट० लोकल लाइब्रेरी अथारिटी लाइब्रेरी स्टाफस को० आ० थ्रिफ्ट एण्ड क्रैडिट सोसायटी लि०, 11, सिवान कोविल नार्थ स्ट्रीट, सिवागंगा—623560 ।	1–1–96

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने वर्णायी गई है।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी एन (1435)96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी०एन० टी०आर०/32194	मै० श्री वेंकटेश बाईंडिंग वर्क्स, 48, कुम्बेवर नार्थ स्ट्रीट, कुम्भाकोनम—612001 ।	1-4-95
2.	टी०एन०/टी०आर०/32382	मै० स्कूल आफ क्वालिटी मैनेजमेंट, गन्डूर, तिथी—620007 ।	1-8-95
3.	टी०एन०/टी०आर०/32332	मै० आर० बी० इलैक्ट्रिकल्स, 29, शिवा काम्प्लैक्स, 32, थिलाई नगर मेन रोड़, तिची—18 ।	1-8-95
4.	टी०एन०/एम०डी०/37486	मै० श्री बालाकृष्णा कावर वर्क्स, 2, कमक रोड़, शिवाकासी, तमिलनाडु—626123 ।	1-4-96
5.	टी०एन०/टी०आर०/32268	मै० उमा बेकर्स कानफैक्शनर्स, 1915, बाजार स्ट्रीट, नागापटीनम—611001 ।	1-6-95
6.	टी०एन०/टी०आर०/32385	मै० पंछियार रेजीडेंसी, व अन्नायम रेस्टोरेन्ट, 14 कुचेरी रोड़, तन्जावूर—613001 ।	1-8-95
7.	टी०एस०/टी०आर०/35923	मै० के० एस० आर० एण्ड कम्पनी, सी-23, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मुंगापाक्कर, मद्रास—50 ।	1-4-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी एन (1436)/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/एम०डी०/37443	मै० मोहर आफसैट प्रिंटर्स, 33-बी, गांधी रोड़, शिवकाशी—26126 ।	1-2-96

1	2	3	4
2.	टी०एन०/एम०डी०/37446	मै० कीदारीपट्टी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव बैंक, कीदारीपट्टी पोस्ट, मेलूर तालुक, मदुरै डिस्ट्रीक्ट, पिन-625301 ।	1-1-96
3.	टी०एन०/एम०एस०/35912	मै० पोनेरी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ० बैंक लि०, पोनेरी विल्लेज मंडलवादी पोस्ट थिरुपथूर तालुक, टी० एन० डिस्ट्रीक्ट ।	1-12-95
4.	टी०एन०/एम०एस०/35917	मै० नयाम्बाडी मोटूर मिल्क प्रोड्यूसर्स को० आ० सोसायटी, नयाम्बाडी मेटूर विल्लेज कालावपाड़ी, पोस्ट चेंगम तालुक, टी० एस० डिस्ट्रीक्ट ।	1-2-96
5.	टी०एन०/एम०डी०/37290	मै० बदरिया केसूयूज, फातिमा नगर, पो० ओ० विलावानकोड, के० के० डिस्ट्रीक्ट ।	11-9-95
6.	टी०एन०/टी०आर०/32261	मै० अश्विनी रेस्टोरेन्ट, 17, 18 ईस्ट कार स्ट्रीट, चिदम्बरम--50210 ।	1-7-95
7.	टी०एन०/टी०आर०/32174	मै० टी०एन०डी० 108, पथारानपालाम मिल्क प्रोड्यूसर्स को० आपरेटिव सोसायटी, थेनगियनाथम, पोस्ट कालाकुरोची, पिन--606201 ।	1-4-94

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाया गया है।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ० नि० आ० 1 (4)टी एन(1395)/96.—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी० एन० एम० ए/35881	मै० गौतम सिक्योरिटी सर्विसिज नं० 108, गांधी रोड़, टम्बाराम वेस्ट मद्रास-600045	1-2-96
2.	टी०एन०आर०/32260	मै० मम्मी डैडी रेडिमेड 1296/1बी, साउथ मेन स्ट्रीट, तन्जावूर-613009	1-6-95
3.	टी० एन० एम० डी०/37436	मै० एम० एस० 114, थिरुपुलानी मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आपरेटिव सोसायटी/ थिरुपुलानी रामनाड, डिस्ट्रीक्ट-623532	1-3-96
4.	टी०एन०एम०डी०/37435	मै० ए० 919, नारिपियूर पी० ए० सी० सी० काडलासोओली टी० के० नारियाईयूर, (पी० ओ०) रामनाड डिस्ट्रीक्ट	1-1-96
5.	टी०एन०टी०आर०/32259	मै० थिलम थिरुक्कल रेडिमेड 1065, ट्रंक मैन स्ट्रीट, तन्जावूर-613001	1-6-95

1	2	3	4
6.	टी०एन०टी०आर०/32215	मै० स्टेण्डर्ड स्टील इंडस्ट्रीज टी० एस० नं० 23/1864, राजा स्ट्रीट कारनाथटान्कुडी तन्जावूर पिनकोड–613002	1–6–95
7.	टी० एन० टी० आर/32235	मै० सुब्बु एजेंसीज, 2938, वैस्ट मेन स्ट्रीट, तन्जावूर–613009	1–6–95
8.	टी०एन० टी०आर०/42311	मै० अरविन्द इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 35, सुकीरापटी, आलाचीकोमुलाई पो० ओ० पट्टुकेटाई तन्जावूर डिस्ट्रीक्ट–614615	1–6–95
9.	टी० एन० टी० आर/32213	मै० मीनाक्षी फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स सिमारा मीनाक्षी ईलाम 1870, वेस्ट मैन स्ट्रीट तन्जावूर पिन–613009	1–6–96

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसीप्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1 (4) (डी एन) 1448/96—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टी० एन०/36040	मै० सिम्बायांग श्रीराम इन्टेग्रेटिड मेडिक्स (प्रा०) लि० 154 एण्ड 155, कोडाम्बाकम हाई रोड़, नन्गाम्बाक्कम, मद्रास–600034.	1–4–96
2.	टी० एन०/34614	मै० ईडी 396, काडापाल्यान मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आपरेटिव सोसायटी लि० काडापाल्याम, चेंगापाली, पोस्ट–638812	1–7–94
3.	टी० एन०/32219	मै० डासरथी ऑटो स्पेयर्स स्पेयर्स एण्ड एसेसरीज डिलर्स, 37–38, नागेश्वरम मार्ग, स्ट्रीट, कुम्बाकोनम–612001	1–7–95
4.	टी० एन०/35956	मै० वैस्ट एशिया मेरीटाईम लि० 32, नन्गाम्बाकम हाई रोड़, मद्रास–600034	1–4–95
5.	टी० एन०/35902	मै० हरीज़ एग्रीकल्चर लि० स्पेंसर प्लाजा, 4 फ्लोर, 769, अन्नामलाई, मद्रास–600018	1–5–95
6.	टी० एन०/35990	मै० ट्रीनिटी प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स लि० 1, फस्ट मेन रोड़ यूनाइटिड इंडिया कलोनी, कोडाम्बाकम, मद्रास–600024	1–1–96
7.	टी० एन०/37476	मै० एन० एन० 579 थुम्बाडाईकाकोटाईपी० ए० सी० बैंक, आईरुलावपुरम पी० ओ०, थिरुवाडानाई तालुक, रामनाड, डिस्ट्रीक्ट	1–1–96

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

आर० के० कुरील
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 7 अप्रैल 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-1/7—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापन के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसे इसमें इसके पश्चात् 'स्कीम' कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाईल नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० सरदार पटेल विद्यालय लोधी एस्टेट, नई दिल्ली—110003.	डी० एल० 6129	1-6-92 से 30-5-95	S/3 (11) 96/डी० एल० आई०
2.	मै० स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन आफ इण्डिया लि०; जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—110001.	डी० एल० 791	1-4-90 से 31-3-93 1-4-93 से 31-3-96	S/3 (14)96/ डी० एल० आई०
3.	मै० रसिक लाल हिमानी, ऐजेन्सीज प्रा० लि० 506, खारी बावली, दिल्ली—110006.	डी० एल० 4049	1-2-92 से 31-1-95	S/3 (15) 96/ डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किसी गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/20—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना जिसके द्वारा छूट प्रदान विस्तार की गई	समाप्ति की तिथि	छूट की अवधि	के०भ० नि० आ० फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० तोषनीवाल सैन्सर्स प्रा० लि०, ई-19-20 इंड० एरिया, माकूपुरा, अजमेर ।	आरज/347 347	2×1959/डी एल आई छूट 89 पार्ट-1 दि० 21-5-87	20-5-90	21-5-90 से 20-5-93	2/1610/90 डी० एल आई
2.	मै० बी० एम० इंड०, विश्वकर्मा नगर, पी० ओ० सरधना-305206 अजमेर ।	आर जे/3870	2/1959/डी०एल०आई०/ छूट/89 पार्ट-1 दि० 10-12-92	30-6-94	1-7-94 से 30-6-97	2/4462/94 डी०एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
3.	मै० के० के० इंड० पो० ओ० टायर फैक्ट्री, जे० के० ग्राम कनकरोली–313342 जिला राजसमंद राजस्थान ।	आरजे/2601	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89 पार्ट–1 दि० 24–2–93	6–5–95	7–5–95 से 6–5–98	2/557/80 डी०एल०आई०
4.	मै० तोषनीवाल प्रोसैस इन्स्ट्रूमेंट प्रा० लि०, कचहरी रोड, अजमेर ।	आरजे/2901	2/1959/डी०एल०आई/ छूट/89 पार्ट–1 दि० 13–5–93	6–2–95	7–2–95 से 6–2–98	2/1324/82 डी० एल० आई०
5.	मै० नेशनल इंजीनियरिंग इंड० लि० खातीपुरा रोड, जयपुर 302006	आरजे/24	2/1959/डी०एल०आई०/ छूट/89 पार्ट–1 दि० 30–6–92	29–7–94	30–7–94 से 29–7–97	2/1103/80 डी०एल०आई०
6.	मै० एसोसिएटिड स्टोन इंड० लि० रामगंज मन्डी, कोटा राजस्थान ।	आरजे/55	2/1959/डी०एल० छूट/89/पार्ट–1 दि० 24–12–92	30–6–94	1–7–94 से 30–6–97	2/2209/89 डी०एल०आई०
7.	मै० नवज्योति प्रिंटिंग प्रेस पोस्ट बाक्स नं० 72 केसर गंज अजमेर ।	आरजे/1016	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89 पार्ट–1 दि० 28–9–89	30–9–90	1–10–90 से 30–9–93	2/1647/80
8.	मै० राजहंस इंड० लि०, ए०–2, इंड० इस्टेट, जोधपुर–राजस्थान	आरजे/1243	एस/35014/5687 एस०एस०–II दि० 22–5–87	24–5–90	25–5–90 से 24–5–93 से	2/582/87

अनुसूची—2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन सामूहिक बीमा स्कीम की नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना के पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना

नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

डी. के. मरवाह,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/34—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक के अनुकूल है) जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन के प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संकल्प अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की दि० व सं० जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई ।	समाप्ति की तिथि	छूट की अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० डैल्टन केबल्स लि०, 4801 भरत राम रोड, दरिया गंज नई दिल्ली–2	डी०एल० 179	2/1959/डी०एल०आई० छूट/89 पार्ट–1 दि० 12–2–92	3–12–94	4–12–94 से 3–12–97	2/1849,88/ डी० एल० आई०
2.	मै० एस्कोर्टस लि०, ए–36 मोहन को–आप० इंड० इंडेट, नई दिल्ली–44	डी०एल० 776	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89 पार्ट–1 दि० 13–2–90	17–9–94	18–9–94 से 17–9–97	2/111/78/ पार्ट डी० एल० आई०
3.	मै० महाटा एण्ड कं० –एम 59 कनाट पलेस, नई दिल्ली–1	डी०एल० 854	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89 छूट/ पार्ट–10 दि० 18–11–89	30–3–90	31–3–90 से 30–3–93 31–3–93 से 30–3–96	2/3271/90 डी०एल०आई०

1	2	3	4	5	6	7
4	मै० आल इंडिया काफी वर्कर्स को-आप० सोसा० फेडरेशन लि०, 2, यू०बी० बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-7	डी०एल० 2804	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89 पार्ट-1 दि० 8-8-89	1-1-91	1-2-91 से 31-1-94 1-2-94 से 31-1-97	2/2026/89/ डी० एल० आई०
5.	मै० दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेवलस प्रा० लि०, पी०-13, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-1	डी०एल० 2893	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89 पार्ट-1 दि० 20-10-89	20-11-93	21-11-93 से 20-11-96	2/1081/94/ डी०एल०आई०
6.	म० जिम सैनेट्री एप्लाइंसज प्रा० लि० ए-57, वजीरपुर इंड० एरिया दिल्ली-52	डी०एल० 3558	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89 पार्ट-1 दि० 20-10-89	31-12-89	1-1-90 से 31-12-92 1-1-93 से 31-12-95	2/3269/90 डी०एल०आई०
7.	मै० साउथ ईस्टर्न कैरियर्स लि० 34, अराकाशन रोड, राम नगर पहाड़गंज नई दिल्ली-55	डी०एल० 4288	2/1959/डी० एल० आई०/छूट/89 पार्ट-1 दि० 20-1-94	31-5-91	1-6-91 से 31-5-94 1-6-94 से 31-5-97	2/2097/89/ डी० एल० आई०
8.	मै० मदन ट्रेडिंग कं० प्रा० लि० एच०-9, ब्लाक बी-1 मोहन को-आप० इस्टेट, मथुरा रोड, दिल्ली-44	डी०एल० 5141	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1 दि० 22-12-92	30-11-91	1-12-91 से 30-11-94 1-12-94 से 30-11-97	2/4267/92/ डी०एल०आई०
9.	दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कार० लि०, 7-9 आराम बाग, पहाड़गंज नई दिल्ली-55	डी०एल० 7141	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89 पार्ट-1 दि० 8-7-91	16-8-94	17-8-94 से 16-8-97	2/1567/86/ डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

जी. के. भरवाह,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/41—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संकल्प अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की दिनांक व सं० जिसके द्वारा छूट प्रदान की गई है	समाप्ति की तिथि	छूट की अवधि	के०भ०नि० आ० फाईल नं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० उड़ीसा स्टेट को-आपरेटिव लि० प० जवाहर लाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर 751001	ओ०आर० 822	2/1959/डी०एल०आई० एक्जम/89/पार्ट-II दिनांक 29-3-93	30-11-90	1-12-90 से 30-11-93 1-12-93 से 30-11-96	2/4468/92/ डी० एल० आई०
2.	मै० एवरेस्ट होमियो लेबोरेटरी, बी-3, इन्डस्ट्रियल एस्टेट बालासौर-756001	ओ० आर० 1399	2/1959/डी०एल०आई०/ एक्जम 89/पार्ट-II दिनांक 29-1-96	30-5-95	31-5-95 से 30-4-98	2/5545/94 डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की अद्यतन संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है । जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुशोधन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है । अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिल्ली
सूची

क्रम संख्या	वक्फ का नाम तथा वाकिफ (यदि पता हो)	वक्फ निर्माण का वर्ष तथा दिनांक	वक्फ की किस्म तथा उद्देश्य	पंजीयन अभिलेख के सन्दर्भ पंजीयन पत्र का विवरण (यदि कोई हो)	वक्फ सम्पत्ति का विवरण (अ) अचल :— इसकी स्थिति, किस्म, प्लाट या नगर पालिका नम्बर (ब) अन्य :—इसकी किस्म और व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	सुन्नी वक्फ :— वक्फ हाजी मुहम्मद जकरिया, फाटक हबश खां तथा कूचा उस्ताद दाग	22-3-23 28-11-1932	वक्फ संतान के लिये	रजि० नं० 678 बुक नं० 1 वा० नं० 1314 पृष्ठ नं० 114 से 136 तथा रजि० नं० 3647 बुक नं० 1 वा नं० 1698 पृष्ठ नं० 56 से 61	वक्फ हाजी मुहम्मद जकरिया, फाटक हबश खां, मेन गली रंग वाली, गली हिनगा बेग, गली जकरिया, दिल्ली-06 तथा कूचा उस्ताद दाग, दिल्ली 6 म्यूनिस्पल नं० 1349 से 1351, 1355, 1356, 1361-64; 1374-98, 2306 से 2315 तथा 2317, 2397-98, 2400, 2401, 2404, 2406, 2407, 2411, 2413 से 2415
2.	सुन्नी वक्फ कनाती मस्जिद और कब्रस्थान, खसरा संख्या 1151/3 (1665) महरौली, नयी दिल्ली, (सोहना बर्ज)	100 वर्ष से पूर्व	नमाज अदा करने तथा मुर्दे दफन करने के लिये	× × ×	(अ) मसजिद और मुसलिम कब्रस्थान खसरा संख्या 1151/3 (1665) रकबा 11 बीघा (लगभग)

वक्फ बोर्ड
संख्या 36

सम्पत्ति का मूल्य (अ) अचल (ब) चल	वार्षिक आय (अ) अचल (ब) चल	भू-राजस्व का शुल्क और कर	शुद्ध वार्षिक आय कालम 8 एवं 9	मुतावल्ली का नाम एवं पता	मुतावल्ली का वेतन तथा भत्ते	आय प्राप्ति के लिये व्यय
7	8	9	10	11	12	13
(अ) 5 करोड़ लगभग	रु० 50,000/- प्रतिमाह	किरायादारों द्वारा	रु० 50,000/- प्रतिमाह	×××	×××	×××

के लगभग

दिल्ली वक्फ बोर्ड सूची सं. 36—जारी

यदि वक्फ न्यायालय के आदेश से प्रकाशित है या वक्फ डीड के अनुसार या रीति-रिवाज या प्रथा	यदि वक्फ पूर्व ही वक्फ बोर्ड के सामान्य देखभाल के अर्न्तगत है	टिप्पणी (यदि कोई हो)
14	15	16
वक्फ प्रथा	हां दिल्ली वक्फ बोर्ड	वर्तमान से यह सम्पत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन है
वक्फ प्रथा	नहीं	इस सम्पत्ति की देखभाल श्री मोमिन लतीफ पुत्र श्री डा० अब्दुल लतीफ निवासी 86, जोर बाग, नयी दिल्ली कर रहे हैं ।

इसरार अहमद
वक्फ आयुक्त, दिल्ली

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

दिनांक 4 मार्च 1997

सं. भा.आ.प.-26(3)/96-मैड—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्न-लिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) ये विनियम "स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा पर विनियम, 1997" कहे जाएंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

अध्याय-1

2. सामान्य विचार और शिक्षण दृष्टिकोण

(1) स्नातक आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को एक ऐसे चिकित्सक के उत्तरदायित्व निभाने के निमित्त प्रशिक्षण देने में अनुकूल बनाया गया है जो काय-चिकित्सा के निवारक, प्रवर्तक, रोगनाशक और स्वास्थ्यकारी पहलुओं की देखभाल करने के सक्षम हैं ।

(2) आज जीविका के व्यापक अवसर उपलब्ध होने के कारण एक स्नातक को जीविका-अवसरों का व्यापक विकल्प है । व्यापक और लचीला होने के बावजूद प्रशिक्षण का उद्देश्य हमारे देश में स्वास्थ्य देखरेख की लिए अपेक्षित अभियांत्रिकी का प्रारंभिक अनुभव प्रदान करना होना चाहिए ।

(3) परिवर्तनीय और विभिन्न प्रकार की सेवा परिस्थितियों के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है कि ऐसी सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त नियोजन-प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि स्नातक उन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के प्रभावी साधन बन सकें । अवसरों का लाभ उठाने और व्यावसायिक अपेक्षाओं को पूरा करने के योग्य होने के लिए स्नातक आयुर्विज्ञान देखरेख के विभिन्न पहलुओं में आधारभूत प्रशिक्षण अर्जित करने का प्रयास करेंगे ।

(4) स्वास्थ्य देखरेख के सामुदायिक पहलुओं के महत्व और ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को मान्यता देनी आवश्यक है । स्नातकों की शिक्षा और प्रशिक्षण के इस पहलू को विहित पाठ्यक्रम में पर्याप्त मान्यता दी जाए । गत वर्षों में इसके महत्व को नियमित रूप से बढ़ावा दिया गया है और शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी तीनों चरणों के दौरान ऐसे अनुभवों पर पर्याप्त अभ्यास कराया जाना चाहिए । फील्ड-कार्य-क्षेत्रों और शिक्षु काल अवधि के दौरान प्रशिक्षण में भी इस पर जोर दिया जाना चाहिए और सघन अभ्यास करते हुए इसे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षु-काल के दौरान ग्रामीण प्रशिक्षण की अवधि का उद्देश्य नए स्नातकों को ऐसे वातावरण के अधीन दक्षतापूर्वक कार्य करने के योग्य बनाना है ।

(5) शैक्षिक अनुभव में केवल रोगों और अस्पताल अभिमुखी अथवा रोगनाशक-पहलुओं पर केन्द्रित होने की बजाए स्वास्थ्य और सामुदायिक अभिमुखी होने पर जोर दिया जाना चाहिए । इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक आयुर्विज्ञान शिक्षा की सभी मूल-अवधारणाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) स्वयं शिक्षा-प्राप्ति के लिए पर्याप्त अनुभव प्रदान करना आवश्यक है । इसे सुनिश्चित करने वाली विधियां और तकनीक शिक्षण-शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया का एक हिस्सा अवश्य होनी चाहिए।

(7) आधुनिक वैज्ञानिक काय-चिकित्सा के आयुर्विज्ञान स्नातक शहरी और ग्रामीण दोनों पर्यावरणों में स्वतन्त्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनने का प्रयास करेंगे । उन्हें विशेषज्ञता के अनावश्यक ब्यौरों की बजाए पढ़ाए गए विषयों के मूलभूत पहलुओं और स्वास्थ्य तथा रोगों की आम कठिनाइयों पर जोर देने का प्रयास करना होगा ।

(8) पूरे पाठ्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और रोगों की समस्या के संबंध में सामाजिक-कारकों के महत्व पर उचित बल दिया जाना चाहिए और इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए शैक्षिक पद्धति भी केवल अस्पताल आधारित होने की बजाए समुदाय आधारित होनी चाहिए । प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि के दौरान स्वास्थ्य और विकास के महत्व पर जोर देते हुए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण नियोजन के महत्व पर जोर दिया जाए ।

(9) विचारों के तर्कसंगत और वैज्ञानिक स्वभाव को अपनाने, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता और निर्णय की स्वतन्त्रता, सूचना एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने और उनमें परस्पर संबंध स्थापित करने की योग्यता पर पर्याप्त बल दिया जाना अपेक्षित है ।

(10) शैक्षिक प्रक्रिया को उचित परिप्रेक्ष्य के बिना केवल बड़ी मात्रा में अव्यवस्थित तथ्यों के अर्जन की बजाए एक विकासित प्रक्रिया के रूप में ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इस देश में और शेष विश्व में आयुर्विज्ञान जानकारी के विकास के सन्दर्भ में दवाइयों का इतिहास इस प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए ।

(11) प्रशिक्षण की विधि के रूप में व्याख्यान मात्र सामान्यत: पर्याप्त नहीं होते हैं और ये सूचना के अन्तरण/अर्जन के घटिया साधन होते हैं तथा दक्षता विकास और उचित अभिवृत्ति के प्रयोजन में कम प्रभावी होते हैं । प्रदर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित क्रियात्मक विधि के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए । विद्यार्थी परस्पर बातचीत माध्यम में छोटे ग्रुपों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित होंगे ताकि वे रोगियों और समुदायों, जिनमें वे रहते हैं, के सम्पर्क के माध्यम से अधिकतम अनुभव प्राप्त कर सकें । पाठ्यक्रम-उद्देश्य प्राय: ज्ञान या विज्ञान के क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, लेकिन सर्वोत्तम शिक्षण क्लीनिकल व्यवस्था में और ऐसे विद्यार्थियों के लिए अनुभव के आधार पर संभव होता है जो विभिन्न भागों से आते हैं और इस ज्ञान को अपने कार्य की दक्षता के भाग के रूप में अपनाते हैं ।

(12) रोग लक्षण-विषयों में स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा प्राथमिक रूप से बहिरंग-रोगी अध्यापन, आपात विभागों और निकटवर्ती स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों सहित समुदाय पर आधारित होनी चाहिए । बहिरंग रोगी विभाग स्नातकों को छोटे-ग्रुपों में प्रशिक्षण दिए जाने के लिए उपयुक्त रूप से नियोजित होने चाहिए ।

(13) क्लीनिक छोटे ग्रुपों, अधिमानत: 10 विद्यार्थियों तक के ग्रुपों में, आयोजित की जाएं ताकि अध्यापक रोगियों के उपचार में प्रत्येक विद्यार्थी की कुशलता और सक्षमता में सुधार की दृष्टि से उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सके ।

(14) कार्य का उचित अभिलेख रखा जाना चाहिए जो विद्यार्थी के आन्तरिक मूल्यांकन का आधार होगा और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा कालेज के निरीक्षण के समय निरीक्षकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(15) रोग-लक्षणों अथवा सामुदायिक मामलों और समस्या को समझने और उसका समाधान करने दोनों में विभिन्न पूर्व-रोगलक्षण विधाओं की संबद्धता से आरम्भ करके समस्या-आधारित अध्ययन दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए परम्परागत विषय क्षेत्रों के बीच सम्पूर्ण अध्यापन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम प्रयास करना आवश्यक है । विधाओं को सीमित करने को हतोत्साहित करने के भरसक प्रयत्न किए जाएं ताकि विभिन्न चरणों में सर्वांगीण सम्पूर्णता प्राप्त की जा सके ।

(16) विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व, चरित्र, अभिव्यक्ति और ऐसी अन्य क्षमताओं के विकास के लिए ग्रुप-चर्चा और गोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के भरसक प्रयास किए जाएं जो आयुर्विज्ञान स्नातक के स्वतन्त्र जीविका आरम्भ करने के समय अपने व्यवसाय अथवा दल-नेता के रूप में कार्य करने के लिए आयुर्विज्ञान स्नातक में आवश्यक है । एक चर्चा-ग्रुप में 20 विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिएं ।

(17) विद्यार्थियों के अध्यापन के समय संकाय सदस्यों को आधुनिक शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करना चाहिए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकाय विकास और अध्यापकों को अध्ययन संसाधन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सभी आयुर्विज्ञान कालेजों में आयुर्विज्ञान शिक्षा एकक/विभाग स्थापित किए जाने चाहिएं ।

(18) इस परिशोधित पाठ्यक्रम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 4 1/2 वर्षीय आयुर्विज्ञान तथा शल्य-विज्ञान स्नातक (एम.बी.बी.एस.) पाठ्यक्रम के दौरान एक कलेण्डर

वर्ष में विद्यार्थियों की छुट्टी-अवधि एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(19) परिकल्पित पाठ्यक्रम को पूर्णत: कार्यान्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकारें और संस्थागत निकाय सुनिश्चित करें कि पर्याप्त वित्तीय निवेश और तकनीकी साज-सामान उपलब्ध कराया गया है ।

3. आयुर्विज्ञान स्नातक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य :

(1) राष्ट्रीय लक्ष्य : पूर्व-स्नातक कार्यक्रम के अन्त में आयुर्विज्ञान विद्यार्थी यह प्रयत्न करने के योग्य होगा कि :

(क) "सबके लिए स्वास्थ्य" को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाए और सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार हो और आयुर्विज्ञान व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करके इस लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त वह अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करे ।

(ख) स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियों के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करे और इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के प्रति अपने को समर्पित करे ।

(ग) सामान्य रोगों के प्रोत्साहक, निवारक, रोगनाशक और स्वास्थ्यकारी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए होलिस्टिक कार्य-चिकित्सा व्यवहार में सक्षमता प्राप्त करे ।

(घ) व्यवसाय में दक्षता तथा स्वस्थ-जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक मन:स्थिति का विकास करे और शैक्षिक अनुभव का अर्जन करे ।

(ङ) आयुर्विज्ञान आचार-शास्त्र का पालन करते हुए और सामाजिक और व्यावसायिक दायित्वों को पूरा करके अनुकरणीय नागरिक बनें ताकि राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा कर सके ।

(2) संस्थागत लक्ष्य : (1) राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक आयुर्विज्ञान संस्थान यह परिभाषित करने के लिए संस्थागत लक्ष्य निर्धारित करे कि वे किस प्रकार की प्रशिक्षित जन शक्ति (अर्थात् व्यावसायी) तैयार करना चाहते हैं । आयुर्विज्ञान संस्थान से बाहर आने वाले स्नातक-पूर्व विद्यार्थी :—

(क) प्राथमिक, माध्यमिक अथवा तीसरे स्तर पर स्वास्थ्य दल के स्वस्थ्य के रूप में इतिहास, शारीरिक जांच और संबद्ध परीक्षणों के आधार पर अपनी रोगलक्षण-कुशलता का प्रयोग करते हुए अपनी स्थिति के अनुरूप वैयक्तिक और समुदाय की आम स्वास्थ्य समस्याओं के निदान और प्रबन्धन में सक्षम हों ।

(ख) सामान्यत: सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में निवारक, प्रोत्साहक, रोगनाशक और स्वास्थ्यकारी कार्य-चिकित्सा का व्यवसाय करने के लिए सक्षम हों ।

(ग) विभिन्न चिकित्सीय रूपात्मकताओं के तर्कधार को महत्व दें, "अनिवार्य औषधियों" को देने और उनके सामान्य अनर्थकारी प्रभावों की जानकारी हो ।

(घ) स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले समाज-मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों की पहचान करने की योग्यता हो और अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में रोगियों के प्रति मानवांचित मनोवृत्ति का विकास हो ।

(ङ) सतत्-स्वयं-अध्ययन के लिए मनोवृत्ति हो और निपुणता हासिल करे अथवा आयुर्विज्ञान के किसी चयनित क्षेत्र में अनुसंधान करे ।

(च) निम्नलिखित के व्यावहारिक पहलुओं सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य मूलभूत कारकों की जानकारी हो :—

(1) परिवार कल्याण और मातृक और शिशु स्वास्थ्य (मा.शि.स्वा.),

(2) स्वच्छता और जल-आपूर्ति,

(3) संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों का निवारण और नियंत्रण,

(4) टीकाकरण,

(5) स्वास्थ्य शिक्षा;

(छ) मानव संसाधनों, सामग्रियों के क्षेत्र में और स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने से संबंधित संसाधन प्रबन्धन में आधारभूत प्रबन्धन दक्षता अर्जित करे ।

(ज) सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने और अभिकल्पना द्वारा इनके समाधान का कार्य सीखने, सुधारात्मक कदम उठाने और ऐसे उपायों के परिणामों का मूल्यांकन करने के योग्य हों ।

(झ) स्वास्थ्य देखरेख दलों में एक प्रमुख साझेदार के रूप में कार्य करने और वार्तालाप कुशलता में दक्षता अर्जित करने के योग्य हों ।

(ञ) विभिन्न स्वास्थ्य देखरेख परिस्थितियों में कार्य करने के लिए सक्षम हों ।

(ट) व्यावसायिक जीवन के लिए वैयक्तिक निष्ठा, जिम्मेदारी की भावना और निर्भरता का अहसास और अन्य व्यक्तियों के साथ संबद्ध होने अथवा चिन्ता दर्शाने की योग्यता जैसी अपेक्षित वैयक्तिक विशेषताएं और मनोवृत्ति हों ।

(ठ) आयुर्विज्ञान स्नातक को परिशिष्ट "ख" में यथा-उल्लिखित कुशलताएं अर्जित करने के योग्य बनाने के सभी-प्रयास किए जाएं ।

अध्याय-2

प्रवेश, चयन, प्रवृजन और प्रशिक्षण :—

4. आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश—"पात्रता मानक" : किसी भी अभ्यर्थी को प्रथम आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक (एम. बी. बी. एस.) पाठ्यक्रम के आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक कि :—

(1) वह उक्त पाठ्यक्रम का विहित शैक्षिक सत्र आरम्भ होने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन से पूर्व 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता/लेती ।

(2) उसने नीचे दिए अनुसार अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो :—

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा जो 12 वर्ष के अध्ययन की अवधि के उपरान्त 10+2 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो, अध्ययन के अंतिम दो वर्षों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित अथवा शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 10+2+3 वर्षीय शैक्षिक ढांचा आरम्भ किए जाने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अंग्रेजी के लिए यथा-निर्धारित कोर पाठ्यक्रम के स्तर पर अंग्रेजी सहित अन्य कोई वैकल्पिक विषय;

टिप्पणी : पाठ्यक्रम की विषय-सूची राष्ट्रीय समिति के 10+2 शैक्षिक ढांचे के लिए सिफारिश के अनुसार नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयर्विज्ञान कालेजों में प्रवेश से पूर्व एक वर्ष की अवधि का पूर्ण-व्यावसाय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा;

अथवा

(ख) किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय की भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान सहित विषयों में इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा भी शामिल हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के साथ विज्ञान में इन्टरमीडिएट परीक्षा;

अथवा

3.2.3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा प्री-यूनीवर्सिटी अथवा कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पहचान भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों के साथ प्री-पोलीटेक्निक/प्री. आयर्विज्ञान परीक्षा/प्री. पोलीटेक्निक/प्री. आयर्विज्ञान परीक्षा में भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होना चाहिए ।

अथवा

(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सहित इन विषयों के साथ तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष, बशर्ते कि परीक्षा "विश्वविद्यालय परीक्षा" हो और अभ्यर्थी ने कोर पाठ्यक्रम के स्तर का अंग्रेजी के साथ 10+2 उत्तीर्ण किया हो ।

अथवा

(घ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय की विज्ञान-स्नातक परीक्षा, बशर्ते कि उसने भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान (वनस्पति-विज्ञान, प्राणि-विज्ञान, विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ- विज्ञान-स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और इसके अलावा उसने पहले भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान और अंग्रेजी के साथ अर्हक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो ।

अथवा

(च) भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों में से प्रत्येक में प्रायोगिक परीक्षा सहित इन विषयों और अंग्रेजी के साथ कोई अन्य परीक्षा जो, विषय और स्तर में किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की इन्टरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के समकक्ष हो ।

टिप्पणी :

प्री. आयर्विज्ञान पाठ्यक्रम किसी आयर्विज्ञान कालेज अथवा किसी विज्ञान-कालेज में आयोजित किया जाएगा ।

आयर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए गणित में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा ।

10+2 पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिए जाने के उपरान्त समीक्षित पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए जाने चाहिए ।

5. विद्यार्थियों का चयन : आयर्विज्ञान कालेज में विद्यार्थियों का चयन पूर्णत: योग्यता क्रम के आधार पर होगा और योग्यताक्रम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित कसौटी देशभर में समान रूप से अपनाई जाएगी :—

(1) अर्हक परीक्षा आयोजित करने वाली केवल एक आयर्विज्ञान कालेज और एक विश्वविद्यालय/बोर्ड/परीक्षा निकाय होने वाले राज्यों में, ऐसी अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों पर गौर किया जाएगा;

(2) अर्हक परीक्षा आयोजित करने के लिए एक से अधिक विश्वविद्यालय/बोर्ड/परीक्षा निकाय होने वाले (अथवा जहां एक ही प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण धीन एक से अधिक आयर्विज्ञान कालेज हों) राज्यों में एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि समान मूल्यांकन किया जा सके क्योंकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अर्हक परीक्षा के स्तर में भिन्नता हो सकती है;

(3) एक से अधिक कालेज होने वाले और अर्हक परीक्षा आयोजित करने वाला केवल एक विश्वविद्यालय/बोर्ड होने वाले राज्य में सभी कालेजों के लिए एक संयुक्त चयन बोर्ड गठित किया जाए ।

(4) अखिल भारतीय स्तरण के संस्थानों के मामलों में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा नितान्त आवश्यक है ।

(5) प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी में "पात्रता कसौटी" शीर्ष टिप्पणी के अंतर्गत यथा-उल्लिखित कोई अर्हक परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो ।

परन्तु यह भी कि :—

(1) अर्हक परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामले में आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ने अर्हक परीक्षा के साथ ली गई परीक्षा में अंग्रेजी में 50% और भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों;

(2) प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामले में आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ने अर्हक और प्रतियोगी स्तरों परीक्षाओं में एक साथ ली गई परीक्षा में अंग्रेजी में 50 अंकों और भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान में 50% अंकों से कम अंक न प्राप्त किए हों ।

परन्तु यह भी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (अ. पि. व.) से सम्बन्ध अभ्यर्थियों के संबंध में प्राप्त अंकों को 50% की बजाए 40% रखा जाए ।

6. माइग्रेशन :—

(1) एक आयुर्विज्ञान कालेज से दूसरे आयुर्विज्ञान कालेज में माइग्रेशन विद्यार्थी का अधिकार नहीं है । तथापि, एक आयुर्विज्ञान कालेज से भारत के दूसरे आयुर्विज्ञान कालेज में विद्यार्थियों के माइग्रेशन पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् सकारण अत्यन्त अनुकम्पा आधार* पर आपवादिक मामलों में ही निम्नलिखित मानकों के परा होने की शर्त के अधीन विचार किया जा सकता है । अन्य आधारों पर नेमी माइग्रेशन की अनुमति नहीं होगी ।

(2) दोनों ही कालेज, अर्थात् एक जहां विद्यार्थी फिलहाल पढ़ रहा है और दूसरा जिसमें माइग्रेशन मांगा गया है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हों ।

(3) आवेदक अभ्यर्थी ने प्रथम प्रोफेशनल आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ।

(4) आवेदक अभ्यर्थी माइग्रेशन के लिए, हर लिहाज से पूर्ण, अपना आवेदन प्रथम आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक (एम. बी. बी. एस.) परीक्षा उत्तीर्ण करने (परिणाम की घोषणा) के एक माह की अवधि के अन्दर सभी संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करता है ।

(5) आवेदक अभ्यर्थी यह उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र अवश्य प्रस्तुत करे कि वह स्थानांतरित आयुर्विज्ञान कालेज में द्वितीय प्रोफेशनल आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक (एम. बी. बी. एस.) परीक्षा देने से पूर्व 18 माह का निर्धारित अध्ययन करेगा/करेगी, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय जिसमें वह स्थानांतरण मांग रहा/रही है, के रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया जाएगा । शपथ-पत्र प्राप्त होने पर ही स्थानांतरण लागू होगा ।

टिप्पणी :

(1) अध्ययन के शेष लक्षण पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी आधार पर माइग्रेशन की अनुमति नहीं होगी ।

(2) कालेज प्राधिकारियों द्वारा माइग्रेशन के सभी आवेदन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को भेजे जाएंगे । कोई संस्थान/विश्वविद्यालय परिषद् के अनुमोदन के बिना सीधे माइग्रेशन की अनुमति नहीं देगा ।

(3) परिषद् को यह अधिकार होगा कि वह निम्न अनुकम्पा आधारों के अंतर्गत नहीं होने वाले किसी आवेदन पर गौर नहीं करे और उन मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके जहां आवेदक को परिषद् को आवेदन भेजे बिना माइग्रेशन की अनुमति दे दी गई है ।

टिप्पणी 2 : *अनुकम्पा आधार की कसौटी :

(1) पोषण संरक्षक की मृत्यु :

(2) अभ्यर्थी की रुग्णता के परिणामस्वरूप अक्षमता :

(3) आयुर्विज्ञान कालेज क्षेत्र में सरकार द्वारा घोषित अशान्त परिस्थितियां ।

7. प्रशिक्षण अवधि और समय-वितरण

(1) प्रत्येक विद्यार्थी आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों के लिए अपने अध्ययन के आरम्भ होने की तारीख से परीक्षा समाप्त होने की तारीख तक 9 सेमिस्टरों (अर्थात् प्रत्येक 6 माह की) में विधिवत् 4½ से अधिक वर्षों की प्रमाणित अध्ययन अवधि और तत्पश्चात एक वर्ष का अनिवार्य आवासी शिक्षा-काल परा करेगा । प्रत्येक सेमिस्टर में एक घन्टे के दोपहर-अवकाश सहित 8 घन्टे के प्रत्येक कालेज कार्य-समय के लगभग 120 अध्यापन दिन होंगे ।

(2) 4½ वर्षों की अवधि नीचे दिए अनुसार तीन चरणों में विभाजित की गई है :—

(क) चरण-1 (दो सेमिस्टर)—इसमें रोग लक्षण-पूर्व विषय (मानव शरीर रचना विज्ञान, जीव भौतिक सहित शरीर विज्ञान, जीव रसायन और मानविकी सहित सामुदायिक आयुर्विज्ञान का परिचय) शामिल हैं। मानविकी सहित सामुदायिक आयुर्विज्ञान के परिचय के लिए 60 घन्टों के अलावा शेष समय को शरीर रचना-विज्ञान और जीव-रसायन सहित शरीर-विज्ञान के बीच लगभग बराबर विभाजित किया जाएगा (शरीर विज्ञान 2/3 और जीव रसायन 1/3)।

(ख) चरण-2 (3 सेमिस्टर)—इसमें परा-रोग लक्षण/रोग लक्षण विषय शामिल हैं।

इस चरण के दौरान परा-रोग लक्षण और रोग लक्षण विषयों का अध्यापन साथ-साथ कराया जाएगा।

परा-रोग लक्षण विषयों में विकृति-विज्ञान, औषध-विज्ञान, सूक्ष्म-जीव विज्ञान, विषविज्ञान सहित न्यायालयिक आयुर्विज्ञान और सामुदायिक आयुर्विज्ञान का एक भाग शामिल है।

रोग लक्षण विषयों में नीचे चरण 3 में उल्लिखित सभी विषय शामिल होंगे।

परा-रोग लक्षण अध्यापन के समय में से विकृति-विज्ञान, औषध-विज्ञान, सूक्ष्म-जीव-विज्ञान और न्यायालयिक आयुर्विज्ञान और संयोजित सामुदायिक आयुर्विज्ञान (1/3 न्यायालयिक आयुर्विज्ञान और 2/3 सामुदायिक आयुर्विज्ञान) के लिए लगभग समान समय आवंटित किया जाए। परिशिष्ट-ग देखें।

(ग) चरण 3. (चरण-1 उत्तीर्ण करने के बाद सात सेमिस्टरों के लिए रोग लक्षण विषयों का समस्त अध्ययन)।

चरण 2 और 3 के दौरान पढ़ाए जाने वाले रोग लक्षण विषयों में आयुर्विज्ञान और इसकी सम्बद्ध विशेषताएं, शल्य-चिकित्सा और इसकी सम्बद्ध विशेषताएं, प्रसूति-विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान और सामुदायिक आयुर्विज्ञान शामिल हैं।

यहां उल्लिखित समय-अनुसूची के अनुसार रोग लक्षण अध्ययन समय के अलावा शेष अध्यापन के घन्टों को विभिन्न विषयों में शिक्षात्मक व्याख्यानों, प्रदर्शनों, गोष्ठियों, ग्रुप-चर्चा आदि में विभाजित किया जाए। समय-विभाजन परिशिष्ट-ग के अनुसार किया जाएगा।

आयुर्विज्ञान और इसकी सम्बद्ध विशेषज्ञता प्रशिक्षण में सामान्य आयुर्विज्ञान, बाल चिकित्सा, यक्ष्मा और वक्ष, चर्म और लैंगिक संचारित रोग मनो-विकृति-संबंधी, विकिरण-निदान, संक्रामक रोग आदि शामिल होंगे। शल्य-चिकित्सा और इसकी सम्बद्ध विशेषताओं में सामान्य शल्य-चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास सहित विकलांग-शल्य-चिकित्सा, नेत्र-विज्ञान, कर्ण-नासा कंठ विज्ञान, निश्चेतनता, दन्त चिकित्सा, विकिरण-चिकित्सा आदि शामिल होंगी। प्रसूति-विज्ञान और स्त्री-रोग विज्ञान प्रशिक्षण में परिवार आयुर्विज्ञान, परिवार नियोजन आदि शामिल होंगे।

(3) प्रथम 2 सेमिस्टर (लगभग 240 अध्यापन दिन) में चरण-1 (पूर्व रोग लक्षण) विषय और स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने वाली आयुर्विज्ञान शिक्षा के परिप्रेक्ष्य की व्यापक बोधता के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा किसी भी विद्यार्थी को चरण-2 (परा-रोग-लक्षण/रोग लक्षण) ग्रुप विषयों में शामिल होने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि वह चरण-1 (पूर्व रोग लक्षण) के सभी विषय उत्तीर्ण नहीं कर लें जिसके लिए उसे पंजीयन की तारीख से तीन वर्षों में चार अवसर पूरे करने की शर्त के अधीन चार से अधिक अवसर (वास्तविक परीक्षा) नहीं दिए जाएंगे।

(4) पूर्व-रोग लक्षण विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् 1½ वर्ष (3 सेमिस्टर) परा-रोग लक्षण विषयों से संबंधित होंगे।

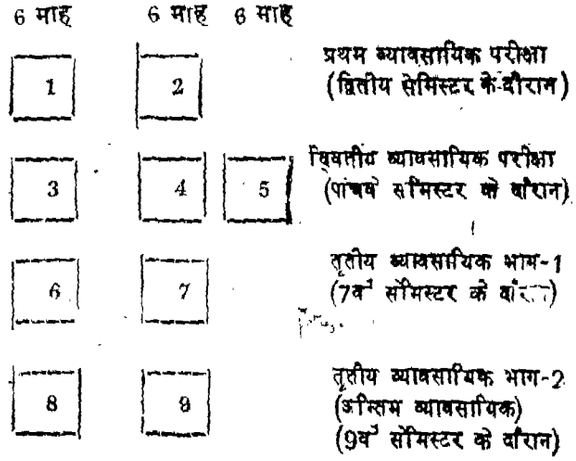
चरण-2 रोग लक्षण प्रशिक्षण के साथ परा-रोग लक्षण और रोग-लक्षण विषयों से संबंधित होंगे। रोग-लक्षण चरण (चरण-3) के दौरान पूर्व-रोग लक्षण और परा-रोग लक्षण अध्यापन संगत होने पर रोग लक्षण विषयों के अध्यापन में समाकलित होगा।

(5) शिक्षात्मक व्याख्यान समय-अनुसूची के एक तिहाई से अधिक नहीं होने चाहिए, दो तिहाई अनुसूची में प्रयोग, रोग लक्षण अथवा/और समूह चर्चा शामिल होनी चाहिए। शिक्षा-प्राप्ति प्रक्रिया में जीवन्त अनुभव, समायामूलक अध्यापन, केस अध्ययन और सामुदायिक स्वास्थ्य देखरेख गतिविधियां शामिल होने चाहिएं।

(6) विश्वविद्यालय प्रवेश-समय और प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार तय करें कि प्रथम सेमिस्टर प्रत्येक वर्ष के 1 अगस्त को आरम्भ हो जाए।

(7) पूरक परीक्षा 6 महीने के अन्दर आयोजित की जाए ताकि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी मुख्य बैच में शामिल हो सकें और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अगली वर्ष में परीक्षा देनी होगी।

8. चरण-वितरण और परीक्षा-समय



टिप्पणी :—

(क) खण्ड-2 प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रथम व्यावसायिक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।

(ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को तृतीय व्यावसायिक भाग-1 परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषय उत्तीर्ण नहीं कर लेता ।

(ग) 8वें और 9वें सेमिस्टर प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व तृतीय व्यावसायिक (भाग-1) परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है । परन्तु तृतीय व्यावसायिक (भाग-2) परीक्षा का पात्र होने के लिए तृतीय व्यावसायिक (भाग-1) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।

तीसरे से 9वें सेमिस्टर के दौरान, पूर्व कक्षा के लिए आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा में रोग लक्षण विधियों में प्रत्येक में दो सप्ताह के प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के पश्चात् विभिन्न विभागों के लिए नीचे दी गई सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट तीन घन्टे की अवधि के रोग लक्षण प्रशिक्षण का सुझाव दिया जाता है ।

सारणी

कुल विषय	तृतीय सत्र (सप्ताह)	चतुर्थ सत्र (सप्ताह)	पांचवां सत्र (सप्ताह)	छठा सत्र (सप्ताह)	सातवां सत्र (सप्ताह)	आठवां सत्र (सप्ताह)	नौवां सत्र (सप्ताह)	कुल (सप्ताह)
सामान्य*** चिकित्सा शास्त्र	6	—	4	—	4	6	6	26
बाल रोग	—	2	—	2	2	4	—	10
क्षय रोग तथा छाती रोग	—	2	—	—	—	—	—	02
चर्म तथा लैंगिक संचारित रोग	—	2	—	2	—	2	—	06
मनोरोग विज्ञान	—	—	2	—	—	—	—	02
विकिरण चिकित्सा विज्ञान*	—	—	—	—	2	—	—	02
सामान्य**** शल्य चिकित्सा	6	—	4	—	4	6	6	26
विकलांग** विज्ञान	—	—	4	4	—	—	2	10
नेत्र विज्ञान	—	4	—	4	—	—	2	10
कान, नाक तथा गला	—	4	—	4	—	—	—	08
परिवार***** कल्याण योजना सहित प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान	2	4	4	—	4	4	6	24
समुदाय औषध	4	4	—	4	—	—	—	12
रूमेटोलॉजी	—	—	—	2	—	—	—	02
दन्त चिकित्सा	—	—	—	—	2	—	—	02
कुल (सप्ताहों में)	18	22	18	22	18	22	22	142

— औषध तथा शल्य-चिकित्सा में सम्पूर्ण कक्षा के लिए क्लीनिकल पद्धति तीसरे सत्र के आरम्भ में क्रमशः दो सप्ताह प्रत्येक की होगी ।

* जहां उपलब्ध होने पर इसमें एक्सरे यांत्रिक तथा विकिरण चिकित्सा सम्मिलित है ।

** इसमें पुनर्वास तथा व्यावसायिक चिकित्सा सम्मिलित है ।

*** इसमें प्रयोगशाला चिकित्सा शास्त्र तथा संक्रामक रोग सम्मिलित है ।

**** इसमें मरहम-पट्टी तथा निश्चेतनता विज्ञान सम्मिलित है ।

***** इसमें प्रसूति प्रशिक्षण तथा परिवार चिकित्सा सम्मिलित है तथा तृतीय सत्र में परिवार कल्याण योजना होगी ।]

तीसरा अध्याय

पाठ्यक्रम (विषय-वार)

9. पूर्व-क्लीनिकल विषय-चरण-1 : इन विषयों को पढ़ाने में उनके व्यावहारिक पहलुओं पर जोर देते हुए इन विषयों के आधारभूत सिद्धान्तों पर अधिक जोर दिया जाएगा ।

(1) मानव शरीर रचना

(1) लक्ष्य :

स्नातक पूर्व विद्यार्थियों को शरीर रचना विज्ञान पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य स्थूलकाय तथा सूक्ष्मदर्शनी संरचना तथा मानव शरीर के विकास के लिए अंगों के क्लीनिकल परस्पर संबंध को समझने के लिए आधार उपलब्ध करना तथा रोग प्रस्तुतीकरण के लिए शरीर रचना विज्ञान का आधार समझना है ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित के संबंध में समर्थ होगा :—

(क) शरीर की विभिन्न संरचनाओं में सामान्य स्थिति, क्लीनिकल रूप में परस्पर सम्बन्ध, कार्यात्मक और प्रतिनिधि शरीर रचना विज्ञान को समझना ।

(ख) विभिन्न अंगों तथा उतकों की सूक्ष्मदर्शी संरचना की पहचान करना तथा प्रारम्भिक शल्य-संरचना के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना और विभिन्न रोग प्रक्रियाओं में परिवर्तित स्थिति को समझने के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में संरचना का कार्यों के साथ संबंध स्थापित करना ।

(ग) अंगों तथा प्रणाली के समाकलित तथा नियंत्रक कार्यों का विश्लेषण करने के लिए केन्द्रीय स्नायुतंत्र प्रणाली की आधारभूत संरचना और सम्बन्धों को समझना पायी गई कमियों के अनुसार वह स्थूलक्षति के स्थान का पता लगाने में समर्थ होगा/होगी ।

(घ) अंगों और प्रणालियों के आधारभूत सिद्धान्तों तथा आनुक्रमिक विकास के ज्ञान को प्रदर्शित करना, विकास तथा सामान्य टेराटोजेन, आनुवंशिक परिवर्तन तथा पर्यावरणीय जोखिम के प्रभाव की समीक्षात्मक स्थितियों की पहचान करना । वह प्रमुख भिन्नताओं तथा विषमताओं के विकासात्मक आधार को स्पष्ट करने में समर्थ होगा/होगी ।

(ख) कार्य-कुशलता :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित को समझ पाएगा ।

(क) शरीर की पूरी संरचना को समझना और पता लगाना तथा जीवित मानव शरीर की स्थूल आकृति को चिन्हित करना ।

(ख) सूक्ष्मदर्शी यंत्र में अंगों तथा उतकों की पहचान करना ।

(ग) क्रोमोटाइपिंग के सिद्धांतों को समझना तथा जन्मजात स्थूलकाय विषमताओं की पहचान करना ।

(घ) नयी काल्पनिक तकनीकों के सिद्धान्तों को समझना तथा कम्प्यूटरीकृत टामोग्राफी (सी.टी.) सोनाग्राम आदि की व्याख्या करना ।

(ङ) कुछेक सामान्य नैदानिक प्रक्रियाओं के नैदानिक आधार, अर्थात् अन्तःपेशी तथा अन्तःशिरा इंजेक्शन । कथिटेराइजेशन तथा गुर्दा बायाप्सी आदि को समझना ।

(ग) समाकलन

अन्य आधारभूत विज्ञानों के समाकलित शिक्षण से विद्यार्थी शरीर में अंगों और प्रणालियों के कार्यों के नियंत्रण और समाकलन को समझ सकेगा और इस प्रकार रोग प्रक्रिया के शरीर-रचना-विज्ञान आधार की व्याख्या कर सकेगा ।

(2) जीव-भौतिकी सहित मानव शरीर क्रिया विज्ञान

(क) शरीर क्रिया विज्ञान

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को स्वास्थ्य तथा रोग के शरीर क्रिया विज्ञान आधार को समझने में सुविधा के लिए शरीर की अंग प्रणालियों के सामान्य कार्यों की व्यापक जानकारी करना है ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित को समझ सकेगा ।

(1) सम्पूर्ण अंग प्रणालियों के सामान्य कार्य की व्याख्या और भली-भांति समंकित पूरे शरीर के कार्य के लिए परस्पर संबंध की व्याख्या ।

(2) प्रत्येक अंग प्रणाली के आन्तरिक परिवेश में सुलनामक अंशदान का निर्धारण ।

(3) सामान्य बढ़त और विकास के शारीरिक पहलुओं को स्पष्ट करना ।

(4) शारीरिक प्रतिक्रिया तथा पर्यावरणीय दबाव में अनुकूलन को स्पष्ट करना ।

(5) रोगजनन तथा रोग के उपचार पर प्रकाश डालते हुए शारीरिक सिद्धान्तों को दर्ज करना ।

(ख) कार्य-कुशलता :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित समझ पायेगा :

(1) शारीरिक घटना के अध्ययन के लिए तैयार किए गए प्रयोगों का संचालन ।

(2) प्रायोगिक/अन्वेषणात्मक आंकड़ों की व्याख्या ।

(3) ऐसे परीक्षण के फलस्वरूप प्राप्त सामान्य और असामान्य आंकड़ों के बीच अन्तर जो उसने प्रयोगशाला में किए हैं ।

(ग) समाकलन :

समाकलित अध्ययन की समाप्ति पर विद्यार्थी अंग संरचना तथा इनके कार्य और इसकी नियंत्रक प्रक्रिया का समेकित ज्ञान उपार्जित कर सकेगा ।

(ख) जीव-भौतिकी

(क) लक्ष्य तथा उद्देश्य :

स्नातक पूर्व विद्यार्थियों को जीव-भौतिकी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे शरीर तंत्रों के कार्य करने में सामान्य तथा बीमारी की स्थितियों में निहित आधारभूत भौतिक सिद्धान्तों को समझ सकें ।

जीव-भौतिकी पढ़ाई के लिए कुल समय	=	5 घंटे
जिसमें से : 1. शिक्षात्मक व्याख्यान	=	3 घंटे
2. शैक्षिक/सामूहिक चर्चा	=	1 घंटा
3. प्रायोगिक	=	1 घंटा

(ख) विषय वितरण :

(1) व्याख्यान :

(1) कोशिका झिल्लियों के पार तथा कोशिका दीवार के पार बाहित भौतिक सिद्धान्त ।

(2) जीवन्त शक्ति ।

(3) हृद तथा रक्त शिराओं में रक्त प्रवाह से संबंधित भौतिक सिद्धान्त तथा वायु वाले स्थानों में वायु बहाव से संबंधित भौतिक सिद्धान्त ।

(2) शैक्षिक/सामूहिक चर्चा : शिक्षात्मक व्याख्यान में सम्मिलित व्याख्यान ।

(3) प्रायोगिक :

निम्नलिखित का प्रदर्शन :

(क) ऑसिलोस्कोप पर जीवन शक्ति

(ख) विद्युत मस्तिष्क लेख (इ. ई. जी.)

(ग) विद्युत माइलोग्राम (इ. एम. जी.)

(घ) विद्युत हृद-लेख (इ. सी. जी.)

(3) जीवरसायन

जीवरसायन में चिकित्सा भौतिकी तथा आणविक जीव विज्ञान सम्मिलित हैं ।

(1) लक्ष्य :

जीवरसायन में स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आणविक स्तर पर उन्हें जीव प्रक्रिया के वैज्ञानिक आधार समझाना तथा रोग-नैदानिक समस्याओं को हल करने के लिए अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने में प्रवीण बनाना है ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित को समझ पायेगा :

(1) किसी कोशिका के आणविक तथा कार्यात्मक संगठन का वर्णन और इसके उपकोशिकीय घटकों को दर्ज करना;

(2) जीव अणु संरचना, कार्य तथा परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या और सामान्य से भिन्नता के परिणाम;

(3) एन्जाइमिकी के मूलभूत पहलुओं का प्रस्तुतीकरण और जहां एन्जाइम संबंधी गतिविधि के नियंत्रण में परिवर्तन को वहां उसकी नैदानिक उपयोगिता;

(4) पोषक तत्वों के पाचन तथा स्वांगीकरण और कुपोषण के परिणाम का स्पष्ट करना;

(5) क्षयापचय के विभिन्न पहलुओं और उनके नियंत्रक मार्गों को समाकलित करना ।

(6) वंशज अवस्था और उसमें जुड़े हुए प्रभावों का जीव-रसायन आधार स्पष्ट करना;

(7) शरीर की फल्यड और पी. एच. धातुसाम्य के पोषण से संबंधित तंत्र का विवरण करना;

(8) जीन अभिव्यक्ति तथा नियंत्रण की आणविक तंत्र तैयार करना, आनुवंशिक इंजीनियरी के सिद्धान्त और आयुर्विज्ञान में उन्हें लागू करना;

(9) शारीरिक प्रतिरोध की आणविक कल्पना को स्पष्ट करना और आयुर्विज्ञान में उसे लागू करना;

(10) पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम के जीवरसायन आधार और कैंसर तथा कैंसरजनक स्थिति का जीव-रसायन आधार तैयार करना ।

(11) विभिन्न परम्परागत तथा विशेषज्ञता प्रयोगशाला जांच के सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त करना और उपकरणों का विश्लेषण तथा उपलब्ध आंकड़ों की व्याख्या करना;

(12) सैद्धांतिक परिकल्पना तथा क्लीनिकल रोग निदान के समर्थन में प्रयोगों का सुझाव देना ।

(ख) कार्यकुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित समझ पाएगा :—

(1) क्लीनिकल स्क्रीनिंग तथा रोग निदान से सम्बद्ध जीव-रसायन विश्लेषण तैयार करने के लिए परम्परागत तकनीकों/उपकरणों का प्रयोग करना ।

(2) जांच संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण तथा व्याख्या करना।

(3) नैदानिक तथा क्लीनिकल समस्याओं को हल करने की कार्यकुशलता प्रदर्शित करना और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना ।

(ग) समाकलन

जीव-रसायन में अर्जित ज्ञान से विद्यार्थियों को मानव-शरीर की संरचना तथा कार्य के साथ स्वास्थ्य तथा रोग में आणविक घटनाओं को समाकलित करने में सहायता मिलेगी ।

(4) मानव-विज्ञान तथा समुदाय आयुर्विज्ञान परिचय :

इसमें जनपद विज्ञान, स्वास्थ्य, आर्थिकी, औषध, समाज-विज्ञान, अस्पताल प्रबंध, मनोविज्ञान सहित व्यवहार संबंधी विज्ञान विषयों का परिचय शामिल है ।

उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

विद्यार्थी निम्नलिखित की योग्यता प्राप्त कर सकेगा :

(1) जन-सांख्यिकीय, जनसंख्या, गतिशीलता सहित समाज-विज्ञान के साधनों की व्याख्या ।

(2) शहरी तथा ग्रामीण समाज के सन्दर्भ में स्वास्थ्य, रोग तथा अपंगता से संबंधित सामाजिक घटकों की पहचान।

(3) स्वास्थ्य तथा रोगों पर शहरीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन ।

(4) सामुदायिक व्यवहार की बदलती हुई स्थिति को ध्यान में रखने तथा उसकी व्याख्या करना ।

(5) सामान्य मनोविज्ञान तथा सामाजिक मनोविज्ञान के घटकों का विवरण करना ।

(6) अस्पताल तथा समुदाय स्थिति में औषध को व्यवहार में लाने के सिद्धांत को समझना ।

(ख) कार्यकुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित का लाभ उठा सकेगा :—

(1) अस्पताल तथा समुदाय स्थिति में औषद को व्यवहार में लाने के सिद्धांत तथा प्रारम्भिक परिचर्या व्यवहार की जानकारी ।

(2) रोगियों के पूर्व इतिहास की जानकारी तथा औषध सामाजिक कार्य हासिल करने के साथ-साथ रोगियों के साथ बातचीत करने की कला की जानकारी ।

सामुदायिक औषध के शिक्षण में सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल होंगे । प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यावहारिक पहलुओं में स्वास्थ्य स्थापनाओं के दौरे और ऐसे समुदाय के बीच दौरे शामिल होंगे जहां स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम चल रहे हों ।

प्रशिक्षण के इस चरण में शुरू किए जाने वाले सामुदायिक औषध विज्ञान की मूल कल्पना विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्पष्ट करने की दृष्टि से यह सुझाव दिया जाता है कि तैयार किए जाने वाले विस्तृत पाठ्य विवरण में व्याख्यान, प्रदर्शन, गोष्ठियों आदि के लिए कम-से-कम 30 घन्टे और इसके साथ ही प्रत्येक दो घन्टे के कम-से-कम 15 वीजिट शामिल किए जाएंगे ।

10 चरण-2 के परा-क्लीनिकल विषय

(1) विकृति-विज्ञान :

(1) लक्ष्य :

विकृति विज्ञान में पूर्व-स्नातक विद्यार्थी को शिक्षण का मुख्य लक्ष्य उन्हें बीमारी के तंत्र और कारणों को व्यापक जानकारी करना है ताकि वे रोग के प्राकृतिक स्थिति तथा क्लीनिकल स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें ।

(2) उद्देश्य :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित समझ पाएगा :—

(1) बीमारी कोशिका की संरचना तथा अल्ट्रा-संरचना का विवरण, कोशिका प्रजनन का तंत्र, कोशिका मृत होना तथा उसकी मरम्मत एवम् संरचनात्मक तथा कार्य प्रवर्तनों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा ।

(2) धातु-साम्य के पोषण को नियंत्रित करने वाली चिरकारी शरीर क्रिया सम्बन्धी प्रक्रिया को स्पष्ट करना, उनके विघटन को स्पष्ट करना और इससे सम्बद्ध आकृतिक तथा क्लीनिकल स्थितियों को स्पष्ट करना ।

(3) चोट की उत्तक अनुक्रिया तंत्र और पद्धति का विवरण ताकि वह रोग प्रक्रिया की चिरकारी क्रिया और उसकी क्लीनिकल स्थिति का मूल्यांकन कर सके ।

(4) रोग प्रक्रियाओं और उनके क्लीनिकल महत्व को समझने के लिए आवश्यक सीमा तक सामान्य रोगों में विभिन्न अंग प्रणालियों की सामान्य तथा परिवर्तित मोरफोलोजी (अस्पष्ट तथा सूक्ष्मदर्शी) का प्रयोग संबंध ।

(ख) कार्य-कुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित समझ पाएगा :—

(1) रोग नैदानिक प्रयोगशाला परीक्षणों की तकनीकी कार्यविधियों के युक्तिकरण तथा सिद्धान्तों का विवरण और परिणाम की विवेचना ।

(2) रक्त, मूत्र तथा अन्य जीव-रसायनिक फ्लूइड नमूनों के साधारण शैय्या पर परीक्षण करना ।

(3) सामान्य अव्यवस्थाओं के कारणों का रोग निदान तथा प्रबन्ध करने की दृष्टि से जांच की तर्कसंगत योजना तैयार करना ।

(4) जीव-रसायनिक शारीरिक विघटन की ऐसी स्थिति को समझना जो पूर्व-क्लीनिकल विभागों के सम्पर्क में रोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं ।

(ग) समाकलन :

प्रशिक्षण की समाप्ति पर वह रोग के कारणों को समाकलित कर सकेगा/सकेगी तथा भारत में आमतौर पर होने वाले रोगों

के प्राकृतिक इतिहास के लिए आवश्यक होने वाली विभिन्न हेतुकीय कारकों (सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी) का सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा ।

(2) सूक्ष्म जीव-विज्ञान

(1) लक्ष्य :

स्नातक पूर्व विद्यार्थियों को सूक्ष्म जीव-विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य संक्रमण रोग के नैसर्गिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना है ताकि जनसमूह में संक्रमणों की हेतुकी, रोगजनन, प्रयोगशाला निदान, उपचार तथा नियंत्रण से संबंधित कार्य कर सकें ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित समझ सकेगा :—

(1) मानव शरीर की संक्रामक सूक्ष्म-जीव की स्थिति तथा बाह्य परजीवी संबंध का विवरण ।

(2) रोगजनन सूक्ष्म-जीव (बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, फांगी) का पता लगाना और उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के रोगजनन का विवरण;

(3) रोगजनन तथा अवसरवादी जीव के संचारण की स्थिति तथा उल्लेख और संक्रमण के संचारण के लिए जिम्मेदार कीट रोगवाहक सहित उनका स्रोत;

(4) संक्रमण से प्रतिरोधी प्रक्रिया का विवरण;

(5) संक्रमण के उपचार के लिए उपयुक्त सूक्ष्म जीव रोधी एजेन्टों का ज्ञान अर्जित करना और संचारणशील रोगों की रोकथाम के लिए उपलब्ध प्रतिरक्षा चिकित्सा तथा विभिन्न वैक्सीनों का कार्यक्षेत्र ।

(6) अस्पताल तथा समुदाय अर्जित रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम लिए संक्रमण हरण तथा संक्रमण की विधियां लागू करना;

(7) खाद्य-सामग्री, जल, दूध तथा वायु के जीवाणु-विज्ञान परीक्षा के संबंध में प्रयोगशाला जांच-पड़ताल की सिफारिश करना ।

(ख) कार्य-कुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) संक्रामक रोगों के निदान के लिए प्रयोगशाला जांच-पड़ताल की योजना तथा व्याख्या और हेतुकी एजेन्ट के साथ क्लीनिकल विविधताओं से तालमेल करना;

(2) प्रयोगशाला कार्यविधियों की सहायता से सामान्य संक्रामक एजेन्टों की पहचान करना और उपयुक्त सूक्ष्म जीव निरोधक एजेन्टों का चयन करने के लिए सूक्ष्म जीव निरोधक संवेदनशीलता परीक्षणों का प्रयोग करना;

(3) संक्रामक एजेन्टों का पता लगाने के लिए आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले बिस्तर-पर-परीक्षण करना, जैसे कि मलेरिया, फायलेरिया, ग्राम अभिरंजन तथा अम्ल स्थायी दण्डाणु (ए. एफ. बी.) अभिरंजन और डिम्ब सिस्ट आदि के लिए मल नमूना ।

(4) सूक्ष्म जीव विज्ञान संबंधी जांच-पड़ताल के लिए क्लीनिकल सामग्री के संग्रहण, भंडारण और परिवहन के सही पद्धति का प्रयोग ।

(ग) समाकलन :

विद्यार्थी क्लीनिकल, चिकित्सीय तथा निरोधक पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय महत्व के संक्रामक रोगों को समझ सकेगा ।

(3) फार्माकोलॉजी

(1) लक्ष्य :

स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के फार्माकोलॉजी के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य चिकित्सा शास्त्र के तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) अनिवार्य तथा आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधियों की भैषज बलगतिकी तथा भैषज क्रिया विज्ञान का विवरण;

(2) आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधियों के संकेत, विपरीत संकेत, अन्योन्य क्रिया तथा प्रतिकूल प्रतिक्रिया की स्थिति की जानकारी;

(3) औषधि की लागत उपयुक्तता और निम्नलिखित के सम्बन्ध में सुरक्षा पर विचार करते हुए किसी विशेष बीमारी में उपयुक्त औषधि के प्रयोग का उल्लेख करना :—

(1) व्यक्तिगत आवश्यकता;

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत जन-साधारण की चिकित्सा ।

(4) विष देने के आम मामलों के भेषज क्रिया विज्ञान आधार, क्लीनिकल प्रस्तुतीकरण, रोग निदान तथा प्रबंध का उल्लेख करना;

(5) व्यसनकारी औषधियों का पता लगाना और उनके प्रबंध की सिफारिश करना;

(6) पर्यावरणीय और व्यावसायिक प्रदूषण का वर्गीकरण करना और प्रबन्ध मुद्दों का उल्लेख करना;

(7) विशेष चिकित्सा स्थितियों जैसे कि गर्भावस्था, स्तनय श्रवण (लैक्टेशन) बाल्य अवस्था तथा वृद्धा-अवस्था में औषधियों की सलाह देने में सावधानियों का उल्लेख करना;

(8) क्लीनिकल औषध विज्ञान में तर्कसंगत औषध चिकित्सा शास्त्र की कल्पना का समाकलन;

(9) "अनिवार्य औषधियों" की कल्पना से संबंधित सिद्धान्तों का उल्लेख करना;

(10) नयी औषधियों के विकास तथा प्रचलन में अंतग्रस्त नैतिक शास्त्र और विविधताओं का मूल्यांकन करना ।

(ख) कार्य-कुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर निम्न कार्य करने योग्य हो सकेगा :—

(1) आम बीमारियों के लिए औषधियों की सलाह देना;

(2) आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधियों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया और अन्तर्यन क्रिया का पता लगाना;

(3) औषधियों, जैव-आमापन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तैयार किए गए प्रयोगों का अनुपालन करना और प्रायोगिक आंकड़ों की व्याख्या करना ।

(4) आम भेषजिक उत्पादों पर सूचना का विवेचन करना और औषध विनिर्माण का तर्कसंगत मूल्यांकन करना;

(ग) समाकलन :

क्लीनिकल विभागों तथा पूर्व-क्लीनिकल विभागों में समाकलित शिक्षण के माध्यम से क्लीनिकल व्यवसाय में औषधियों के प्रयोग का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा ।

(4) विष-विज्ञान सहित न्याय संबंधी चिकित्सा :

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को न्याय सम्बन्धी चिकित्सा के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य ऐसा चिकित्सक तैयार करना है जो औषधियों के व्यवसाय में चिकित्सा न्यायिक जिम्मेदारियों के बारे में भलीभांति परिचित हो । वह आपराधिक मामलों में सही मार्ग अपनाने और इससे सम्बद्ध चिकित्सा न्यायिक समस्याओं की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में सही धारणा बनाने तथा तर्कसंगत आधार पर सही निष्कर्ष निकालने में भी समर्थ हो सकेगा/सकेगी । वह चिकित्सा व्यवसाय, चिकित्सीय उपेक्षा के संबंध में विधि का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा/सकेगी और चिकित्सा आचार संहिता के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास हो पाएगा ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) अस्पताल तथा सामान्य व्यवसाय के बुनियादी चिकित्सा न्याय पहलुओं की पहचान;

(2) किसी ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अथवा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पर सामुदायिक सेवा करने के दौरान सामान्य चिकित्सक की चिकित्सा न्याय जिम्मेदारियों की व्याख्या;

(3) आपराधिक मामलों में चिकित्सक की जिम्मेदारी का मूल्यांकन और चिकित्सा आचार-संहिता के प्रति श्रद्धा की भावना;

(4) आमतौर पर जटिल तथा पेचीदा विष देने से संबंधित मामलों का निदान, प्रबन्ध तथा इसके विधिक पहलुओं की पहचान;

(5) आम अप्राकृतिक परिस्थितियों तथा विष देने के कारण मृत्यु के मामलों में शव परीक्षा की चिकित्सा न्यायिक पहलुओं और निष्कर्षों की व्याख्या;

(6) व्यावसायिक तथा पर्यावरणीय विष देने के मामलों का पता लगाना, आम विष देने के मामलों की रोकथाम तथा जानपदिक रोग विज्ञान और विशेष रूप से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम से संबंधित उसके कानूनी पहलुओं का पता लगाना;

(7) विश्लेषणात्मक विष विज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों की व्याख्या ।

(ख) कार्य-कुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) आपराधिक मामलों और चिकित्सा न्यायिक समस्याओं में जांच प्रारम्भ करने की दृष्टि से अभ्युक्तियां करना और तर्कसंगत आधार तैयार करना;

(2) विष देने से संबंधित मामलों और चिरकारी विषाक्तता में आम आपात स्थितियों में रोग निदान तथा उपचार;

(3) शव परीक्षा पर अभ्युक्तियां करना और निष्कर्ष की व्याख्या करना;

(4) इस व्यवसाय में कार्य करने में चिकित्सा आचार के सिद्धान्तों का अनुपालन ।

(ग) समाकलन :

स्वास्थ्य देखरेख के सभी स्तरों पर चिकित्सकों की चिकित्सा न्यायिक जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए विभाग विकृति-विज्ञान, रेडियोलाजी, न्यायसम्बन्धी विज्ञान, अस्पताल प्रशासन आदि जैसी सम्बद्ध विधाओं के प्रति समाकलित दृष्टिकोण की व्यवस्था करेगा । सम्बद्ध विधाओं के साथ समाकलन से नैदानिक विष विज्ञान, अर्थात् औषध, फार्माकालाजी आदि का वैज्ञानिक आधार सुलभ होगा ।

(5) सामुदायिक औषध :

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को सामुदायिक औषध में शिक्षण का मुख्य लक्ष्य उन्हें समुदाय के रूप में कार्य करने और संस्थागत लक्ष्यों के अनुसार प्रथम स्तर का चिकित्सक बनाने के लिए तैयार करना है ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) देश में अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास सहित स्वास्थ्य देखरेख प्रदाय प्रणाली की व्यवस्था;

(2) मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों, परिवार कल्याण योजना तथा जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष जोर देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यवस्था;

(3) जानपदिक प्रणालियां विकसित करना और समुदाय अथवा अस्पताल की स्थिति में संक्रामक तथा गैर-संक्रामक रोगों पर उन्हें लागू किए जाने की स्थिति का उल्लेख करना;

(4) जीव-सांख्यिकीय प्रणालियों तथा तकनीकों को लागू करना;

(5) देश का जन सांख्यिकीय आधार तैयार करना और स्वास्थ्य तथा रोगों में व्यक्तियों, परिवार, समुदाय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश की भूमिका का महत्व समझना;

(6) स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों का उल्लेख करना;

(7) "सभी के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के सिद्धान्तों और घटकों का विवरण तैयार करना;

(8) पर्यावरणीय और व्यावसायिक जोखिमों की शिनाख्त करना और उनका नियंत्रण;

(9) मानव स्वास्थ्य में जल तथा सफाई के महत्व की व्याख्या करना;

(10) समुदाय के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सांख्यिकीय, स्वास्थ्य प्रशासन, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धान्तों को समझना ।

(ख) कार्य-कुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ हो जाना चाहिए :—

(1) समुदाय तथा वैयक्तिक रोगी हस्तक्षेप से सम्बन्ध तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए जानपदिक विज्ञान का एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में प्रयोग;

(2) साधारण सामुदायिक तथा अस्पताल आधारित आंकड़े एकत्र करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना और उन्हें प्रस्तुत करना;

(3) विद्यमान सामाजिक-सांस्कृतिक विश्वासों के संदर्भ में मौजूदा स्वास्थ्य देखरेख साधनों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का निदान तथा प्रबन्ध और वैयक्तिक, परिवार तथा समुदाय के स्तर पर आपात स्थितियों का निदान तथा प्रबन्ध;

(4) मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य समस्याओं के निदान तथा प्रबन्ध और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विवाहित दम्पति को तथा समुदाय को उपलब्ध परिवार कल्याण योजना प्रणालियों पर सलाह देना;

(5) वैयक्तिक तथा सामुदायिक स्तर पर सामान्य पोषण की समस्याओं का निदान तथा प्रबन्ध;

(6) सरल दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करने की कार्य-कुशलता के साथ स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों की योजना तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना और उनका मूल्यांकन करना;

(7) स्वास्थ्य देखरेख दल के अन्य सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करना और स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के संगठन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना ।

(ग) समाकलन :

पर्यावरण अथवा समुदाय में बीमारी और वैयक्तिक स्वास्थ्य के कारण के बीच विश्लेषण की क्षमता विकसित करना और इस प्रयोजन के लिए उपचारात्मक उपाय स्थापित करने की मौलिक योग्यता के साथ अग्रसर होना ।

11. चरण 2 तथा चरण 3 के क्लीनिकल विषय

क्लीनिकल विषयों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण चरण 2 के प्रारम्भ में शुरू किया जाएगा तथा पूरे चरण 3 में चलता रहेगा ।

क्लीनिकल विषय एम.बी.बी.एस. स्नातक को व्यवसायी के स्तर पर क्लीनिकल समस्याओं को समझने तथा उनका प्रबन्ध करने में तैयार करने के लिए पढ़ाए जाएंगे । विषय-वस्तु का शिक्षण सामान्य चिकित्सक से अपेक्षित अभिविन्यास तथा ज्ञान तक सीमित होगा । सभी क्लीनिकल विषय क्षेत्रों में सामान्य व्यवसाय में आने वाली सर्वाधिक आम तथा महत्वपूर्ण स्थितियों के निदान तथा प्रबंध की ओर अधिकतम ध्यान देने पर जोर दिया जाना चाहिए। क्लीनिकल कार्य के दौरान बहिरंग तथा अन्तरंग रोगी दोनों पर क्लीनिकल विषयों में अनुदेश दिए जाने चाहिएं ।

प्रत्येक क्लीनिकल विभाग में पूर्व-क्लीनिकल, परा क्लीनिकल तथा अन्य क्लीनिकल विभागों पर समाकलित शिक्षण देने की व्यवस्था होगी ताकि विद्यार्थी अध्ययन के प्रत्येक क्लीनिकल क्षेत्र से सम्बद्ध विषय-विद्या की व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकें । बुनियादी सामाजिक विज्ञानों पर आधारित समस्यामूलक पद्धति पर जोर दिया जाएगा तथा प्रत्येक क्लीनिकल स्थिति को अधिकतम समझने तथा प्रबन्ध करने के लिए क्लीनिकल तथा प्रयोगशाला अक्षर विज्ञान की निरन्तरता पर जोर दिया जाएगा ।

पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे

(1) आयुर्विज्ञान तथा इसकी सम्बद्ध विशेषताएं :

(क) आयुर्विज्ञान :

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को आयुर्विज्ञान में शिक्षण का मुख्य लक्ष्य प्रथम सम्पर्क चिकित्सक के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए यथा-अपेक्षित ज्ञान, कार्यकुशलता तथा व्यवहार स्थिति विकसित करना है ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) संक्रामक रोगों, पोषण संबंधी विकारों, पोषण तथा पर्यावरणीय बीमारियों के विशेष संदर्भ में आम क्लीनिकल विकारों का निदान;

(2) औषध चिकित्सा शास्त्र विशेष रूप से मात्रा, इतर प्रभाव, विषालुता, अन्योन्य क्रिया, निर्देश तथा प्रति-निर्देश सहित प्रबन्ध की विभिन्न प्रणालियां तैयार करना;

(3) नैदानिक तथा जांच संबंधी कार्यविधियां प्रस्तावित करना तथा उनकी व्याख्या करने की योग्यता;

(4) गंभीर आपात स्थिति में शीघ्रतापूर्वक तथा प्रभावशाली रूप में प्रथम स्तरीय प्रबन्ध की व्यवस्था करना और अपेक्षित होने पर निदेशन के समय और स्तर का निर्णय करना;

(5) जरा-चिकित्सा विकारों की पहचान करना और उनका प्रबन्ध ।

ख. कार्य-कुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) विभिन्न प्रकार के आम चिकित्सीय विकारों और आपात स्थितियों में निदान के लिए क्लीनिकल कार्य-कुशलता (इतिवृत्त तैयार करना, क्लीनिकल परीक्षा और परीक्षा के अन्य उपकरण) का विकास;

(2) प्राथमिकता देखरेख सुलभ करने के बाद रोगी को द्वितीय और/या तृतीय स्तर की स्वास्थ्य देखरेख के लिए निर्देशित करना;

(3) हीमोग्राम, मल, मूत्र, थूक और जैविक तरल परीक्षा जैसी सामान्य प्रयोगशाला जांच-पड़ताल करना;

(4) प्लूरा टेप, कटिवेधन, अस्थि मज्जा चूषण/बायाप्सी/बायाप्सी और जिगर बायाप्सी ।

(ग) समाकलन :

(1) सामुदायिक और शारीरिक औषध तथा पुनर्वास का ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण प्रचलित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रबंध करने की योग्यता प्राप्त होगी और रोगी को उसके सर्वांगीण शारीरिक, सामाजिक तथा अधिक परिवेश में दृष्टिगत रखने में समर्थ हो सकेगी/सकेगा ।

(2) क्लीनिकल आयुर्विज्ञान का वैज्ञानिक आधार सुलभ करने वाले अन्य संगत शैक्षिक अध्ययन पूरे कर सकेगा/सकेगी जैसे कि शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान, सक्षरण जीव विज्ञान, विकृति विज्ञान और फार्माकालाजी ।

(ख) बाल चिकित्सा विज्ञान

नवजात शिशु विज्ञान सहित बाल चिकित्सा विज्ञान :

पाठ्यक्रम में शिशु की वृद्धि तथा विकास पर क्रमबद्ध अनुदेश, पोषण आवश्यकताएं, प्रति रक्षीकरण अनुसूचियां और शैशव तथा बाल्यावस्था के आम रोगों के प्रबन्ध, सामाजिक बाल चिकित्सा विज्ञान और परामर्श शामिल है ।

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को बाल चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य बच्चों की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में अधिकतम कार्य करने के लिए पर्याप्त ज्ञान और समुचित कार्य-कुशलता अर्जित करना है ताकि बच्चों की अधिकतम वृद्धि तथा विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) गर्भस्थ जीवन, नवजात अवधि, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान सामान्य वृद्धि और विकास का विवरण और उसमें परिवर्तन की स्थिति की जानकारी;

(2) जानपदिक रोग विज्ञान हेतुकी रोग जनन क्लीनिकल विशिष्टताएं निदान, सर्वेक्षण चिकित्सा तथा पर्यवेक्षण में आम बाल चिकित्सा विकारों और आपात स्थितियों का विवरण;

(3) स्वस्थ और रोग की स्थिति में कैलोरी पोषक तत्व, तरल, औषध आदि की आय संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख;

(4) आम संक्रामक विकारों, कुपोषण, अन्तर्वीक्षक और चयापचयी विकारों जिन्हें रोकने के उपायों, दुर्घटनाओं और बाल दुरुपयोग के लिए निरोधक रणनीति तैयार करना;

(5) प्रतिरक्षणीकरण कार्यक्रमों सहित शिशु स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।

(ख) कार्यकुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) ओरेवार बाल चिकित्सा इतिवृत्त तैयार करना नव-, जात शिशुओं सहित बच्चों की उपयुक्त शारीरिक जांच करना, क्लीनिकल निदान तैयार करना, बिस्तर पर आम जांच-पड़ताल कार्यविधियां करना, आम प्रयोगशाला जांच परिणाम की व्याख्या करना और चिकित्सा की रूपरेखा तैयार करने हुए चिकित्सीय उपचार करना;

(2) मानव-देह की पैमाइश करना, जन्म पर नवजात शिशुओं को पुनरुज्जीवित करना, पीने का पुनः

आवर्तीकरण घोल तैयार करना, ट्यूबरकुलिन परीक्षण करना, प्रचलित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन उपलब्ध वैक्सीन देना, शिरावेधन करना, अन्तःशिरा संसेचन शुरू करना और नासा आमाशय संभरण की व्यवस्था करना;

(3) कटिवेधन, जिगर तथा गुर्दा बायाप्सी, अस्थि मज्जा चूषण, प्लूरा टैप और एस्साइटिक टैप जैसी निदान कार्यविधियां करना;

(4) सामान्य नवजात शिशुओं और विशेष देखरेख अपेक्षित होने वाले शिशुओं के बीच अन्तर करना और समयपूर्व तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों की देखरेख सहित सभी नाजात शिशुओं की शीघ्र देखरेख की व्यवस्था करना, स्तनपान में सही मार्गदर्शन तथा परामर्श देना;

(5) सभी बिमार बच्चों के लिए एम्बुलैंस की व्यवस्था करना, विशेषज्ञ/अन्तरंग देखरेख के लिए निर्देशों की पहचान करना और अस्पताल में भर्ती अपेक्षित होने वाले मामलों में यथासमय निर्देशन सुनिश्चित करना ।

(ग) समाकलन :

बाल चिकित्सा में प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थी समुदाय तथा अस्पताल दोनों में बच्चों की देखरेख के लिए निरोधक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए जो अन्य विधाओं जैसे शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, न्याय संबंधी औषधि-विज्ञान, सामुदायिक औषध तथा शारीरिक औषध एवं पुनर्वास के साथ समाकलित रूप में दल के सदस्य के रूप में आवश्यक हैं ।

(ग) मनोविकार चिकित्सा

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थी को मनोविकार चिकित्सा में शिक्षण का लक्ष्य ऐसा ज्ञान तथा कार्य-कुशलता प्रदान करना है जिससे वह आम मनोविकार संबंधी विकारों का निदान तथा उपचार करने, मनोविकार संबंधी आपात स्थितियों को सम्भालने और आम मनोविकारों की जटिलताओं/असामान्य विविधताओं को निर्देशित करने और मनोविकार संबंधी दुर्लभ विकारों को विशेषज्ञ को निर्देशित करने में समर्थ बना सके ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) आम मानव व्यवहार जैसे याद करना, याददाश्त, अभिप्रेरण, व्यक्तित्व तथा बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं की प्रकृति की समझ और विकास;

(2) सामान्य ज्ञान तथा असामान्य व्यवहार के बीच अन्तर की पहचान करना;

(3) मनोविकार संबंधी विकारों का वर्गीकरण;

(4) निम्नलिखित आम संलक्षणों की क्लीनिकल विविधताओं की पहचान करना और उनका समुचित प्रबन्ध करना—कायिक मनोविक्षिप्त, कार्यात्मक मनोविक्षिप्त, विखंडित मनस्कता, प्रभावी विकार, तंत्रिका संबंधी विकास, व्यक्तित्व विकार, मनः-शरीर क्रियात्मक विकार, औषध तथा ऐल्कोहल आश्रितता, बाल्यावस्था तथा शैशवास्था के मनोविकारी विकार;

(5) मनोविकारी विकारों में चिकित्सा के विभिन्न तरीकों के तर्कसंगत प्रयोग का विवरण ।

(ख) कार्य-कुशलता :

विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) रोगी का साक्षात्कार और रोगी-डाक्टर संबंधों में संचार की विभिन्न प्रणालियों को समझना,

(2) ब्यौरेवार मनोविकार मामला इतिवृत्त तैयार करना और मानसिक स्तर का निर्धारण करने के लिए क्लीनिकल परीक्षा करना,

(3) मनःविकृति जन्य लक्षणों तथा चिन्हों की व्याख्या, वर्णन तथा विवेचन;

(4) आम मनोविकारी विकारों का निदान तथा प्रबन्ध;

(5) चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा संबंधी रोगियों में क्लीनिकल दृष्टि से और सामुदायिक परिवेश में मनोविज्ञान संबंधी प्रतिक्रिया और मनोविकारी विकारों की पहचान करना और प्रबंध करना ।

(ग) समाकलन :

मनोविकारी विकार में प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थी परिवार और समुदाय दोनों में रोगियों की देखरेख के लिए निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार होगा और उन्नत मामलों को विशेषज्ञ मनोविकार चिकित्सा/मानसिक अस्पताल को निर्देशित कर सकेगा । यह प्रशिक्षण औषध, तंत्रिका शरीर रचना विज्ञान, व्यवहार जन्य विज्ञान और न्यायसंबंधी आयुर्विज्ञान विभागों के साथ समाकलित किया जाना चाहिए ।

(घ) त्वचा विज्ञान तथा लैंगिक संचारण रोग

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थी को त्वचा विज्ञान, लैंगिक संचारण रोग (एस. टी. डी.) और कुष्ठ रोग विज्ञान में शिक्षण का लक्ष्य ऐसा ज्ञान और कार्यकुशलता प्रदान करना है जिससे वह सामान्य बीमारियों का निदान तथा उपचार कर सके और दुर्लभ रोगों या जटिलताओं/सामान्य रोगों की असामान्य विविधताओं के मामले विशेषज्ञ को निर्देशित कर सके ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

त्वचा विज्ञान, लैंगिक संचारण रोग और कुष्ठ रोग विज्ञान के पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) आपात स्थितियों सहित सामान्य रोगों, उनकी क्लीनिकल विविधताओं और निदान के अनुरूप जांच-पड़ताल की कार्यविधियों के सुदृढ़ ज्ञान का प्रदर्शन;

(2) स्थल चिकित्सा के विभिन्न प्रकारों के व्यापक ज्ञान का प्रदर्शन;

(3) आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधियों की क्रिया के तरीकों का विवरण, उनकी मात्रा, इतर प्रभाव/विषालुता, निर्देशन, प्रति-निर्देशन तथा अन्योन्य क्रिया;

(4) विभिन्न रोगों के आधार के लिए उपलब्ध औषध तथा शल्य क्रिया कार्यविधियों सहित प्रबन्ध के आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले तरीकों का विवरण और किसी विशेष विकार के लिए प्रबन्ध की व्यापक योजना का प्रस्ताव बनाना ।

(ख) कार्य-कुशलता :

विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) रोगी का साक्षात्कार, सही तथा संयत सूचना का स्पष्टीकरण और कालक्रम में इतिवृत्त का उल्लेख;

(2) क्लीनिकल परीक्षा करना, वास्तविक निष्कर्षों को स्पष्टीकरण और व्याख्या तथा आम विकारों एवं आपात स्थितियों में निदान;

(3) बिस्तर पर निदान करने के लिए विशेष रूप से फंगस के लिए स्रवण की परीक्षा करने के लिए अपेक्षित साधारण, दस्तूरी जांच-पड़ताल तथा प्रयोगशाला कार्यविधियां तैयार करना, कुष्ठ रोगियों के लिए और लैंगिक संचारण रोग के मामलों के लिए ए.एफ.बी. के लिए रोगाणुछिद्र आलेप और गंभीरस्नजन तैयार करना;

(4) निदान के प्रयोजनों के लिए त्वचा बायोप्सी लेना;

(5) उपचारार्थ अनुक्रिया की अनुपयुक्तता के मामले में विशेषज्ञ देखरेख के लिए निर्देशन की आवश्यकता की पहचान करते हुए सामान्य रोगों का प्रबन्ध ।

(ङ) यक्ष्मा तथा श्वसन रोग :

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थी को यक्ष्मा तथा छाती की बीमारियों के शिक्षण का लक्ष्य ऐसा ज्ञान तथा कार्यकुशलता प्रदान करना है ताकि वह यक्ष्मा के प्रबन्ध तथा रोकथाम और विशेष रूप से राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए छाती को प्रभावित करने वाली आम बीमारियों के निदान तथा प्रबन्ध में समर्थ हो सके ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

यक्ष्मा तथा छाती के रोगों के पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) छाती के आम रोगों के मूलभूत ज्ञान का प्रदर्शन, उनकी क्लीनिकल विविधताएं जिसमें आपात स्थितियां शामिल हैं और उनके निदान के अनुरूप जांच-पड़ताल की कार्यविधियों का पूर्ण ज्ञान;

(2) श्वसन रोगों के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा के विभिन्न प्रकारों के व्यापक ज्ञान का प्रदर्शन;

(3) आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषध की क्रिया, उनकी मात्रा, प्रतिकूल प्रभाव/विषालुता, संकेत तथा प्रति संकेत और प्रतिक्रिया का विवरण;

(4) विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपलब्ध चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा संबंधी कार्यविधियों सहित प्रबन्ध के आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले तरीकों का विवरण और राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम सहित प्रबन्ध की व्यापक योजना का प्रस्ताव तैयार करना ।

(ख) कार्य-कुशलता :

विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) रोगी का साक्षात्कार, संगत तथा सही सूचना का स्पष्टीकरण और कालक्रम में इतिवृत्त का विवरण;

(2) क्लीनिकल परीक्षा करना, क्लीनिकल निष्कर्षों को स्पष्ट करना तथा उनकी व्याख्या और आम श्वसन विकारों तथा आपात-स्थिति का निदान;

(3) साधारण, दस्तूरी जांच पड़ताल करना और बिस्तर पर निदान करने के लिए अपेक्षित कार्यालय कार्यविधियां विशेष रूप से थूक संग्रह तथा अम्लस्थायी दण्डाणु (ए.बी.एफ.) का विशेष ध्यान देते हुए हेतुकी संबंधी जीव, छाती के एक्सरे और श्वसन क्रिया परीक्षणों की व्याख्या;

4) विभिन्न श्वसन रोगों में विभिन्न रक्त गैस तथा पी. पूर्व असामान्यताओं की व्याख्या तथा प्रबन्ध;

(5) उपचारार्थ अनुक्रिया की अनुपयुक्तता के मामले में विशेषज्ञ देखरेख के लिए निर्देशन की आवश्यकता की पहचान करते हुए सामान्य रोगों का प्रबन्ध;

(6) स्वरयंत्रदर्शी परीक्षा, प्लूरा चूषण, श्वसन भौतिक चिकित्सा, स्वरयंत्र नलिका प्रवेशन तथा न्यूमोथोरैक्स निकास/चूषण जैसी सामान्य कार्यविधियां करने में सहायता ।

(ग) समाकलन :

प्रभावशाली ढंग से शिक्षण का मुख्य लक्ष्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, विकृति विज्ञान, फार्माकालाजी तथा निवारक व सामाजिक औषध विभागों के साथ समाकलन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ।

(2) शल्य चिकित्सा तथा सम्बद्ध विशेषताएं

(क) शल्य चिकित्सा—जिसमें बाल शल्य चिकित्सा शामिल है :

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा में शिक्षण का लक्ष्य ऐसे स्नातक तैयार करना है जो प्रथम सम्पर्क में ही वशतापूर्ण शल्य चिकित्सा संबंधी देखरेख प्रदान करने में समर्थ हो सकें ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) वयस्कों तथा बच्चों में आघात स्थितियों सहित आम शल्य चिकित्सा संबंधी समस्याओं के निदान तथा प्रबन्ध की हेतुकी, विकृति शरीर क्रिया विज्ञान, सिद्धांतों का विवरण;

(2) रक्त आधान सहित तरल तथा इलैक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन के लिए संकेतों तथा पद्धतियों की व्याख्या;

(3) आपूर्ति, विसंक्रमण तथा निर्जीवाणुकरण की व्याख्या करना और एंटिबायोटिक के तर्कसंगत प्रयोग की सिफारिश करना;

(4) देश में आम दुर्दमताओं का विवरण और उनकी रोकथाम सहित उनका प्रबन्ध;

(5) संज्ञाहारी कारकों के विभिन्न प्रकारों की गणना, उनके संकेत, देने की विधि, प्रति-संकेत तथा उनके इतर प्रभाव ।

(ख) कार्यकुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ हो जाना चाहिए;

(1) वयस्कों तथा बच्चों में तीव्र तथा चिरकारी दोनों में आम शल्य चिकित्सा संबंधी स्थिति का निदान;

(2) शल्य चिकित्सा संबंधी परिस्थितियों के लिए विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों की योजना तैयार करना और परिणाम की व्याख्या करना;

(3) स्वलसावी आघात, सेप्टिसीमिया और आघात के अन्य प्रकार के रोगियों की पहचान करना;

(4) स्पष्ट वायुपथ बनाए रखने और निम्नलिखित को पुनरुज्जीवित करने में सक्षम होगा :

(1) गंभीर रूप से चोटग्रस्त रोगी;

(2) हृद श्वसन पास वाला रोगी;

(3) डूबने का मामला;

(5) वयस्क तथा बच्चों दोनों में सिर, छाती, रीढ़ तथा उदरीय चोटों के रोगियों को मानीटर करना;

(6) जलने के रोगियों के लिए प्राथमिक देखरेख प्रदान करना;

(7) शल्यकर्मी शल्य चिकित्सा के सिद्धान्तों का अर्जन जिनमें शल्यकर्म से पूर्व, शल्यकर्म तथा शल्यकर्म के पश्चात् के मामलों की देखरेख तथा मानीटर किया जाना शामिल है ।

(8) टॅटेनस तथा गैस गैंग्रीन के विरुद्ध निरोधक उपायों सहित खुले घावों का उपचार;

(9) नवजात तथा बालरोग शल्य चिकित्सा आपात स्थितियों का निदान और रोगी को द्वितीय/तृतीय केन्द्रों पर निर्देशित करने से पहले सुरक्षा प्राथमिक देखरेख की व्यवस्था;

(10) जन्मजात विसंगतियों की पहचान करना और उन्हें समुचित प्रबन्ध के लिए निर्देशित करना ।

मद संख्या (1) से (10) तक में उल्लिखित कार्य कुशलता के साथ-साथ वह निम्नलिखित कार्य देखेगा/देखेगी/उनमें सहायता करेगा/करेगी/कार्य करेगा/करेगी :

(क) फोड़े का छेदन तथा निकास;

(ख) खुले घाव का क्षत शोधन तथा उसकी सीवन;

(ग) शिरावेधन;

(घ) सामान्य पृठी तथा अर्बुद उच्छेदन;

(ङ) तल दुर्दमता की बायोप्सी;

(च) कॅथीटर प्रवेशन तथा नासा गैस नलिका प्रवेशन;

(छ) खतना;

(ज) मूत्रमार्ग मुखछेदन;

(झ) शुक्रवहा-उच्छेदन;

(ञ) पर्यूदर्या तथा प्लूरा चूषण;

(ट) नैदानिक मलाशयदर्शन (प्रोक्टोस्कोपी);

(ठ) हाइड्रोसील आपरेशन;

(ड) अन्त श्वासनली प्रवेशन;

(ढ) श्वास-प्रणाल-छेदन तथा क्रिकोथाइराडोटॉमी;

15. छाती में नलिका प्रवेशन ।

(ग) समाकलन :

शल्य-चिकित्सा में स्नातकपूर्व शिक्षण को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पूर्व तथा परा और अन्य क्लीनिकल विभागों के साथ समाकलित किया जाएगा ।

(ख) विकलांग विद्या :

(क) ज्ञान :

विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) हड्डी की चोटों तथा अस्थि विस्थापन की मान्यता के सिद्धांतों की व्याख्या;

(2) हड्डियों और जोड़ों के सामान्य संक्रमण का पता लगाने तथा प्रबन्ध करने के लिए उचित पद्धतियां अपनाना;

(3) जन्मजात, कंकाल विषमताओं की पहचान और उपयुक्त सुधार या पुनर्वास के लिए उनका निदेशन;

(4) इस देश में पाए जाने वाले क्षयापचयी अस्थि रोगों की पहचान;

(5) हड्डियों के प्रभावित करने वाले अर्बुद की उत्पत्ति के कारण, कल्पना तथा निदान ।

(ख) कार्यकुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) मोच का पता लगाना तथा आम अस्थिभंग और मोच के लिए प्रथमोपचार उपाय करना और क्लैविकल, कलाई, अंगुलि आदि के गैर-जटिल अस्थिभंग का प्रबन्ध;

(2) स्थिरीकरण, प्लास्टर, अचलीकरण आदि की तकनीकों का प्रयोग;

(3) आम अस्थि संक्रमण का प्रबंध, पृथक-भवन, विच्छेदन तथा अस्थि विरूपताओं के लिए सुधारात्मक उपायों के संकेत याद रखना;

(4) पोलियो, प्रमस्तिष्क अंगघात और विच्छेदन के लिए पुनर्वास के पहलुओं पर सलाह ।

(ग) अनुप्रयोग :

कुछेक विकलांग कार्यकुशलता प्रदर्शित करने, कंकाल तथा संबंधित स्थितियों में प्राथमिक या द्वितीय स्वास्थ्य देखरेख स्तर पर सूझ परामर्श प्रदान करने में समर्थ हो सकेगा ।

(घ) समाकलन :

शरीर रचना विज्ञान, दाल्य चिकित्सा, विकृति विज्ञान, रेडियोलाजी तथा न्यायसंबंधी चिकित्सा के संग समाकलन किया जाए ।

(ग) एक्सरे निदान तथा विकिरण चिकित्सा

(क) एक्सरे निदान तथा प्रतिबिम्ब :

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान विद्यार्थियों को एक्सरे-निदान के क्षेत्र में शिक्षण का मुख्य लक्ष्य उन्हें चिकित्सा व्यवसाय में विभिन्न एक्सरे नैदानिक उपकरणों की बुनियादी आवश्यकता महसूस करने का दृष्टिकोण बनाने की ओर होना चाहिए । उन्हें विभिन्न बीमारियों के निदान के लिए और पर्यवेक्षण के दौरान विभिन्न स्थितियों में यथा-अपेक्षित तकनीकों की जानकारी हो सकेगी ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) एक्सरे उत्पादन के बुनियादी सिद्धान्तों की समझ, इसके प्रयोग और जोखिम;

(2) अस्थि-भंग संक्रमण, अर्बुद तथा जयापचयी अस्थि रोग जैसे अस्थि परिवर्तनों का मूल्यांकन तथा निदान;

(3) छाती तथा मध्यस्तरीय क्षेत्र की सेग स्थितियों, कंकाल प्रणाली, जठरांत्र पथ, यकृत-पित्त प्रणाली तथा जनन मूत्र (जी.यू.) प्रणाली में विभिन्न एक्सरे नैदानिक परिवर्तनों की पहचान;

(4) आइसोटोप कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी (सी. टी.), अल्ट्रा-साउंड, चुम्बकीय अनुनादित प्रतिबिम्ब (एम. आर. आई.) और डी. एस. ए. सहित विभिन्न प्रतिबिम्ब तकनीकों के बारे में जानकारी ।

(ख) कार्य-कुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) विभिन्न प्रतिबिम्ब कार्यविधियों के दौरान बुनियादी तौर पर संरक्षक तकनीकों का प्रयोग;

(2) विभिन्न सामुदायिक स्थितियों में सामान्य एक्स-रे, एक्सरे-नैदानिक तकनीकों की व्याख्या;

(3) उपर्युक्त विशेषज्ञों को विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त नैदानिक कार्यविधियों की सलाह देना ।

(ख) विकिरण-चिकित्सा

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान विद्यार्थियों को विकिरण चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षण का मुख्य लक्ष्य देश में निरन्तर बढ़ती हुई कैंसर की समस्या के महत्व को समझने योग्य बनाना है । विद्यार्थियों को इस विभीषण स्थिति की रोकथाम और संभावित उपचार के लिए यथा-अपेक्षित कदम उठाने के बारे में जानकारी देना आवश्यक है ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे :—

(1) विभिन्न प्रकार के कैंसर के लक्षणों और चिन्हों की पहचान और उसकी जांच-पड़ताल तथा प्रबन्ध के विभिन्न उपाय;

(2) मनुष्यों पर विकिरण चिकित्सा का प्रभाव स्पष्ट करना और इससे संबंधित बुनियादी सिद्धान्तों की व्याख्या;

(3) रेडियोएक्टिव आइसोटोप और इसके भौतिक गुणों के बारे में जानकारी;

(4) कैंसर प्रबन्ध में विकिरण चिकित्सा में हुई प्रगति की जानकारी और किसी रोगी का उपचार करते समय विभिन्न विकिरण चिकित्सा उपकरणों का ज्ञान ।

(ख) कार्य-कुशलता :

प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाने पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) दुर्दम रोग के रूप में संदिग्ध मामले का विस्तृत क्लीनिकल इतिवृत्त तैयार करना;

2) किसी रोगी का उपचार करते समय कैंसर-रोधी औषधियां देने में और विभिन्न विकिरण चिकित्सा उपकरण लगाने तथा प्रयोग करने में विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता;

(3) कर्णनासा कंठ विज्ञान :

(1) लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को कर्णनासा कंठ विज्ञान में शिक्षण का मुख्य लक्ष्य यह है कि स्नातकपूर्व विद्यार्थियों में आम विकारों

था आपात-स्थिति में अधिकतम कार्य करने के लिए और श्रवण नि के पुनर्वास के सिद्धान्तों का पर्याप्त ज्ञान तथा उनमें कार्य-शलता अर्जित कर ली है ।

2) उद्देश्य :

क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर केगा :—

(1) कान, नाक तथा गले (ई.एन.टी.) के आम रोगों और आपात-स्थिति की बुनियादी विकृति शरीर रचना का विवरण;

(2) आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधियों के विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत प्रयोग को अपनाना;

(3) आम जांच-पड़ताल की कार्यविधियों का सुझाव देना और उनकी व्याख्या ।

(ख) कार्यकुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) सिर और गर्दन के वृद्धमपूर्व तथा दुर्दम विकारों सहित कान, नाक तथा गले (ई.एन.टी.) की सामान्य समस्याओं की परीक्षा;

(2) देखरेख के प्रथम स्तर पर कान, नाक तथा गले (ई.एन.टी.) की समस्याओं का प्रबन्ध और आवश्यक होने पर निर्देशन में समर्थ;

(3) कान में पिचकारी लगाने, मरहम-पट्टी करने, नाक भरण आदि जैसी छोटी शल्य-क्रिया कार्य-विधियों में सहायता अथवा शल्य क्रिया करना;

(4) श्वास-प्रणाल छिद्रीकरण, एन्डोस्कोपी तथा आगंतुक-शल्य को हटाने जैसी कुछेक कार्यविधियों में सहायता ।

(ग) समाकलन :

कान, नाक तथा गले (ई.एन.टी.) में स्नातकपूर्व प्रशिक्षण से अन्य विधाओं में विशेषकर तंत्रिका विज्ञान, नेत्र विज्ञान और सामान्य शल्य-चिकित्सा में समाकलित दृष्टिकोण विकसित होगा ।

(4) नेत्र विज्ञान

(1) लक्ष्य :

नेत्र विज्ञान में विद्यार्थियों को शिक्षण का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान तथा कार्यकुशलता प्रदान करना है जिससे वह क्लीनिकल के रूप में और प्राथमिक नेत्र देखरेख चिकित्सा के रूप में व्यवसाय करने में समर्थ हो सकेगा/सकेगी । इस प्रशिक्षण के बाद वह अन्धपन की रोकथाम तथा दृष्टि-हानि के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए समुदाय स्वास्थ्य नेता के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में भी समर्थ हो सकेगी/सकेगा ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी को निम्नलिखित का ज्ञान हो सकेगा :

(1) आंख को प्रभावित करने वाली सामान्य समस्याएं;

(2) वृहद् नेत्र-विज्ञान संबंधी आपात-स्थिति के सिद्धान्त तथा प्रबन्ध;

(3) आंख को प्रभावित करने वाले मुख्य क्रमबद्ध रोग;

(4) रोगी की दृष्टि पर स्थानीय और क्रमबद्ध रोगों के प्रभाव और ऐसे रोगों की श्रृंखला को न्यूनतम करने के लिए अपेक्षित होने वाली आवश्यक कार्रवाई;

(5) नेत्र वैज्ञानिक विविधताओं के विशेष संदर्भ में औषधियों का प्रतिकूल प्रभाव;

(6) भारत में अन्धपन की समस्या का महत्व और इसके प्रमुख कारण;

(7) अन्धपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और विभिन्न स्तरों पर इसका कार्यान्वयन;

(8) आंखों की समस्याओं की रोकथाम के लिए आंख देखरेख शिक्षा;

(9) नेत्र शिविरों के संगठन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमिका;

(10) प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का संगठन और नेत्र-विज्ञानी सहायक का कार्य;

(11) अन्धपन के नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ समाकलन;

(12) नेत्र बैंक संगठन ।

(ख) कार्य-कुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :—

(1) साधारण स्वास्थ्य और नेत्र स्थिति से संबंधित इतिवृत्त की रूपरेखा तैयार करना;

(2) दृष्टि तीव्रता परीक्षण, नेत्र परीक्षा, दबाव संबंधी तनावमिति, कार्निया संबंधी विकृति के लिए अभिरंजन, परस्परसम्मुख पैरीमीटरी, जगदंध दृष्टि तथा लैंसहीनता के सुधार सहित विषयपरक अपवर्तन, प्रत्यक्ष दृष्टिपटल दर्शन तथा नेत्रश्लेष्मला लैप परीक्षा और परीक्षण जैसी नैदानिक कार्यविधियों में सहायता;

(3) आंख को प्रभावित करने वाली सामान्य समस्याओं का निदान तथा उपचार;

(4) आम क्रमबद्ध विकारों के सम्बन्ध में नेत्र वैज्ञानिक चिन्हों की व्याख्या;

(5) अवनेत्रश्लेष्मला इंजेक्शन, कॉर्निया नेत्र श्लेष्मला आगंतुक शल्य हटाना, कॉर्निया अल्सर के लिए कार्बनमय कॉटरी, नासाश्रु वाहिनी पिचकारी लगाना तथा टासोरैफी;

(6) नेत्र विज्ञान संबंधी बड़ी आपात-स्थितियों में प्राथमिक सहायता प्रदान करना;

(7) दृष्टि जांच के लिए सामुदायिक सर्वेक्षण संगठित करने में सहायता;

(8) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक नेत्र देख-रेख सेवा संगठित करने में सहायता;

(9) मोतियाबिन्द में शस्त्र चिकित्सा के लिए और नेत्र दान के लिए जन साधारण तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचार के प्रभावशाली साधनों का प्रयोग;

(10) अपने वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और पैरा-मेडिकल कामगारों के साथ सम्पर्क रखना ताकि नेत्र देख-रेख दल के सदस्य के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके ।

(ग) समाकलन :

नेत्र विज्ञान में स्नातकोत्तर परिशिक्षण में अन्य विषयों जिनका सम्बन्ध रूप से संबंध है विज्ञान, कर्ण नासा कंठ विज्ञान सामान्य शल्य चिकित्सा तथा आयुर्विज्ञान की ओर समाकलित दृष्टिकोण का विकास होगा ।

(5) प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान :

प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान में परिवार कल्याण तथा परिवार नियोजन शामिल होगा ।

(1) लक्ष्य :

स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को एनाटॉमी विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान के विषय का उच्च लक्ष्य ग्रहण है कि वह जनन प्रणाली के शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और विकृति शरीर क्रिया विज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सके और इसे प्रभावित करने वाली सामान्य परिस्थितियों का अधिकतम प्रबन्ध करने की योग्यता प्राप्त कर ले ।

(2) उद्देश्य :

(क) ज्ञान :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) जनन प्रणाली के शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और विकृति शरीर रचना विज्ञान की रूप-रेखा और इसे प्रभावित करने वाली सामान्य परिस्थितियां;

(2) सामान्य गर्भावस्था, प्रसव, प्रसूतिकाल का पता लगाना और उसमें आने वाली संभावित समस्याओं का प्रबन्ध;

(3) मातृक तथा जन्मकालीन रुग्णता तथा मृत्यु-दर के कारणों से संबंधित सूची तैयार करना;

(4) गर्भ-निरोध के सिद्धांतों को समझना और अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों, गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की प्रणालियों, संश्लेषण और उसकी जटिलताओं को समझना;

(5) गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति पूर्व तथा रजोनिवृत्ति पश्चात् अवधियों में औषधियों के प्रयोग, दोष तथा अतिरिक्त प्रभाव की पहचान;

(6) मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का विवरण और विभिन्न स्तरों पर उसका कार्यान्वयन;

(7) सामान्य स्त्री रोग संबंधी बीमारियों की पहचान और उसके प्रबन्ध के सिद्धांतों का विवरण;

(8) गर्भ निकालने के लिए सीजरी आपरेशन, उदर-च्छेदन, उदरीय तथा योनिक गर्भाशयोच्छेदन, गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन (एम.टी.पी.) के लिए फादर गिल आपरेशन तथा नलिका बंधन जैसी शल्य क्रियाओं के संकेत, तकनीक तथा जटिलताओं की स्थिति ।

(ख) कार्यकुशलता :

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य कर सकेगा :

(1) गर्भवती महिला की परीक्षा, उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की पहचान और उपयुक्त निर्देशन;

(2) सामान्य जनन कराना, जटिलताओं की पहचान और और प्रसवोत्तर देखरेख प्रदान करना;

(3) नवजात को पुनरुज्जीवित करना और जन्मजात विषमताओं की पहचान;

(4) दम्पति को विभिन्न उपलब्ध गर्भ निरोधक तरीकों के प्रयोग पर सलाह देना और अन्तःगर्भाशयी गर्भ निरोध प्रणाली को अन्तःस्थापित करने तथा हटाने में सहायता;

(5) श्रोणि की परीक्षा करना, जननेन्द्रिय कार्यक्षमताओं को ठीक पता लगाने सहित स्त्री रोग संबंधी आम समस्याओं का निदान तथा प्रबन्ध;

(6) योनि कोशिकीय आलेप करना, ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस के लिए गीलेपिया एथनाल परीक्षण और आर्द्र योनिक आलेप परीक्षा करना, गोनोरिया के लिए मौनिलिएसिस तथा ग्राम अभिरंजक;

(7) जीवरसायन, उन्नत विकृति वैज्ञानिक, विकिरण वैज्ञानिक, अल्ट्रा साउण्ड आदि जैसी जांच-पड़तालों के आंकड़ों की व्याख्या ।

(ग) समाकलन :

विद्यार्थी क्लीनिकल कार्यकुशलता को अन्य विषयों के साथ समाकलित कर सकेगा और जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों का समन्वय कर सकेगा ।

(घ) प्रशिक्षण के लिए सामान्य दिशा-निर्देश :—

(1) किसी प्रसूति अस्पताल अथवा सामान्य अस्पताल के प्रसूति वार्ड में उपस्थिति जिसमें (1) प्रसवोत्तर देख-रेख (2) प्रसवकाल का प्रबन्ध तथा (3) परिवार कल्याण योजना सहित न्यूनतम 5 माह

की अवधि का अंतरंग तथा बहिरंग रोगी प्रशिक्षण हो;

(2) क्लीनिकल शिक्षण की इस अवधि को कम से कम एक माह का समय किसी सामान्य अस्पताल के प्रसूति वार्ड में आवासीय शिष्य के रूप में बिताना होगा;

(3) इस अवधि के दौरान विद्यार्थी पर्याप्त पर्यवेक्षण के अधीन प्रसव के कम से कम 10 मामले करेगा और अन्य 10 मामलों में सहायता करेगा;

(4) क्रमशः प्रसूति अस्पताल में और/या रोगी के घरों में विद्यार्थी द्वारा किए गए प्रसव के मामलों की संख्या का उल्लेख करते हुए प्रमाण-पत्र पर अस्पताल के स्टाफ के किसी जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उसमें यह भी उल्लेख होगा कि :—

(क) विद्यार्थी प्रसव के दौरान उपस्थित रहा है और उसने प्रमाणित करने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन आवश्यक उत्तरीय तथा अन्य परीक्षा करने के पश्चात् प्रत्येक मामला व्यक्तिगत रूप में स्वयं किया है। प्रमाणित करने वाला अधिकारी अपनी शासकीय स्थिति का उल्लेख करेगा।

(ख) मामलों के तैयार किए गए संक्षेपजनक लिखित इतिवृत्त जिनमें संभव होने पर प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर अभ्यवस्थितियां भी शामिल हैं विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और उन पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा आद्यक्षर किए गए थे।

(5) परिवार कल्याण योजना :

सभी तीन चरणों में और शिक्षुता की अवधि के दौरान परिशिष्ट-"क" में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवार कल्याण योजना में प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।

(6) सामुदायिक औषध :

सामुदायिक औषध का शिक्षण तथा प्रशिक्षण चरण-3 (क्लीनिकल चरण) के पहले दो सेमिस्टरों के दौरान चलता रहेगा। विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाने वाले लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यकलाप की रूपरेखा चरण-2 (परा-क्लीनिकल चरण) में दी गई है।

अध्याय-4

12. परीक्षा विनियम

व्यावसायिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए परमावश्यकताएं।

प्रशिक्षण के परमावश्यक अंशभूत का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाएगा :—

(1) उपस्थिति :

किसी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है बशर्ते कि सैद्धान्तिक अध्यापन अर्थात् संगोष्ठियों सामूहिक परिचर्चाओं, अनुशिक्षण, निदर्शन, अस्पताली सैनातियों (तृतीयक, माध्यमिक, प्राथमिक) तथा बिस्तर-पार्श्व रोग लक्षण शिक्षण इत्यादि में उपस्थिति 80% हो।

(2) आंतरिक मूल्यांकन :

(1) विद्यार्थी के दत्तकार्य की आंकना, संगोष्टि-निरूपण, रोग लक्षण प्रकरण प्रस्तुति इत्यादि के दिन-प्रति-दिन के मूल्यांकन पर आधारित होगा (टिप्पणी देखें);

(2) पाठ्यक्रम में नियमितता, आवधिक परीक्षाएं ली जाएंगी। कितनी परीक्षाएं ली जाएं इसे संस्थान पर ही छोड़ा जाता है;

(3) आंतरिक मूल्यांकन में दिन-प्रति-दिन के कार्य-प्रालेखन को महत्ता दी जाए;

(4) प्रत्येक विषय के पूर्णांक में से आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अंक निर्धारित होंगे;

(5) विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को विषय-विशेष में आंतरिक मूल्यांकन के लिए निश्चित अंकों में से न्यूनतम 50% अंक अवश्य अर्जित करने होंगे।

टिप्पणी :

आंतरिक मूल्यांकन विभिन्न विधाओं पर आधारित हो जिसमें अध्ययन-सत्रों के दौरान विद्यार्थियों की शिक्षा अर्जन प्रक्रिया में प्रतिभागिता का मूल्यांकन किया जाए। कतिपय उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :—

(1) विद्यार्थियों का संगोष्ठि के लिए विषय-निरूपण करना।

(2) परिचर्चा के लिए रोग लक्षण प्रकरण तैयार करना।

(3) रोग लक्षण प्रकरण अध्ययन/समस्या समाधान अभ्यासन।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य देख-रेख परियोजना में प्रतिभागिता (अयोजना स्तर का मूल्यांकन)।

(5) लघु अनुसंधान परियोजनाओं में निपुणता अथवा प्रायोगिक-कार्य में प्रवीणता।

(6) शिक्षण/प्रणाली विशेष की पूर्ति पर बहु-विकल्प प्रश्न (बहु. वि. प्र.) परीक्षा।

प्रत्येक मद में ली गयी परीक्षा का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए तथा यह अभिलिखित हो। कतिपय मद में गृहकार्य/अवकाश कार्य दिया जा सकता है।

(3) विश्वविद्यालयी परीक्षाएं :

परीक्षक, सैद्धांतिक पेपर, यथा-विहित रूप में बनाएंगे। प्रश्नों का स्वरूप लघु उत्तर/वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा तथा प्रत्येक भाग के अंक अलग से दर्शाए जाएंगे।

प्रयोग/रोग लक्षण-शिक्षण प्रयोगशालाओं तथा अस्पताल-वार्डों में होगा। दक्षता, प्रयोग-निर्वहन आंटा-निर्वचन तथा तर्कसंगत निष्कर्षण के प्रवीणता का मूल्यांकन इसका उद्देश्य

होगा । रोग लक्षण प्रकरणों में अधिमानतः आम रोग ही होने चाहिए न कि पंचीदा विषय रोग अथवा विरल व्याधियां ।

लक्षिणकता के निष्कर्षण और इनका निर्वचन करने में परीक्षार्थी की योग्यता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मौखिक परीक्षा में प्रबंधन-दृष्टिकोण तथा आपातकालीन कार्रवाई का मूल्यांकन भी होना चाहिए । साधारण जांच संबंधी डाटा, एक्सरे, हृदय स्पंद लेख, निदर्श-निरूपण इत्यादि के निर्वचन में परीक्षार्थी की निपुणता का मूल्यांकन भी किया जाए ।

परीक्षाएं इस तरह से आशांचित हों जिससे यह स्थापित हो सके कि परीक्षार्थी ने आवश्यक ज्ञान तथा अपने दिन-प्रति-दिन के व्यावसायिक कार्य को सक्षम ढंग से निर्वहन के लिए आवश्यक मूलभूत संकल्पनाओं की स्पष्ट न्यूनतम निपुणता अर्जित कर ली है ।

प्रश्न-पत्र अधिमानतः लघु संरचित/वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने चाहिएं ।

रोग लक्षण प्रकरण/प्रयोगादि में आम रोगों को ही लिया जाना चाहिए जिनका विद्यार्थी का अपने व्यावहारिक कार्य में सामना होने की संभावना है । विरल मामले/पेचीदा विषम रोग, सांत्रिक विज्ञान के क्लासिक मामलों को अंतिम परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए ।

मूल्यांकन के दौरान (आंतरिक और बाह्य) यह ज्ञात किया जाए कि परीक्षार्थी ने परिशिष्ट-ख में वर्णित दक्षता अर्जित कर ली है ।

वर्ष में एक बार मुख्य परीक्षा होगी तथा परीक्षा-परिणाम-प्रकाशन के 6 मास के अंदर पूरक परीक्षा ली जाएगी । विश्व-विद्यालयी परीक्षाएं निम्नानुसार होगी :—

प्रथम व्यावसायिक—प्रशिक्षण चरण-1 के द्वितीय अध्ययन-सत्र में शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान तथा जीव रसायन ।

द्वितीय व्यावसायिक—प्रशिक्षण चरण-2 के पंचम अध्ययन सत्र में विकृति विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, औषध विज्ञान न्याय वैद्यक ।

तृतीय व्यावसायिक—भाग-1 चरण-3 का सप्तम अध्ययन सत्र नेत्र विज्ञान, कर्ण-नासा-कंठ विज्ञान तथा सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान ।

तृतीय व्यावसायिक—भाग-2 (अंतिम व्यावसायिक) चरण-3 प्रशिक्षण के अंत में काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान बाल चिकित्सा विज्ञान विषय ।

टिप्पणी :

सभी विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के परिणाम आगामी अध्ययन-सत्र का अध्यापन प्रारम्भ होने से पूर्व घोषित किए जाएंगे ।

(4) विभिन्न विधाओं में अंक-आवंटन :

(क) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा : (रोग लक्षण पूर्व विषय) :—

(क) शरीर रचना :

सैद्धांतिक-दो पेपर प्रत्येक 50 अंक का

(प्रत्येक पेपर में 10 अंक का एक अनुप्रयुक्त प्रश्न)	100 अंक
मौखिक परीक्षा	20 अंक
प्रयोगिक	40 अंक
आंतरिक मूल्यांकन	40 अंक
(सैद्धांतिक-20 प्रयोगिक-20)	
कुल	200 अंक

(ख) शरीर-क्रिया-विज्ञान :

जैव भौतिकी सहित

सैद्धांतिक-दो पेपर-प्रत्येक 50 अंक का

(प्रत्येक पेपर में 10 अंक का एक अनुप्रयुक्त प्रश्न)	100 अंक
मौखिक परीक्षा	20 अंक
प्रयोगिक	40 अंक
आंतरिक मूल्यांकन	40 अंक
(सैद्धांतिक-20 प्रयोगिक-20)	
कुल	200 अंक

(ग) जीव रसायन :

सैद्धांतिक : दो पेपर प्रत्येक 50 अंक का

(प्रत्येक पेपर में 10 अंक का एक अनुप्रयुक्त प्रश्न)	100 अंक
मौखिक परीक्षा	20 अंक
प्रयोगिक	40 अंक
आंतरिक मूल्यांकन	40 अंक
(सैद्धांतिक-20 प्रयोगिक-20)	
कुल	200 अंक

उत्तीर्ण : प्रत्येक विषय में परीक्षार्थी को 50% पूर्ण योग अंक प्राप्त करने होंगे जिसमें मौखिक परीक्षा सहित सैद्धांतिक परीक्षा में न्यूनतम 50% और प्रयोगिक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक हों ।

(ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा :
(पैरा-रोग लक्षण विषय) :

(क) विकृति विज्ञान :

सैद्धांतिक : दो पेपर-प्रत्येक 40 अंक का

(प्रत्येक पेपर में 10 अंक का एक अनुप्रयुक्त प्रश्न)	80 अंक
मौखिक परीक्षा	15 अंक
प्रयोगिक	25 अंक
आंतरिक मूल्यांकन	30 अंक
सैद्धांतिक-15 प्रयोगिक-15)	
	150

(ख) सूक्ष्मजीव विज्ञान :

सैद्धांतिक : दो पेपर—प्रत्येक 40 अंक का

(प्रत्येक पेपर में 10 अंक का एक अनुप्रयुक्त प्रश्न) 80 अंक

मौखिक परीक्षा	15 अंक
प्रयोगिक	25 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-15 प्रयोगिक-15)	30 अंक
कुल	150 अंक

(ग) औषध विज्ञान :

सैद्धांतिक : दो पेपर—प्रत्येक 40 अंक का

जिसमें एक प्रश्न रोग लक्षण चिकित्सा शास्त्र पर 80 अंक

मौखिक परीक्षा	15 अंक
प्रयोगिक	25 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-15 प्रयोगिक-15)	30 अंक
कुल	150 अंक

(घ) न्यायदैशक :

सैद्धांतिक—एक पेपर	40 अंक
मौखिक परीक्षा	10 अंक
प्रयोगिक/रोग लक्षण-शाला	30 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-10 प्रयोगिक-10)	20 अंक
कुल	100 अंक

टीर्ण : प्रत्येक विषय में परीक्षार्थी को 50% पूर्णयोग अंक प्राप्त करने होंगे जिसमें मौखिक परीक्षा सहित सैद्धांतिक परीक्षा में न्यूनतम 50% और प्रयोगिक/रोगलक्षण-शाला में न्यूनतम 50% अंक हों ।

तृतीय व्यावसायिक

(1) भाग-1

(रोग लक्षण शिक्षण विषय)

भाग-1 सप्तम अध्ययन-सत्र के अंत में परीक्षा ली जाए

(क) नेत्र विज्ञान :

सैद्धांतिक—एक पेपर (इसमें रोग लक्षण पूर्व तथा परा रोग लक्षण विषय 10 अंक का एक प्रश्न होना चाहिए)	40 अंक
मौखिक परीक्षा	10 अंक
रोग-लक्षण शिक्षण	30 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-10 प्रयोगिक-10)	20 अंक
कुल	100 अंक

(ख) कर्ण-पासा-कंठ विज्ञान :

सैद्धांतिक : एक पेपर (रोग लक्षण पूर्व तथा परा-रोग लक्षण विषय 10 अंक का एक प्रश्न होना चाहिए)	40 अंक
भौतिक परीक्षा	10 अंक
रोग लक्षण शिक्षण	30 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-10 प्रयोगिक-10)	20 अंक
कुल	100 अंक

(ग) सामुदायिक चिकित्सा मानविकी सहित :

सैद्धांतिक : दो पेपर—प्रत्येक 60 अंक का 120 अंक

(समस्या समाधान, प्राथमिक स्तर पर अनुप्रयुक्त प्रबंधन पहलू जिसमें परमावश्यक औषधं, व्यावसायिक (वैज्ञानिक आधारित रोग, पुनर्वास और सामुदायिक सामाजिक पक्ष) सम्मिलित ।

मौखिक परीक्षा	10 अंक
प्रयोगिक/परियोजना मूल्यांकन	30 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-20 प्रयोगिक-20)	40 अंक
कुल	200 अंक

उत्तीर्ण : प्रत्येक विषय में परीक्षार्थी को 50% पूर्ण योग अंक प्राप्त करने होंगे जिसमें मौखिक परीक्षा सहित सैद्धांतिक परीक्षा में न्यूनतम 50% और प्रयोगिक रोग लक्षण परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक हों ।

भाग-2—प्रत्येक पेपर के दो भाग होंगे । निबन्धात्मक उत्तर वाले प्रश्न न ही दिए जाएं ।

(क) काय चिकित्सा :

सैद्धांतिक : दो पेपर—प्रत्येक 60 अंक का 120 अंक

पेपर-1—सामान्य काय चिकित्सा

पेपर-2—सामान्य काय चिकित्सा (मनोविकार विज्ञान, त्वचा विज्ञान एवं यौन संक्रमित रोग सहित)

(एक प्रश्न आधारिक विज्ञान एवं आनुषंगिक विषयक)

मौखिक परीक्षा एक्सरे, हृदयस्पंद लेख इत्यादि का निर्वचन	20 अंक
रोग लक्षण (विस्तर योज्य)	100 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-30 प्रयोगिक-30 अंक)	60 अंक
कुल	300 अंक

(ख) शल्य चिकित्सा :

सैद्धांतिक : दो पेपर—प्रत्येक 60 अंक का 120 अंक

पेपर-1—सामान्य शल्य चिकित्सा (भाग-1)

अस्थिरोग (भाग-2)

पेपर-2—सामान्य शल्य चिकित्सा

संज्ञाहरण विज्ञान, दंत रोग तथा विकिरण विज्ञान सम्मिलित

(एक प्रश्न आधारित विज्ञान और आनुषंगिक विषयक)

मौखिक परीक्षा जांच परीक्षण डाटा का निर्वचन 200 अंक

रोग लक्षण (बिस्तर पार्श्व)	100 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-30 प्रयोगिक-30)	60 अंक
कुल	300 अंक

शल्य चिकित्सा के पेपर-1 में अस्थिरोग का एक भाग होना चाहिए । अस्थि शल्य चिकित्सा संबंधी इन अस्थि शल्य चिकित्सा के अध्यापक-परीक्षक द्वारा निश्चित किए जाएं और उनका मूल्यांकन भी उन्हीं द्वारा किया जाए ।

(ग) प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान

सैद्धांतिक : दो पेपर—प्रत्येक 40 अंक का 80 अंक

पेपर-1 : प्रसूति विज्ञान जिसमें सामाजिक प्रसूति विज्ञान सम्मिलित ।

पेपर-2 : स्त्री रोग, परिवार कल्याण एवं जनपद विज्ञान (एक प्रश्न आधारित विज्ञान और आनुषंगिक विषयों का होगा)

मौखिक परीक्षा (प्रसव मामलों के निष्पादन सहित (20+10)	30 अंक
रोग लक्षण	30 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-20 प्रयोगिक-20)	40 अंक
कुल	200 अंक

(घ) बाल चिकित्सा विज्ञान : (नवजात शिशु सहित)

सैद्धांतिक : एक पेपर 40 अंक

(एक प्रश्न आधारित विज्ञान और अनुषांगिक विषयों का होगा)

मौखिक परीक्षा	10 अंक
रोग लक्षण	30 अंक
आंतरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक-10 प्रयोगिक-10)	20 अंक
कुल	100 अंक

टिप्पणी : प्रत्येक विषय में परीक्षार्थी को 50% सामूहिक अंक प्राप्त करने चाहिए जिसमें मौखिक परीक्षा सहित सैद्धांतिक परीक्षा में न्यूनतम 50% और प्रयोगिक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक हों ।

13. परीक्षकों की नियुक्ति :

(1) किसी भी चिकित्सा, आयुर्विज्ञान एवं शल्य विज्ञान स्नातक उपाधि को दिया गया कोई व्यावसायिक परीक्षा के लिए अथवा अंतिम व्यावसायिक परीक्षा के किसी विषय के लिए परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसने व्यावसायिक की उपाधि किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्जित किए हुए पांच वर्ष न हो गए हों अथवा विषय विशेष में समतुल्य अर्हता परिषद की सिफारिश के अनुसार अध्यापन अनुभव रखते हों और उस विषय विशेष में, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित कालेजों में, संयुक्त रूप से अध्यापन का, कम-से-कम पांच वर्ष का अनुभव हो ।

(2) 100 छात्रों के लिए कम-से-कम 4 परीक्षक होने चाहिए जिनमें से कम-से-कम 50% बाह्य परीक्षक हों । 4 परीक्षकों में से वरिष्ठतम आंतरिक परीक्षक, अध्यक्ष और समन्वयकर्ता होगा ताकि पूरे परीक्षा कार्यक्रम में परीक्षार्थियों के मूल्यांकन स्तर में एकरूपता अनुरक्षित की जा सके । जहां परीक्षार्थियों की संख्या 100 से अधिक हो वहां एक अतिरिक्त परीक्षक, प्रत्येक 50 या उसके अंश के लिए, नियुक्त किया जाए ।

(3) गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक, जो आयुर्विज्ञान छात्रों को अध्यापन में, पूर्णकालिक अध्यापक हैं, उन्हें उनसे सम्बद्ध विषयों में परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है यदि वे अपेक्षित व्यावसायिक अर्हता रखते हों और उन्हें आयुर्विज्ञान छात्रों को पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव, विज्ञान डिग्री के बाद का हो और यह भी कि 50% परीक्षक (आंतरिक और बाह्य) आयुर्विज्ञान क्षेत्र के होने चाहिए ।

(4) बाह्य परीक्षक उसी विश्वविद्यालय के नहीं होने चाहिए और अधिमानतः राज्य के बाहर के हों ।

(5) किसी विषय के आंतरिक परीक्षक को, विषय विशेष के बाह्य परीक्षक का दायित्व, उस कालेज विशेष का नहीं लेना चाहिए, जिसमें वे, बाह्य परीक्षक उस विषय विशेष का, नियुक्त किया गया हों ।

(6) विश्वविद्यालय जिसमें एक से अधिक कालेज हों, प्रत्येक कालेज के लिए परीक्षकों की अलग टीम नियुक्त की जानी चाहिए जबकि आंतरिक परीक्षक संबद्ध कालेज के हों ।

(7) बाह्य परीक्षक को 2 साल के चक्रानुक्रम में बदला जाना चाहिए ।

(8) पेपर निर्धारक बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा जो आंतरिक परीक्षक होगा और प्रश्नों को संयत करेगा ।

(9) कालेज/संस्थान के विषय विशेष के विभागाध्यक्ष को छोड़कर और रीडर पद के सभी अथवा उसके समतुल्य और वरिष्ठ, जो अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, उन्हें आंतरिक परीक्षक नियुक्त किया जाए और विषय विशेष में बदल-बदल कर नियुक्ति की जाएगी और आगे, जहां कहीं रीडर का कोई पद नहीं है तब किसी सहायक प्रोफेसर, जिन्हें 5 वर्ष का सहायक प्रोफेसर के रूप में अनुभव हो उसकी परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है ।

अध्याय-5

14 शिक्षार्थी

(1) सामान्य

शिक्षार्थी प्रशिक्षण का वह चरण है जिसमें एक स्नातक से अपेक्षा है कि वह चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख-रेख व्यवस्था में व्यवहार में लाए और अधीक्षण के अधीन दक्षता अर्जित करे और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बन पाए ।

(2) विशिष्ट उद्देश्य

शिक्षुता प्रशिक्षण के पश्चात् विद्यार्थी सक्षम होगा कि वह :

(1) रोग लक्षण में आम रोगों का निदान करने की स्थिति को व्यवहार में ला पाएगा और उच्च स्तर पर संदर्भन करने के समीचक निर्णय ले पाए;

(2) आवश्यक औषधें, रक्त या इसके प्रतिस्थापनों के आधान और प्रयोगशाला संचालों का विवेकाधीन निर्णय लेना;

(3) सभी प्रकार की आपात स्थितियां—काय चिकित्सा, शल्य, प्रसूति, शिशुजन्म, बाल-चिकित्सा में प्रथम स्तरीय देख-रेख करना;

(4) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुवीक्षण में कौशल-निदर्शन के रोकथाम और स्वास्थ्यवर्धन के लिए समाज के लिए चलाई गयी हैं;

(5) सेवक्त गण का विकास करना ताकि स्वास्थ्य टीम की अगुवी के रूप में मौजूदा सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान कर सके;

(6) चिरकालिक बीमार और अपंग (शारीरिक और मानसिक दोनों ही) को सेवाएं प्रदान करना तथा रोगियों और समाज के साथ प्रभावी संप्रेषण ।

(3) उपरोक्त विवरण के लिए शिक्षुता-विनिर्धारित आवश्यकताएं: इसे है और व्यावहारिक अनुभव की विशिष्ट तौर पर आवश्यकता रहेगी । यह एकल आवश्यकता अस्पताल जिला अस्पताल में आपात कक्ष में प्रशिक्षक स्टाफ नर्स तथा सभी स्तरों में की शल्य, अस्थिरोग, काय-चिकित्सा, प्रसूति व स्त्री रोग तथा बाल चिकित्सा में सभी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम सहित । व्यावहारिक स्तरों के सम्बन्ध में विभाग के अनुसार की एकीकृत अवधि विशिष्ट समयों पर अधिकतम पाठ्यक्रम समाप्त किए जाने अनुमोदित स्नातक-विनिधान में रोगी सम्पर्क का मिले ।

(4) शिक्षुता—समय-मान

अनिवार्य

सामान्यिक चिकित्सा	3 मास
काय चिकित्सा विज्ञान	2 मास
बाल विज्ञान, अस्पतालेत्तर सहित	2 मास
सामुदायिक/ग्रामीण क्षेत्र या अस्पतालेत्तर स्वास्थ्य नियोजन	2 मास
नाक चिकित्सा विज्ञान	15 दिन
नेत्र विज्ञान	15 दिन
कर्ण-नासा-कंठ विज्ञान	15 दिन
आपात	15 दिन
व्यावसायिक तैयारी	15 दिन

व्यावसायिक विकास :—

व्यावसायिक तैयारी स्नातक विज्ञान में 15 दिनों के लिए विकास-विनिधान में से विशेषीकृत करने में सहायक :—

(1) स्वास्थ्य शिक्षण और सामुदायिक रोग

(2) मानसिक चिकित्सा

(3) यक्ष्मा एवं श्वसन रोग

(4) संज्ञाहरण

(5) रेडियो-निदान

(6) शारीरिक चिकित्सा एवं पुनःस्थापन

(7) न्याय वैधक एवं विष विज्ञान

(8) रक्त कोष एवं आधान विभाग

(5) अन्य विवरण :

(1) शिक्षुता के सभी भाग, जहां तक संभव हो, भारत के संस्थानों में ही पूरे किए जाने चाहिएं । कठिनाई होने की स्थिति में मामला भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को संदर्भित किया जाना चाहिए जो व्यक्तिक गुण-दोष आधार पर विचार करेगी ।

(2) आयु.वि.श.चि.गा. की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक परीक्षार्थी कालेज पाठ्यक्रमों और सम्बद्ध विश्वविद्यालय की सन्तुष्टि को अनुरूप 12 महीने की अवधि की अनिवार्य आसन्नी शिक्षुता करेगा ताकि आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक (एम.बी.बी.एस.) की डिग्री प्रदान करने और पूर्ण पंजीकरण के हकदार हो सकें ।

(3) अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विश्वविद्यालय अनन्तिम आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(4) अनन्तिम आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् अभ्यर्थी को अनन्तिम पंजीकरण प्रदान करेगी। अनन्तिम पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए होगा । कमी अथवा असन्तोषजनक कार्य की स्थिति में, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम पंजीकरण और अनिवार्य आसन्नी शिक्षुता की अवधि उचित रूप से बढ़ाई जा सकती है ।

(5) शिक्षक को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन रोगलक्षण जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। वे स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करेंगे ।

(6) शिक्षक अपने हस्ताक्षर के अधीन कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा चिकित्सा-विधिक प्रलेख जारी नहीं करेगा ।

(7) प्रत्यक्ष अनुभव, रोगी केयरिंग और कुशलता अर्जन की सहजता की मान्यता के लिए अस्पताल में अध्यापन के अतिरिक्त जिला अस्पताल, तालुका अस्पताल, समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध रोगलक्षण सुविधाओं की उपयोग के लिए शिक्षुता को बंधित रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए । शिक्षुता का विवेचनात्मक मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों में यथा सम्बोधित विनिर्दिष्ट अनुभव और कुशलताएं अर्जित करना होगा ।

शिक्षक को प्रशिक्षण के लिए जिला/उपमंडल अस्पताल में तैनात किए जाने के बावजूद, कालेज/विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों वाली एक समिति होनी चाहिए जो ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को नियमित करेगी ।

दर्शाएं कि ऐसे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण सन्तोषजनक रूप से पूरा कर लेने का एक प्रमाण-पत्र सम्बद्ध प्रशासनिक प्राधिकारी से प्राप्त करें जो कालेज के प्रधानाचार्य/डीन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो ।

(8) अभ्यर्थी द्वारा नैदानिक रोगलक्षण विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समायोजन किया जाए ।

(9) प्रत्येक आयुर्विज्ञान कालेज विस्तृत कार्यकलाप मुहैया कराके एक सम्पूर्ण जिले के साथ सम्पर्क स्थापित करे । इसी प्रकार, जिला स्वास्थ्य प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर अध्यापन गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा (आर.ओ.एम.ई.) योजना के पुनर्विन्यास को उपयुक्त रूप से आशोधित किया जाए जो आयुर्विज्ञान कालेज के डीन द्वारा समन्वित होगी;

(10) एक वर्ष में से, 6 माह सुअर्हक स्टाफ से उचित रूप से युक्त अध्यापन अस्पताल/जिला अस्पताल में दी जा रही तृतीयक देखरेख 3 माह किसी छोटे जिला अथवा तालुका अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में द्वितीय देखरेख और 3 माह प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सिस्टम में, जिसमें से 2 माह सामुदायिक स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर पूर्ण ध्यान देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्यतीत किए जाने चाहिए । प्राथमिक देखरेख प्रशिक्षण का एक माह व्यवसायी परिवार चिकित्सक अथवा स्वैच्छिक एजेंसी अथवा अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख दाता के साथ शिक्षक के रूप में व्यतीत करना चाहिए ।

(11) अन्तिम-आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा स्नातक-परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं से एक वर्ष की अनुमोदित सेवा उपर उल्लिखित पूर्व-पंजीकरण-प्रशिक्षण के समकक्ष मानी जाएगी एवेंद्र प्रशिक्षण, यथा-संभव, बेस/सामान्य अस्पताल में होना चाहिए ।

(6) शिक्षुता का मूल्यांकन :

(1) शिक्षु को कार्य का अभिलेख रखना चाहिए जो चिकित्सा अधिकारी, जिसके अधीन वह कार्य करता है, द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है । कार्य के अभिलेख की जांच के अलावा, प्रशिक्षण के दौरान और अन्त में ज्ञान, कुशलता और मनोवृत्ति का परिस्थिति-परीक्षण का प्रयोग करते हुए वस्तुपरक दृष्टिकोण द्वारा प्रशिक्षण का निर्धारण और मूल्यांकन किया जाए। कार्य के अभिलेख और मूल्यांकन की तारीख के आधार पर डीन/प्रधानाचार्य प्रशिक्षण सन्तोषजनक रूप से पूरा हो जाने का प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिसके बाद विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान और शल्य-चिकित्सा स्नातक डिग्री प्रदान करेगा अथवा उसे इसका पात्र घोषित करेगा ।

(2) सन्तोषजनक रूप से पूरा करना निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित किया जाएगा :—

(1) प्रत्येक मामले के लिए अपेक्षित ज्ञान की प्रवीणता
अंक 0–5

(2) प्रत्येक मामले के निपटान के लिए अपेक्षित कुशलता की क्षमता :

(क) स्वयं कार्य-निष्पादन के कार्य-निष्पादन की क्षमता,

(ख) प्रक्रिया में सहायता करने की,

(ग) प्रेक्षण की ।

अंक 0–5

(3) जिम्मेदारी, समय पाबन्दी, मामले की संक्षिप्त प्रस्तुत करना, उपचार में लगन, अनुवर्ती रिपोर्ट ।
अंक 0–5

(4) टीम में कार्य करने की क्षमता (सहकर्मियों, नर्सिंग स्टाफ के साथ व्यवहार और परा-चिकित्सकों के साथ संबंध) ।
अंक 0–5

(5) पहल, चर्चा में भाग लेना, अनुसंधान अभिरुचि ।
अंक 0-5

निकृष्ट/सन्तोषजनक/औसत से कम/औसत/औसत से अधिक/उत्कृष्ट

0 1 2 3 4 5

उपर्युक्त मदों में से किसी भी मद में 3 से कम अंक शैक्षिक शिक्षुता का असन्तोषजनक रूप से पूरा करना ।

(7) विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्विज्ञान और शल्यचिकित्सा स्नातक डिग्री प्रदान करने पर अथवा अभ्यर्थी को इसका पात्र होने की घोषणा करने पर राज्य आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा ही पूर्ण पंजीकरण किया जाएगा ।

(8) प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ विशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं ।

(9) शिक्षुता-अनुशासन संबंधी :

(1) सामुदायिक औषधि

शिक्षु का प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के सन्दर्भ में व्यक्ति विशेष और समुदाय से कारगर रूप से व्यवहार करने की कुशलता अर्जित करनी चाहिए । यह जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त की जाएगी । प्रशिक्षण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल/सामान्य व्यवसायी के साथ सम्बद्धता :—

(1) शिक्षुता की इस अवधि के दौरान शिक्षु निम्नलिखित अवश्य अर्जित करे :

(क) सामान्य रोगों के निदान के लिए रोग लक्षण क्षमता, जिस्तर पर जांच और प्राथमिक देखरेख तकनीकों का प्रयोग;

(ख) "अनिवार्य औषध" की जानकारी प्राप्त करना और उनका प्रयोग;

(ग) आयुर्विज्ञान आपात-स्थिति की पहचान, पुनर-रूजीवन और आरम्भिक उपचार करने और उचित संस्थान को भेजना ।

(2) सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों (अर्थात् शिशु जीविकता और सुरक्षित मातृत्व-ई.पी.आई., सी.डी.डी., ए.आई.आई., एफ. पी., ए. एन. सी., सुरक्षित प्रसव, यक्ष्मा कुष्ठ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सिफारिश अनुसार अन्य) में चिकित्सा अधिकारियों के लिए भारत सरकार विहित प्रशिक्षण मैनुअल का प्रयोग करते हुए भारत सरकार/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना :—

(क) संक्रामक रोगों के प्रतिरक्षण में पूर्ण अनुभव प्राप्त करना;

(ख) स्थानीय रूप से मौजूद पोषणात्मक विकार सहित स्थाई रोगों के निवारण और नियंत्रण के कार्यक्रमों में भाग लेना;

(ग) परिवार कल्याण नियोजन प्रक्रियाओं की प्रत्यक्ष कुशलताएं सीखना;

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रबन्धन सीखना;

(3) सर्वेक्षण करने का सक्षम और सामुदायिक निदान प्राप्त करने के नियमित उपायों के रूप में इसके निष्कर्षों का प्रयोग करना ।

(4) (क) स्वास्थ्य शिक्षा पर कार्यक्रम आयोजित करना,

(ख) श्रव्य-दृश्य उपकरणों के प्रयोग की क्षमता हासिल करना,

(ग) सामुदायिक स्वास्थ्य की प्रगति के लिए वैज्ञानिक सूचना के उपयोग की सक्षमता अर्जित करना ।

(5) जल आपूर्ति, खाद्य संवितरण और अन्य पर्यावरणीय/सामाजिक एजेन्सियों जैसी अन्य एजेन्सियों से सम्पर्क स्थापित करने की क्षमता ।

(6) सम्पर्ण भावना, साधनपूर्णता और नेतृत्व के साथ व्यवसायी होने की योग्यता अर्जित करना ।

(7) परा चिकित्सा स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य व्यवसायियों की कार्य प्रत्यायोजन की प्रबन्धकीय कुशलताएं अर्जित करना ।

(2) तालुका अस्पताल

पर्यावरण में रोगी का मूल्यांकन करने में और प्राथमिक देखरेख आरम्भ करने में रोगलक्षण कुशलता के अलावा, एक शिक्षु :—

(1) नेतृत्व के गुणों सहित स्वास्थ्य टीम के अन्य सदस्यों के साथ प्रभावी रूप से भाग लें;

(2) महामारी जैसी विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में सामुदायिक निदान करें और संक्रामक रोगों के लिए सुनियत नियंत्रण उपाय आरम्भ करें;

(3) अस्पताल आधारित अस्वस्थता दर और मृत्यु दर सांख्यिकी के विश्लेषण के लिए सक्षमता विकसित करें;

(4) उपलब्धता, कीमत और दुष्प्रभावों की जानकारी के साथ समुदाय में अनिवार्य औषध का प्रयोग करें;

(5) व्यक्ति विशेष/समुदाय को निम्नलिखित पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें :—

(क) यक्ष्मा,

(ख) छोटा परिवार, सन्तान अन्तराल उपयुक्त निरोधकों का प्रयोग,

(ग) पोषण अनुपयुक्त और मातृ और शिशु देखरेख,

(घ) प्रतिरक्षण,

(ङ) विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेना ।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(1) परिवार संग्रथित स्वास्थ्य देखरेख (जन्म से मृत्यु तक), आरम्भ करना अथवा भाग लेना, घटनाओं की सूची;

(2) समुदाय स्वास्थ्य अर्थात् सुरक्षित मातृत्व, पोषणात्मक निगरानी और पुनर्वास, अतिसार विकार आदि, के लिए फील्ड-अभ्यास पर सभी मोड्यूलों में भाग लेना;

(3) सामान्य बीमारियों अर्थात् मलेरिया, यक्ष्मा, आन्त्र ज्वर, रक्ताधिक्य हृदपात, यकृत-शोथ, मस्तिष्कावरण शोथ, तीव्र वृक्कपात आदि के निदान और उपचार में सक्षमता अर्जित करना;

(4) परिवार कल्याण कार्यक्रमों (जन्मपूर्व देखरेख, सामान्य प्रसव, गर्भ-निरोधक देखरेख आदि) के लिए प्रवीणता अर्जित करना ।

(4) सामान्य काय-चिकित्सा

(1) शिक्षु अपनी कालावधि के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त करें :—

(1) इतिवृत्त, शारीरिक जांच और सम्बद्ध प्रयोगशाला परीक्षणों पर आधारित रोगलक्षण निदानों और उचित उपचार विधा आरम्भ करने की क्षमता अर्जित करना;

(2) इसमें उष्णकटिबंध (परजीवी, जीवाणिवक अथवा वाइरस संक्रमण, जल-न्यूनता और इलैक्ट्रोलाइट घबराहट सहित पोषणात्मक विकार) में सामान्य रोग और तन्त्र बीमारियां शामिल हैं ।

(2) शिक्षु को हृद, श्वसन, यकृत, तंत्रिका विज्ञानीय और चयापचयी आपात-स्थितियों की गहन देखरेख में देखरेख दल के रूप में सहायता की हो ।

(3) शिक्षु निम्नलिखित प्रयोगशाला परीक्षा करने का योग्य होना चाहिए :—

(क) रक्त : नेमी रुधिर चित्रण आलेप और रक्त ग्रुप);

(ख) मूत्र : नेमी रसायनिक और सूक्ष्मदर्शनी);

(ग) मल : विम्ब/कृमिकोश और प्रच्छन्न रुधिर);

(घ) कफ और ग्रामअभिरंजन अथवा अम्लीय तीव्र अभिरंजन के लिए कंठ फुदरी और

(ङ) आलेप के लिए प्रमस्तिष्कमेरू द्रव्य (सी.एस.एफ.)।

(4) निम्नलिखित नैदानिक प्रक्रिया करें :—

(क) मूत्रमार्ग नालशलाका प्रवेशन;
मलाशयदर्शन;
दृष्टिपटलदर्शन/कर्णदर्शन;
अप्रत्यक्ष स्वरयंत्रदर्शन;

(ख) उपचारार्थ प्रक्रिया;
रायल्स नलिका का अन्तःस्थापन;

फुफ्फुसावरणी, जलोदर नलन, प्रमस्तिष्कमेरू द्रव्य (सी.एस.एफ.) नलन, वायुग्रथ नलिका स्थापन, आक्सीजन लगाना आदि ।

(5) जीवऊति परीक्षा :

यकृत, वृक्क, त्वचा, तंत्रिका, लसिका पर्व और मांसपेशी जीवऊति परीक्षा, अस्थि मज्जा चूषण, मलहपिर वृद्धि विक्षति की जीवऊति परीक्षा, कुष्ट के लिए नासा/तंत्रिका आलेप।

(6) (क) जीवन रक्षक प्रक्रिया के साथ परिचित होना जिसमें चूषित्र, इवसिव तथा पिलाकूविकम्पनित्र का प्रयोग शामिल है ।

(ख) विभिन्न मानिटरिंग साधनों की व्याख्या में क्षमता जैसे हृद मानिटर, रक्त गैस विश्लेषक आदि ।

(7) किसी व्यक्ति की पूर्ण स्वास्थ्य देखरेख में एक टीम सदस्य के रूप में भाग लेना जिसमें उपयुक्त अनुधरीक्षण तथा सामाजिक पुनर्वास शामिल है ।

(8) सामान्य उद्देश्यों में निर्दिष्ट अन्य क्षमताएं ।

(3) बाल चिकित्सा विज्ञान :

बाल चिकित्सा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान किसी शिक्षु द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुशलता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

शिक्षु को निम्न करने योग्य होना चाहिए :

(1) सामान्य बाल्यावस्था विकार की पहचान तथा उपचार जिसमें नवजात विकार तथा घोर आपात-कालीन (बीमार बच्चों के माता-पिता द्वारा पूछताछ), बीमार बच्चे की जांच तथा सूचना का अभिलेखन करना;

(2) रोगी देखभाल से संबंधित क्रियाओं जैसे प्रयोगशाला कार्य, अन्वेषणिक प्रक्रिया तथा विशेष उपकरणों का प्रयोग करना/ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है :—

(क) नैदानिक तकनीक : उक्त (उर्विका बिन्दु तथा नाभिय रज्जु सहित), विसर्जी, प्रमस्तिष्कमेरु तरल, मूत्र, फुफ्फुसावरण तथा पर्युदर्या, तथा सामान्य उनके जीवऊतिन परीक्षा तकनीक;

(ख) रोगी देखरेख में संबद्ध तकनीक : टीकाकरण, द्रव निवेशन तकनीक, भोजन प्रक्रिया, ट्यूबर-कुलिन परीक्षण एवं दूध-पिलाने संबंधी सलाह;

(ग) उपकरणों का प्रयोग : देखरेख प्राप्त कर रहे जैव मानिटरिंग, तापमान मानिटरिंग, जन्म के समय पुनरुज्जीवन तथा बच्चों की देख-रेख;

(3) नवजात शिशु की स्क्रीनिंग तथा किसी असंगति के कारकों की अभिहृशक जोखिमों सहित भविष्य में उनकी रोकथाम के उपाय;

(4) माता-पिता तथा रोगी के सहयोग में योजना बनाना और नवजात शिशुओं, शिशु एवं बच्चों की संवृद्धि एवं विकास का वैयक्तिक सामूहिक अवेक्षण ताकि वे निम्न को करने में समर्थ हों :—

(क) असामान्यताओं की संवृद्धि की पहचान;

(ख) मनःप्रेरक विकास की विषमताओं की पहचान

(ग) जन्मजात असामान्यताओं का पता लगाना;

(5) नवजात शिशुओं और बच्चों के पोषणात्मक और आहारतात्मक स्तर का निर्धारण और वैयक्तिक और सामुदायिक स्तर दोनों पर निरोधात्मक, ज्ञात करने और अपूर्णता विकार की अनुवर्ती कार्रवाई आयोजित करना जैसे :—

(क) प्रोटीन-उर्जा अपर्याप्त पोषण;

(ख) विटामिनों की कमी विशेषतः ए, बी-सी. और डी.;

(ग) लोह (आयरन) अपूर्णता;

(6) सामान्य शिशुकाल अव्यवस्थाओं के लिए आपात-चिकित्सा इलाकों और ओरल रीहाइड्रेशन थैरेपी के विशेष सन्दर्भ में शीघ्र उपचार आरम्भ करना ।

(7) समुदाय में बच्चों के निमित्त अभिमुख जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना ।

(4) सामान्य शल्य-चिकित्सा

एक शिक्षु से अपेक्षा है कि अपनी तैनाती के दौरान निम्न-लिखित कुशलताएं अर्जित करे :—

(क) आपातस्थिति सहित सभी शल्य-चिकित्सीय अवस्थाओं का पर्याप्त यथार्थता के साथ निदान ।

(ख) (क) गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त रोगी और बुरी तरह जले रोगी का पुनरुज्जीवन;

(ख) सतही रक्तस्राव का नियंत्रण और खुले घावों का उपचार;

(ग) (क) सिर, रीढ़, वक्ष, उदरीय और श्रोणि चोट के रोगियों को मानीटर करना;

(ख) गम्भीर उदरीय प्रारम्भिक उपचार आरम्भ करना;

(घ) (क) शिराशल्यक्रिया करना;

(ख) श्वास प्रणाल छिद्रीकरण करना और अन्तः श्वासनली में नलिकास्थापन;

(ग) तीव्र अवधारण के साथ रोगी को नास शलाका प्रवेशन अथवा ट्रोकार मूत्राशय छिद्रीकरण;

(घ) उगारिस्थ विसूचि निकासिका;

(ङ) घाव सीवनी;

(च) खतना करना;

(छ) सतही अर्बुद की जीवऊतिः

(ज) नसबन्दी करना ।

(5) आघात :

शिक्षु आघात-स्थिति में प्रशिक्षण के पश्चात् निम्नलिखित करने के योग्य हो :—

(1) आयुर्विज्ञान व्यवसाय की विभिन्न विधाओं में अत्यन्त आपात मामलों की पहचान करना;

(2) तीव्र तीव्रगामी आघात का उपचार करना;

(3) परिमरीय-बाह्यिकाघात और आघात का उपचार करना;

(4) तीव्र फुफ्फुस शोफ और वाम निलयीपात;

(5) डूबने, विषाक्तता और अभिग्रहण का आपात उपचार करना;

(6) श्वसनी दमा और स्टेटस अस्थमेटिक्स का आपात उपचार करना;

(7) अतिज्वर का आपात करना;

(8) मायुपथ विषाक्तता संबंधी समस्त रोगियों का आपात उपचार, चूषण और घोटों का निवारण करना;

(9) जलने के मामलों का निर्धारण और आपात उपचार करना;

(10) विभिन्न अभिघात पीड़ितों का निर्धारण करना और आपात उपचार करना;

(11) चिकित्सा-विधिक मामलों की पहचान करना और खोट, विषाक्तता, यौन अपराधों, नशे के मामलों और अन्य अप्राकृतिक परिस्थितियों में फार्म भरना और साथ ही अन्य चिकित्सा-विधिक औपचारिकताएं पूरा करना सीखना ।

(6) प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान

प्रशिक्षु से निम्नलिखित तकनीकी कुशलताएं सीखने की अपेक्षा है :—

(1) शुरूआती सगर्भता का निदान और जन्मपूर्व देख-रेख की व्यवस्था;

(2) निम्नलिखित संबंधी सगर्भता का विकृति निदान

(क) गर्भपात;

(ख) अस्थानिक सगर्भता;

(ग) अर्बुद उपद्रवीय सगर्भता;

(घ) शुरूआती सगर्भता में तीव्र उदर;

(ङ) गर्भिणी अतिवमन;

(3) उच्च ओखिम सगर्भता मामलों का पता लगाना और पी आई.एच. अतिउच्चरक्तदाबता, प्रसवपूर्व रक्तस्राव, बहु सगर्भता, उप-सामान्य वृद्धि और अन्तर्गर्भाशय संवृद्धि मन्दता जैसी उपयुक्त सलाह देना;

(4) जन्मपूर्व श्रोणि निर्धारण और शीर्ष श्रोणि अनुपात;

(5) प्रसव प्रेरण और पर्यवेक्षणाधीन उत्क्लेछेदन;

(6) सामान्य प्रसव का उपचार, उपसामान्यताएं ज्ञात करना, प्रसवोत्तर रक्तस्राव और मूलाधार त्रिवार विरोहण;

(7) फारसेप्स प्रसव में सहायता;

(8) सीजरी शल्यक्रिया और उसकी शल्यक्रिया उपरान्त सहायता करना;

(9) स्तनपान की असामान्यताओं का पता लगाना और उनका प्रबन्ध;

(10) गर्भावस्था के दौरान दबाव-रहित परीक्षण करना;

(11) योनिद्वारा, योनिमार्ग, गर्भाशय तथा डिम्बग्रन्थि की आम जन्मजात, शोथयुक्त, नीओ-प्लास्टिक, और उपघातक स्थितियों का पता लगाने के लिए प्रतिनिम्बी, योनिक, मलाशयी परीक्षा करना;

(12) स्त्रीरोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में चिकित्सा न्यायिक परीक्षा;

(13) निम्नलिखित कार्यविधियां करना :

(क) विस्तारण और खरचन तथा अवशेष खरचन ।

(ख) गर्भाशय झिल्ली बायोप्सी;

(ग) गर्भाशय झिल्ली चूषण;

(घ) स्तनाग्र आलेप संग्रह;

(ङ) अन्तःयोनि गर्भ निरोधक प्रणाली (आई.यू.सी.डी.) अन्त स्थापना;

(च) भ्रूणिलाप बांधना;

(छ) मूत्रमार्गीय नलिका द्वारा मूत्र निष्कासन;

(ज) आपरेशन पश्चात मामलों में सीवन हटाना;

(झ) रक्षित छेदक आयोणी;

(14) प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग विज्ञान में उदरीय और योनिक बड़े शल्यचिकित्सा मामलों में सहायता करना;

(15) प्रसूति विज्ञान तथा स्त्रीरोग विज्ञान के आपरेशन पश्चात मामलों में निम्नलिखित से संबंधित अनुवर्ती कार्य में सहायता करना :

(क) योनिदर्शन;

(ख) एसक्रेडाइल प्रोस्टग्लेन्डीन उपकाय जैसी द्वितीय तिमाही गर्भासंस्था के चिकित्सीय समापन (एम.टी.पी.) की कार्यविधियां;

(16) खाने के गर्भ निरोधक का मूल्यांकन करना तथा सलाह देना ।

(7) कर्ण नासा कंठ विज्ञान (ई. एन. टी.)

(1) प्रशिक्षु शिरा तथा धमनी की आपात स्थिति तथा दुर्दम अर्बुद सहित कान, नाक तथा गले (ई.एन.टी.) की सामान्य बीमारियों के व्यापक निदान की योग्यता अर्जित करेगा ।

(2) वह हैंड-ड्रिल्स, ओटो-स्कोप के प्रयोग और अप्रत्यक्ष कंठपरीक्षण में कार्यकुशलता अर्जित करेगा/करेगी और सामान्य कान, नाक तथा गला (ई. एन. टी.) समस्याओं के प्रबन्ध में प्रथम श्रेणी की कार्यकुशलता अर्जित करेगा/करेगी ।

(3) वह छोटी शल्य-क्रिया संबंधी कार्यविधियां करने योग्य होगा/होगी जैसे कि :

(क) कान में पिचकारी लगाना, नकसीर के लिए नाक का कॉटर-स्टेदल तथा नासिका-पैकिंग;

(ख) पिचकारी से नाक की धुलाई तथा बाह्य रुधिका की पैकिंग;

(ग) नाक तथा कान से शल्यकार्य अवशेष को हटाना;

(घ) विभिन्न अन्वीक्षा कार्यविधियों तथा ट्रेकियोस्टमी का प्रयोग करना अथवा इसमें सहायता करना;

(4) प्रशिक्षु ने सामुदायिक निदान, अर्थात् चिरकारी मध्य कर्ण-शोथ (सी.एस.ओ.एम.) में दल के सदस्य के रूप में भाग लिया होगा और उसे बहुरायन रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की जानकारी होगी ।

(5) वह कान-नाक-गले के विभिन्न पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों का ज्ञान प्राप्त करेगा/करेगी ।

(8) नेत्र विज्ञान

प्रशिक्षु को निम्नलिखित में कार्य-कुशलता अर्जित होगी :—

(1) वह आम नेत्र-वैज्ञानिक स्थितियों के निदान तथा प्रबन्ध में योग्यता प्राप्त कर सकेगा/सकेगी जैसे कि

चोट, सीर्ष नेत्रश्लेष्मलाशोथ, क्लैमिडिक नेत्रश्लेष्मलाशोथ, शुष्कतामय, एन्ट्रोपिऑन, पक्ष्मपटल अल्सर, दूरीडोसाइक्लाइटिस, कॉर्नियन (माँसपिंडा), दोषमय दूरदृष्टि, मोतियाबिन्द, ग्लाकोमा, नेत्रिका चोट तथा दृष्टि की अचानक हानि ।

(2) वह अपवर्तक त्रुटियों का मूल्यांकन करने और उसके सुधार की सलाह देने में समर्थ हो जाएगा/जाएगी ।

(3) वह आम क्रमवर्तक विकारों में नेत्रिका परिवर्तनों का निदान कर सकेगा/सकेगी ।

(4) वह जांच पड़ताल की कार्यविधियां अपना सकेगा/सकेगी जैसे कि :—

टोनोमीटरी, चिकित्सारी लगाना, प्रत्यक्ष नेत्र-परीक्षा, विषय-परक-अपवर्तन तथा चक्षुपटल का प्रतिदीप्ति अभिरंजन ।

(5) उसने निम्नलिखित कार्यविधियां अपनाई होंगी अथवा उनमें सहायता की होगी :—

(1) उप नेत्रश्लेष्मला इंजैक्शन;

(2) नेत्रिका मरहम-पट्टी;

(3) कंकर-पत्थरी को निकालना;

(4) रोमच्छेदन तथा ट्रलैकिडोसिस;

(5) नेत्रिका शल्यक्रिया अवशेष हटाना;

(6) नेत्रका अल्सर का प्रबंध ;

(7) कलैजिऑन हटाना;

(8) एन्ट्रोपिऑन सुधार;

(9) सीवन नेत्रश्लेष्मला अक्ष;

(10) पलक मरम्मत;

(11) ग्लोबोमा शल्य-क्रिया (सहायता);

(12) शव में नेत्र निष्कर्षण;

(6) वह अंधे व्यक्ति के पुनर्वास के लिए उपलब्ध प्रणालियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा/करेगी ।

(9) विकलांग चिकित्सा

लक्ष्य :

स्नातकपूर्व विद्यार्थी को विकलांग चिकित्सा तथा पुनर्वास में शिक्षण का लक्ष्य ऐसा ज्ञान तथा व्यावहारिकता प्रदान करना है जिससे वह आम बीमारियों का निदान तथा उपचार करने में समर्थ हो सके । उसे अस्थि-भंग, अस्थि विस्थापन, तीव्र अस्थि-मज्जा शोथ पोलियो और जन्मजात क्लैबिपेस इक्विनोवारस (सी.टी.ई.वी.) और कल्हा विस्थापन (डी. डी. एच.) जैसी आम जन्मजात विकृतियों की उपस्थिति को निदान और अनुशंसा की योग्यता हो जाएगी ।

(क) चिकित्सा :—एक प्रशिक्षु को निम्नलिखित की जानकारी आवश्यक है :—

(क) आपात स्थिति में आपकी सहायता, विशेषकर आपकी आंखों और आपरेशन उपरांत आपकी आंखों के उपचोजन के लिए पट्टी (प्लास्टर की गोटाई) तथा शोषण पट्टी का प्रयोग ।

(ख) सामान्य अस्थि भंग का हस्त-लघूकरण-अंगुलिस्थि-विस्थापन, करास्थि, गात्रशालाक और कलाई अस्थि-भंग

(ग) सामान्य अस्थि-विस्थापन का हस्त-लघूकरण-अंतः अंगुलीय, हथेली अस्थि-भंग, कोहनी तथा कंधे की अस्थि-विस्थापन

(घ) भुजा, अग्रबाहु, पैर तथा टखने के गैर-विस्थापित अस्थि-भंग के लिए प्लास्टर कास्ट का प्रयोग

(ङ) विभिन्न चोट रोगी की आपात देखरेख

(च) भैरवतम्भ चोट रोगियों के परिवहन तथा शैय्या देखरेख के बारे में सावधानियां

(छ) पर्यवेक्षण के अधीन प्रशिक्षु द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कार्यकुशलता

(ज) पेरियो, एर्थ्रन्य फालिज, सी.टी.ई.वी. तथा सी.डी.एच. के लक्षण के बारे में सलाह

(झ) हाथ के कटे अंगों तथा विकृत क्षतज और कुष्ठ विकृतियों के पुनर्वास के बारे में सलाह देना

(ञ) किसी प्रशिक्षु ने निम्नलिखित आपरेशन अवश्य देखे होंगे अथवा उनमें अवश्य सहायता की होगी :—

(1) तीव्र अस्थि-संयोजन के लिए निकास-व्यवस्था

(2) चिरकारी अस्थि-संयोजन में विविक्त उच्छेदन

(3) बाह्य स्थिरीकरण का प्रयोग

(4) लम्बी अस्थियों के अस्थि-भंग का आंतरिक स्थिरीकरण

(10) त्वचा रोग विज्ञान तथा लैंगिक संचारण रोग

प्रशिक्षु को निम्नलिखित का ज्ञान होना आवश्यक है :—

(1) उचित क्लीनिकल परीक्षा करना, प्रत्यक्ष निष्कर्षों को स्पष्ट करना तथा उनकी व्याख्या करना और आम विकारों तथा आपात स्थितियों में निदान

(2) शैय्या पर निदान करने के लिए साधारण, वस्तूरी जांच-पड़ताल कार्यविधियां अपनाना । विशेष रूप से फंगस के लिए खुरचन की परीक्षा, कुष्ठ रोगी के लिए और लैंगिक संचारण मामलों के लिए ए.एफ.बी. के लिए रेखाछिद्र लेपन तथा अभिरंजक तैयार करना

(3) नैदानिक प्रयोजनों के लिए त्वचा की बायोप्सी लेना

(4) चिकित्सीय प्रतिक्रिया की अनुपयुक्तता के मामले में विशेषज्ञ देखरेख के लिए निर्देशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामान्य रोगों का प्रबन्ध ।

(11) मनोरोग विज्ञान

प्रशिक्षु के लिए निम्नलिखित जानकारी होनी आवश्यक है :—

(1) सामान्य मनोरोग विकारों का निदान तथा प्रबन्ध

(2) क्लीनिकल व्यवसाय तथा समुदाय-व्यवस्था में आचारविज्ञान तथा शल्य-चिकित्सा रोगियों में मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया तथा मनोरोग विकारों की पहचान तथा प्रबन्ध

(12) वक्ष तथा श्वसन रोग

प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु को निम्नलिखित ज्ञान होना आवश्यक है :—

(1) उचित क्लीनिकल परीक्षा करना, क्लीनिकल निष्कर्षों को स्पष्ट करना तथा उनकी व्याख्या करना और आम श्वसन विकारों तथा आपात स्थिति में निदान ।

(2) शय्या पर निदान करने के लिए अपेक्षित साधारण, दस्तूरी जांच पड़ताल कार्यविधियां अपनाना, विशेष रूप से थूक संग्रह, ए.एफ.बी. जैसे हेतुकीय जीवी के लिए परीक्षा, छाती के एक्सरे तथा श्वसन प्रणाली परीक्षणों की व्याख्या ।

(3) विभिन्न श्वसन रोगों में विभिन्न रक्त गैसों और पूर्व असामान्यताओं की व्याख्या तथा प्रबन्ध ।

(4) चिकित्सीय प्रतिक्रिया की अनुपयुक्तता के मामले में विशेषज्ञ परामर्श के लिए निर्देशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आम रोगों का प्रबंध ।

(5) आम कार्यविधियां अपनाना, जैसे कंठ-परीक्षण, प्लूरा चूषण, श्वसन भौतिक चिकित्सा, कंठ नलिका प्रवेशन तथा फुफ्फुस-वक्षीय निकास चूषण ।

(13) निश्चेतनता

निश्चेतनता विज्ञान विभाग में प्रशिक्षु काल के बाद प्रशिक्षु को निम्नलिखित का ज्ञान, कार्यकुशलता तथा अभिवृत्ति अर्जित करेगा/करेगी :—

(1) निश्चेतनता-पूर्व जांच करना और निश्चेतन करने से पहले औषधियां देने की सलाह ।

(2) विषाक्तता-छेदन करना तथा अन्तःशिरा द्रवपात्र स्थापित करना ।

(3) कंठ-परीक्षण तथा श्वास नलिका प्रवेशन की व्यवस्था ।

(4) कटि-बंधन, मेरू निश्चेतनता तथा साधारण तंत्रिका संज्ञाहरण करना ।

(5) पर्यवेक्षण के अधीन साधारण सामान्य निश्चेतना कार्य-विधियां करना ।

(6) निश्चेतनता के दौरान तथा आपरेशन पश्चात अवधि में रोगियों को मानीटर करना ।

(7) आपात-निश्चेतनता से संबद्ध समस्याओं की पहचान तथा प्रबन्ध ।

(8) निश्चेतनता अभिलेख रखना ।

(9) आपरेशन पश्चात अवधि में जटिलता की पहचान तथा उपचार ।

(10) हृद् संरोध की पहचान करने के साथ-साथ हृद् फुफ्फुस मस्तिष्क पुनःसक्रीयता (सी. पी. बी. आर.) सही रूप में करना ।

(14) विकिरण निदान

प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु को निम्नलिखित की पहचान तथा निदान करने में अवश्य सक्षम हो जाना चाहिए :—

(1) आपात कक्ष विकिरण विज्ञान के सभी पहलू जैसे —

(क) सभी तीव्र उदरीय स्थितियां ।

(ख) मस्तिष्क चोटों पर विशेष ध्यान देते हुए सम्पूर्ण तीव्र क्षतज स्थिति ।

(ग) चिकित्सीय तथा शल्य चिकित्सीय विकिरण वैज्ञानिक आपात स्थितियों के बीच अन्तर करना ।

(2) विकिरण नैदानिक व्यवहार में बुनियादी जोखिम तथा सावधानियां ।

(15) भौतिक औषध तथा पुनर्वास

किसी भी प्रशिक्षु से यह आशा की जाती है कि वह अपने प्रशिक्षु काल के दौरान निम्नलिखित में कार्य-कुशलता अर्जित कर लेगा/लेगी :—

(1) व्यवहार इतिवृत्त तथा पोलियो, मूर्धन्य फालिज, पक्षाघात, अधरांगघात, अंधछेदन आदि जैसी सामान्य असमर्थताजन्य स्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर क्लीनिकल निदान के लिए सक्षमता ।

(2) सामान्य असमर्थताजन्य स्थितियों में उपयुक्त अनुवर्ती कार्य सहित पूर्ण पुनर्वास में दल के सदस्य के रूप में भागीदारी ।

(3) कृत्रिम अंगों और उपकरणों के निर्माण और मरम्मत के सिद्धान्त और कार्य-विधियां ।

(4) विभिन्न चिकित्सीय औषधि कार्य ।

(5) स्वयं सहायता तरीकों का प्रयोग और रुपची तथा गति-शीलता साधन ।

(6) सुगमता समस्याओं की जानकारी तथा अपने व्यक्तियों के लिए गृह रचना

(7) पोलियो में विरूपता की रोकथाम तथा किसी अंग-भंग व्यक्ति की स्थिति में स्टम्प व्यायाम आदि जैसी सामान्य परिस्थितियों में सरल व्यायाम चिकित्सा प्रदर्शित करने की योग्यता ।

(16) न्यायालयीय औषध तथा विष-विज्ञान

प्रशिक्षु के न्यायालयीय औषध विभाग के साथ सम्बद्ध रहने की अवधि के दौरान उसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अस्पताल के आपात विभाग में तैनात किया जाएगा :—

(1) अस्पताल में तथा सामान्य व्यवसाय में चिकित्सा न्यायिक समस्याओं की पहचान ।

(2) विभिन्न अस्पताल परिस्थितियों में चिकित्सा-कर्मी की चिकित्सा-न्यायिक जिम्मेदारियों की पहचान तथा समझ ।

(3) सामुदायिक में बुनियादी विषाक्तीकरण परिस्थितियों का निदान करने और प्रबन्ध की समझ में समर्थ होना ।

(4) लैंगिक प्रहार (मैथुन के मामले में यह सीखना कि उनमें किस प्रकार कार्रवाई की जाए ।

(5) विभिन्न चिकित्सा-न्यायिक परिस्थितियों में चिकित्सा-न्यायिक रिपोर्ट तैयार करने की योग्यता ।

(6) पुलिस द्वारा कार्य-निष्पादन के दौरान विभिन्न चिकित्सा न्यायिक शव-परीक्षा कार्यविधियां तथा औप-चारिकताएं सीखना ।

परिशिष्ट "क"

आयुर्विज्ञान स्नातक तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक (एम.बी.बी.एस) पाठ्यक्रम के लिए "परिवार कल्याण" में पाठ्यक्रम ।

पाठ्यक्रम पर विभिन्न क्लीनिकल शीर्षों में पूर्व तथा उनके साथ विचार किया जाए और प्रत्येक विषय के लिए निम्नलिखित ब्यौरे तैयार किए गए हैं :—

1. शरीर रचना विज्ञान

(1) पुरुष तथा महिला जननेन्द्रियों का स्थूल तथा सूक्ष्म-वर्णी शरीर रचना-विज्ञान ।

(2) रजोधर्म (मासिक-धर्म आवृत्ति) ।

(3) शुक्राणु-जनन तथा डिम्ब-विकास ।

(4) डिम्ब का गर्भाधान ।

(5) गर्भावस्था में महिला में उतार तथा अंग परिवर्तन ।

(6) भ्रूण-विज्ञान तथा अंग-विकास ।

(7) जननविद्या के सिद्धान्त ।

(8) निरोधक गर्भधारण की नैसर्गिक पद्धतियों का व्यवहारिक शरीर रचना विज्ञान ।

(क) महिला में—रासायनिक गर्भ-निरोधक, पेसरी, अन्तःयोनि गर्भ निरोधक प्रणाली (आई.यू.सी.डी.), नलबंदी आदि ।

(ख) पुरुष में—कंडोम, नसबंदी आदि ।

2. शरीर-क्रिया-विज्ञान

(1) प्रजनन का शरीर क्रिया विज्ञान ।

(2) महिला में प्रजनन के अन्तःस्रावी तथा नियमन ।

(3) पुरुष में प्रजनन के अन्तःस्रावी तथा शरीर क्रिया विज्ञान ।

(4) गर्भावस्था, प्रसूति तथा स्तनपान का शरीर रचना विज्ञान तथा अन्तःस्रावी विज्ञान ।

(5) गर्भावस्था तथा स्तनपान के दौरान माता तथा शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ।

(6) गर्भ-निरोध की सुरक्षित गर्भग्रहण विधि ।

(7) खाने के गर्भ-निरोधकों के प्रयोग के सिद्धान्त ।

3. फार्माकालाजी

(1) निम्नलिखित की प्रतिक्रिया तथा प्रयोग का तरीका

(क) रासायनिक गर्भ निरोधक

(ख) खाने के गर्भ निरोधक ।

(2) गर्भ निरोधकों के प्रयोग के लिए प्रति निर्देश ।

(3) गर्भ-निरोधकों के विपरीत प्रभाव ।

4. सामुदायिक औषध

(1) परिवार कल्याण योजना के लिए आवश्यकता ।

(2) परिवार कल्याण योजना सेवा का संगठन ।

(3) परिवार कल्याण योजना के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा ।

(4) पोषण ।

(5) माता, शिशु तथा कल्याण की शरीर रचना वैज्ञानिक आवश्यकताएं ।

(6) जनांकिकी तथा जन्म-मृत्यु के आंकड़े ।

5. प्रसूति विद्या तथा स्त्री रोग विज्ञान ।

(1) पुरुष/महिला में गर्भ-निरोधक प्रणालियां ।

(क) यांत्रिक

(क) पेसरी, अन्तःयोनि गर्भ निरोधक प्रणाली (आई.यू.सी.डी), कंडोम ।

(ख) नलबंदी तथा नसबंदी ।

(ख) रासायनिक ।

(ग) खाने की गोलियां ।

(घ) लयबद्ध विधि ।

(2) गर्भाशय खोली, अंतःयोनि रो. उपाय प्रयोग में लाना और नलबंदी की तकनीक ।

(3) माता-पिता को परिवार नियोजन संबंधी दी जाने वाली सलाह संबंधी प्रशिक्षण ।

6. बाल चिकित्सा विज्ञान :

(1) बड़े परिवार के कारण बाल-स्वास्थ्य की समस्या ।

(क) बाल-चिकित्सा सेवाओं का व्यवस्थापन ।

(ख) मातृ-शिशु की पोषण-समस्याएं ।

(ग) भीड़-भाड़ के कारण शैशव काल रोग ।

7. शल्य विज्ञान :

नसबन्दी की तकनीक

1. अनिवार्य शिक्षुता :

सेवाकालीन प्रशिक्षण में विद्यार्थी को कम-से-कम एक मास की कालावधि के लिए परिवार कल्याण नियोजन रोगलक्षणशाला में लगाना ।

2. परीक्षाएं :

पूरे आयुर्विज्ञान और शल्य विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में आवश्यक है कि सैद्धान्तिक, प्रयोगिक और मौखिक परीक्षाओं में परिवार कल्याण नियोजन संबंधी प्रश्नों को शामिल किया जाए ।

विषयवार अध्ययन-पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया है । तथापि एकीकृत अध्ययन और विषय के ज्ञान अर्जन के प्रयोजन के लिए विद्यार्थी के लिए लाभकारी होगा अगर परिवार कल्याण नियोजन संबंधी शिक्षण के अध्ययन पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जा सके ।

भाग–1

शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान और औषधि विज्ञान :

इन विषयों के अध्यापन में गहन संबद्धता होनी चाहिए । यह सुझाव है कि परा-रोगलक्षण वर्षों के प्रारम्भ में, इन विषयों से सम्बद्ध परिवार कल्याण नियोजन की पद्धतियों के लिए दो-तीन सप्ताह अलग से नियत किए जाएं ताकि विद्यार्थी परिवार नियोजन के सिद्धान्त और व्यवहार को भली-भांति समझ जाएं और आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम के सीमित समय में सभी विषयों का अध्ययन पूर्ण हो पाए ।

भाग–2

इसमें उत्तर परा-रोगलक्षण शिक्षण और रोगलक्षण शिक्षण सम्मिलित है । परिवार कल्याण नियोजन विधियों के प्रयोगिक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए । प्रसूति विज्ञान व स्त्री रोग विज्ञान विभाग कार्यक्रम के अनुदेशन का अधीक्षण करेगा । परिवार कल्याण नियोजन के तरीके अपनाने से समाज और व्यक्ति विशेष को होने वाले लाभ और इनके अभाव में पनपने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ाते समय सामुदायिक चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा, मनोरोग, बाल-चिकित्सा विज्ञान और शल्य-विज्ञान विभागों को इसमें सक्रियता से सम्बद्ध किया जाए ।

संगोष्ठियां :

आयुर्विज्ञान कालेजों में अक्सर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें सभी विभागों के स्टाफ और संबंधकालीन प्रशिक्षणार्थियों को इनमें सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

परिशिष्ट–ख

आयुर्विज्ञान और शल्य विज्ञान (आवि. शवि. स्नात.) स्नातक के लिए वांछित अनुशंसित दक्षताओं की व्यापक सूची :

1. रोग-लक्षण मूल्यांकन :

(क) विस्तृत समुचित इतिवृत्त लेने में सक्षम हो ।

(ख) विस्तृत पूर्णरूपेण स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा रोगलक्षणों को उल्लिखित कर पाए ।

(ग) स्टेथोस्कोप, रक्तचाप यंत्र, कर्णदर्शी, थर्मामीटर, नासा वीक्षण, जिह्वणअवनामक, वजन-मापन, योनि वीक्षण ।

(घ) आंतरिक परीक्षण कर पाए—गुदा-वीक्षण व योनि वीक्षण इत्यादि ।

(ङ) रोगलक्षण के अनंतिम समुचित निदान कर पाए ।

2. विस्तर-आसन्न नैदानिक जांच :

(क) हीमोग्लोबिन, सकल-गणना, लोहित कोशिका अवसादन दर, परजीविता के लिए रक्त आलेप मूत्र/जांच/ऐल्बुमिन शर्करा/कीटोन/सूक्ष्मदर्शिकी जांच करना और निर्वचन ।

(ख) कृमिकोष-बिम्ब के लिए मल परीक्षण ।

(ग) ए. एफ. बी. के लिए ग्राम अभिरंजन तथा जील नेलिसन अभिरंजन ।

(घ) लैपर बेसिली के लिए त्वचा आलेप ।

(ङ) ट्राइकोमोनास के लिए आर्द्रफिल्म योनि आलेप करना और परीक्षण ।

(च) कवक संक्रमण के लिए त्वचा-आखुरण तथा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अभिरंजन ।

(छ) मानटाक्स जांच करना और इसका पठन ।

3. क्रियाकरण करने की योग्यता :

(क) हृदयफुप्फसीय पुनरूजीवन तथा नवजात, बच्चों और वयस्कों की प्राथमिक चिकित्सा ।

(ख) अधःत्वक्/अंतपेशी/अंतःशिरा टीके लगाना और अंतःशिरा आधान करना ।

(ग) नासा अमाशयी नलिका डालना और अमाशयी धावन ।

(घ) मास्क/हर्थटक आक्सीजन प्रयोग ।

(ङ) एनिमा देना ।

(च) मूत्र नालश्लाका प्रवेशन—स्त्री-पुरुष ।

(छ) आंत्रवायु नाल अंतःस्थापन ।

(ज) फुप्फुसावरणी नलन जलोदर नलन तथा कटिवेधन ।

(झ) वातवक्ष संनाववयुक्ति के लिए अंतर पर्शु-फिका नलिका अंतःस्थापन ।

(ञ) हृद तीव्र-संपीड़न राहत ।

(ट) बाह्य रुधिर-स्राव नियंत्रण ।

4. संज्ञाहरक क्रियाकरण :

(क) स्थानीय संज्ञाहरक तथा ज्ञानतन्तुहरण करना ।

(ख) वायु-बलन जुटा पाएं—एम्बुबैग से आक्सीजन दे पाए ।

5. शल्य चिकित्सा क्रियाकरण :

(क) कमठी, पट्टियां तथा पैरिस प्लास्टर स्लैब लगाना/बैठाना ।

(ख) विद्रधि छेदन और निकासन ।

(ग) उपरिस्थ-घाव की सुश्रूषा व सिवनकरण ।

(घ) लघु शल्य क्रियाकरण यथा छोटे कृमिकोष व पीवकाओं का उच्छेदन खुरचना, परिवर्तिक अपचयन, घाव क्षतशोधन इत्यादि ।

(ङ) नसबंदी करना ।

(च) गुदा अर्शरोग का उपचार व बवासीर-टीके लगाना ।

6. यांत्रिक क्रियाकरण :

(क) जन्मपूर्व जांच करना तथा गर्भावस्था के जोखिमों की पहचान करना ।

(ख) सामान्य प्रसव करवाना ।

(ग) यूरिलका उपयोग और भगछेदन की सीवन ।

(घ) अंत:योनि साधन लगाना व हटाना तथा नसबंदी करना ।

7. बाल चिकित्सा विज्ञान :

(क) नवजात का निरीक्षण और असमान्यताओं तथा अंत:योनि प्रतिबंधन की पहचान करना ।

(ख) प्रतिरक्षीकरण करना ।

(ग) माताओं को नवजात शिशु को दूध पिलाना सिखाना ।

(घ) स्वास्थ्य दिग्दर्शक चार्ट के अनुसार विकास का अनुवीक्षण और विकास प्रतिबंधन की पहचान करना ।

(ङ) पानी की न्यूनता का मूल्यांकन करते हुए ओ. आर. टी. चिकित्सा देना ।

(च) ए. आर. आई. के रोग-लक्षण की पहचान ।

8. कर्ण-नासा-कंठ क्रियाकरण :

(क) आगंतुकशल्य (बाहरी-मद) निकालना ।

(ख) (नासारक्तस्राव) विनास फूटने पर नाक में पैकिंग डालना ।

(ग) श्वास-प्रणाल छिद्रीकरण ।

9. नेत्र विज्ञान क्रियाकरण :

(क) पलक को उलटना ।

(ख) अवनेत्रश्लैष्मला ।

(ग) नेत्र पक्ष्म अभिधान ।

(घ) अपवर्तन मापन तथा दृष्टि सुधारक एनेकें सुझाना ।

(ङ) क्षमता के लिए नाषाक्षु वाहिनी की सिरिंजिंग ।

10. दन्त क्रियाकरण :

दांत निकालना ।

11. सामुदायिक स्वास्थ्य :

(क) स्वास्थ्य देख-रेख के लिए समुदाय और परा व्यवसायियों को सहकारिता प्रयासों के लिए प्रेरित कर सके व अधीक्षण कर पाए ।

(ख) स्टोर प्रबंधन, मापकरण, स्टाक कीपिंग लेखा-जोखा रखने में प्रबंधकीय उत्तरदायित्व का निर्वहन ।

(ग) स्वास्थ्य शिविर लगाना और इनका प्रबंधन ।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।

(ङ) समाज के लिए स्वास्थ्यकर उपाय करना यथा-संक्रमणग्रस्त गंदगी, पानी का क्लोरीकरण इत्यादि ।

(च) व्यापक रोगों की पहचान तथा इनके नियंत्रण के लिए उपाय करना और इनके आंकड़े एकत्र करना तथा रिपोर्टिंग करना ।

12. न्याय वैधक विष विद्या सहित :

(क) समुचित चिकित्सा-विधिक जांच कर पाए और चोट का समुचित प्रलेखन और आयु रिपोर्ट तैयार कर सके ।

(ख) यौन अपराधों व नशा सेवन की परीक्षण जांच कर सके ।

(ग) चिकित्सा विधिक परीक्षणों के संगत सम्बद्ध सामग्री को सुरक्षित रख पाए ।

(घ) सामान्य अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में महत्वपूर्ण शव परीक्षण पहलुओं की पहचान कर सके ।

13. आपात-स्थितियां उपचार :

(क) तीव्रग्राही शाक का उपचार ।

(ख) परिसरीय संवहन पात तथा वाक ।

(ग) तीव्र फुफ्फुस शोफ और नामहृदनिलयधमनी ।

(घ) डूबना, विषाक्तता एवं अभिग्रहण आपात उपचार ।

(ङ) श्वसनी दमा तथा सहज दमा आपात उपचार ।

(च) अतिज्वर आपात उपचार ।

(छ) संन्यस्त रोगियों की वायुपथ अवस्था तथा चूषण निवारण और अभिघात का उपचार ।

(ज) दक्षता का मूल्यांकन और आपात उपचार ।

परिशिष्ट-ग

विनिर्धारित अध्यापन समय तथा सुझाविक आदर्श समय-सारणी :—

विभिन्न विधाओं के लिए निम्नानुसार अध्यापन-समय निर्धारित किया जाता है :—

क. रोगलक्षण अध्यापन पूर्व विषय—(चरण-1 प्रथम एवं द्वितीय अध्ययन सत्र)

शरीर रचना विज्ञान	650 घंटे
शरीर क्रिया विज्ञान	480 घंटे

जीव रसायन	240 घंटे
सामुदायिक चिकित्सा	60 घंटे

ख. परा-रोगलक्षण विषय—(चरण-2 पंचम से सप्तम अध्ययन-सत्र)

विकृति विज्ञान	300 घंटे
औषधि विज्ञान	300 घंटे
सूक्ष्मजीव विज्ञान	250 घंटे
सामुदायिक चिकित्सा	200 घंटे
(इसमें प्रत्येक तीन घंटे की 8 सप्ताह की तैनाती सम्मिलित)	
न्याय वैद्यक	100 घंटे

परा-रोगलक्षण विषयों के अध्यापन में तीसरे अध्ययन-सत्र में 4 घंटा प्रतिदिन और चतुर्थ व पंचम अध्ययन सत्र में तीन घंटे प्रतिदिन (संलग्न समय-सारणी देखें)

ग. रोगलक्षण विषय (चरण-2 और 3—तृतीय से नवम् अध्ययन-सत्र)

1. संलग्न चार्ट के अनुसार रोगलक्षण अध्ययन तैनाती ।

2. निम्न रोग लक्षण तैनातियों के अतिरिक्त सैद्धांतिक व्याख्या, निदर्शन, संगोष्ठियां इत्यादि । रोग लक्षण पर व्याख्यान चतुर्थ अध्ययन-सत्र से आगे चलेंगे (संलग्न समय-सारणी देखें)

*सामान्य काय चिकित्सा	300 घंटे
*बाल चिकित्सा विज्ञान	100 घंटे
*यक्ष्मा एवं वक्ष विज्ञान	20 घंटे
*मनोविकार	20 घंटे
*त्वचा और यौन संक्रमण रोग	30 घंटे
*सामुदायिक चिकित्सा	50 घंटे
*संज्ञाहरण	20 घंटे
*सामान्य शल्य विज्ञान	300 घंटे
*अस्थि रोग	100 घंटे
*नेत्र विज्ञान	100 घंटे
*कर्ण-नासा-कंठ विज्ञान	70 घंटे
*विकिरण विज्ञान	20 घंटे
*वेनेरा विज्ञान	10 घंटे
*प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान सहित	300 घंटे

टिप्पणी :

— सुझायी गयी प्रशिक्षण कालावधि न्यूनतम है । समय की उपलब्धता के अनुसार यथा-आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं ।

—इस प्रशिक्षण कालावधि में विश्वविद्यालय परीक्षक की कालावधि शामिल नहीं है ।

— उपलब्ध अतिरिक्त समय का उप-विशिष्टताओं के लिए उपयोग किया जाए ।

सम्पूर्ण कक्षा के लिए काय-चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान के दो सप्ताह के रोग लक्षण क्रियाविधि के परिचयात्मक पाठ्यक्रम के पश्चात अध्ययन सत्र 3 से 4 के दौरान विभिन्न विभागों में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए तीन घंटे की रोग-लक्षण तैनाती का सुझाव है ।

विषय	तृतीय अध्ययन सत्र (सप्ताह)	चतुर्थ अध्ययन सत्र (सप्ताह)	पंचम अध्ययन सत्र (सप्ताह)	षष्ठम अध्ययन सत्र (सप्ताह)	सप्तम अध्ययन सत्र (सप्ताह)	अष्टम अध्ययन सत्र (सप्ताह)	नवम अध्ययन सत्र (सप्ताह)	कुल (सप्ताह)
सामान्य	6	—	4	—	4	6	6	26
कार्य चिकित्सा***								
बाल चिकित्सा	—	2	—	2	2	4	—	10
यक्ष्माएवम् वक्ष	—	2	—	—	—	—	—	02
त्वचाएवं चौ० स० रो०	—	2	—	2	—	2	—	06
मनोविकार	—	—	2	—	—	—	—	02
विकिरण*	—	—	—	—	2	—	—	02
सामा० शल्य विज्ञान****	6	—	4	—	4	6	6	26
अस्थिरोग**	—	—	4	4	—	—	2	10
नेत्र विज्ञान	—	4	—	4	—	—	2	10
कर्णनासरवला कंठ	—	4	—	4	—	—	—	08
परा एवं स्त्री रोग एवं परि०*****								
विषोजन	2	4	4	—	4	4	6	24
सामु० चिकि०	4	4	—	4	—	—	—	12
आघात	—	—	—	2	—	—	—	02
दन्तक	—	—	—	—	2	—	—	02
कुल	18	22	18	22	18	22	22	142

तृतीय अध्ययन सत्र के आरम्भ में सम्पूर्ण रक्षा के लिए कार्य चिकित्सा और शरय विज्ञान की रोगलक्षण विधि क्रमशः प्रत्येक के लिए 2 सप्ताह होगी

*इस तैनाती में जहां रेडियो निदान और विकिरण चिकित्सा अस्तित्व में है प्रशिक्षण में शामिल होंगे।

**इस तैनाती में मौतिक चिकित्सा तथा पुनःस्थापन भी शामिल है।

***इसमें प्रयोगशाला चिकित्सा तथा संक्रामक रोगों का अध्ययन भी शामिल है।

****इसमें संज्ञाहरण और मरहम पट्टी भी शामिल है।

*****इसमें प्रसूति प्रक्षिक्षण और परिवार चिकित्सा शामिल है लेकिन तृतीय अध्ययन सत्र में तैनाती परिवार कल्याण नियोजन होगी।

आदर्श समय सारणी

(स्थानीय स्थिति के अनुसार आयोजन किया जा सकता है।)

प्रथम अध्ययन सत्र:

दिन / समय	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1	1–2	2–3	3–4
सोम	शरच०	शरच०	शरच०	शरच०	भो	शरी०क्रि०	शरी०क्रि०	शरी० क्रि०
मंगल	शरच०	शरच०	शरच०	शरच०	ज	शरी०क्रि०	शरी०क्रि०	शरी०क्रि०
बुध	शरच०	शरच०	शरच०	शरच०	ना	जी०र०	जी० र०	जी० र०
बृह०	शरच०	शरच०	शरच०	शरच० क्रि०	व	शरी०क्रि०	शरी०क्रि०	शरी० क्रि०
शुक्र	शरच०	शरच०	शरच०	शरच०	का	जी०र०	जी०र०	जी० र०
शनि	शरच०	शरच०	शरच०	शरी० क्रि०	श	शरी०क्रि०	शरी० क्रि	शरी०क्रि०

द्वितीय अध्ययन सत्र:

दिन/ समय	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1	1–2	2–3	3–4
सोम	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	शरच.	भो	शरच.	शरच.	शरच.
मंगल	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	शरच.	ज	शरच.	शरच.	शरच.
बुध	जी०र०	जी०र०	जी०र०	जी०र०	ना	शरच.	शरच.	शरच.
बृह	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	व	शरच.	शरच.	शरच.
शुक्र	जी०र०	जी०र०	जी०र०	जी०र०	का	शरच.	शरच.	शरच.
शनि	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	शरी० क्रि०	श	शरच.	शरच०	शरच.

टिप्पणी: रोग लक्षण वाला पूर्व के अन्य विभागों के परामर्श से सामुदायिक चिकित्सा व्याख्यान कार्यक्रम तय किया जाए।

चरण-2

तृतीय अध्ययन सत्र :

दिन/समय	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4
सोम	पैरा-रोग लक्षण व्याख्यान	रोग लक्षण	तैनाती		पैरा रोग व्याख्यान		प्रायोगिक	
मंगल	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	भो	पैरा-रोग लक्षण	
बुध	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	ज	-तदैव-	
बृह	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	ना	-तदैव-	
शुक्र	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	व	-तदैव-	
शनि	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	का अ	-तदैव-	

चतुर्थ एवं पंचम अध्ययन सत्र :

दिन/समय	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4
सोम	रोगलक्षण व्याख्यान, विषय	रोगलक्षण	तैनाती		पैरा रोगलक्षण विषय में व्याख्यान		प्रायोगिक	
मंगल	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	भो	पैरा रोगलक्षण	
बुध	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	ज	-तदैव-	
बृह	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	ना	-तदैव-	
शुक्र	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	वका	-तदैव-	
शनि	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	अ	-तदैव-	

चरण-3

षष्टम/सप्तम/अष्टम, एवं नवम अध्ययन सत्र:

दिन/समय	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4
सोम	रोग लक्षण विषय में व्याख्यान,	रोगलक्षण	तैनाती		रोगलक्षण विषय मे व्याख्यान अथवा निदर्शन	भो ज ना	रोगलक्षण विषयों में प्रयोग/निदर्शन	
मंगल	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	वका	-तदैव-	
बुध	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	अ	-तदैव-	
बृह	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	
शुक्र	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	
शनि	-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-		-तदैव-	

टिप्पण—ये सुझाई हुई समय-सारिणी हैं। समय और अनुकूलता को ध्यान रखते हुए जहां जरूरत हो फेर-बदल किया जाए।

परिशिष्ट घ

सम्बद्ध पुस्तकें

विद्यार्थियों के उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की निम्नलिखित पुस्तकों को देखें:—

(1) वार्षिक 100 प्रवेश वाले आयुर्विज्ञान कालेज के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानक, यथा संशोधित।

(2) स्नातक और स्नातकोत्तर अध्यापन के आयुर्विज्ञान कालेजों और सम्बद्ध अस्पतालों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यताएं।

(डा०) श्रीमती एम० सचदेवा
सचिव
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT)

Mumbai-400 005, the 6th August 1996

No. IBS. 279/23.03.004/96-97.—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely :

For the words "ANZ Grindlays Bank plc" the words "ANZ Grindlays Bank Limited" shall be substituted.

J. R. PRABHU
Executive Director

(DEPARTMENT OF SUPERVISION)

Mumbai-400 005, the 26th March 1997

No. 589/08 : 21 : 002/97.—In exercise of the powers under sub-section(1) of Section 41 of the State Bank of India Act, 1955 and in consultation with the Central Government, the Reserve Bank of India has appointed :

1. M/s. Bhattacharya Das & Co., Calcutta
2. M/s. Jagannathan & Surbeswaran, Chennai
3. M/s. Sorab S. Engineer & Co., Mumbai
4. M/s. Loonkar & Co., Mumbai
5. M/s. K. K. Soni & Co., New Delhi.
6. M/s. R. Singhi & Co., Calcutta
7. M/s. Bansal Sinha & Co,. New Delhi
8. M/s. Khanna & Co., New Delhi
9. M/s. P. B. Vijayraghavan & Co., Chennai
10. M/s. Khimji Kunverji & Co., Mumbai
11. M/s. P. K. Chopra & Co., New Delhi
12. M/s. Mukund M. Chitale & Co., Mumbai
13. M/s Raghunath Rai & Co., New Delhi.

as auditors of the State Bank of India until the next Annual General Meeting of the said Bank.

V. RANGARAJAN,
Executive Director

(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT)

Mumbai-400 005, the 15th April 1997

No. BC. 44/12.01.001/96-97.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) read with Sub-Section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) Reserve Bank of India hereby directs that with effect from the fortnight beginning April 26, 1997 all Scheduled Commercial Banks shall maintain cash Reserve Ratio (CRR) of 10 percent on any increase in liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNB (B)] Scheme Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee (NRNR) Accounts Scheme and Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme over the level outstanding as on April 11, 1997.

J. R. PRABHU,
Executive Director

No. BC. 45/12.01.001/96-97.—In exercise of powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) Reserve Bank of India hereby exempts with effect from the fortnight beginning April 26, 1997, every scheduled commercial bank (excluding Regional Rural Banks) from maintenance of average Cash Reserve Ratio (CRR) specified in the Notification DBOD. No. BC. 140/12.01.001/96-97 Dated 19th October, 1996, with reference to its liabilities as computed under clause (d) of Explanation to Sub-Section (1) of Section 42, ibid.

2. The exemption stipulated above shall be subject to the CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 percent of its total of the demand and time jabilities as computed under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

J. R. PRABHU,
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 1st November 1996

No. 15/1996.—In terms of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the State Bank of India hereby nominates Shri O. P. Setia, Dy. Managing Director (A&S), State Bank of India, Central Office, Mumbai, as a Director on the Boards of the following Associate Banks with effect from the 11th November 1996, vice Shri R. Vishwanathan, who has since retired from the Bank :

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Hyderabad
3. State Bank of Indore
4. State Bank of Mysore
5. State Bank of Patiala
6. State Bank of Saurashtra
7. State Bank of Travancore.

P. G. KAKODKAR,
Chairman

The, 14th March 1997

No. 16/1997.—In terms of clause (c) of Sub-Section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India hereby nominates, with effect from today, Shri R. B. Srivastava, General Manager (Associates & Subsidiaries), State Bank of India, Central Office Mumbai, as a Director on the Boards of the following Associate Banks in place of Shri D. Natarajan :—

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Mysore
3. State Bank of Saurashtra
4. State Bank of Travancore.

P. G. KAKODKAR,
Chairman

The, 20th March 1997

No. 18/1997.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Central Government and Reserve Bank of India, nominated Shri B. P. Rao, No. 703, 9th Main, 3rd Stage, 3rd Block, Basawashwaranagar, Bangalore-560 079, as director on the Board of Directors of State Bank of Mysore for a period of three years with effect from 24th March 1997 to 23rd March 2000 (both days inclusive) in place of Shri N. K. Bhat.

P. G. KAKODKAR,
Chairman

Mumbai, Dated, the 21st March, 1997

No. 17/1997.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and with the approval of Reserve Bank of India, the State Bank of India has appointed the firm of

Auditors noted against each of the following subsidiary banks as Auditors of that Subsidiary Bank :

Name of the Bank	Name of the Auditors
State Bank of Bikaner & Jaipur.	M/s Prakash Chandra Jain & Co. 123-124, Bapu Bajar, 2nd Floor, Udaipur. M/s. Prasad Azad & Co. 7/7, Desh Bandhu Gupta Road, Pahar Ganj, New Delhi. M/s P.S.D. & Associates, J-95, Krishna Marg, C Scheme, Jaipur. M/s S.N. Nanda & Company, 1-E/23 Jhandewalan Extn., New Delhi.
State Bank of Hyderabad	M/s G.K. Rao & Co. 5-3-340 Rashtrapathi Road, Hyderabad. M/s. S.R. Mohan & Co. 5-4-435/18, 2nd Floor, Nampally Station Road, Hyderabad. M/s D.V. Ramana Rao & Co. 1-1-773/A Gandhinagar, Hyderabad. M/s. Khandelwal Kakani & Co., 55 Basant Mansion, 2nd floor, 165, RNT Road, Indore. M/s C.S. Hariharan & Co. Hariharan Bldg. IInd floor, 16/6 College Road, Chennai.
State Bank of Indore	M/s Kanwalia & Co. 12 Shahid Bhagat Singh Marg, New Delhi. M/s K.M. Agarwal & Co. 36, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi. M/s.SCJ Associates, 1/129 F Professors Colony, Hariparwa, Agra. M/s S.P. Marwaha & Co. 8A/4 Weston Extension Area, Karol Bagh, New Delhi.
State Bank of Mysore	M/s O.P. Tulsyan & Co., 508, Ratan Jyoti, 18, Rajendra Place, New Delhi. M/s N.C. Mitra & Co. 10 Old Post Office Street, Calcutta. M/s M. Sun & Co. Flat 17, No. 4 North Boag Road, T. Nagar, Chennai. M/s Hariharan Narayan & Co. 4581 Narasinharya Mohalla, "Gomathi", Mysore.
State Bank of Patiala	M/s Gandhi Minocha & Co., 1-A, Tribune Colony, Jagadhri Road, Ambala. M/s Sharma Goel & Co., Y-59, Hauz Khas, New Delhi. M/s Kansal Singla and Associates, SCO 1114-15 Sector 22-B, Chandigarh. M/s Mittal Gupta & Co., 406, Cintels House, 16, Station Road, Lucknow. M/s S.K. Bhattacharya & Co., Raja Chambers, (Ist. Floor) 4, Kiran Sankar Roy Road, Calcutta.
State Bank of Saurashtra	M/s Kantilal Patel & Co., Paritosh, 2nd floor, Usmanpura (River Side) Ahmedabad. M/s Sri Raviverma & Co. No. 1, Community Centre, 1st Floor, East of Kailash, New Delhi. M/s T.K. Ghose & Co. 6, Kiron Shankar Roy Road, Calcutta. M/s Ramesh C. Agarwal & Co. 33, Shiv Charan Lal Road, Near Manasarovar Cinema, Allahabad.
State Bank of Travancore	M/s Esseeyar, 59 Fourth Street, Abhiramapuram, Chennai. M/s George Read & Co. 1 Chawringhee Square, Avenue House, Calcutta. M/s Ananthan & Sundaram, D 'Sivakarthi', 123, Sankar Nagar, Neeramankara, Trivandrum. M/s Patel Mohan Ramesh & Co., No. 8, 2nd floor, JSS Building, Shubhashree, A.M. Road, Journalist Colony, Bangalore. M/s Jodh Joshi & Co., 1st Floor, J.P. House, Ravinagar Square, Amravati Road, Nagpur.

2. The appointments are in respect of the accounting period ending 31st March 1997 but the firms will be retained for a continuous term of four years, (including the period already served by them) subject to their complying with the prescribed norms and other usual requirements.

Sd./-
Illigible
Dy. Managing Director
(Associates & Subsidiaries)

BANK OF INDIA

PERSONNEL DEPARTMENT

HEAD OFFICE

Mumbai-400 021, the 19th March 1997

No. P/IR/SAH/1267.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous section of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called Bank of India (Officers) Service (Amendment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Bank of India (Officers) Service Regulations, 1979, for first proviso to sub-regulation (1) of regulation 19, he following shall be substituted, namely :—

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in sub-regulations (2) retire, if it is of the opinion that it is in the public interest, an officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as an officer employee or otherwise, whichever is earlier".

J. CHAKRABORTY,
Deputy General Manager
(Personnel)

DENA BANK

HEAD OFFICE

Mumbai-400 005, the 03rd March 1997

CORRIGENDUM

Re : Amendment to Regulations 4, 6, 8, 17 and 18 of Officers Employees (Discipline and Appeal) Regulations, 1976.

The Amendment No. IR/Amend/3/96 has been published in the Government Gazette No. 43 dt. 30-11-1996 of the Government of India. On the advise of the Government, the following changes have been made in the amendment.

1. The words "his pension" apearing in the third line of para 2(d) may be substituted with the words "the Officer's Pension.

In other words the text of proposed new sub-regulation (e) of Regulation 4 will now read as follows :

(e) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely effecting the Officers pension.

KUMAR SHAH,
Dy. Gen. Manager (Personnel)

UNITED BANK OF INDIA

PERSONNEL ADMINISTRATION

(OFFICER EMPLOYEES DIVISION)

HEAD OFFICE

Calcutta-700 001, the 1st April 1997

No. 1/97.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called United Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the United Bank of India (Officers') Service Regulation, 1979 for first priviso to Sub-Regulation (1) of Regulation 19, the following shall be substituted, namely :

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in Sub-Regulation (2) retire, if it is considered necessary to do so in the public interest, an officer Employee on or at any time after the completion of 55 yers of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as on Officer Employee or otherwise, whichever is earlier."

D. BHATTACHARYA,
Dy. Gen. Manager (Personnel)

BANK OF MAHARASHTRA

CENTRAL OFFICE

Pune, the 5th May 1997

No. AXI/ST/OSC/14046/96.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act), 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

01 SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called Bank of Maharashtra (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1996.

(2) Save as otherwise expressely provided in these Regulations, these Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

02 In the Bank of Maharashtra (Officers' Service Regulations, 1979 (hereinfater referred to as principal Regulation), For Regulation 4, the following may be substituted, namely :

4(1) On and from 01-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs. 6400-150-7000/-

Scale VI Rs. 5950-150-6550/-

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 5350-150-5950/-

Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350/-

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 4020-120-4260-130-4910/-

Scale II Rs. 3060-120-4260-130-4390/-

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 2100-120-4020/-

4(2) On and from 01-07-1993, the scales of pay specified against each grade shall be revised as under :

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs 12650-300-13250-350-13600-400-14001/-

Scale VI Rs. 11450-300-12650/-

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 1045-250-11450/-

Scale IV Rs. 8970-230-9200-250-10450/-

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs 8050-230-9200-250-9700/-

Scale II Rs 6210-230-8740/-

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8050/-

4(3) Nothing in sub-regulations (1) and (2) shall be construed as requiring the Bank to have at all time, Officers serving in all these grades.

3. In principal Regulations, for Regulation 5, the following may be substituted, namely :—

5(1) Subject to the provisions of Regulation 4(2), on and from 1-11-1992, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 230/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 250/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1-11-1994 officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duteis, responsibilities or or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

Explanation I :

In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

Explanation II :

(a) On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only part I of CAIIB	: (i)	Rs. 100-/ p.m. after one year of which Rs. 75/- shall rank for super-annuation benefits
Those who have passed both Parts of CAIIB	: (i)	Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for super-annuation benefits.
	(ii)	Rs. 250/- p.m. after two years, of which Rs. 200/- shall rank for super-annuation benefits.

(b) On and from 1-11-1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	: (i)	Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed both parts of CAIIB	: (i)	Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
	(ii)	Rs. 300/- p.m. after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5(3)(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

Note :

(i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

(ii) On and from 1-11-1994 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.

3(a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

Note :

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service :

Increment Component	DA as on 1-11-1993.	Total F.P.A. payable where bank's accomodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

Note : (i) F.P.A. as indicated in (C) above shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.

(ii) F.P.A. for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B) + House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4 is earned.

(iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F.P.A. shall stand shifted to next year.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(c) An officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (5) above, one year after reaching the maximum of the scale.

4. In principal Regulations, for Regulation 21, the following may be substituted, namely :—

21(1) On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-

21(2) On and from 1-7-1993, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(a) 0.35% of 'pay' upto Rs. 4800/- plus,

(b) 0.29% of 'pay' above Rs. 4800/- to Rs. 7700/- plus,

(c) 0.17% of 'pay' above Rs. 7700/- to Rs. 8200/- plus,

(d) 0.09% of 'pay' above Rs. 8200/-

Note : (i) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance with effect from 1-11-1994.

5. In principal Regulations, for sub-regulation (1) and (2) of Regulation 22, the following may be substituted, namely,

22(1) Where an officer is provided with residential accommodation by the bank, on and from 1-11-1994, a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

22(2) Where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from 1-11-1992 for House Rent Allowance at the following rates :—

	Column I	Column II
	Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i)	Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii)	Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10½% of the pay p.m.
(iv)	Area III	9½% of the pay p.m.

Provided that if an officer produced a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower.

Note : (i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments in terms of revised pay scales as on 1-7-1993.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance with effect from 1-11-94.

6. In principal Regulations, for sub-regulation (i) of Regulation 23, the following may be substituted namely :—

23(i) On and from 1-11-1993 if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable.

	Places	Rates
	1	2
(a)	Places in Area I and in the State of Goa	4½% of basic pay subject to a maximum of Rs. 335/- per month,
(b)	Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above	3½% of basic pay subject to a maximum of Rs. 230/- per month

7. In principal Regulations, for Regulation 24, the following may be substituted, namely :—

24(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :

(a) Medical Expenses :

On and from 1-11-1994 reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure

supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :—

TABLE

Grade	Reimbursement limit p. a.
1	2
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 1500/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 2000/-

Note : (i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December, 1994.

Explanation :

'Family' of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-11-1994, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital, i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-11-1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100% in case of an officer and 75% in the cast of his family members :—

Cancer, Leukaemia, Thalsamea, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Leprosy, Kidney Ailment, Epilepsy, Rarkinson's Disease, Psychiatric Disorder and Diabetes.

Note : The cost of medicines etc. in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialists prescription. If no period stated, the prescription for the purpose of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days.

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in sub-Regulation (1) above and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalisation, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the Bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation, etc.).

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who placed under suspension.

8. In principal Regulations, for Regulation 25, the following may be substituted, namely :—

25. No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accomodation by the bank. It shall, however, be open to the bank to provide residential accommodation on payment by the officer on and from 1-11-1994 a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

Provided that a further sum equal to 1% of basic pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the bank from an officer if furniture is provided at such residence.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

9. In principal Regulations, for sub-regulation (4) of Regulation 41, the following may be substituted, namely:—

41(4) On and from 1-6-1995 an officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :

Grades/Scales Officers	Daily Allowance (Rupees)		
	Major 'A' Class Cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	250.00	200.00	175.00
Officers in Scale I/II/III	200.00	175.00	150.00

Provided that

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rate shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

BOARDING CHARGES (RUPEES)

Grades/Scales of Officers	Eligibility to stay	Major 'A' Class Cities	Area I	Other Places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale IV & V	3* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale II & III	2* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00
Scale I	1* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00

(c) The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed in proviso (b) above in accordance with the guidelines of the Government.

(d) Where lodging is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where boarding is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

(f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.

(g) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspection officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

10. In principal Regulations, for sub-regulation 2(i) of Regulation 42, the following may be substituted, namely :—

42. (2) (i) On and from 1-7-1993 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/- p. m. to Rs. 6210/- p. m.	3000 Kgs.	1000 Kgs.
Rs. 6211/- p. m. and above.	Full wagon	2000 kgs.

11. In principal Regulation, for Regulation 45, the following may be substituted, namely :—

45. Provident Fund and Pension

(1) Every officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the Bank, unless he is already a member of that Fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

(2) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 1-11-1993 :—

(a) in case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the bank.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(b) in case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the bank shall be made at the rate of 10% of pay.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(3) Officers joining the bank's service on or after 29-9-1995 shall be governed by the Pension Scheme :

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme :—

(a) an officer who was in service of the bank prior to 29-9-1995 unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to bank's notice to that effect.

(b) an officer who is recruited on or after 29-9-1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note :—'Pay' for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay including Stagnation Increments, Officiating Allowance Professional Qualification Allowance and increment Component of Fixed Personal Allowance.

12. In principal Regulations, for Regulation 46, the following may be substituted, namely :—

46. Gratuity :

(1) Every officer, shall be eligible for gratuity on :—

(a) retirement

(b) death

(c) disablement rendering him unfit for further services as certified by a medical officer approved by the Bank;

(d) resignation after completing ten years of continuous service; or

(e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

(2) The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 1-7-1993 to 31-10-1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

Note :

If the fraction of service beyond completed years of service is 6 months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

Foot Note :—The amendments carried out earlier in the above Regulations were gazetted vide Notification No. AX1/ST/9174/90, dated 23-7-90.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 30th April 1997

No. 3NCA(4)/4/96-97 :—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (C) of Sub-Section (1) of section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of the prescribed fees, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	004403	Mr. Pathrose K., 258, Gulmohar Enclave, Andrews Ganj P.O., New Delhi-110 049.	01-10-96
2.	005567	Mr. Mehrotra Ravi Kumar F-2, Nitin Apartments, 17, Bela Road, Civil Lines, Delhi-110 054	01-10-96
3.	006979	Mr. Surana Niranjan, D-139, East of Kailash, 2nd Floor, New Delhi-110 065.	01-10-96
4.	011106	Mr. Khajanchi Kailash Chandra, H-7, South Extension Part-I, New Delhi-110 049.	01-10-96
5.	011501	Mr. Gupta Dhani Ram, 9827, Nawab Ganj, Azad Market, Delhi-110 006.	01-10-96
6.	014245	Mr. Hans Suresh Kumar, S.K. Hans & Co., 438, Lajpat Nagar Market, Opp. Guru Nanak Mission Hospital, Jalandhar City-144 001.	01-10-96
7.	015654	Mr. Sen Samir Kumar, C/o SRF Finance Limited, AB/4, Safdarjung Enclave, New Delhi-110 029.	01-10-96
8.	016640	Mr. Malhotra Pradeep Kumar, P.K. Malhotra & Associates 83-B, Gautam Nagar, New Delhi-110 049.	01-10-96
9.	017591	Mr. Sahai Mukesh, 105, Upton Cresent, Markhan, Toronto, Untario L3R 313, Canada-0.	01-10-96
10.	029024	Mr. Muthappan K., 2E, Pocket L, Sheikh Sarai, Phase-II, New Delhi-110 017.	01-10-96
11.	054665	Mr. Shahal Jai Prakash, C/o S.K. Sharma, H-1/39, Mahavir Enclave Bengali Near Dabri More, New Delhi-110 045.	01-10-96
12.	056895	Ms. Chowdhury Sushama, C/o Brig P.K. Paul, J-1949/C.R. Park, New Delhi-110 019.	01-10-96
13.	070093	Mr. Varinder Kumar, P.O. Box-412, Gaborone, Africa Botswana-0.	01-10-96
14.	072080	Mr. Dave Shiv Kumar, 90, Akash Kunj, Sector-9, Plot No. 14, Rohini, Delhi-110 085.	01-10-96
15.	073239	Mr. Agrawal Krishna Kumar, C-17, East of Kailash, New Delhi-110 065.	01-10-96
16.	073641	Mr. Uberoi Vivek E-94, Masjid Moth, Greater Kailash-III, New Delhi-0.	01-10-96
17.	073856	Mr. Jitendra Kumar, J. Kumar & Associates 6/1191 IInd, Floor, Naiwala Karol Bagh, New Delhi-110 005.	01-10-96
18.	080154	Mr. Talwar Ashok, H.C. Chawla & Co. 59/1, New Market, II Floor New Rohtak Road, New Delhi-110 005.	01-10-96
19.	080296	Mr. Dhingra Krishan Kumar, Financial Adviser, National Cooperative Development, 4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016.	01-10-96
20.	080595	Mr. Gupta Bippan Kumar, 170-A, Sarabha Nagar, Ludhiana-141 001.	01-10-96
21.	080763	Mr. Sazawal Ramesh, C/o Dr. Deepak Sharma, House No. 76, Indira Nagar, Sector C (Kashmir), Srinagar-190 004.	01-10-96
22.	080826	Mr. Vijayender, A-3/165, Janakpuri, New Delhi-110 058.	01-10-96
23.	081045	Mr. Srivastava Ambrish, 47/22, 1st Floor, Aman Chambers, Pusa Road, New Delhi-110 060.	01-10-96

1	2	3	4
24.	081432	Mr. Sansi Ashok Kumar 124 Mukherjee Park Tilak Nagar New Delhi-110 018.	01-10-96.
25.	081680	Mr. Naresh Kumar D-11 IFS Apartments Mayur Vihar Phase-I Delhi-110 091.	01-10-96
26.	081908	Mr. Nawal Kishore 247 Office Complex-I, Jhandewalan Extension New Delhi-110055.	01-10-96
27.	081913	Mr. Chitkara Raman Kant E-459, Greater Kailash-II New Delhi-110048.	01-10-96
28.	082042	Mr. Walia Arvind Arvind Walia & Associates, C-222, Greater Kailash-I, New Delhi-110048.	01-10-96
29.	082230	Mr. Gupta Rajiv C/o P. O. Box 1668, Delhi-110006.	01-10-96
30.	082463	Mr. Seth Rajesh Shop No. 112 First Floor Library Road, Azad Market Delhi-110006.	01-10-96
31.	082475	Mr. Sushil Kumar C/o M/s. Arora & Kumar N-12 Green Park Extn. New Delhi.-110016.	01-10-96
32.	082542	Mr. Sadhu Ram 4th Floor, Delite Cinema Buildling Asaf Ali Road, New Delhi-110002.	01-10-96
33.	84623	Mr. Bhalla Rajinder Singh, KG-I/427, Vikaspur, New Delhi-110018.	01-10-96
34.	80063	Mr. Parveen Kumar, 2 Pusa Road, Behind Blood Bank, New Delhi-110005.	01-10-96
35.	083741	Mr. Bansal Ashok Kumar M/s. Ashok Kumar Bansal & Associates C/o S. K. Sarkar, K 45, Kailash Colony, New Delhi-110065.	01-10-96
36.	83753	Mr. Ajai Kumar Ajay Garg & Associates, 3467 Gali Bajrang Bali, Chawri Bazar, Delhi-110006.	01-10-96
37.	084329	Mr. Rustogi Sudhir Sudhir Rustogi & Co., 10/10, Hailey Road, New Delhi-110001	01-10-96
38.	084708	Mr. Singh Joginder C-II/2, Rites Flats, Ashok Vihar Phase-III, Delhi-110052.	01-10-96
39.	085216	Mr. Handa Rai Tarun C/o KPMG Peat Marwick 6, Duke Street, Kingston, Jamaica, West Indies-.0.	01-10-96
40.	085227	Mr. Sadutshang Namgyal Phuntso C/o Mr. T Wangd 10 Ring Road, Lajpat Nagar-IV New Delhi-110024.	01-10-96
41.	085307	Mr. Gupta Ashok Kumar AH-37, Shalimar Bagh Ring Road, Delhi-110052.	01-10-96
42.	085191	Mr. Bhaskaran M. M Bhaskaran & Associates, 81-A, Pocket-I, Mayur Vihar, Delhi-110091.	01-10-96
43.	085854	Mr. Aggarwal Virendra Kumar Virendra K Aggarwal & Co., A-2/166 Janakpuri, New Delhi-110058.	01-10-96
44.	086989	Mr. Yarlagadda Sriram A-124 Defence Colony New Delhi-0.	01-10-96
45.	087182	Mr. Bharti Ajay Happy Building Chandigarh Road, Distt. Jalandhar, Nawanshahr Doaba-144514.	01-10-96
46.	087213	Mr. Dave Nalin Nalin Dave & Co., R-103 Model Town, Sonepat-131001.	01-10-96
47.	087244	Mr. Subramanyan Ganesh A-57, Vivek Vihar, Phase-II, Delhi-110032.	01-10-96
48.	80254	Mr. Rishi Rakesh Kumar Shop No. 10 & 11, Dharam Complex Dharma Colony, Delhi Rohtak Road, Nangloi, Delhi-110041.	01-10-96
49.	088452	Mr. Ashwani Kumar, Kumar Ashwani & Co. House No. 257 1st Floor, Sector-21-A, Chandigarh-0.	01-10-96

1	2	3	4
50	088773	Mr. Sehgal Vikram Vikram Sehgal & Co. 43, Banarasi Dass Estate, Delhi-110054.	01-10-96
51	089026	Mr. Aggarwal Anil Kumar Anil Tilak & Co. AD/9A Shalimar Bagh Delhi-110052.	01-10-96
52	090745	Mr. Jain Mohit Kumar B-307 Vardhman Apartments Mayur Vihar Phase-I Extension Delhi-0	01-10-96
53	091427	Mr. Sandhu Swarn Singh A-4 Industrial Estate Bhatinda-0	01-10-96
54	091552	Mr. Ahuja Sanjay . A-380 Ground Floor Defence Colony, New Delhi-110024.	01-10-96
55	091859	Mr. Gupta Sanjay QP-42 (First Floor) Pitam Pura Delhi-110034.	01-10-96
56	092184	Mr. Kochhar Vineesh Anil Accounts Manager Poeticgem Ltd. 4th Floor Woolverstone House 61-62 Berner Street London W1P United Kingdom-0	01-10-96
57	093097	Mr. Shrivastava Anuranjan . 154 Shivani Apartments 63 I P Extension Delhi-110092	01-10-96
58	093185	Mr. Malhotra Deepak D Malhotra & Associates F-66 Ashok Vihar-I Delhi-110052.	01-10-96
59	13856	Mr. Nagpal Jitender Kumar . House No. 10172, Nawab Ganj, Library Road, New Delhi-110006.	01-10-96
60	32779	Mr. Sunil Bhardwaj 5021 Xavier Common Fremont, CA 94555 USA	01-10-96
61	83351	Mr. Mathews C. M. 13/238, Block C4B, Janakpuri, New Delhi-110058.	01-10-96
62	83484	Mr. Chadha Anil M/s. Anil Chadha & Associates, Pocket EB-184, G-8 Area, Rajouri Garden, DDA Flats (SFS), (Opp. Tihar Jail), New Delhi-110064.	01-10-96
63	86540	Mr. Mithan Lal, B-7/82, Safdarjung Enclave Extension, New Delhi-110029.	01-10-96
64	86791	Mr. Varal Vinod Chandra Sharma 8/322, Nag Dhunga, Pokhara, Nepal.	01-10-96
65	88274	Mr. Malik Inderjeet Manager Accounts, DLF Industries Ltd., Electric, Sector-11, Model Town, Faridabad-121006.	01-10-96
66	90886	Mr. Pasari Manoj Kumar C/o Glorious Printers & Traders, 5/5 Clive Row Room No. 6, IInd Floor, Calcutta-700001.	01-10-96
67	092601	Mr. Gupta Ashok Kumar House No. 1027 Sector 18, Old Faridabad, Faridabad-121006.	01-10-96

ASHOK HALDIA, Secretary

Mumbai-400005, the 30th April, 1997

No. 3WCA(5) 2/96-97:—With reference to the Institute's Notification 4-CA(1) 3/66-67 dated 17/05/66, 4-CA(1) 9/68-69 dated 31-07/68, 4-CA(1) 20/75-76 dated, 25/03/76, 4-CA(1) 27/76-77 dated 05/03/77, 4WCA(1) 4/80-81 dated 21/03/81, 4CCA (7) 8/81-82 dated 05/03/83, 3WCA (4) 2/83-84, 3WCA (4) 8/83-84 dated 26/03/84, 3WCA (4) 7/85-86 dated 03/08/86, 3WCA (4) 11/87-88 dated 05/01/88, 3WCA (4) 10/88-89 dated 15/02/89, 3WCA (4) 12/89-90 dated 20/11/89, 3WCA (4) 13/89-90 dated 27/11/89, 3WCA(4) 15/89-90 dated 20/12/89, 3WCA (4) 17/89-90 dated 22/12/89, 3WCA(4) 21/89-90 dated 03/03/90, 3WCA(4) 8/90-91 dated 02/01/91, 3WCA (4) 11/91-92 dated 27/12/91, 3WCA(4) 18/91-92 dated 16/03/92, 3WCA(4) 5/92-93 dated 01/12/92, 3ECA(4) 3/92-93 dated 22/01/93, 3WCA(4) 5/93-94 dated 02/12/93, 3WCA(4) 9/94-95 dated 30/01/95, 3WCA(4) 2/95-96 dated 13/05/96,

3CCA(4) 3/95-96 dated 04/01/96, 3NCA(4) 2/95-96 dated 7/5/96, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the power conferred by Regulation 19 of the said Regulation the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following persons.

Sl. No.	MRN	Member's Name & Address	Rest. Date
1	2	3	4
1.	001134	Mr. Manoranjan Ratilal Shroff, FCA 3rd Floor House No. 7 Kashibai Navrange Road Gamdevi Mumbai-400 007.	07-11-96
2.	001853	Mr. Shinde Baburao Govindrao, FCA A-6 Vidyamrut 509/1 Gultekdi Birmal Nagar Pune-411 037.	10-05-96
3.	002000	Mr. Sinha Satyendra Nath, ACA Pradeep Kumar Bldg., Gabriel Road Mahim Mumbai-400 016.	20-05-96
4.	004404	Mr. Nalinkant Chandulal Shah, ACA 1 Vikram Society Shahi Bag Ahmedabad-380 006.	30-12-96
5.	005252	Mr. Mistry Dara Rustomji, ACA C.P. 154 1211 Geneva 19 Switzerland.	19-07-96
6.	005558	Mr. Parikh Prahlad Kantilal, ACA Krishna Niwas Ganeshwadi B/H. Khanderao Market Baroda-390 001.	05-08-96
7.	005600	Mr. Sadhasivan G.S., ACA C-56 Sunder Apts., V.N. Puran Marg Chembur Mumbai-400 071.	09-07-96
8.	006191	Mr. B.L. Desai, ACA J.S. Kadambari Apts., Jodhpur Char Rasta Satelite Road Ahmedabad-380 015.	21-01-97
9.	006584	Mr. Hozdar Adarbad Tehmurasp, FCA A.T. Hozdar & Co. Bungalow No. 826 Dastur Meher Road Camp Pune.	26-07-96
10.	006929	Mr. Pandit Anil Gajanan, ACA 125 Joseph Marg E. Burnswick N. J. 08816 U.S.A.	19-07-96
11.	007103	Mr. T.S. Kasturi, ACA Flat No. 10 Nav Shantiba Housing Opp. Police Ground, Ferguson College Road, Shivaji Nagar Pune-411 016.	28-05-96
12.	007142	Mr. Shah Hemendrakumar Khodidas, ACA 1, Bela Apts. B. B/4 Manish Society Sayed Vasna Road Baroda-390 015.	09-07-96
13.	007202	Mr. Katrak Dinshaw Homi, ACA C/o. GEC Alsthom Australia Ltd. 2 Giftnock Avenue North Ryde N S.W. 2113 Australia.	15-07-96
14.	008712	Mr. V.K. Bajhal, FCA Sr. Divisional Manager L.I.C. of India Jeevan Prakash 6/7 Shivaji Nagar University Road Pune-411 005.	24-07-96
15.	009164	Mr. Umesh H., FCA M/s Port Authority of Jebel Ali P.O. Box 3258 Dubai U.A.E.	24-07-96
16.	009552	Mr. Chander N., FCA Director of Finance I.P.C.L. P.O. Petrochemicals Township Baroda-390 008.	16-08-96
17.	009762	Mr. Jain Nirmal Kumar, FCA 5 B, Shyam Niwas Bhulabhai Desai Road Mumbai-400 026.	02-07-96
18.	010023	Mr. Agarwal Satya Prakash, FCA Sagar Villa 38 Warden Road Mumbai 400 026.	16-07-96
19.	010230	Mr. Telavare Kalidas Narsinh, ACA C/o. A.R. Sulakhe & Co. Anand Apts. B/H. Hotel Shital F.C. Road Shivaji Nagar Pune.	17-07-96
20.	010622	Mr. Srinivasan N.S., ACA Dy. General Manager Bank of Baroda Shrada Centre, II Floor Erandwane Pune-411 004.	14-11-95
21.	011417	Mr. N.H. Viswanathan, FCA C/o. Newspin Ltd., P.B. No. 1013 Surulere Lagos Nigeria.	18-09-96
22.	011480	Mr. Mistry Sudhakar Gangaram, ACA Plot 38 Sector 15 Koper Khairane New Mumbai-400 701.	17-08-96
23.	013245	Mr. Mehra Ashok Kumar, ACA 3 Rosehill Terrace Clover Village Wanawadi Pune-411 040.	04-09-96
24.	013257	Mr. Shukla Parul Dhanvin, ACA 1031 Mccavour Drive Saint John (N.B.) E 2 M 4 M 2 Canada.	08-07-96

1	2	3	4
25.	013418	Mr. Samtani Arjun, ACA Financial Controller Union Carbide India Ltd. 15 Mathew Road Mehta Mahal Mumbai-400 004.	17-07-96
26.	014330	Mr. Hariharan N.A., ACA 3/28 Panchkamal Co-Op. Hsg. Soc. ector 29 /ashi New Mumbai-400 703.	30-08-96
27.	014654	Mr. Umed Raj Singhvi, FCA 6 Punjan Apts. B/H. Jahnvee Restaurant S.R. Marg Ambawadi Ahmedabad-380 015.	31-05-96
28.	015419	Mr. Patel Prabhakar Rasiklal, ACA Aptech Education Centre 5th Floor Chanakya Nr. Dinesh Hall Ashram Road Ahmedabad-380 009.	13-08-96
29.	015453	Mr. Ramana Murthy P.V., FCA Managing Director Aryaman Fin Services Ltd. 35 Atlanta III Floor Nariman Point Mumbai-400 021.	18-07-96
30.	015835	Mr. Pai K. Mohan, FCA 196-52 49th Avenue Bayside New York-11365.	26-07-96
31.	015965	Mr. Padiyar Shantilal, ACA R.C.F. Ltd. 8th Floor Priyadarshini Eastern Express Highway Sion Mumbai-400 022.	20-08-96
32.	016272	Mr. Mohan N., ACA Veer Kripa 1/375 Teleng Cross Road Matunga Mumbai-400 019.	21-05-96
33.	016748	Mr. Shah Raj Kumar, ACA Dy. Managing Director Jesovina SDN BHD 318 Jalan Ampang Kiri Kuala Lumpur Malays.	16-04-96
34.	016756	Mr. Shah Sudhir Pravinchandra, ACA 1901 Baltimore Dr. Rechardson TX 75081 U.S.A.	03-01-97
35.	017369	Mr. Shah Prakash Indulal, FCA P.S. Associates 28 Galaxy Commercial Centre Jawahar Road Rajkot-360 001.	25-07-96
36.	017612	Mr. N. Krishnamurthy, ACA A-14 Varsova Bhaskara Niwas Co-Op. Hsg. Soc. Ltd., Yari Road Mumbai.	31-10-96
37.	017662	Mr. Bookwala Hakim Fakhruddin, FCA 90 Sarang St. Bahrainwala Bldg. III Floor Room No. 9 Mumbai-400 003.	16-08-96
38.	017835	Mr. Ajmera Krishna Gopal, FCA 13 Shivtirth Apts., Kastur Park Borivli (W) Mumbai 400 092.	25-06-96
39.	018223	Mr. Netravali Uday Shankar, ACA 6/95 Srde Parleshwar Society M.G. Road (Extn.) Vile Parle (E) Mumbai-400 057	10-12-96
40.	021641	Mr. Maliwal G.L. FCA C-2-16 L.I.C. Colony Borivali (W). Mumbai-400 103.	04-07-96
41.	023464	Mr. Varadharajan G., ACA 10 Raphael Court Comerset Street Bristol BSI Off U.K.	23-10-96
42.	025342	Mr. Chalapati Rao K.V V., ACA F-7/3 Vindhya Apts. Above Dena Bank Vashi New Mumbai-400 703,	08-07-96
43.	025595	Mr. Girdharan G.S., ACA A-28 Gulabvatika Society Thandalya Road Baroda-390 020.	30-05-96
44.	025823	Mr. Krishnan K., ACA C/o. Marico Industries Ltd. Rang Sharda K.C. Marg, Bandra Reclamation Bandra (W) Mumbai-400 050.	16-08-96
45.	025931	Mr. Srinivasan R., ACA 63 Lakshmi Puram Yercaud Road Chinnathirupathi Post Salem Tamil Nadu-636 008.	02-04-96
46.	027768	Ms. Radha S., ACA SPE-3/11 Gorej Hill Side Colony L.B.S. Marg Vikhroli (W) Mumbai-400 079.	18-04-96
47.	030446	Mr. Desai Rajendra Maganlal, ACA Rajendra Desai & Co. 26 Anjali Kiran Mumbai-400 055.	03-06-96
48.	030491	Ms. Kathiwalaaruna Rashid, ACA 401 Karishma III Floor Junction of 6th & 12th Road Khar Road Khar (W) Mumbai-400 052.	13-09-96

1	2	3	4
49.	030527	Mr. Bothara Shantilal Tarachand, ACA Main Road Chopda At & Post Chopda, Chopda.	09-09-96
50.	030736	Mr. Desai Shantaram Krishnaji, ACA B-28 Royal Industrial Estate 5-B Naigaum Cross Road Wadala Mumbai-400 031.	19-04-96
51.	030818	Mr. Namle N.S., ACA B/10 Indraprashtha Opp. Salvlwadi Mithagar Road Mulund (E) Mumbai-400 081.	12-09-96
52.	030857	Mr. Shah Prakashchandra Jeshinglal A/23 Krishna Kutir Opp. M.K. High School Factory Lane Borivali (W) Mumbai-400 092.	20-06-95
53.	030963	Mr. Sekhar Natarajan, ACA No. 17 Gauri Girishar Road No. 2 Pestom Nagar Chembur Mumbai-400 089.	06-09-96
54.	031255	Mr. Chouguley Bharatbhushan Vipin Satapratap 10 No. Pul Bezan Bagh Kadbi Chowk Nagpur.	26-09-95
55.	031684	Mr. Sheth Arvind Narandas, ACA 2 Stewart Street, Passaic N.J. 07055, U.S A.	02-07-96
56.	031418	Mr. Goradia Kanaiyalal Mansukh-Lal, ACA P.O. 1274C Nairobi Keniya Lentana Road Westland.	14-06-96
57.	031970	Mr. Shah Jitendra Amritlal, ACA 2 Akshar Apts. Nr. Bandhu Samaj, Panchsheel Usmanpura Ahmedabad-380 007.	09-09-96
58.	032067	Mr. Charna Hosi Bapuji, ACA Hoshi B. Charna & Co. Charna Master & Co. Bank of India Bldg. III Floor Kalbadevi Road Mumbai-400 002.	30-09-96
59.	032219	Mr. Bhate Sudhir Sadashiv, ACA 401 Shivneri Bldg., Opp. Gaodevi Maidan, Gokhale Road Thane (W) Thane-400 602.	27-08-96
60.	032240	Mr. Shah Dhananjay Bapuraja, ACA 702-A Florentine Hiranandani Gardens, Powai Andheri (E) Mumbai-400 076.	13-05-96
61.	032414	Mr. Haritwal Vinodkumar Ramniranj Harit Niwas Andheri (E) Mumbai-400 069.	12-08-9[illegible]
62.	032462	Mr. Desai Jawahar Navinchandra, ACA 11016 Outpost Drive N. Potomac MD 20878 U.S.A.	24-07-96
63.	032514	Mr. Kulkarni Ajit Bhaskar, ACA 28A/12 Takshila Mahakali Caves Rd. Andheri (E) Mumbai-400 093.	16-12-96
64.	032683	Mr. Dias Mark Derrick, FCA P.O. Box 5412 Doha Qatar.	27-06-96
65.	033043	Mr. Shah Sanjay Lallubhai, ACA Chandraprabha Prabhat Road Pune-411 004.	25-09-96
66.	033056	Mr. Date Makarand Vinayak, ACA C-20 Chaitraban Residence III Road Aundh Pune-411 007.	18-07-96
67.	033114	Mr. Buch Haresh Gulabrai, ACA 17 Dattanigram No. 3 Hemukalani Cross Road No. 3 Kandivli (W) Mumbai-400 067.	27-09-96
68.	033471	Mr. Mehta Jitendra Shantilal, FCA 13 Sharad Apts., L.T. Road No. 6 O. M.G. Road Goregaon (W) Mumbai-400 062.	10-07-96
69.	033493	Mr. A.K. Viswanathan, FCA 4100 Pony Trail Drive Apt 611 Mississauga Ontario L4W 2Y1 Ontario.	23-04-96
70.	033618	Mr. Deshpande Anand Vasant, FCA Anand Deshpande & Co. Pandit Commercial Complex Modi Lane 3 Sitabuldi Nagpur-440 012.	30-01-97
71.	033793	Mr. Joshi Jagdishkumar Shantilal, FCA 207 Keshar Kripa Chandavarkar Lane Borivli (W) Mumbai-400 092.	13-08-96

1	2	3	4
72.	033949	Mr. Shah Jitendra Ramanlal, 101 Kamala Nagar B-5 Wing Ist Floor M.G. Road Kandivli (W) Mumbai 400 061.	25-03-96
73.	034106	Mr. Dalal Murtuzaali Zulfikar, ACA Murtuza & Associates Bldg. No.. 3 Block B. 602 Damodar Park Lal Bhad Ghatkopar (W) Mumbai 400 086.	14-10-96
74.	034113	Mr. Chari Ramchandra Raghava, FCA Shop No. 4 Sajyot Bldg., Gupte Road Vis hnunagar Dombivli.	28-06-96
75.	034147	Mr. Agarwal Pawan-Kumar, ACA P.R. Agarwal & Co. 42 Gopal Bhawan 199 Princess street Mumbai 400 002.	01-10-93
76.	034198	Ms. Neelam Jain, ACA Flat No. 3 Radhamohan 7th Road Golibar Santacruz (E) Mumbai 400 055.	18-10-95
77.	034318	Mr. Popat Ajaykumar Chimanlal, FCA 232 General Assurance Bldg. Ist Floor Dr. D.N. Road Fort Mumbai 400 001.	13-12-96
78.	034385	Mr. Barve Satish Sudhakar, FCA 18/B Mukti Co-op. Hsg. Soc. Samath Nagar Nashik 422 005.	18-06-96
79.	034550	Mr. Gandhi Vijaykumar Balkrishna FCA 12 Indus Court A Road Churchgate Mumbai 400 020.	19-04-96
80.	034648	Mr. Jain Kailash Chandra, FCA 601 Ajay Apts., Bachani Nagar Daftary Road Mumbai 400 097.	12-07-96
81.	035225	Mr. Parikh Jayprakash Rasiklal, ACA 14316 Bonnett Lane Laurel MD 20707 U.S.A.	03-04-96
82.	035259	Mr. Shah Velchand Valjibhai, FCA 105 Lucky Palace Nr. State Bank Naghar Vasai Road (W) Vasai 401 202.	04-04-96
83.	035511	Mr. Naik Surendra Dattatrayay ACA M-309 Ramyanagari Bibvewadi Pune-411 037.	30-08-96
84.	035617	MR. Chhaya Shailesh Jaykant, FCA 22 Matruka Society New IPCL Road Subhanpura Baroda.	11-09-96
85.	035826	Mr. Bachani Haresh Sobhraj, ACA 48/1884 C.G.S. Quarters Sector VII Antop Hill Mumbai 400 037.	17-05-96
86.	035954	Mr. Dharde Sanjay Sadashiv, ACA C/o. Anils Dharde 201 Gosalia Park Bldg. No. 4 Tal Palghar Dist. Thane Boisar 401 501.	03-10-96
87.	036023	Mr. Shah Pankaj Ratilal, ACA 2/206 Swagat Hingwala Lane Ghatkopar (E) Mumbai 400 077.	10-09-96
88.	036285	Mr. Purohit Deendayal Hastimal FCA 83/ B Dr. Annie Besant Road IInd Floor, Worli Mumbai 400018	24-4-96
89.	036402	Mr. Dalal Bharat Ashwin ACA 9/D 504 Alica Nagar Akurli Road Lokhandwala Township, Kandivli (E) Mumbai 400101.	18-10-96
90.	036543	Mr. Bharmal Sajjad Fakhrudin ACA Mukwano Industries -U-Ltd. P O, Box 2671, Kampala, Uganda, East Africa	11-12-96
91.	036580	MR. Mathur Anil FCA ABN AMRO Bank, PO Box 114 T-D Centre Toronto MSK168 Canada.	19-09-96
92.	036592	Mr. Shah Nimish Rajnikant FCA Nimish Shah & Associates 15-B Tata Road Sopariwala Estate Mumbai 400004.	15-7-96
93.	036636	Mr. Chandrasekhar G. ACA 505 Bhagyodaya Tower Pashabhai Patel Park, Race Course Baroda 390015.	21-5-96
94.	036987	Mr. Lochan Rajiv FCA 21 Tilotamma A. D. F. Navy Nagar, Colaba, Mumbai 400005.	27-3-96
95.	037091	Mr. Batra Raghubir ACA C/o. Standard Chartered Bank Financial Centre Division PO Box 999 Dubai. U. A. E.	30-4-96

1	2	3	4
96.	037142	Mr. Shah Bharat Kantilal ACA A-304 Shanti Park CS Complex Road No. 2. Dahisar (E) Mumbai-4000068	27-9-96
97.	037146	Mr. Patni Farhah Hasanali ACA B-304 Madhuban APTS., Yari Road, Varsova, Mumbai-400061	21-6-96
98.	037214	Mr. Ahmadjee Gani V Lal ACA 11 Rainbow, Deonar Baug Society, NR. Telecom Factory, Deonar, Mumbai 400088.	20-8-96
99.	037227	Mr. Parikh Nisarg Rasiklal FCA 602 Mayur Flat, Satelite Ahmedabad 380.015.	17-7-96
100.	037344	Mr. Lavti Surendra Kumar. FCA. 1003 Siddhi Tower Saibaba Nagar Borivli (W) Mumbai 400092.	19-09-96
101.	037513	Mr. Roongta Ravindrakumar Banigopal. 7-B Shah Indl. Estate. Off Veera Desai Road Andheri (W) Mumbai 400057	27-8-96
102.	037534	Mr. Desai Prakash Chandra Ruderji ACA 3 Jethalal Mulji Market. NR. Avabai High School Valsad. Valsad-396001.	09-7-96
103.	037786	Mr. Raminathan Vijayalakshmi ACA 103 Ashiyana, Off J P Road Andheri (W) Mumbai-400054	15-11-96
104.	037873	Mr. Sureshkumar V. ACA Flat No. 4 Smruti Plot No. 20(20) Rafi Ahmed Kidwai Road, Wadala, Mumbai-400031.	19-8-96
105.	038187	Mr. Punjabi Mukesh Parmanand 716,/E. Sunderdham, Rambhag Lane, Borivli (W) Mumbai-400092.	24-7-96
106.	038666	Mr. Kacholia Prafullakumar Bansilal. 54, vaikunth NR. Lallubhai Park Andheri (W) Mumbai-400058	25-6-96
107.	038676	Mr. Govardhan Sunil Manohar FCA SM Govardhan & Co. 302 Happy APTS., 55/56 Navi Peth LBS Marg Pune-411030	14-10-96
108.	039115	Mr. Balgi Vanita Vaman FCA B-36 Kailas, Dahanu karwadi, Kandivali (W) Mumbai-400067	13-6-96
109.	039172	Mr. Shah Rajendra Sumatilal ACA 4 Vireshwar Vihar 12-A. Tejpal. Road Plot No. 6. Vile Parle (E) Mumbai-400057.	19-7-96
110.	039924	Mr. Shah Rajendra Jagannath ACA Rajendra Shah & Co. 35 Continental Chambers Karv Road, Pune-411004,	18-10-96
111.	039974	Mr. Pandya Nilesh Ambarbish ACA, Nilesh Pandya & Associates 302 Ratnadeep High Court Lane Ashram Road Ahmedabad 380009	26-04-96
112.	040152	Mr. Deshmukh Atul Vasudeo ACA Adarsh Nagar Nr. Rotary Club. Solapur 413003	15-7-96
113.	070294	Mr. Chari venkat Raghunath ACA B 17/18 Anant Anand APTS. Malabar Hill Road, Mulund Colony Mumbai 400082	19-12-96
114.	040365	Mr. Kulkarni Suhas Shrikrishna ACA Pancharatna APTs. Flat 2 Below Bodyline Health Club, Aundh Pune 411007	13-01-97
115.	040677	Mr. Lakaka Firdaus Faredoon ACA Thum Belina, Opp. Sarvamangal Society, Naranpura. Ahmedabad 380013	20-11-96
116.	040785	Mr. Agarwal Kamal Kishor ACA 203 Pratik Vrishi Complex Holy Cross Street, I C. Colony. Borivli. Mumbai 400103	01-11-96
117	40861	Mr. Shah Sanjay Kumar Kishore ACA A/8. Bhagyodaya Ist Floor. Khot Lane J V Road Chatkopar (W) Mumbai 400086	12-07-96

1	2	3	4
118.	040916	Mr. Telang Abhay Kamalakar, FCA G-5 Natraj Co. op. HSG. Society Panch Pakhadi Thane (W) Thane-400602.	17-10-96
119.	041201	Mr. Jain Udai Kumar, ACA 2202 Joglekar House Station Road, Dombivli.	2-8-96
120.	041313	Mr. Thakkar Aseem Lakhamshi, FCA Kashmira Chambers, B/H. High Court Navrangpura. Ahmedabad-380009.	13-6-96
121.	041380	Ms. Kulkarni Upendra Anantrao, FCA New Deep Jyot, Nr. Tilak Nagar School Tilak Nagar, Dombivli (E) Dombivli-421201.	07-6-96
122.	041440	Mr. Patel Rajeshkumar Rasiklal, ACA A/4 Harimahadev APTS., Opp. Muni Garden, Nirambica Road, Naranpura Ahmedabad-380013.	1-8-96
123.	041447	Mr. Vaidyanathan Vijayalakshmi, ACA 3C/1002 Domodar Park, LBS Marg, Ghatkopar (W) Mumbai-400086.	9-4-96
124.	041469	Mr. Salesha Mukesh S., ACA 2/8 M. I. G. Colony Kurla (W) Mumbai-400070.	4-7-96
125.	041529	Mr. Patwa Parag Indravadan, FCA 313 A Patil Plaza Mitramandal Corners. Pune-411009.	19-12-96
126.	041752	Ms. Malkas Sangeeta Paramlal, ACA C/o. Sanjay Aggarwal P. O. Box 3800. Dubai.	24-4-96
127.	041763	Mr. Sapru Vinay, ACA III Floor 16/F Block Zohra Aghadi Nagar Yari Road Versova Andheri (W) Mumbai-400061.	22-4-96
128.	041765	Mr. Singhania Sunil Banwarilal, FCA V-1/404 Sunder Nagar SV Riad Malad (W) Mumbai-400064.	25-9-96
129.	041794	Mr. Vartak Suresh Jagannath, ACA Suresh Vartak & Associates Savewadi, Wadavalee Vasai-401201.	8-7-96
130.	041856	Mr. Wadia Khushroo Kali, ACA G/003 Vishal Apartments, Andheri (E) Mumbai-400069.	15-04-96
131.	041864	Mr. Pathek Dhaval Kumar Bhaskerbhai, ACA 30 Mahavir Nagar, Opp. Vastrapur Bus Stand, Vastrapur, Ahemdabad-380015.	08-07-96
132.	041921	Mr. Sampat Harish Laxmidas, ACA, Gita Graha, 4 Pocket Road, III Floor, R. No. 83, Mumbai-400002.	20-05-96
133.	042089	Mr. Khanfalavala Sorab Posi, ACA, 9 Nagin Mahal 82 Veer Nariman Road Mumbai-400020.	23-04-96
134.	042355	Ms. Sharma Sarika Jagdish, ACA, Bhalons Estate Dr. C. G. Road Chembur, Mumbai-400074.	30-05-96
135.	042785	Mr. Gangadharan N. ACA, 2 Air Niketan 313 Vidyanagari Marg, Kalina Mumbai-400098.	05-08-96
136.	042806	Ms. Chaturvedi Anuradha Naren, ACA, 203 Kaveri, Raheja Complex Balkum Thane-400608.	25-06-96
137.	043044	Mr. Shah Kalpesh Jaswantlal, ACA Kalpesh Shah & Associates, 10 Pallavee Society Nr. Hotel Siddharth Palace, Dafnala Ahmedabad-380004.	30-07-96
138.	043072	Mr. Kothari Pravin Sumer Chand, ACA, 2nd Floor, Bharat Merchants Chambers, 399-A Kalbadevi Road, Mumbai-400002.	24-12-96
139.	043227	Mr. Ramesh Vishwanathan, ACA, A-2/5 Manav Kalyan Co-op. Housing Society Ltd. Bangur Nagar, Goregaon (W) Mumbai-400090.	18-11-96

1	2	3	4
140.	043488	Mr, Satra Mahendra Dungarshi, FCA Bldg. No. 2A, Flat No. 104 Mhada Tenaments, Sri Adisankaracharya Marg, Powai, Andheri (E) Mumbai-400076.	28-06-96
141.	043511	Mr. Ghelani Uday Sagarlal ACA, Ernst & Yoong P. O. Box 9267, Lenel 23, Dubai World Trade, Dubai, U. A. E.	17-12-96
142.	043620	Ms. Celina Joy, ACA 1 Mira Niketan Opp. St. Plus School, Mulund (W) Mumbai-400080.	10-09-96
143.	043660	Mr. Mehta Rakesh, ACA 84/1405 Kalpavruksha Tower 14th Floor Vasant Vihar Pokhran Road No. 2 Thane (W) Mumbai-400601.	12-07-96
144.	043743	Mr. Ramakant S Kini, ACA R. No. 12 Kajwala Society B/H. Masjid, Mahakali Road, Andheri (E) Mumbai-400093.	20-08-96
145.	043802	Mr. Sanjeev Krishnan Mehrotra, ACA 26/3 Shivtirth M G Road Naupada Thane-400602.	31-05-96
146.	043927	Mr. Arsiwala Mustafa Yusufali, ACA M Y Arsiwala & Co, 38 Saifee Jubliee St. Mumbai-400003.	26-11-96
147.	044303	Mr. B Subramanyam, ACA Nalini-6 Plot 304 Sion Trombay Bldg., Chembur Mumbai-400071.	21-08-96
148.	044325	Mr. Dandekar Sunanda Vishnu, ACA Govind Nagar, 27-B-12 Borivali (W) Mumbai-400092.	06-08-96
149.	044348	Mr. Paras Ashok Adenwala, ACA Chandan, D'Souza Colony College Road Nashik-422005.	06-08-96
150.	044565	Mr. Shah Samir Inderajit, ACA B/4 Sundervan, Flat No. 703 Lokhandwala Road, Andehri (W) Mumbai-400058.	07-06-96
151.	044701	Mr. Jose, ACA P. O. Box 1620 Dubai U. A. E.	28-08-96
152.	0044728	Mr. Ayyer Ram, ACA 5/78 Krishna Mahal, G. M. Road, Chembur Mumbai-400089.	11-06-96
153.	044810	Mr. Thomas Kurian, ACA P. O. Box 17691 Al Ain Abudhabi U. A. E.	24-09-96
154.	044836	Mr. Patwardhan Yatin Avinash, ACA 46 Krushinagar College Road, Nashik-422005.	13-01-97
155.	044976	Mr. Nagrajan ACA Flat 1 Satyam 1 R. C. Marg, Chembur, Mumbai-400071.	14-08-96
156.	045002	Mr. Kukian Deepak Vaman, ACA Bank of America Express Towers, Nariman Point Mumbai-400098.	17-06-96
157.	045108	Ms. Neena Jean Noronha, ACA 5245 Alicante Street Mississauga Ohtario L5V 1S 9 Canada.	24-07-96
158.	045151	Mr. Wadekar Mahesh Govindrao, ACA C/o. New Poonam Baug, 4th Floor, Vile Parle (E) Mumbai.	19-06-96
159.	045171	Mr. Vora Shaileshkumar Madanlal, ACA Sector IX/B-15/103 Shanti Nagar Mira Road (E) Mira Road-401107.	07-08-96
160.	045208	Mr. Anup Mohan Johri, ACA B-1 Amul Apartments, Subhanpura Baroda-390001.	09-07-96
161.	045233	Ms. Bharucha Parvin Burjor ACA Taher Bldg. Jalbhai Street Grant Road, Mumbai-400004.	15-04-96
162.	045243	Mr. Bendarkar Nandan Sadanand, ACA 2/446 Raghuwansh Middle Lane Deorukh 415804.	11-06-96
163.	045308	Ms. Shinde Sushama, Rajeev ACA C/o. Mr. Rajeev Shinde Post Box 243, Abu Dhabi U.A.E.	12-07-96

1	2	3	4
164.	045337	Mr. Dhakappa Yatish Triyambak ACA Flat 13 Priyanca Society Plot 235 Sector III, Charkop Kandivli (W) Mumbai-400067.	08-05-96
165.	045368	Mr. Vadodaria Jayesh Arvind ACA C/o. M. P. Jani Purushottam Sanstha Bochasanwasi Shri Akshar 2nd Floor Accounts Office Shahibaug Road, Ahmedabad-380004.	28-05-96
166.	045413	Mr. Bhatnagar Ashish Vishan, ACA E-77-A Venus Apartments, Worli Sea Face, Dr. R. G. Thadani Marg, Mumbai-400018.	04-07-96
167.	045421	Ms. Pradhan Smita, Vasant ACA 406 Shalaka Maharshi Karve Road Mumbai-400021.	18-07-96
168.	045477	Mr. Sabnis Avadhoot Madhukar ACA 16 Shree Ramnath Society off, Sayani Road Mumbai-400025.	20-08-96
169.	045496	Mr. Punjabi Vijay Mulchand ACA Unit 11, 7604—29 Avenue Edmonton—Alberta T 6 K 3 Z2 Canada.	7-01-97
170.	045530	Mr. Toprani Tushar Bhagwandas ACA 402 Chintamani Apts., 22 Jain Society, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.	04-06-96
171.	045772	Ms. Seema Shirish Thakur ACA Queens Park Bldg. No. 2, Block No. 202, Parnaka, Vasai (W) Vasai-401201.	13-05-96
172.	045790	Mr. Jain Rajesh Motilal ACA 22 Ambicadevi Society, I Javeri Park Naranpura, Ahmedabad-380013.	24-09-96
173.	046058	Ms. Wagle Tripti Madhukar ACA A/303 Devdarshan Mogul Lane, Mahim, Mumbai-400016.	16-08-96
174.	046158	Mr. Jain Narendra Kundanlal ACA Bldg. No. 1, Flat No. 9, Samarth Nagar Opp. Chuna Bhati Station Chuna Bhati (E) Mumbai-400022.	11-07-96
175.	0163209	Mr. D'Souza Norman Stanley ACA F/12, Vishram Dham-7 Veena Nagar Phase II Mulund (W) Mumbai 400080	08-10-96
176.	046392	Mr. Ruparel Atil Nandlal-Bhai ACA 12F Basement Narayan Chambers Nehru Bridge Ahmedabad.	20-06-96
177.	046408.	Mr. Shukla Rasik Suryaprasad A 3 Nirmal Complex, Opp. Doctor House, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.	4-6-96
178.	046544	Mr. Pane Dinesh Anantrao ACA D/62 Prasanna Jeevan Society Babhai Eksar Road, Borivli (W) Mumbai-400092.	05-07-96
179.	046609	Mr. Agrawal Amrit Kumar ACA, Gandhi Special Tubes Ltd. Jariwala Mansion, 43 K.M. Munshi Marg, Mumbai-400007.	22-07-96
180.	046872	Mr. Kawasia Aspandiyar Kaikashroo ACA B1/54 Panchavati Appts. Juhu Lane, Andheri (W) Mumbai-400058.	09-07-96
181.	047094	Mr. Lakdawala Mohamed Aarifibrahim 81/83, Bapu Khote Street, Jamli Mohalla, III Floor, Mumbai-400003.	13-11-96
182.	047199	Mr. Kudav Kamlesh Vinod, ACA A/3 Choksey Bldg., Gamdevi Road, Mumbai-400007.	27-8-96
183.	047440	Mr. Vaddi Nagesh Subrahmanyam ACA Qr. No. 27/A. Type IV, Q. E. Varangoan Estate, Dist. Jalgaon Jalgaon-425308.	4-6-96
184.	047514	Mr. Kapadia Meena Devendra ACA 74-IB Pratapnagar Colony Dargah Road Osmanpura, Aurangabad-431005.	24-3-96

1	2	3	4
185.	047536	Mr. Chechani Jagdish Chandra ACA A-33 Banasdhar Society, NR. S. T. Stand Ta. Modasa Dhansura. Sabarkantha 383310.	3-4-95
186.	047699	Mr. Tarachand Firdaus Jehangir ACA 204 Old Sitaram Bldg, Princess Street Mumbai 400002	18-10-96
187.	047703	Mr. Balasubramanian S. ACA 7 Abhang Apts B Wing New Aare Road-9, Dombivli (E) Dombivli 421201,	25-9-96
188.	047715	Mr. Chitlangia Girdhar Kumar ACA 19 Balkrishna Bhuvan, Ist Floor 86 Dadisheth Agiary Lane Mumbai-400002.	2-12-96
189.	047785	MR. Gulyara Chandmiya Gulam-Hussain 101 Nabil Apts., Chittekhan Galli, Nr. Arab Masjid, Gandigate Road, Baroda-390017.	24-09-96
190.	047898	Mr. Krishnamurthy, K. ACA C-33 Ashwin, 27/1 Marve Road Malad (W) Mumbai-400064.	14-10-96
191.	048286	Mr. Talwar Raju Matwaldas ACA 209 Shere Punjab Society Mahakali Road, Andheri (E) Mumbai-400093.	13-11-96
192.	048395	Mr. Jain Dilip Kumar, ACA, C/o Raj Jewellers Bldg. No. B-5, Shop No. 4 Sector 6 Shanti Nagar, Mira Road-401107.	18-10-96
193.	048797	Mr. Patil Bapusaheb Govind ACA, 2799 B Mangalwar Peth, Kolhapur.	25-7-96
194.	048839	Ms. Jayanti Ramdas, ACA, 77, Haribhakti Colony Extn. Old Padra Road. Baroda-390015.	6-9-96
195.	048956	Mr. Maniar Murtuza Najmuddin, ACA, 36 Saifee Park Maskan Bldg., 3rd, Floor Flat No. 15, Marol Andheri (E), Mumbai-400059.	30-8-96
196.	053422	Mr. Soumitra Sengupta, ACA, 3rd Floor Sakhar Bhavan Citi Bank Nariman Point Mumbai-400021.	22-4-96
197.	053594	Mr. Braja Bandhu Sahu, ACA, Dy. Manager (Accounts) Oil India Ltd., Bhaktinagar Circle Rajkot-360002.	6-1-97
198.	056683	Mr. Durga Prasad Mohanty, ACA, C/o. Indian Rare Earths Ltd. Sherbanoo, 6th Floor, 111 MKR Rd Mumbai-400020.	18-11-96
199.	071647	Mr. Baruwal Suresh, ACA, C-501, Dharam Palace, Shantivan, Nr. National Park Borivli (E), Mumbai-400066.	8-4-96
200.	071677	Mr. Gang Rajendra, ACA, 11/872 Old M.H.B. Colony, L. T. Road, Borivli (W), Mumbai-400091.	8-4-96
201.	072984	Mr. Sanjay Kumar Ojha, ACA, B-2, Miraj Apts., Nr. Natubhai Centre, Race Course Circle, Baroda-390007.	29-10-96
202.	074941	Mr. Rajeev Lalwani, ACA, P. O. Box 576 Dubai U.A.E.	15-5-96
203.	074921	Ms. Usha D., ACA, Manager (R.B.I.) Exchange Controller Dept. Nr. Gandhi Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380014.	28-6-96
204.	081091	Mr. Seth Naresh Kumar, ACA, N. Seth & Co. 903, Nutan Awas Apt., Batar Road, Surat.	18-7-96
205.	082609	Mr. Sriram Khattar, FCA, I.T.C. Ltd., International Business Division, World Trade Centre, I 18th Floor, Cuffe Parade, Mumbai-400005.	20-6-96
206.	084349	Mr. Sablok Varun, ACA, 13 The Anchorage Nausena C.H.S. New Varsova Line Road, Andheri (West), Mumbai-400053.	19-6-95
207.	201111	Mr. Sabu K. S., ACA, Post Box No. 52587, Dubai, U.A.E.	29-8-96
208.	202174	Mr. Srinivasan S, ACA, M/s. PRL Credit & Capital Ltd., 505, Kakad Chambers N.A. 5th Floor, 132 Dr. A. B. Road, Worli., Mumbai-400018.	24-6-96

ASHOK HALDIA,
Secretary

Calcutta-700071, the 28th April, 1997

Chartered Accountant

No. 3ECA(8)/2/96-97:—In pursuance of Regulation 10(1) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates

mentioned against their names, as they do not desire to hold their certificate of practice.

S. No.	MRN.	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	003079	Mr. Chatterjee Ajit Kumar, FCA, Amiya Villa 2 Bury Hall Villas Edmonton, London N9 9LE-0..	22-3-97
2.	050443	Mr. Daga Swaroop Chand, FCA, 654B Lake Gardens D-Block Calcutta-700045.	31-3-97
3.	051088	Mr. Dutt Subir, ACA, 75B Jodhpur Park Calcutta-700068.	3-1-97
4.	051648	Mr. Chakrabarti Syamal Chandra, ACA, 52 Khandah Coop Colony, Ltd. Distt 24 Parganas North Rahara-743186.	10-2-97
5.	052619	Mr. Basu Supradip, ACA, II/15 NPTI Colony City Centre Durgapur-713216.	17-2-97
6.	053047	Mr. Lahiri Soumitra Chandra, FCA C/o C. R. Chatterjee Block 17, Flat No. 221 Hudco Complex, Ultradanga Road, Clcutta-700054.	18-3-97
7.	053094	Mr. Ghosh Nisith Kumar, FCA 226 Ramkrishna Road, Matri Smriti, Ranisayar North Burdwan-713101.	14-3-97
8.	053298	Mr. Chandak Mahesh, FCA Room No. 314-B Commercial Point, 79 Lenin Sarani Calcutta-700013.	27-3-97
9.	053611	Mr. Patra Tarun Kumar, FCA, 9/2/1/12 Kasundia 2nd Bye Lane Howrah-71104.	1-3-97
10.	054498	Mr. Modi Naresh Kumar, FCA, General Manager, Minda Instruments Ltd., Gut No. Nanekwadi, Chakan, Laluka Khed, Pune-10.	14-3-97
11.	054727	Mr. Easow Mathew, ACA, 128 Rashbehari Avenue Ist Floor, Rajkamal Building, Calcutta-700029.	31-3-97
12.	054794	Mr. Mohanty Ajay Kumar, ACA, Manager Allahabad Bank, Foreign Deptt. White House, 119, Park Street, Calcutta-700016.	21-09-96
13.	055087	Mr. Keshari Bimal Kumar, ACA, C/o Ispat Mexicana S.A. DE. C.V. FCO. J. Munica 1B Lazard Cardens, Mich, C.P. 6095 Mexico-0.	24-12-96
14.	055804	Mr. Barua Bhaskas Jyoti, ACA, C/o P. C. Barua Milanpur Tinali Bamunimaidan Guwahati-781021.	23-9-96
15.	056456	Mr. Seal Bishan Kumar, ACA, 6C Chandranath Chatterjee St. Bhowanipore, Calcutta-700025.	16-9-96
16.	056645	Mr. Mohanty Pratap Kumar, ACA, C/o Chhatrabandhu Press At Purunabazar, Orissa Bhadrak-756100.	8-11-96
17.	057040	Mr. Bose Sukumar, ACA, 2/3 Canal East Road, Calcutta-700067.	28-2-97
18.	057367	Mr. Mundhra Rajesh, ACA, 278 Burtolla Lane, Dhamali Building, Distt. Hooghly, Hindmotor-712233	21-03-97
19.	057517	Mr. Rathi Subhash Kumar, ACA C/o Mr. Alok Sukhani, 42/2 Garlahat Road, Calcutta-700 029	25-03-97
20.	057676	Mr. Mallik Supratip ACA GD 128 Sector 3 Salt Lake City, Calcutta-700091	31-10-96
21.	057693	Ms. Barua Nivedeeta ACA, Senior Accounts Officer, Assam Gas Co. Ltd., Duliajan-786602	17-03-97
22.	057760	Mr. Ray Chaudhuri Kuntak ACA, 11/F Dr. G. S. Bose Road, Calcutta-700039.	31-03-97
23.	507765	Mr. Roy Suman ACA 36 Kumar Para Lane Kasba, Calcutta-700042.	30-11-96
24.	057870	Mr. Datta Swarup ACA, 260 Panchanan Tala Road, Howrah-711101	08-01-97
25	058040	Mr. Doshi Amit ACA, 15A, Debendra Ghosh Road, Bhawanipore, Calcutta-7700025	24-02-97
26	058055	Ms. Bagchi Falguni ACA 55 Nabin Das Road, Calcutta-700090	03-03-97

1	2	3	4
27	084793	Mr. Ray Sudeep FCA. B-21, Tolly Apartments, 49/49 Pricne G. M. Shah Road, Calcutta-700033	15-12-96

ASHOK HALDIA, Secy.

Calcutta-700071, the 29th April, 1997

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA(B)/3/96-97—In pursuance of Regulation 10(1)(iii) read with Regulasion 10 (2) (b) of the Chartered Acountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as had not paid their annual fees for Certificate of Practice, (From S, No. 1 to 59),

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1	002198	Mr. Basu Niranjan ACA, C/o Sunivas Colony, Plot No. A 8 Hamanta Mukherjee S., Sector 2A, Durgapur-713212	01-10-96
2	003510	Mr. Naik Harshad Khandubhai FCA 36-B, Dr. Rajendra Road, Calcutta-700020	01-10-96
3	003880	Mr. Uphadhyay Yogendra FCA BLK B, 8th Floor, Ballygunge Park Tower, 67-B Ballygunge Circular Road, Calcutta-700019	01-10-96
4	006998	Mr. Majumdar Sushil Kumar ACA Flat-2C, Uday Bhawan, 14/106 Golf Club Road, Calcutta-700033	01-10-96
5	007837	Mr. Ghosh Amal FCA, 31/Karbala Tank Lane, Calcutta-70006	01-10-96
6	009231	Mr. Bandyopadhyay Prodyot Kumar FCA., 5, Anil Roy Road, GR. Floor, Calcutta-700029	01-10-96
7	012274	Mr. Sen Subir Kumar ACA Flat No. 2[11/3 Old Ballaygunage Second Lan Calcutta-700019	01-10-96
8	014781	Mr. Sewag Satya Narain ACA, C/o Hindal Co. 9/1 R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001	01-10-96
9	016174	Mr. Chakraborty Pijushkanti ACA 10/1/51, Kabi Kirandhan Road, Dt. Hooghly Bhadrakali-712232	01-10-96
10	017416	Mr. Lahiri Subrata ACA 17/NA Block-A New Alipore, Calcutta-700053	01-10-96
11	037202	Mr. Raychaudhuri Supriya FCA 66-D Suren Sarkar Road, Calcutta-700010	01-10-96
12	050442	Mr. Saha Ramendra Narayan ACA G. M. Projects & Audit, Sugar Corporation of Uganda Lt., P. O. 1, Lugazi, East Africa, UGANDA-O	01-10-96
13	051305	Mr. Chattopadhyaya Meghadri KR., ACA, 33/6/D, Nazir Lane, Calcutta-700023	01-10-96
14	051952	Mr. Satyadeen Kantimahanti ACA L3/132, Acharya Vihar Bhubaneswar-O	01-10-96
15	052066	Mr. Choudhury Debasish FCA 162 Jodhpur Park Calcutta-700068	01-10-96
16	052266	Mr. Agrawal Praveen Kumar FCA Mehta House, 354/A, Ganga Mandir Cuttack-753001	01-10-96
17	052279	Mr. Sivaramakrishnan P. R. FCA Financial Controller American Hospital, P. O. Box 5566, Dubai, United Arab Emirates-O	01-10-96
18	052522	Mr. Sanganoriya Umesh Kumar FCA 2A, Jogesh Mitra Road, Calcutta-700025.	01-10-96
19.	052777	Mr. Jhawar Rajesh Kumar FCA 77/79 Netaji Subhash Road, 3Rd Floor Room No. 323 Calcutta-700001	01-10-96
20	053007	Mr. Dutt Sumantra ACA Flat 401, Garden Villa Co-oper. Housing Society Ltd., 25/2 Prince Ghulam M D Shah Roa, Calcutta-700045	01-10-96
21	053058	Mr. Datta Chaudhuri Chandan FCA C/o Kanoi Estates Pvt. Ltd., 24 R. N. Mukherjee Road, 4th Floor, Calcutta-700001	01-10-96
22	053081	Mr. Jhunjhunwala Anurag FCA 54A Zakaraia Street, Calcutta-700073	01-10-96
23	053113	Mr. Sonthalia Rajendra Prasad FCA 36 Shibtolla Street, Calcutta;-700007	01-10-96

1	2	3	4
24	053607	Mr. Chamaria Mahendra Kumar ACA 85 Hemchandra Naskar Road, 1st, Floor, Calcutta-700010	01-10-96
25	053628	Mr. Rakshit Atanu FCA 181 Raja Dinendra Street, Calcutta-700004	01-10-96
26	053759	Mr. Mukherji Joydeep ACA P-86 Lake Road, Calcutta-700029	01-10-95
27	054202	Mr. Khetan-Arun Kumar ACA Asstt. Commerical Manager, M/S Mackeypore Tea Estate Dt. Sibsagar Nazira-785 685	01-10-96
28	054321	Mr. Sahu Surendra Kumar FCA MB/16, Madhuban Orissa, Paradeep-754 142	01-10-96
29	054380	Mr. Ghosh Rajsekhar ACA 162/A/104 Lake Gardens Calcutta-700045	01-10-96
30	054508	Mr. Goenka Pradeep Kumar ACA 2 Barretto Lane, Suite No. 201 Calcutta-700069	01-10-96
31	054520	Mr. Razdan Sanjay ACA 10 Winchester Avenue, Peekskill, NY 10566 USA-O	01-10-96
32	054634	Mr. Sahoo Sushant Kumar ACA Plot No. 5 Satyanagar Bhubaneswar-751007	01-10-96
33	054636	Mr. Gupta Rajesh Kumar ACA C/o S. P. Mangla & Co., 21B Canning Street, Calcutta-700001	01-10-96
34	054700	Mr. Basu Jayanta Kumar ACA 10/1/N Swinhoe Street, Ballygunge, Calcutta-700019	01-10-96
35	054750	MS. Dutt Supriya ACA Flat 401, Garden Villa Co-oper. Housing Society Ltd., 25/2 Prince Ghulam MD Shah Rao Calcutta-700045	01-10-96
36	054772	Mr. Datta Roy Indranil ACA 102, B T. Road, F. No. B 8/8 Uttarayan Housing Estate Calcutta-700035	01-10-96
37	054821	Mr. Biswal Sushanta Kumar ACA Plot No. N-6/172 I. R. C. Village, Nayapalli, Bhubaneswar-751015	01-01-96
38	055372	Mr. Kapur Vipul ACA 8/A Circus Avenue, Calcutta-700017	01-10-96
39	055597	Mr. Mandal Rama Kant ACA A/62 Shree Kunj, 51 Dobson Road, Howrah-711101	01-10-96
40	055831	Mr. Singvi Rajendra ACA, E-24-5, Karunamayee Salt Lake, Calcutta-700091	01-10-96
41	056057	Mr. Basu Indrajit ACA 4/17B Netaji Nagar, Calcutta-700040	01-10-96
42	056275	Mr. Panda Mukunda Kumar ACA Indian Metals & Ferro Alloys L., Bomikhal, Rosulgarh, Bhubaneshwar-751010	01-10-96
43	056280	Mr. Basak Abhinaba ACA 49/1D, Swinhoe Lane, Calcutta-700042	01-10-96
44	056544	Mr. Guha Sibasish ACA Nutanpalli, Balia, P. O. Garia, Calcutta-700084.	01-10-96
45	056609	Mr. Maur Rajesh ACA, 7C, A.J.C. Bose Road, 2nd Floor, Calcutta-700017	01-10-96
46	056833	Mr. Jha Bibhuti Nath ACA C/o A. K. Lal, 6A Shambhu Chatterjee Street, Calcutta-700007	01-10-96
47	057164	Mr. Roy Asit Baran ACA C/o Anna Purna Paul, Indira Matri O Sisu Kalyan H., 35B Raja Manindra Road, Calcutta-700037	01-10-96
48	057184	Mr. Mohatta Sudarshan ACA Castle (Main Bldg.) 26 P. K. Tagore Street, Calcutta-700006	01-10-96
49	057193	Mr. Choudhary Vikash ACA C/o Mr. A. N. Choudhury, Jayashree Textiles, Distt. Hooghly, Rishra-712249	01-10-96
50	057203	Mr. Sinha Supriya ACA 39A Rishi Bankim Chandra Street, Distt. Hooghly, Konnagar-712235	01-10-96
51	057236	Mr Ray Samir Kumar ACA Quarter No. A 16 Sector 7 Orissa Rourkela-769003	01-10-96

1	2	3	4
52	057357	Mr. Saha Roy Chinmoy ACA 127 Debinibas Road, P. O, Motijheel, Calcutta-700074.	01-10-96
53	057457	Mr. Banerjea Sunando ACA 1/B, Akrur Dutta Lane, Calcutta-700012	01-10-96
54	057600	Mr. Patro C.H. Manoj Kumar,ACA A/94 Saheed Nagar, Orissa, Bhubaneswar -751007	01-10-96
55	057622	Mr. Kumar Mukesh ACA C/o Shri Radha Raman Sarkar, 6/1/1 Padmapukur, Calcutta-700092	01-10-96
56	082328	Mr. Ranga Rajesh Kumar FCA Ramesh Kapur & Co., B. D. Purohit's House 22 Mitra Lane, Calcutta-700007	01-10-96
57	086242	Mr. Panda Trilochan FCA L-3/130 Acharya Vihar, Bhabaneswar-751013	01-10-96
58	089991	Mr. Malhotra Sanjeev Singh ACA BDO Patel & Co., P. O. Box 1961 Dubari, U A E- O.	01-10-96
59	093467	Mr. Bhowal Sarbartha ACA Accounts Officer Project Finan Indian Oil Coprporation Ltd., Assam Oil Division, Digboi-786171	01-10-96

ASHOK HALDIA, Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 4th April 1997

No. U-16/53/1/89. M. II (Mah.) Col. II.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, I hereby authorise Dr. G. V. Deshmane to function as medical authority w.e.f. 1-1-97 to 31-12-97 or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Amalner Centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA,
Director General

The 1st May 1997

No. A-33(11)1/91-DM(HQ) Col. II—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 97 read with clause XXI of sub-section 2 and (2 A) of the same section and sub-section (2) and (3) of Section 17 of E.S.I. Act, 1948 (34 of 1948) as amended, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations further to amend the Employees' State Insurance Corporation (Medical posts) Recruitment Regulations, 1990 namely :—

1. Short title and commencement :—

(i) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Medical posts) Recruitment (amendment) Regulations 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

In the schedule annexed to Recruitment Regulations (Medical post), 1990 the following amendements shall be made.

	Column No.	Existing Provision	Amended Provision
S. No. 2			
Dy. Medical Commissioner/ Director (Medical)/Medical Superintendent	5	Selection	Non-selection
S. No. 4			
I.M.O. Gr. II	6	Not applicable	Yes
S. No. 5			
Specialist Gr. II (Selection Grade) non-functional.	1	Specialist Gr. II (Selection Grade) Non-functional	Specialist Gr. I

1	2	3	4
	12	Promotion from amongst Specialists Gr. II (Senior Scale) Officers with 8 years regular service.	Promotion from amongst the Specialist Gr. II with 6 years service in the scale of Rs. 3700—5000 or total 8 years service in the scale of Rs. 3000—5000 and Rs. 3700—5000/-.
S. No. 6 Specialist Gr. II (Senior Scale)	11	By promotion	By promotion on the basis of seniority cum-fitness failing which by direct recruitment.
	12	Promotion Specialist Gr. II (Junior scale of Rs. 3000—5000 with 4 years regular service in the grade.	Promotion Specialist Gr. II (Junior scale of Rs. 3000—5000 with 2 years regular service in the grade.

S.K. SHARMA
Director General

NOTE :—Principal Recruitment Regulations of (Medical Posts) were published vide Notification No. A-12(11)/3/88-ESI/Br I(A) in Part-III section 4 of Gazette of India dated 16-6-1990.

New Delhi, the 21st March 1997

No. N-15/13/14/1/96-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-3-1997 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue Villages of Vellamadai, Naickenpalayam, Veerakeralam in Coimbatore (North) Taluk and Vadavalli in Coimbatore (South) Taluk of Coimbatore District."

L. K. PATTANAIK,
Jt. Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110 066, the 25th March 1997

In exercise of the powers conferred by clause(a) of Sub-Section(4) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Provident Fund Commissioner hereby rescinds with effect from 1-1-97, the exemption granted to M/s. The Nutan Mills Ltd., Ahmedabad-2 under Clause(a) of Sub-Section(1) of Section 17 of Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 vide Notification No. E-102/19/E/A dated 17-10-1957 at Sr. No. 167 of Schedule issued by the Central Provident Fund Commissioner employees' Provident Fund Organisation' published under SRO 3416 in Part-II Section-3 of the Govt. of India Gazette dated 17th October, 1957.

R. S. KAUSHIK,
Central Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 1997

No. C.P.F.C. 1(4) TN (1320)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	TN/MS/31878	M/s. Crown Apparels, No. 43, Chinna Thambi Street, George Town, Madras-600001.	1-6-1995
2.	TN/MS/31885	M/s. Freins Metal Private Ltd., 173 Sidco Industrial Estate, Ambattur, Madras-600098.	1-2-1995

1	2	3	4
3.	TN/MS/PC/581	M/s. Indu Leather No. 18, Pugalanthi Street, Anand Nagar Kathirkamam, Pondicherry-605 009.	1-8-1994
4.	TN/MS/31979	M/s. D.S.M. Soft (P) Ltd., No. 9, 15th Cross Street, Shastri Nagar, Adyar, Madras-600 020.	1-7-1995
5.	TN/TR/32290	M/s. The Central Press Syndicate (P) Ltd., No. 29, T.S.R. Big Street, Kumbakonam.	1-4-1995
6	TN/MS/35565	M/s. Rawat Misthan Bhandar, Maha Sakthi Hotel Building, 371, Mint Street, Sowcarpet, Madras-600 079.	1-7-1995
7.	TN/MD/29936	M/s. N.N. 547, Thirupuvanam Farmers Service Co.op. Society Ltd., Thiruppuvanam P.M.T. Dt. (62[illegible] 611).	1-5-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)-TN(1321)/96.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees, Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/MS/31994	M/s. Sree Kumaran Engineering Company, Triplicane, 17, Dr. Besant Road, Madras-600005.	1-3-1995
2.	TN/MS/35757	M/s. Car Care Services, 2, Parasuraman Street, Gandhi Road, Velachery, Madras-600042.	1-3-1995
3.	TN/MD/29852	M/s. Farejdiya Cashew Company, Maruthancode Post, Chemmankala, Kanyakumari District, Tamil Nadu.	1-4-1994
4.	TN/TR/27915	M/s. TRD 439, Idaikkattu Milk Producers Co-op. Society Ltd., Utkkottai Post, Udayarpalayam Taluk, Trichy District-612901.	1-3-1994
5.	TN/MS/35615	M/s. Madras School of Economics, Anna University, Bio-Technology Centre, Madras-600032.	1-7-1995
6.	TN/MD/37029	M/s. Valarmathi Automobiles, 2/32, Workshop Road, Madurai, Pin Code No. 625001.	1-6-1995
7.	TN/MS/35509	M/s. Multai Flo Inc., 5/254, Okkiampet, Old Mahabalipuram Road, Madras-600096.	1-4-1995
8.	TN/MD/37028	M/s. Siva Motor Cycle Company 84, Northveli Street, Simmakkal Bus Stop, Madurai-625001.	1-6-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1323)/95.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/MS/35729	M/s. Shilpi, 72, T.T.K. Road, Alwarpet, Madras-600018.	1-4-1995
2.	TN/MS/35697	M/s. Travel Air (Madras) Private Ltd., No. 16, "Aarti Chambers" 189 Mount Road, Madras-600006.	1-4-1995
3.	TN/MS/35592	M/s. Semiyamangalam Milk Producers Co-operative Society, Semiyamangalam Post, Polur, Taluk, T.S. District, Tamil Nadu.	1-8-1995
4.	TN/MD/37316	M/s. Q. 785, Watrap Co-op. Rural Bank Ltd., 28, Rottadi Street, Kamarayar District Watrap. Madurai-626132.	1-1-1996
5.	TN/MD/37265	M/s. Leela Inks K. 11, Industrial Estate Sivakasi West, Madurai-626123.	1-12-1995
6.	TN/MS/35783	M/s. TCI Seaways Ltd., 160, Thambuchetty Street, IInd Floor, Madras-600001.	1-4-1995
7.	TN/MD/37312	M/s. Kanimadam Milk Producers Co-operative Society, TYD-166, Kanimadam Anjugramam, K.K. District, Madurai.	1-1-1996

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/TN(1329)/96.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/TR/32363	M/s. Kanaka Durga Constructions, 1-C, Hostel Type, Delhi Salai, Block 27, Neyveli-607003.	1-4-1994

1	2	3	4
2.	TN/MS/35699	M/s. Choice Agencies, AVM. Studio. Compound 38, Arcot Road, Madras-600026.	1-4-1995
3.	TN/TR/27885	M/s. Madhavachery Milk Producers Co-op. Society Ltd., Medhavachery & Post Kallakurichy (TN), South Arcot District, Tamil Nadu.	1-4-1993
4.	TN/MD/37295	M/s. Mallayagoundan Patty Primary Agricultural Co-op. Bank, Vadakku Dhathanaickenpatty, P.O. Palani Taluk, Dindigul, Anna District-624621.	1-4-1993
5.	TN/MD/37107	M/s. D.D. 568, V. Ammapatty, Primary Agricultural Co-Operate Bank, Achanampatti P.O. V. Ammapatti Vedasandure, Taluk, Anna District.	1-4-1993
6.	TN/MD/37184	M/s. D.D. 603, Sullerumbu Primary Agricultural Co-op. Bank, Sullerumbu at Naramarathupatti, Dindigul Taluk.	1-9-1995
7.	TN/PC/638	M/s. Dolphine Leathers, P.T. Palaniraja Udayar Nagar, 100 Feet Road, Pakkumudayampet, Pondicherry-605008.	1-8-1995
8.	TN/MS/35760	M/s. Hamsa Informatics Pvt. Limited, 29, First Main Road, Karpagam Gardens, Adyar, Madras-600020.	1-1-1996
9.	TN/MS/35788	M/s. Hallmark Printers (P) Ltd., Plot No. 4, N hru Nagar Perungudi, Madras-600096.	1-4-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner.

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1333)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MS/35507	M/s. Vikram Fashions (P) Ltd., No. 10, Nelson Manickam Road, Aminjikarai, Madras-600029.	1-4-1995
2.	TN/MS/31761	M/s. Phoenix Industrial Protectors, No. 10, Srinivasa Reddy Street, South Usman Road, T. Nagar, Madras-600017.	1-12-1994

1	2	3	4
3.	TN/TR/27819	M/s. T. 522 Ponnappur Primary Agricultural Co-operative Bank Ltd., Ponnappur Post, Orathanaelli, T.K. Thanjavur District, Tamil Nadu	1-12-1992
4.	TN/PC/618	M/s. Karaikkal Market Committee, Thirunallar Road, Karaikkal, Tamil Nadu-609602.	1-5-1995
5.	TN/MS/35696	M/s. Excel Pack, No. 1, Hanumantha Rao Road, Balaji Nagar, Royapettah, Madras-600014.	1-6-1995
6.	TN/TR/27716	M/s. Dr. V.V.R. Nursing Home, 6th Cross Street, Arulananda Nagar, Thanjavur-613007.	1-6-1992
7.	TN/PC/617	M/s. M. Alfa Leathers, 11, Kambar Street, Ist Floor, Meenakshipet, Pondicherry-605009.	1-4-1995
8.	TN/MD/37034	M/s. ..R. 334 Kamarajar District Medical & Family Welfare Employees Co-operative Thrift & Credit Society Ltd., 20/1, Post Office Street, Virudhunagar-626001.	1-6-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC 1(4) TN (135)2/96:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	TN/MS/35714	M/s. HI-Tech. Home Appliances, No. 7, Powder Mills Road, Madras-600012.	1-7-1995
2.	TN/MS/35720	M/s. Dynamic Scam & Research Centre (P) Ltd., Vijay Health Centre, NSK, Salai, Vadapalani, Madras-600026.	1-8-1995
3.	TN/MS/35795	M/s. S. Dharmaraj, 4, II Street, Ulaganathapuram, Ennore, Madras-600057.	1-4-1995
4.	TN/MS/35769	M/s. Factory Security Service, 212, Sidco, AIEMA Tower, Madras-600058.	1-6-1995
5.	TN/MS/35794	M/s. Printo-Pack, 66, Arathoon Road, Royapuram, Madras-600013.	1-2-1995
6.	TN/MS/35796	M/s. TIL Exports Pvt. Ltd., 175/2, T.H. Road, Madras-600081.	1-1-1996

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I R. S. KAUSHIK, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC 1(4) TN (1353)/95:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN MD/37180	M/s. V.R.D. 433, Veppankulam Milk Producers, Co-op. Society Ltd., Veppan Kulam Pillaiyar Kulam P.O. Srivilliputhur (T.K.), Kamarajar Distt., Tamil Nadu.	1-10-1995
2.	TN/MD/37206	M s. S.K.A. Matriculation School, Andipatti-626512.	1-9-1995
3.	TN/MS/35644	M/s. Misrimal Navajee Munoth Jain Engg. College, Thorapakkam, Jyothi Nagar, Madras-600096.	1-7-1995
4.	TN/MS/35646	M/s. Jandu Steel Industries, 341, H.K.N. Road, Alandur, Madras-600016.	1-6-1995
5.	TN/MS/35647	M/s. K.J.B. Petro Alakali Engineering Co. (P) Ltd., No. 30A, Duraisamy Nagar, East Tambaram, Madras-600059.	1-10-1995
6.	TN/MS/35672	M/s. Ambaloor Milk Producers Co-operative Society, T.D.P. 29 Ambaloor N.A.A. District-635801.	1-11-1995
7.	TN/CB/28884	M/s. Manirajan Diesel Sales and Serivice, 105 C, Mottupalayam Road Thudialur Coimbatore-641034.	27-8-1995
8.	TN/TR/32081	M/s. Puduppalapattu Womens Milk Producer's Co-op. Society Limited, Pudupalapatty Post Kallakurichi (T.K.) V.R.I. District, Tamil Nadu-606401.	1-4-1994

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC-1(4) TN (1354)/95—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/MD/37232	M/s. M.P. 93, Myladumparai PAC Bank, Myladumparai P.O. Kandamanur (Via) Myladumparai Andipatty (TK), District Madurai-626579.	1-11-1995

1	2	3	4
2.	TN/MS/31921	M/s. Aftab Leathers P.J. Nehru Road, 49/2-B, Cutchery Road, Valayampet, Vaniyambadi Tamil Nadu-635751.	1-6-1995
3.	TN/MS/35685	M/s. Shivodhaya Enterprises, 6/5, S.V. Chidambaram Salai, Jaffarkhanpet, Madras-600083.	1-7-1995
4.	TN/TR/32173	M/s. T.N.D. 91, Bangaram Milk Producers Co-op. Society Ltd., Bangaram Thottium Post, Chinnasalem (Via) Kallakurichi (T.K.), Tamil Nadu-606201.	1-4-1994
5.	TN/MS/35687	M/s. Chanik & Co., 153 D, Dr. Muthulakshmi Road, Madras-600041.	1-1-1995
6.	TN/MS/35694	M/s. Moogambigai Engineering Works, No. 2, Santhana Krishnan Street, Manali, Madras-600068.	1-7-1995
7.	TN/MS/35655	M/s. Alsa Global Finance and Securities Limited, AA-149, Third Avenue, . Anna Nagar, Madras-600040.	1-9-199

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL,
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1356) 96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishment namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/TR/32354	M/s. St. Mary's Matriculation School, Panruti Road, Vadalur-607303.	1-9-1995
2.	TN/TR/32185	M/s. Cot Fab. 634, Alwin Nagar, Coimbatore Road, Karur-639002	1-5-1995
3.	TN/TR/32279	M/s. Janani Foods, No. 31, TVK Steet, Sangiliyandapuram, Trichy-639001.	1-6-1995
4.	TN/MS/35710	M/s. Pazangkoil Milk Producers Co-operative Society, Ltd. Polur Taluk T.S. District-606751.	1-7-1995
5.	TN/MS/35709	M/s. Arasanganni Milk Producers Co-operative Society, Arasanganni Post Changam Taluk T.S. District.	1-9-1995
6.	TN/MS/35708	M/s. Alangarangalam Podur Women Milk Producers Co-op. Society Alangaramangalam Pudur, Village Padagam, Post Polur, Taluk T.S. District.	1-7-1995
7.	TS/MS/35731	M/s. Sri Krishna Industries, No. 24, Seventh Street Malanganenthapuram Pallavaram, Madras-600043.	1-5-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1360) 96:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Povident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/MD/37267	M/s. N.N. 581, Keelappasali PAC Bank, Keelappasalai Post, Manamadurai Taluk. P.M.T. District.	1-12-1995
2.	TN/MD/37268	M/s. N.N. 556, Neivayal PAC Bank, Neivayal (P.O.) ,Thiruvadanai Taluk, Ramnad District.	1-12-1995
3.	TN/MD/37273	M/s. Raju Printers, 43/2-A, Valayutham Road, Sivakasi-626123.	1-1-1996
4.	TN/MD/37270	M/s. N.N. 67, Ettugudi PAC Bank, Attugudi, Pandugudi (P.O.), Thiruvadanai (TK), Ramanathaupuram Distt.	1-12-1995
5	TN/MD/37262	M/s. M.D. (Spl.) 96, Uthamapalayam Primary Agricultural Co-op Bank, Uthamapalayam, Madurai District-626533.	1-1-1996
6.	TN/TR/32168	M/s. The Panruti Agro. Engg. & Service Co-operative Centre Ltd., E. 2738, 213, 7A/2 Madras Main Road, Panruti-607106.	1-11-1994

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C.1(4) TN(1367)/96 :—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MS/35823	M/s. "Pathway" Centre for Rehabilitation & Education of Mentally Retarded, E/76-1, 12th Street (West) Kamraj Nagar, Thiruvanmiyur Madras-41.	1-11-1995

1	2	3	4
2.	TN/MD/37134	M/s. Vayhaithottam Handloom Weavers, Co-op. (Production & Sale) Soceity Ltd., No. H. 11, Vayhaithottam, Pallyadi. Kanya Kumari District-629169.	1-9-1993
3.	TN/MD/37117	M/s. Sheela Cashew Industries, Appatuvilai, Na npali Nithravilai, Kanya Kumari District.	1-11-1994
4.	TN/MD/37318	M/s. Arun Industries, Survey No. 1582/2, Keela Thiruthangal Village, Sivakasi Post, Sattur T.K. 626189.	1-12-1995
5.	TN/MD/37291	M/s. M.D. Spl. 127, T. Subbulapuram PAC Bank, No. 4/142 A.T. Subbulapuram (P.O.) Amdipatti (T.K.) Madurai-District.	1-12-1995
6.	TN/TR/32303	M/s. T.S.R. & Co., 55/508, Sri Nagerwaran Thiru Manjana Veethi, Gokul Garden, Kumbakonam.	1-12-1994
7.	TN/MD/37222	M/s. Ganesamoni Nursing Home, Hindu College Road, Nagar Coil, K.K. District.	1-11-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. S. KAUSHIK
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1375)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act., 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MD/37095	M/s. R. S. 750, Sathanoor PAC Bank, Sathnoor (P.O.) Salaigram (Via) P.M. T. District. 623710.	1-8-95
2.	TN/MD/37061	M/s. R.R. 1402 Ramanathapuram District Public Works Department Employees Co-operative Thrift and Credit Society Limited, 2/202, Gandhiji Road, Paramakudi-623707.	1-6-95
3.	TN/MD/37027	M/s. Ganarams Matches Unit, 8/1, Main Road, Perapatti Sivakasi East-626189.	1-6-95
4.	TN/MD/37062	M/s. Q. 1388, Paramakudi Municipal Urban Teachers Co-operative Thrift and Credit Society Ltd., Paramakudi, Madurai.	1-6-95

1	2	3	4
5.	TN/MS/35521	M/s. Design Centre, 4, M.V. Street, Office Spurtank Road, Chetpet, Madras-600031.	1-7-95
6.	TN/MD/37030	M/s. Graphico, 172, Vakil Now Street, Madurai-625001.	1-6-95
7.	TN/MD/37036	M/s. R.K.I.T.N.E.B., Virudhunagar Aruppukkottai Divisions Employees Co-op. Thrift & Credit Society Ltd., Ramamoorthy Road, Virudhunagar.	1-6-95
8.	TN/MD/37031	M/s. A-5, Lakshmi Engineering Wo ks, 140, Puttuthoppu Road, Madurai-625010.	1-6-95
9.	TN/MD/37032	M/s. Sri Lakshmi Engineering Works, 154, Puttuthoppu Road, Madurai-625010.	1-6-95
10.	TN/MD/37035	M/s. Lakshmivilas Manohar Industries, 14, Puttuthoppu Road, Madurai-625010.	1-6-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C.1(4) TN(1381)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous of Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MS/35551	M/s. Noorie Associates, No. 142, Pararaswalkam High Road, Kellys, Madras-600010.	1-4-95
2.	TN/MS/31743	M/s. Numeric Power Systems Ltd., 63, Dr. Radhakrishnan Salai Mylapore, Madras-600004.	1-12-95
3.	TN/MS/31969	M/s. Trident Engineering (P) Ltd., No. 37, 53rd Street, Ashok Nagar, Madras-600083.	1-5-95
4.	TN/MS/31860	M/s. R. Ulagaraj Sons, Devan Boadi Factory Mel Agraharam Village Agraharam Post Tirupathur, Taluk-635651.	1-4-95

1	2	3	4
5.	TN/PC/616	M/s. Alfa Leather and Garments, 101, Elango Street, Vadamangalam, Kandamangalam Post, Pondicherry-605110.	1-7-94
6.	TN/MD/29958	M/s. Robin Cashews Industries, Pulluvilai Vorkilambi, P.O. K.K. District.	1-12-94
7.	TN/MD/37120	M/s. N.N. 459, Paramakudi Panchayat Union Employees and Teachers Thrift and Credit Co-op. Society Ltd., Paramakudi.	1-4-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN/(1382)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/MD/37105	M/s. N.N. 689, Kathappattu PAC Bank, K. Chokka nathapuram (P.O.) Sivagamgai (TK) S manoor (Via) PMT. Dt. Pin-623313.	1-6-95
2.	TN/MS/31911	M/s. Quality Metal Industries, No. 77, Ellis Road, Mount Road, Madras-600002.	1-7-95
3.	TN/MS/31985	M/s. Koruna Sweets, 7, C.N.A. Road, Bus stand, Vaniyambadi-635751.	1-7-95
4.	TN/MS/35530	M/s. Sunrise Chemicals Industries, 32, Pariyathambai Mudali Street, Choolai, Madras-600112.	1-4-95
5.	TN/MD/37093	M/s. Deepa Traders, 13-B, Glasskara Street, Madurai-625001.	1-8-95
6.	TN/MD/37088	M/s, M.S. 16 , Maduvarpatti Co-operative Society Ltd., Milk Producers Maduvarpatty, (P.O.) Vadipatty T.K. Madurai-625503.	1-8-95
7.	TN/MS/35515	M/s. M.H.T. Engineering and Construction (P) Ltd., No. 1, Perianna Maistry Street, Madras-600001.	1-3-95
8	TN/MS/ 35531	M/s. Oils and Chemical Traders, 32, Periyathambi Mudali Street, Choolai, Madras-600112.	1-4-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1 (4) TN (1497)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/MS/ 31924	M/s. Samburayarnallur Women Milk Producers Co-operative Society, Nadukuppam Post Arni Taluk Thiruvannamalai Sambuvarayar District.	1-6-95
2.	TN/MS/31941	M/s. Vijaya Body Care, Products (P) Ltd., Plot No. 2215, AF-Block 7th Street, Anna Nagar, Madras-600040.	1-2-95
3.	TN/MS/31938	M/s. J. Jay, T.V. Private Ltd., No. 68, Habibullah Road, T. Nagar. Madras-600017.	1-2-95
4.	TN/MS/31945	M/s . Harsha Construction, 51, Hunter's Road, Vepery, Madras-600112.	1-11-94
5.	TN/MS/31934	M/s. Balcki Durr Cooling Towers Ltd., 4-5th Floor, Apex Plaza, 3. Nungambakkam High Road, Madras-600034.	1-4-95
6.	ITN/MD/37053	M/s. Kalkulam Co-op. Stores Ltd., No. 2048, Market Road, Thuckalay Kanyakumari District.	1-4-95
7.	TN/MS/35813	M/s. City Society Force, 28, Ganga Nagar, (Behind Telephone Exchange), Kodambakkam, Madras-600024.	1-1-96
8.	TN/MS/35870	M/s. Aswan Fishnet, 50, Kalakshatra Road, Thiruvanmiyar, Madras-600041.	1-8-95
9.	TN/CB/288882	M/s. Meco Pumps, 1/15-B, South Street Industries, No. 2, Avarampalayam, Coimbatore-641006.	1-6-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN (1408)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/MS/35873.	M/s. S.K.S. Industries, No. 8-A, Kalaivani Street, Keelakathalai, Madras-600117.	1-2-96
2.	TN/TR/32197	M/s. M.C. Naan Pastry Shop, 1469, Gandhiji Road, Thanjavur-613001.	1-5-95
3.	TN/TR/32204	M/s. Meena Agencies, 1870, West Main Street, (Upstairs) Thanjavur-613009.	1-6-95
4.	TN/MD/37410	M/s. M.D. Spl. 67, Anuppapatty, PAC Bank, Anuppapatty, Bodithasanpatty (P.O.) Aundipatty (T.K.) Madurai Dist-625536.	1-12-95
5.	TN/MD/37338	M/s. Little Star Nursery School, 3, Parasakthi Nagar, Madurai-625012.	1-1-96
6.	TN/MS/35869	M/s. Mahakrishna Financial Services Ltd., V Floor, Kasi Arcade, 116, Sir Thiagaraya Road, T. Nagar, Madras-6000 17.	1-9-95
7.	TN/MD/37414	M/s. Asian Matriculation School, (Vikneswer Educational Trust), Madurai District, Melur-625106.	1-1-96
8.	TN/MS/35814	M/s. Majestic Security Services, 110, Bharathipuram, IInd Street), Shenoy Nagar, Madras-600030.	1-11-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments, from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P. F.C. 1(4) TN(1413)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MD/37335	M/s. A-2709, Nachikulam Subburam Milk Producers Co-operative Society, Nachikulam (P.O.) Vadipatty (T.K.) Madurai District.	1-2-96

1	2	3	4
2.	TN/TR/32253	M/s. Sri Murugan Cafe, 73, Mutt Street, Kumbakonam Thanjavur District-612001.	1-7-95
3.	TN/MD/37343	M/s. R. Vellodu Primary Agrucultural Co-operative Bank, R. Vollodu, Vedasandur Taluk- 624620.	1-4-95
4.	TN/MD/37340	M/s. Arumugam Pillai Seethai Ammal College & Matriculation School, Employees' Co-operative Thrift & Credit Society Ltd., Thiruppattur-623211. P.M.T. Distt.	1-12-95
5.	TN/MS/35838	M/s. C.G. Igarashi Motors Ltd., Plot No. B-12 to B-15, Phase II, MYEPZ, Tambaram, Madras-600045.	1-1-96
6.	TN/PC/641	M/s Jaishree Corgo Containers (P) Ltd, 23/10, and 23/11, Thuthipet Village, Kadarikuppam Pondicherry-605502	1-6-95
7.	TN/MS/35842	M/s Madras Ship Repairers (P) Ltd, 282, T H Road, Old Washermenpet, Madras-600021	1-7-1995
8.	TN/TR/32102	M/s Jayapriya Chit Funds Jayapriya Building, 5A/80 Main Road, Neyveli,-607802	1-4-1994
9.	TN/MS/35806	M/s Balmer Lawrie Freight Containers Ltd, Plot No P-6, Mopz, Tambaram (West), Madras-600045	1-4-1995
10.	TN/MD/37325	M/s Palliyadi Retna Chit Fund (P) Ltd, Palliyadi & P.O. Kanya Kumari District-629169	1-12-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1415)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MS/35848	M/s Nihal Enterprises, 96/2, Anna Salai, Nagalkeni, Chrompet, Madras-600044	1-4-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1 (4) TN (1436)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the follwoing establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/MD/37443	M/s. Mohan Offset Printers, 33-B, Gandhi Road, Sivakasi-626123	1-2-1996
2.	TN/MD/37446	M/s. Kidaripatti Primary Agricultural Co-operative Bank, Kidaripatti Post, Melur Taluk, Madurai Distt. Pin-625301	1-1-1996
3.	TN/MS/35912	M/s. Ponneri Primary Agricultural Co-operative Bank Ltd., Poneri Village, Mandalvadi Post, Thirupathur Taluk, T.S. District	1-12-1995
4.	TN/MS/35917	M/s. Nayambadi Mottur Milk Producers' Co-operative Society, Nayambadi Mettur Village, Kallavapadi, Post Chengam Taluk, T.S. District	1-2-1996
5.	TN/MD/37290	M/s. Badariya Cashews, Fatima Nagar, P.O. Vilavancode, K.K. District	11-9-1995
6.	TN/TR/32231	M/s. Aswini Restaurant, 17, 18 East Car Street, Chidambaram-50210	1-7-1995
7.	TN/TR/32174	M/s. TND. 108, Patharanpallam Milk Producers' Co-op. Society, Thengiynatham Post, Kallakurichi, Pin-606201	1-4-1994

Now, therefore, in exercise of the powers confrred by sub-section (4) of section 1 of the said Act Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1 (4) TN (1438)/96.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN MS/35881	M/s. Gautam Security Services, No. 108, Gandhi Road, Tambaram West, Madras-600045	1-2-1996
2.	TN/TR/32260	M/s. Mummy Daddy Readymade, 1296/1B, South Main Street, Thanjavur-613009	1-6-1995

1	2	3	4
4.	TN/TR/32359	M/s Sri Dhanalakshmi Hotel, 247, Trichy Road, Thuraiyur-621010.	1-5-1995
5.	TN/TR/32377	M/s TRD-674, Pulivalain Milk Producers Co-operative Society for Women, Pulivalam Post, Thuraiyour Taluk, Trichy-621006.	1-9-1995
6	TN/MS/35764	M/s J.K. Moulders, Plot No. 153, Y.S.I. Developed Plot, Perungudi, Madras-600096.	1-4-1995
7	TN/MD/37292	M/s M.U. 2 Tamilnadu Electricity Board Employees Cooperative Store, Jawahar Nagar, Thirumangalam-626709.	1-11-1995
8	TN/MS/35802	M/s Innovations Exports (P) Ltd, 95/D/3, South Phase Industrial Estate, Ambattur, Madras-600058.	1-4-1995
9	TN/MS/35779	M/s Anna Gem Science Park Matriculation School, Anna University Campus, Madras-25.	1-1-1996

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provision of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of the each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. E. 1(4) TN(1427)/96.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MS/35688	M/s Katharikuppam Milk Producers Co-operative Society Ltd, Vannanthangal Post, (Via) Odugathur-632103, N.A.A. Dt.	1-9-1994
2.	TN/MS/35617	M/s Maruti Pressings, No. C-12A, Industrial Estate, Guindy, Madras-600032.	1-6-1995
3.	TN/32380	M/s The Kurinjipadi Co-operative Handloom Export Production Project Ltd, Kurinjipadi-607302.	1-10-1995
4.	TN/MD/37252	M/s Chinnasamy Conversions, Sommadaipatti Palakkanuthu Post, Dindigul Taluk-624624.	1-11-1995
5.	TN/MS/35882	M/s Baliga Stahl (P) Ltd, No/389, Medavakkam High Road, Kovilambakkam, Madras-600117.	1-7-1995

1	2	3	4
6.	TN/MS/35901	M/s. King Shipping Services, 259, Thambu Chetty Street, Ist Floor, Madras-600001	1-2-1996
7.	TN/MS/31785	M/s. Welcome Caterers, No. 21, Anna Salai, Chinnamalai, Saidapet, Madras-600015	1-3-1995

No, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL,
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1430) 96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	TN/TR/32444	M/s. Sri Krishna Health Care and Pharmaceuticals (P) Ltd., No. 17-A, Hospital Road, Cuddalore-607001	4-1-1996
2.	TN/MD/37441	M/s. Graham Wire Mills, No. 38-A, New Road, Sivakasi-626123	1-3-1996
3.	TN/MS/35918	M/s. C. Nammiyanthal Milk Producers, Co-opertive Society, C. Nammiyanthal Post, Changam Taluk, T.S. District	1-2-1996
4.	TN/TR/27845	M/s. Z-256, Thiruvaimoor PACB Ltd., Thiruvaimoor Post, Nagapattinam Taluk	1-9-1991
5.	TN/PC/583	M/s. Pondicherry Veterinary College Society, Kurumbapet Muthirapalayam B.P.O., Pondicherry-605009	

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1433)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/MD/37401	M/s. Sathya Cartons, C-7, Industrial Estate K-Pudur, Madurai-625007	1-10-1995
2.	TN/MD/37407	M/s. Vadasery Co-operative Credit Socity Ltd., No. Y-4, Vadasery, Nagercoil, K.K. District	1-1-1985

1	2	3	4
3.	TN/MD/35865	M/s. Chepnai Electrical Conductors, SP-80, Industrial Estate, First Main Road, Ambattur, Madras-600058	1-11-1995
4.	TN/MS/35816	M/s. Qed Softwares Limited, Systems Khaleeli Centre, II Floor, 149, Monteith Road, Madras-600008	1-6-1995
5.	TN/TR/32258	M/s. Mangalam Chamber Brick Works, Plot No. Jayalakshmi Nagar, Trichy Road, Thirumalaisamuthiram (P.O.), Thanjavur (Dt. & T.K.)	1-6-1995
6.	TN/MS/36046	M/s. M.N. Ganesan & Cot No. 6, Ist Cross Street, Krishna Nagar, Pammal, Madras-600075	1-1-1996
7.	TN/MD/37403	M/s. N.N. 487, Ramnad Dt. Local Library Authority, Library Staffs Co-op. Thrift and Credit Society Ltd., 11, Sivan Kovil North Street, Sivaganga-623560	1-1-1996

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R.K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4) TN(1435)/96/—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	TN/TR/32194	M/s. Shri Venkatesh Binding Works, 48, Kumbeswarar North Street, Kumbakonam-612001	1-4-1995
2.	TN/TR/32382	M/s. School of Quality Management, Gundur, Trichy-620007	1-8-1995
3.	TN/TR/32332	M/s. R.B. Electricals, 29, Siva Complex, 32, Thillai Nagar Main Road, Trichy-18	1-8-1995
4.	TN/MD/37486	M/s. Sri Balakrishna Fire Works, 2, Kamak Road, Sivakasi, Tamil Nadu-626123	1-4-1996
5.	TN/TR/32268	M/s. Uma Bakers Confectioners, 1915, Bazar Street, Nagapattinam-611001	1-6-1995
6.	TN/TR/32385	M/s. Pandiar Residency & Annam Restaurant, 14, Cutchery Road, Thanjavur-613001	1-8-1995
7.	TN/MS/35923	M/s. K.S.R. & Company, C-13, Industrial Estate, Mugappair, Madras-50	1-4-1995

1	2	3	4
2.	TN/MS/35849	M/s R.M.S. Enterprises, 11, Vivekananda Nagar Panagottor (P.O.) Maraimalai Nagar Chinglepet M.G.R., District-603209.	1-8-199
3.	TN/MS/35830	M/s Puliyampatti Milk Producer's Co-operative Society, Puliyampatti Post Chengam Taluk, T.S. District.	1-1-1996
4.	TN/MS/35832	M/s Chinnakalur Milk Producer's Co-operative Society, Chimakalur Village, Kalasapakkam Post, Polur Taluk, T.S. District.	1-1-1996
5.	TN/MS/35833	M/s TPD-841, Eraiyur Milk Producer's Co-operative Society, Ltd., Post Chengam Taluk, Eraiyur T.S. District.	1-1-1996
6.	TN/MS/35831	M/s Sandhai Pudupalayam Milk Producer's Co-operative Society, Sandhai-- Pudupalayam Post Chengam Taluk, T.S. District.	1-1-1996
7.	TN/MS/35822	M/s Kishore Engineering, 52, South Phase, III, Main Road Ambattur Industrial Estate, Madras-58.	1-4-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner.

No. CPFC.E.1 (4)TN(1416)/96—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority or employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/TR/32192	M/s Sangam Travels, 92-C, Super Bazar, Singarathoppe, Trichy-620008	1-2-1995
2.	TN/MD/37323	M/s Sri Venkateswara Textiles, 75/1, Idayankulam, Mamsapuram, Pin Code-626110	1-2-1996
3.	TN/MD/37329	M/s TNEB, Rajapalayam & Srivilliputtur Divisions Employees Co-operative Thrift & Credit Society Ltd. 68A, Pethiah Street, Rajapalayam, Pin Code No. 626117.	1-3-1996

1	2	3	4
3.	TN/MD/37436	M/s. M.S. 114, Thirappullani Milk Producer's Co-operative Society, Thirappullani, Ramnad Dt.-623532	1-3-1996
4.	TN/MD/37435	M/s. A. 919, Narippaiyur, PACB, Kadalaceoli T.K. Narippaiyur (P.O.), Ramnad District	1-1-1996
5.	TN/TR/32259	M/s. MILAN Silks & Readymade, 1085, East Main Street, Thanjavur-613001	1-6-1995
6.	TN/TR/32215	M/s. Standard Steel Industries, T.S. No. 23/1864, Raja Street, Karanthattankudi, Thanjavur, Pin-613002	1-6-1995
7.	TN/TR/32235	M/s. Subbu Agencies, 2938, West Main Street, Thanjavur-613009	1-6-1995
8.	TN/TR/32311	M/s. Arvind Industrial Training Institute, 35, Sukkirampatti Aladachimulai, P.O. Pattukkottai, Thanjavur District-614615.	1-6-1995
9.	TN/TR/32213	M/s. Meenakshi Pharmaceutical Distributers, Singara Meenakshi Illam 1870, West Main Street, Thanjavur, Pin-613009.	1-6-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC 1 (4) TN (1448)/96.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	TN/MS/36040	M/s. Sambawang Shriram Integrated Logistics (P) Ltd., 154 & 155, Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Madras-600034.	1-4-96
2.	TN/SL/34614	M/s. ED-395, Kadapalayam Milk Producers Co-operative Society Ltd., Kadapalayam, Chengappalli Post-638812.	1-7-94
3.	TN/ER/37619	M/s. Dasarathi Auto Spares, Spares & Accessories Dealers, 37-38, Nageswaran North Street, Kumbakonam-612001.	1-1-95
4.	TN/MS/35956	M/s. West Asia Maritime Ltd., 32, Nungambakkam High Road, Madras-600034.	1-4-95

1	2	3	4
5.	TN/MS/35902	M/s. Harrisons Aquaculture Ltd., Spencer Plaza, IV Floor, 769, Anna Salai, Madras-600018.	1-5-95
6.	TN/MS/35990	M/s. Trinity Printers and Publishers Ltd., 1, First Main Road, United India Colony, Kodambakkam, Madras-600024.	1-1-96
7.	TN/MD/37476	M/s. N. N. 579, Thumbadaikkakottai PAC Bank, Irudavapuram P. O., Thiruvadanai Taluk, Ramnad District.	1-1-96

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. K. KUREEL
Regional Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION, CENTRAL OFFICE

New Delhi-110 006, the 7th April 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/7.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND Whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto. The Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Delhi from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Sardar Patel Vidyalaya, Lodi Estate, New Delhi-110003.	DL/6129	1-6-92 to 30-5-95	3(11)96/DLI
2.	M/s. State Trading Corporation of India Ltd., Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001.	DL/791	1-4-90 to 31-3-93 & 1-4-93 to 31-3-96	3(14)96/DLI
3.	M/s. Rasiklal Hemani Agencies (P) Ltd., 506, Khari Baoli, Delhi-110006.	DL/4049	1-2-92 to 31-1-95	3(15)96/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

The 8th April 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/120.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Regional Provident Fund Commissioner, is satisfied that he employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits, under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto. The Regional Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No. Name & address of the estt.	Code No.	No. & Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for exemption	CPFC's File No.
1 2	3	4	5	6	7
1. M/s. Toshiwal Sensors Pvt. Ltd., E-19-20, Industrial Area, Makhupura, Ajmer.	RJ/347	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 21-5-87	20-5-90	21-5-90 to 20-5-93	2/1610/90/DLI
2. M/s. B.M. Industries, Vishwakarma Nagar, P.O. Sardhana-305206, Ajmer.	RJ/3870	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 10-12-92	30-6-94	1-7-94 to 30-6-97	2/4462/94/DLI

1	2	3	4	5	6	7
3.	M/s. J.K. Industries, P.O. Tyre Factory, J.K. Gram, Kankaroli-313342 Distt. Rajamand. Rajasthan.	RJ/2601	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 24-2-93	6-5-95	7-5-95 to 6-5-98	2/557/80/DLI
4.	M/s. Toshniwal Process Instruments Pvt. Ltd., Kuthery Road, Ajmer,	RJ/2901	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 13-5-93	6-2-95	7-2-95 to 6-2-98	2/1324/82/DLI
5.	M/s. National Engineering Industries Ltd., Khatipura Road, Jaipur-302006.	RJ/24	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 30-6-92	29-7-94	30-7-94 to 29-7-97	2/1103/80/DLI
6.	M/s. Associated Stone Industries(K) Ltd., Ramganj, Mandi Kota, Rajasthan.	RJ/55	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 24-12-92	30-6-94	1-7-94 to 30-6-97	2/1209/89/DLI
7.	M/s. Nav jyoti Printing Press, Ajmer, Post Box No. 72, Kesarganj.	RJ/1016	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 28-9-89	30-9-93	1-10-90 to 30-9-93	2/1647/80/DLI
8.	M/s. Rajhans Industries Ltd., A-2, Industrial Estate, Jodhpur, Rajasthan.	RJ/1243	S-35014/5687/SS-II dt. 22-5-87	24-5-90	25-5-90 to 24-5-93	2/582/87/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are, enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and, the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

The 11th April 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/34.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto. The Regional Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & address of the estt.	Code No.	No. & Date of Govt. Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry	Period for exemption	CPFC's file No.
1.	M/s. Delton Cables Ltd., 4801, Bharat Ram Road, 24, Daryaganj, New Delhi 2.	DL/179	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 12-2-92	3-12-94	4-12-94 to 3-12-97	2/1848/88/DLI
2.	M/s. Escorts Ltd., A-36, Mohan Co-op. Industrial Estate, New Delhi-44.	DL/776	2/1959/Exemp/DLI/89/ Pt. I dt. 13-2-90	17-9-94	18-9-94 to 17-9-97	2/111/78/DLI
3.	M/s. Mahata and Co., M-59, Connaught Place, New Delhi-1.	DL/854	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 18-11-89.	30-3-90	31-3-90 to 30-3-93 & 31-3-93 to 30-3-96	2/3271/90/DLI
4.	M/s. All India Coffee Workers Co-op. Societies Federation Ltd., 2 UB Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-7.	DL/2304	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 8-8-89	31-1-91	1-2-91 to 31-1-94 1-2-94 to 31-1-97	2/2026/89/DLI
5.	M/s. Delhi Express Travels Pvt. Ltd., P-13, Connaught Circus, New Delhi-110001	DL/2893	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 20-10-89	20-11-93	21-11-93 to 20-11-96	2/1081/94/DLI
6.	M/s. Gem Sanitary Appliances Pvt. Ltd., A-57, Wazirpur Industrial Area, Delhi-52.	DL/3558	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 20-10-89	31-12-89	1-1-90 to 31-12-92 & 1-1-93 to 31-12-95	2/3269/90/DLI
7.	South Eastern Carriers Ltd., 34, Arakasham Road, Ram Nagar, Paharganj, New Delhi-55.	DL/4288	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 20-1-94	31-5-91	1-6-91 to 31-5-94 & 1-6-94 to 31-5-97	2/2097/89/DLI
8.	M/s. Mohan Trading Co. Pvt. Ltd., H-9, Block B-I, Mohan Co-op. Ind. Estate, Mathura Road, Delhi-44.	DL/5141	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 22-12-92	30-11-91	1-12-91 to 30-11-94 & 1-12-94 to 30-11-97	2/4267/92/DLI
9.	M/s. Delhi State Civil Supply Corpn. Ltd., 7—9 Aram Bagh, Paharganj, New Delhi-55.	DL/7141	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 8-7-91	16-8-94	17-8-94 to 16-8-97	2/1567/86/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

The 22nd April 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/211.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Regional Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of the Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the the conditions specified in Schedule-II annexed hereto. The Regional Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against heir names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & address of the estt.	Code No.	No. and Date of Govt. Notification Vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's file No.
1.	M/s. Orissa State Co-operative Bank Ltd., Pandit Jawahar Lal Nehru Marg, Bhubaneswar-751001.	OR/822	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. II dt. 29-3-93	30-11-90	1-12-90 to 30-11-93 & 1-12-93 to 30-11-96	2/4466/92/DLI
2.	M/s. Avorest Herbs Laboratory, B-3, Industrial Estate, Balasore-75600.	OR/1399	24 1959/DLI/Exem/89/ Pt. I dated 29-1-96	30-5-95	31-5-95 to 30-4-98	2/5545/94/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (u) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the resposibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

DELHI WAKF BOA

LIST NO. XXXVI

Sl. No.	Name of Wakf & Wakif, if known	Date or year of creation of wakf	Nature & object of wakf	Details of wakf deed, if any with reference to registration records	Description of Wakf property A—Immoveable, its location Nature, tenure, Plot or Municipal No. B—Moveable, its nature & Investment	Value of Property A—Immoveable B—Moveable	Annual income from property A—Immoveable B—Moveable C—Total
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUNNI WAKFS						
1.	Wakf of Haji Mohd. Zakaria, Pathak Habash Khan & Kucha Ustad Bagh	22-03-1923 28-11-1932	Wakf-ul-Aulad	Reg. No. 678 Book No. I Vol. 1314, Pages 114 to 136 & Reg. No. 3647 Book No. I Vol. No. 1698 Pages 56 to 61	Wakf Hazi Md. Zakaria, Pathak Habash Khan, Main Gali Rang wali, Gali Hinga Beg, Gali Zakaria, Delhi-6 & Kucha Ustad Bagh, Delhi-6 Municipal Nos. 1349 to 1351, 1355, 1356, 1361—64, 1374—1398 2306 to 2315 and 2317, 2397—2399 2400, 2401, 2404, 2406, 2407, 2411 2413 to 2415	Approximately more than 5 Crores	Approximately Rs. 50,000/- per month

DELHI WAKF BOARU

LIST NO. XXXVI.

Land revenue Cess & Taxes	Net Annual Income Col. 8&9	Name & Address of Muttawali	Pay & Remuneration of Mutawalli	Expenses for realisation of income	If wakf is administered under order of courts or according to wakf customs or usage	If wakf is is already under the general control of Delhi wakf Board	Remarks
9	1	11	12	13	14	15	16
SUNNI WAKFP							
Individually by tenants.	Rs. 50,000/- per month	—	—	—	Wakf Custom	Yes, D. W. B.	At present the property is under control of D. W. B.

1	2	3	4	5	6	7	8
1. SUNNI WAKFS							
	Quanti Masjid and Graveyard bearing Khasra No. 1151/3(1665) Mehrauli, New Delhi. (Sohan Burj)	Over 100 years	for performing Namaaz & Burial		A-Masjid and Muslim Graveyard Khasra No. 1151/3 (1665) measuring an area of 11 bhigas approximately	A-One Crore (Approximately)	

9	10	11	12	13	14	15	16
SUNNI WZKFS							
—	—	D. W. B.	—	—	Wakf Custom	No	This property is being looked after by Janab Mouln Lateef S/o. Dr. Abdul Lateef R/o. 86, Jor Bagh, New Delhi.

ISRAR AHMED
Wakf Commissioner Delhi.

PUNJAB WAKF BOARD

AMBALA CANTT., the 22nd April 1997

No. Wakf/45/Gen/Pub./Gazette/503/97.—In excercise of the powers conferred under section 27 of the Wakf Act, 1954, which are excercisable by me under the delegated powers by the Administrator, Punjab Wakf Board, under section 22 of the Wakf Act, 1954. Properties are hereby declared as Sunni Wakf.

S. No.	Name of Wakf	Distt/Tehsil	Vill.	Kh. No.	Area	Value	Nature & object of	How the Wakf is Administrated	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Graveyard	Hamirpur/Hamirpur	Kothera	388/165	K — M 4 — 8	55,000/-	Religious	Under the management of the P.W.B.A./Cantt.	Sunni Wakf
2.	Do.	Una/Bangana	Momaniar	572 573	Kms. 0.02—30 0.00—81 3—03—11	15,000/-	Do.	Do.	Do.
3.	Do.	Do.	Choki Maniar	557	0—14—91 Kms.	60,000/-	Do.	Do.	Do.
4.	Do.	Kangra/Palampur	Ganeta	617	K—M 7—4	1,40,000/-	Do.	Do.	Do.
5.	Mosque	Sirmour/Poanta Sahib	Bhuppur HB No. 118	52/1	B—B 0—8 (20×8 Karm)	64,000/-	Do.	Do.	Do.
6.	Do.	Do.	Shampur Gorakhwala HB No. 57	578/1	B——B 0——5 (10×10 Karm)	1,200/-	Do.	Do.	Do.
7.	Do.	Do.	Gulab Garh HB No. 141	67/1	B——B 0——3 (11×6 Karm)	3,000/-	Do.	Do.	Do.
8.	Graveyard	Kangra/Dharmshala	Dharmshala	2795/1 2806	1932—00 Sq. Metres 1560—00 Sq. Metres	—	Do.	Do.	Do.
9.	Do.	Bathinda/Bathinda	Gidder HB No. 181	132	K——M 5——6	—	Do.	Do.	Do.
10.	Khanqah	Jalandher/Jalandher	Gill HB No. 410	77	0——13	2,600/-	Do.	Do.	Do.
11.	Graveyard	Do.	Chitti HB No. 427	103/1 103/2	0——8 0——13 1——1	5,000/-	Do.	Do.	Do.

20—69 GI/97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Mosque	Do.	Sehjhangi HB No. 408	37	0—8	7,000/-	Do.	Do.	Do.
13.	Graveyard	Do.	Sheikhe Pind HB No. 211	24	1—3	4,000/-	Do.	Do.	Do.
14.	Do.	Do.	Jalandher HB No. 307	7978 7998	5—13 4—5	1,98,000/-	Do.	Do.	Do.
					9—18				
15.	Takia	Do.	Dessal Pur HB No. 415	91	4—2	82,000/-	Do.	Do.	Do.
16.	Do.	Do.	Paragpur HB No. 225	605	5—18	1,18,000/-	Do.	Do.	Do.
					K—M				
17.	Graveyard	Amritsar/Amritsar	Sultan Vind Sub Urban	2540 2616	19—19 22—3	—	Do,	Do.	Do.
					42—2				
18.	Do.	Jalandher/Jalandher	Dhogri H.B No. 164.	158	4—6				
				159	4—13				
				160	5—6				
				160/1	1—7				
				160/2	0—4				
				163	8—14				
				166	0—4				
				170	0—15				
				170/2	0—18				
					26—7	15,81,000/-	Do.	Do.	Do.
19.	Khanqah	Do.	Basti Shekh Dervesh HB No. 308	2051	0—9	45,000/-	Do.	Do.	Do.
20.	Idgah	Do.	Do,	3076/2052	10—10	10,50,000/-	Do.	Do.	Do.
21.	Mosque	Ludhiana/Ludhiana	Mangat	Within Abadi ; E —61′—9″ W—61′—9″	Link Road House of Swaran Singh & Wakf property.				
				S —42′—6″	House of Jarnail Singh				
				N—42′—0″ area 288 Sq. Yards.	Rasta	27,000/-	Do.	Do.	Do.

22. Mosque	Ludhiana/Ludhiana	Gauns Garh	Within abadi E —54'—4" W—54'—4" S —60'—0" N—60'—0 area 362 Sq. Yds.	Road Gurduwara Street Gurduwara	25,000/-	Religious	Under the Management of the P.W.B. Ambala Cantt.	Sunni Wakf.
23. Graveyard	Gurgaon/Sub Teh. Sohana	Satlakah H. B. No. 217	14—25 15—21/1 Min. 21—2 Min.	K——M 4——19 0——3 0——2				
				5——4	—	Do.	Do.	Do.
				B——B				
24. Dargah	Gurgaon/Punhana	Punhana	814	0——2	10,000/-	Do.	Do.	Do.
				K——M				
25. Mosque	Ambala/Barara	Barara HB No. 203	688 Min. (19'×60'—126 2/3 Sq. yrds.) With one room 5/139 share out of land 6K—19m dedicated by Sh. Kulbir Singh Mehta S/o. Sh. Pindi Dass Mehta of Vill. Barara Distt. Ambala.	0——5	80,/000-	Do.	Do.	Do.
				K——M				
26. Graveyard	Do.	Mahmudpur HB No. 71	71	1——12	—	Do.	Do.	Do.
27. Do.	Do.	Dhin HB No. 143.	128	4——12				
			132	6——13				
			133	2——19				
			134	3——3				
			216	4——12				
			285	3——11				
			346	0——13				
				26——3	—	Do.	Do.	Do.
28. Takia	Do.	Do.	220	3——10	—	Do.	Do.	Do.
29. Graveyard	Karnal/Karnal	Kharajpur	84	3——3				
			85	2——12				
				5——15		Do.	Do.	Do.

Note :—

S No. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 26, 27, 29 or Graveyards according to Jamabandies for the yrs. 91-92, Misal Haqyit Bandobast Jadid, 91-92, 68-69, 92-93, 93-94, 91-92, 62-63, 43-44, 37-38, 59-60, 56-57, 90-91, 87-88, 83-84, S No. 5, 6, 7, 12, 21, 22, 25, are Mosques according to Jama Bandies for the years, 91-92, 92-93, 93-94, 56-57. Fresh report of Estate Officer dated 4-4-1997, 85-86 S. No. 10, 19, are Khanqahs according to Jama Bandies 92-93, 44-45, S. No 5,16, 28, are Takias according to Jama Bandies for the years 92-93, 54-55, 87-88, S. No. 20, is Id-Gah according to Jama Bandi 1944-1945 S. Nh. 24 is Dargah according to the Revenue record for the year 1877 respectively. These have been entered in the Kitab-Ul-Aukaf and registered as Wakf under section 26 of Wakf Act, 1954.

Sd/- ILLIGIBLE
Acting Secretary,
Punjab Wakf Board,
Ambala Cantt.

CORRIGENDUM

No. Wakf/45/Gen/Pub/Corrigendum/504/97.—The following corrigendum is to be published in respect of Wakf properties which has been published in the Govt. of India Gazette, Part III—Section IV dated 6-2-1971, 21-11-1970 in respect of District Jalandher & Gurgon owing to printing mistake and changes due to consolidation of Holdings.

S. No.	Sr. No. of the Gazette	Page No. of Gazette	Sr. No. of Gazette with date	Distt/Tehsil	Village	Amendment
1	2	3	4	5	6	7
1.	584	412—13	6/6-2-71	Jalandhar/ Jalandhar	Haripur HB No. 63	In col. No. 5 & 6 Instead of : Kh. No. K—M 1497 25—15 1498 0—5 1499 1—13 1500 6—12 1501 24—16 2447 3—16 62—17 May be read as under :— Kh. No. K—M 65/7 05—18 8/1 3—0 8/2 5—0 9/1 7—0 11/2 0—16 12 8—0 13/1 3—0 13/2 5—0 14 6—12 44—5
2.	530	407	—do—	—do—	Kotla HB No. 231	In Col. No. 5 & 6 instead of Kh. No. 228 Area 21K—5M may be read as Kh. No. 16 Area 16K—3M.
3.	477	402	—do—	—do—	Jallah HB No. 44	In Col. No. 5 & 6 instead of :— Kh. No. K—M 13//10/1 3—2 10/2 4—18 8—0 May be read as under :— Kh. No K—M 13//10/2/2 3—7 12/2/1 0—6 12/2/2 4—15 12/2/3 0—11 13/1/1 0—10 9—9
4.	555	409	—do—	—do—	Malar HB No. 165	In Col. No. 5 & 6 instead of :— Kh. No. K—M 50//5/2 2—17 6 7—10 7/1 6—0 16—7 May be read as under ;— Kh. No. K—M 40//5/2 2—12 6 7—10 7/1 6—0 16—2
5.	242	382	—do—	—do—	Dhilwan HB No. 191	In Col. No. 5 & 6 instead of Kh. No. 15//9/20 Area 4K—0M may be read as Kh. No. 15//9/2 Area 4K—0M.
6.	264	385	—do—	—do—	Sachi Pind HB No. 215	In Col. 5 & 6 instead of Kh. No. 14//17 Area 11K—1M may be read as Kh. No. 14//17 area 1K—1M.
7.	100	1909	47/21-11-70	Gurgaon/ Gurgaon	Satlaka HB No. 217	In Col. No. 5 & 6 Kh. No. 24 min area 1K—0M & 24 min Area 6K—18M Total : 7K—18M may be read as Kh. No. 24 area 7K—8M. In Col. No. 6 Kh. No. 22/9 area 0K—4M may be read as Kh. No. 22//19 Area 0K—4M.

1	2	3	4	5	6	7	
8.	59	368	6/6-2-71	Jalandhar Jalandhar	Gazipur HB No. 405	In Col. No. 5 & 6 instead of : Kh. No. K—M 4174 0— 7 4175 0—13 4176 0— 8 4177 0—18 4178 2— 04 4201 0—12 4202 2—12 4203 2— 8 4204 0—11 4205 0—13 4210 0— 7 4205 1— 7 4208 4—15 4446 5— 0 4311 0— 3 22—13	May be read as under :— Kh. No. K—M 37 4— 9 38 3— 1 40 4—13 41 3—16 43 3—13 19—12

Sd/ ILLEGIBLE
Acting Secretary
Punjab Wakf Board
Ambala Cantt.

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110002, the 4th March 1997

No. MCI-26(3)/96-Med.—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Indian Medical Council Act. 1956 (102 of 1956) the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

(1) Short title and commencement: (1) These regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER 1

2. GENERAL CONSIDERATIONS AND TEACHING APPROACH

(1) Graduate medical curriculum is oriented towards training students to undertake the responsibilities of a physician of first contact who is capable of looking after the preventive, promotive, curative and rehabilitative aspects of medicine.

(2) With wide range of career opportunities available today, a graduate has a wide choice of career opportunities. The training though broad based and flexible should aim to provide an educational experience of the essentials required for health care in our country.

(3) To undertake the responsibilities of service situations which is a changing condition and of various types, it is essential to provide adequate placement training tailored to the needs of such services as to enable the graduates to become effective instruments of implementation of those requirements. To avail of opportunities and be able to conduct professional requirements the graduate shall endeavour to have acquired basic training in different aspects of medical care.

(4) The importance of the community aspects of health care and of rural health care services is to be recognized. This aspect of education and training of graduates should be adequately recognized in the prescribed curriculum. Its importance has been systematically upgraded over the past years and adequate exposure to such experiences should be available throughout all the three phases of education and training. This has to be further emphasized and intensified by providing exposure to field practice areas and training during the intership period. The aim of the period of rural training during internship is to enable the fresh graduates to function efficiently under such settings.

(5) The educational experience should emphasize health and community orientation instead of only disease and hospital orientation or being-concentrated—on curative—aspects. As such all the basic concepts of modern scientific medical education are to be adequately dealt with.

(6) There must be enough experiences to be provided for self learning. The methods and techniques that would ensure this must become a part of teaching—learning process.

(7) The medical graduate of modern scientific medicine shall endeavour to become capable of functioning independently in both urban or rural environment. He/she shall endeavour to give emphasis on fundamental aspects of the subjects taught and on common problems of health and disease avoiding unnecessary details of specialization.

(8) The importance of social factors in relation to the problem of health and diseases should receive proper emphasis throughout the course and to achieve this purpose, the educational process should also be community based than only hospital based. The importance of population control and family welfare planning should be emphasized throughout the period of training with the importance of health and development duly emphasized.

(9 Adequate emphasis is to be placed on cultivating logical and scientific habits of thought, clarity of expression and independence of judgement, ability to collect and analyse information and to correlate them.

(10) The educational process should be placed in a historic background as an evolving process and not merely as an acquisition of a large number of disjoined facts without a proper perspective. The history of Medicine with reference to the evolution of medical knowledge both in this country and the rest of the world should form a part of this process.

(11) Lectures alone are generally not adequate as a method of training and are a poor means of transferring/acquiring information and even less effective at skill development and in generating the appropriate attitudes. Every effort should be made to encourage the use of active methods related to demonstration and on first hand experience. Students will be encouraged to learn in small groups, through peer interactions so as to gain maximal experience through contacts with patients and the communities in which they live. While the curriculum objectives often refer to areas of knowledge or science, they are best taught in a setting of clinical relevance and hands on experience for students who assimilate and make this knowledge a part of their own working skills.

(12) The graduate medical eduation in clinical subjects should be based primarily on out-patient teaching, emergency departments and within the community including peripheral health care institutions. The out-patient departments should be suitably planned to provide training to graduates in small groups.

(13) Cilincs should be organised in small groups of preferably not more than 10 students so that a teacher can be give personal attention to each student with a view to improve his skill and competence in handling of the patients.

(14) Proper records of the work should be maintained which will form the basis for the students' internal assessment and should be available to the inspectors at the time of inspection of the college by the Medical Council of India.

(15) Maximal efforts have to be made to encourage integrated teaching between traditional subject areas using a problem based learning approach starting with clinical or community cases and exploring the relevance of various preclinical disciplines in both understanding and resolution of the problem. Every attempt be made to de-emphasize compartmentalisation of disciplines so as to achieve both horizontal and vertical integration in different phases.

(16) Every attempt is to be made to encounrage students to participate in group discussions and seminars to enable them to develop personality, character, expression and other faculties which are necessary for a medical graduate to function either in solo practice or as a team leader when he begins his independent career. A discussion group should not have more than 20 students.

(17) Faculty members should avail of modern educational technology while teaching the students and to attain this objective, Medical Education Units/Departments be established in all medical colleges for faculty development and providing learning resource material to teachers.

(18) To derive maximum advantage out of this revised curriculum, the vacation period to students in one calendar year should not exceed one month, during the 4½ years Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) Course.

(19) In order to implement the revised curriculum in toto, State Governments and Institutional Bodies must ensure that adequate financial and technical inputs are provided.

3. OBJECTIVES OF MEDICAL GRADUATE TRAINING PROGRAMME :

(1)—NATIONAL GOALS : At the end of undergraduate program, the medical student shall endeavour to be able to :

(a) recognize 'health for all' as a national goal and health right of all citizens and by undergoing training for medical profession fulfill his/her social obligations towards realization of this goal;

(b) learn every aspect of National policies on health and devote himself/herself to its practical implementation;

(c) achieve competence in practice of holistic medicine, encompassing promotive, preventive, curative and rehabilitative aspects of common diseases;

(d) develop scientific temper, acquire educational experience for proficiency in profession and promote healthy having;

(e) become exemplary citizen by observation of medical ethics and fulfilling social and professional obligations, so as to respond to national aspirations.

(2) INSTITUTIONAL GOALS : (1) In consonance with the national goals each medical institution should evolve institutional goals to define the kind of trained manpower (or professionals) they intend to produce. The undergraduate students coming out of a medical institute should :

(a) be competent in diagnosis and management of common health problems of the individual and the community, commensurate with his/her position as a member of the health team at the primary, secondary or tertiary levels, using his/her clinical skills based on history, physical examination and relevant investigations;

(b) be competent to practice preventive, promotive, curative and rehabilitative medicine in respect to the commonly encountered health problems;

(c) appreciate rationale for different therapeutic modalities, be familiar with the administration of the "essential drugs" and their common side effects;

(d) be able to appreciate the socio-psychological, cultural, economic and environmental factors affecting health and develop humane attitude towards the patients in discharging one's professional responsibilities;

(e) possess the attitude for continued self learning and to seek further expertise or to pusue research in any chosen area of medicine.

(f) be familiar with the basic factors which are essential for the implementation of the National Health Programmes including practical aspects of the following :—

(i) Family Welfare and Maternal and Child Health [MCH],

(ii) Sanitation and water supply,

(iii) Prevention and control of communicable and non-communicable diseases,

(iv) Immunization,

(v) Health Education;

(g) acquire basic management skills in the area of human resources, materials and resource management related to hesalth care delivery;

(h) be able to identify community health problems and learn to work to resolve these by designing, instituting corrective steps and evaluating outcome of such measures;

(i) be able to work as a leading partener in health care teams and acquire proficiency in communication skills;

(j) be competent to work in a variety of health care settings;

(k) have personal characteristics and attitudes required for professional life such as personal integrity, sense of responsibility and dependability and ability to relate to or show concern for other individuals.

(II) All efforts must be made to equip the medical graduate to acquire the skills as detailed in APPENDIX B.

CHAPTER-II

ADMISSION, SELECTION, MIGRATION AND TRAINING

4. Admission to the Medical Course—'Eligibility Criteria' : No Candidate shall be allowed to be admitted to the Medical Curriculum of first Bachelor of Medicine and Bachlor of Survery (MBBS) Course until;

(1) He/she has completed the age of 17 years on or before first day of July of the year commencing the prescribed academic session of the said course ;

(2) He/she has passed qualifying examination as under :

(a) the Higher Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of Physics, Chemistry, Biology and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council or Educational Research and Training after the introduction of the 10+1+3 years educational structure as recommended by the National Committee on education;

Note : Where the course content is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the Medical Colleges;

or

(b) The Intermediate examination in science of an Indian University/Board or other recognized examining body with Physics, Chemistry and Biology which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.

or

3.2.3 The pre-professional/pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology, after passing either the higher secondary school examination, or the pre-university or an equivalent examination. The pre-professional/pre-medical examination shall include a practical test in Physics, Chemistry and Biology and also English as a compulsory subject;

or

(d) The first year of the three years degree course of a recognized university, with Physics, Chemistry and Biology including a practical test in these subjects provided the examination is a "University Examination" and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course.

or

(e) B.Sc. examination of an Indian University, provided that he/she has passed the B.Sc. examination with not less than two of the following subjects—Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology) and further that he/she has passed the earlier qualifying examination with the following subjects—Physics, Chemistry, Biology and English.

or

(f) Any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology including a practical test in each of these subjects and English.

Note :

The pre-medical course may be conducted either at Medical College or a Science College

Marks obtained in Mathematics are not to be considered for admission to MBBS Course.

After the 10+2 course is introduced, the integrated courses should be abolished.

5. Selection of Students : The selection of students to medical college shall be based solely on merit of the candidate and for determination of merit, the following criteria be adopted uniformly throughout the country :

(1) In states, having only one Medical College and one university/board/examining body conducting the qualifying examination, the marks obtained at such qualifying examination may be taken into consideration;

(2) In states, having more than one university/board/examining body conducting the qualifying examination (or where there is more than one medical college under the administrative control of one authority) a competitive entrance examination should be held so as to achieve a uniform evaluation as there may be variation of standard at qualifying examination conducted by different agencies;

(3) Where there are more than one college in a state and only one university/board conducting the qualifying examination, than a joint selection board be constituted for all the colleges;

(4) A competitive entrance examination is absolutely necessary in the cases of Institutions of All India character;

(5) To be eligible for competitive entrance examination, the candidate must have passed any of the qualifying examinations as enumerated under the head note "Eligibility Criteria";

Provided also that—

(i) in case of admission on the basis of qualifying examination, a candidate for admission to medical course must have obtained not less than 50% marks in English and 50% marks in Physics, Chemistry and Biology taken together at the qualifying examination;

(ii) In case of admission on the basis of a competitive entrance examination, a candidate for admission to medical course must have obtained not less than 50% marks in English and 50% marks in Physics, Chemistry and Biology taken together, both at qualifying and competitive examinations;

Provided further that in respect of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes (OBCs) the marks obtained be read as 40% instead of 50%.

6. Migration

(1) Migration from one medical college to other is not a right of a student. However, migration of students from one medical college to another medical college in India may be considered by the Medical Council of India. Only in exceptional cases on extreme compassionate grounds*, provided following criteria are fulfilled. Routine migrations on other grounds shall not be allowed.

(2) Both the colleges, i.e. one at which the student is studying at present and one to which migration is sought, are recognised by the Medical Council of India.

(3 The applicant candidate should have passed first professional MBBS examination.

(4) The applicant candidate submits his application for migration, complete in all respects, to all authorities concerned within a period of one month of passing (declaration of results) the first professional Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) examination.

(5) The applicant candidate must submit an affidavit stating that he/she will pursue 18 months of prescribed study before appearing at IInd professional Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) examination at the transferee medical college, which should be duly certified by the Registrar of the concerned University in which he/she is seeking transfer. The transfer will be applicable only after receipt of the affidavit.

Note 1 :

(i) Migration during clinical course of study shall not be allowed on any ground.

(ii) All applications for migration shall be referred to Medical Council of India by college authorities. No Institution/University shall allow migrations directly without the approval of the Council.

(iii) Council reserves the right, not to entertain any application which is not under the prescribed compassionate grounds and also to take independent decisions where applicant has been allowed to migrate without referring the same to the Council.

Note 2 : Compassionate grounds criteria :

(i) Death of a supporting guardian.

(ii) Illness of the candidate causing disability.

(iii) Disturbed conditions as declared by Government in the Medical College area.

7. Training Period and Time Distribution

(1) Every student shall undergo a period of certified study extending over 4 1/2 academic years divided into 9 semesters, (i.e. of 6 months each) from the date of commencement of his study for the subjects comprising the medical curriculum to the date of completion of examination and followed by one year compulsory rotating internship. Each semester will consist of approximately 120 teaching days of 8 hours each college working time, including one hour of lunch.

(2) The period of 4.1/2 years is divided into three phases as follows :—

(a) Phase-I (two semesters)—consisting of Pre-clinical subjects (Human Anatomy, Physiology including Bio-Physics, Bio-chemistry and introduction to Community Medicine including Humanitis). Besides 60 hours for introduction to Community Medicine including Humanities, rest of the time shall be somewhat equally divided between Anatomy and Physiology plus Biochemistry combined (Physiology 2/3 and Biochemistry 1/3).

(b) Phase-II (3 semesters)—consisting of para-clinical/clinical subjects.

During this phase teaching of para-clinical and clinical subjects shall be done concurrently.

The para-clinical subjects shall consist of Pathology, Pharmacology, Microbiology, Forensic Medicine including Toxicology and part of Community Medicine.

The clinical subjects shall consist of all those detailed below in Phase III.

Out of the time for Para-clinical teaching approximately equal time be allotted to Pathology, Pharmacology, Microbiology and Forensic Medicine and Community Medicine combined (1/3 Forensic Medicine and 2/3 Community Medicine). See Appendix-C.

(c) Phase-III (Continuation of study of clinical subjects for seven semester after passing Phase-I).

The clinical subjects to be taught during Phase II and III are Medicine and its allied specialities, Surgery and its allied specialities, Obstetrics and Gynaecology and Community Medicine.

Besides clinical posting as per schedule mentioned herewith, rest of the teaching hours be divided for didactic lectures, demonstrations, seminars, group discussions, etc. in various subjects. The time distribution shall be as per Appendix-C.

The Medicine and its allied specialities training will include General Medicine Paediatrics, Tuberculosis and Chest, Skin and Sexually Transmited Diseases, Psychiatry, Radio-diagnosis, Infectious diseases etc. The Surgery and its allied specialities training will include General Surgery, Orthopaedic Surgery including Physio-therapy and Rehabilitation,

Ophthalmology, Otorhinolaryngology, Anaesthesia, Dentistry, Radio-therapy etc. The Obstetrics & Gynaecology training will include family medicine, family welfare planning etc.

(3) The first 2 semester (approximately 2 :0 teaching days) shall be occupied in the Phase 1 (Pre-clinical) subjects and introduction to a broader understanding of the prespectives of medical education leading to delivery of health care. No student shall be permitted to join the Phase II (Para-clinical/clinical) group of subjects until he has passed in all the Phase 1 (Pre-clinical) subjects for which he will be permitted not more than four chances (actual examination), provided four chances are completed in three years from the date of enrollment.

(4) After passing pre-clinical subjects, 1 1/2 year (3 semesters) shall be devoted to para-clinical subjects.

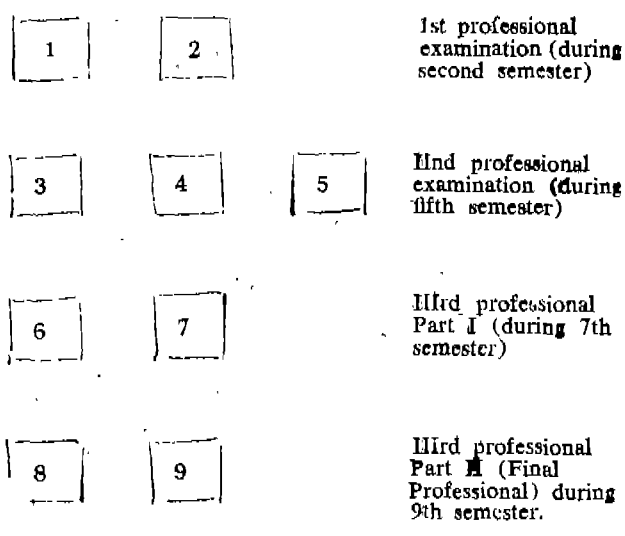
Phase II will be devoted to para-clinical and clinical subjects, along with clinical postings. During clinical phase (Phase III) pre-clinical and para-clinical teaching will be integrated into the teaching of clinical subjects where relevant.

(5) Didactic lectures should not exceed one third of the time schedule; two third schedule should include practicals, clinicals or/and group discussions. Learning process should include living experiences, problem oriented approach, case studies and community health care activities

(6) Universities shall organize admission timings and admission process in such a way that teaching in first semester starts by 1st of August each year.

(7) Supplementary examination may be conducted within 6 months so that the students who pass can join the main batch and the failed students will have to appear in the subsequent year.

(8) Phase Distribution and Timing of Examinations :—



(a) Passing in 1st Professional is compulsory before proceeding to Phase II training.

(b) A student who fails in the IInd professional examination, shall not be allowed to appear in IIIrd Professional Part I examination unless he passes all subjects of IInd Professional examination.

(c) Passing in III Professional (Part 1) examination is not compulsory before entering for 8th and 9th semester training, however passing of IIIrd Professional (Part I) is compulsory for being elegible for IIIrd Professional (Part II) examination.

During third to ninth semesters, clinical postings of three hours duration daily as specified in the Table below is suggested for various departments, after Introductory Course in Clinical Methods in Medicine and Surgery of two weeks each for the whole class.

TABLE

Total Subject	3rd Semester (Weeks)	4th Semester (Weeks)	5th Semester (Weeks)	6th Semester (Weeks)	7th Semester (Weeks)	8th Semester (Weeks)	9th Semester (Weeks)	Total (Weeks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
General Medicine***	6	—	4	—	4	6	6	26
Paediatrics	—	2	—	2	2	4	—	10
Tuberculosis and Chest Diseases	—	2	—	—	—	—	—	02
Skin and STD	—	2	—	2	—	2	—	06
Psychiatry	—	—	2	—	—	—	—	02
Radiology*	—	—	—	—	2	—	—	02
General Surgery****	6	—	4	—	4	6	6	26
Orthopaedic**	—	—	4	4	—	—	2	10
Ophthalmology	—	4	—	4	—	—	2	10
Ear, Nose and Throat	—	4	—	4	—	—	—	08
Obstetrics***** and Gynaecology including FamilyWelfare Planning	2	4	4	—	4	4	6	24
Community Medicine	4	4	—	4	—	—	—	12
Casualty	—	—	—	2	—	—	—	02
Dentistry	—	—	—	—	2	—	—	02
Total (in Weeks)	18	22	18	22	18	22	22	142

- Clinical methods in Medicine and Surgery for whole class will be for 2 weeks each respectively at the start of 3rd semister.

* This posting includes training in Radiodiagnosis and Radiotherapy where existant.

** This posting includes exposure to Rehabilitation and Physiotherapy.

*** This posting includes exposure to laboratory medicine and infectious diseases.

**** This posting includes exposure to dressing and Anaesthesia.

***** This includes maternity training and Family medicine and the 3rd semester posting shall be in Family Welfare Planning.

CHAPTER III

CURRICULUM (SUBJECT-WISE)

9. Pre-clinical subjects—Phase I : In the teaching of these subjects stress shall be laid on basic principles of the subjects with more emphasis on their applied aspects.

(1) HUMAN ANATOMY

(i) Goal :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Anatomy aims at providing comprehensive knowledge of the gross and microscopic structure and development of human body to provide a basis for understanding the clinical correlation of organs or structures involved and the anatomical basis for the disease presentations.

(ii) Objectives :

(A) Knowledge :

At the end of the course the student shall be able to

(a) comprehend the normal disposition, clinically relevant interrelationships, functional and cross sectional anatomy of the various structures in the body;

(b) identify the microscopic structure and correlate elementary ultrastructure of various organs and tissues and correlate the structure with the functions as a prerequisite for understanding the altered state in varous disease processes;

(c) comprehend the basic structure and connections of the central nervous system to analyse the integrative and regulative functions of the organs and systems. He/She shall be able to locate the site of gross lesions according to the deficits encountered;

(d) demonstrate knowledge of the basic principles and sequential development of the organs and systems, recognise the critical stages of development and the effects of common teratogens, genetic mutations and environmental hazards. He/She shall be able to explain the developmental basis of the major variations and abnormalities.

(B) Skills :

At the end of the course the student shall be able to :

(a) identify and locate all the structures of the body and mark the topography of the living anatomy;

(b) identify the organs and tissues under the microscope;

(c) understand the principles of karyotyping and identify the gross congenital anomalies;

(d) understand principles of newer imaging techniques and interpretation of Computerised Tomography (CT) Scan, sonogram etc.

(e) understand clinical basis of some common clinical procedures i.e. intramuscular and intravenous injection, lumbar puncture and kidney biopsy etc.

(C) Integration

From the integrated teaching of other basic sciences, student shall be able to comprehend the regulation and integration of the functions of the organs and systems in the body and thus interpret the anatomical basis of disease process.

(2) HUMAN PHYSIOLOGY INCLUDING BIO-PHYSICS

(A) PHYSIOLOGY

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate student in Physiology aims at providing the student comprehensive knowledge of the normal functions of the organ systems of the body to facilitate an understanding of the physiological basis of health and disease.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course the student will be able to :

(1) explain the normal functioning of all the organ systems and their interactions for well coordinated total body function;

(2) assess the relative contribution of each organ system to the maintenance of the milieu interior;

(3) elucidate the physiological aspects of normal growth and development;

(4) describe the physiological response and adaptations to environmental stresses;

(5) list the physiological principles underlying pathogenesis and treatment of disease.

(b) SKILLS :

At the end of the course the student shall be able to :

(1) conduct experiments designed for study of physiological phenomena;

(2) interpret experimental/investigative data;

(3) distinguish between normal and abnormal data derived as a result of tests which he/she has performed and observed in the laboratory.

(c) INTEGRATION :

At the end of the integrated teaching the student shall acquire an integrated knowledge of organ structure and function and its regulartory mechanisms.

(B) BIOPHYSICS

(a) GOAL AND OBJECTIVES : The broad goal of teaching Biophysics to undergraduate students, is that they should understand basic physical principles involved in the functioning of body organs in normal and diseased conditions.

Total time for teaching Biophysics		= 5 hours
Out of which :	1. Didactic lectures	= 3 hours
	2. Tutorial/group discussion	= 1 hour
	3. Practical	= 1 hour

(b) Topic distribution :

(1) Lectures :

(i) Physical principles of transport across cell membranes and across capillary wall,

(ii) Biopotentials.

(iii) Physical principles governing flow of blood in heart and blood vessels.

Also physical principles governing flow of air in air passages.

(2) Tutorial/group discussion : On the topic covered in didactic lectures.

(3) Practicals :

Demonstration of :

(a) Biopotential on oscilloscopt

(b) Electro Encephalogram (E.E.G.)

(c) Electro Myelogram (E.M.G.)

(d) Electro Cardiogram (E.C.G.)

(3) BIOCHEMISTRY

Biochemistry including medical physics and Molecular Biology.

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in biochemistry is to make them understand the scientific basis of the life processes at the molecular level and to orient them towards the application of the knowledge acquired in solving clinical problems.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) describe the molecular and functional organization of a cell and list its subcellular components;

(2) delineate structure, function and inter-relationship of biomolecules and consequences of deviation from normal;

(3) summarize the fundamental aspects of enzymology and clinical application wherein regulation of enzymatic activity is altered;

(4) describe digestion and assimilation of nutrients and consequently or malnutrition consequences of malnutrition;

(5) integrate the various aspects of metabolism and their regulatory pathways;

(6) explain the biochemical basis of inherited disorders with their associated sequelae;

(7) describe mechanisms involved in maintenance of body fluid and pH homeostasis;

(8) outline the molecular mechanisms of gene expression and regulation, the principles of genetic engineering and their application in medicine;

(9) summarize molecular concept of body defences and their application in medicine;

(10) outline the biochemical basis of environmental health hazards, biochemical basis of cancer and carcinogenesis;

(11) familiarize with the principles of various conventional and specialized laboratory investigations and instrumentation analysis and interpretation of a given data;

(12) suggest experiments to support theoretical concepts and clinical diagnosis.

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) make use of conventional techniques/instruments to perform biochemical analysis relevant to clinical screening and diagnosis;

(2) analyze and interpret investigative data;

(3) demonstrate the skills of solving scientific and clinical problems and decision making.

(c) INTEGRATION

The knowledge acquired in biochemistry shall help the students to integrate molecular events with structure and function of the human body in health and disease.

(4) INTRODUCTION TO HUMANITIES AND COMMUNITY MEDICINE :

Including Introduction to the subjects of Demography, Health Economics, Medical Sociology, Hospital Management, Behavionral Sciences inclusive of Psychology.

OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE

The student shall be able to :

(1) explain the principles of sociology including demographic population dynamics;

(2) indentify social factors related to health, disease and disability in the context of urban and rural societies;

(3 appreciate the impact of urbanization on health and disease;

(4) observe and interpret the dynamics of community behaviour;

(5) describe the elements of normal psychology and social psychology;

(6) observe the principles of practice of medicine in hospital and community setting.

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to make use of :

(1) Principles of practice of medicine in hospital and community settings and familiarization with elementary nursing practices.

2. Art of communication with patients including history taking and medio-social work.

Teaching of community medicine, shall be both theoritical as well as practical. The practical aspects of the training programme shall include visits to the health establishments and to the community where health intervention programmes are in operation.

In order to inculcate in the minds of the students the basic concept of community medicine to be introduced in this phase of training, it is suggested that the detailed curriculum drawn shall include at least 30 hours of lectures, demonstrations, seminars etc. together with atleast 15 visits of two hours each.

10. PARA CLINICAL SUBJECTS OF PHASE II

(1) PATHOLOGY :

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate student in Pathology is to provide the students with a comprehensive knowledge of the mechanisms and cause of disease, in order to enable him/her to achieve complete understanding of the natural history and clinical manifestations of disease.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) describe the structure and ultrastructure of a sick cell, mechanisms of cell degeneration, cell death and repair and be able to correlate structural and functional alterations.

(2) explain the pathophysiological processes which govern the maintenance of homeostasis, mechanisms of their disturbance and the morphological and clinical manifestations associated with it;

(3) describe the mechanisms and patterns to tissue response to injury such that he/she can appreciate the pathophysiology of disease processes and their clinical manifestations;

(4) correlate normal and altered morphology (gross and microscopic) of different organ systems in common disease to the extent needed for understanding of disease processes and their clinical significance.

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) describe the rationale and principles of technical procedures of the diagnostic laboratory tests and interpretation of the results;

(2) perform the simple bed-side tests on blood, urine and other biological fluid samples;

(3) draw a rational scheme of investigations aimed at diagnosing and managing the cases of common disorders;

(4) understand biochemical/physiological disturbances that occur as a result of disease in collaboration with preclinical departments.

(c) INTEGRATION :

At the end of training he/she shall be able to integrate the causes of disease and relationship of different etiological factors (social, economic and environmental) that contribute to the natural history of diseases most prevalent in India.

(2) MICROBIOLOGY

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Microbiology is to provide an understanding of the natural history of infectious disease in order to deal with the etiology pathogenesis, laboratory diagnosis, treatment and control of infections in the community

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) state the infective micro-organisms of the human body and describe the host parasite relationship;

(2) list pathogenic micro-organisms (bacteria, viruses, parasites, fungi) and describe the pathogenesis of the diseases produced by them;

(3) state or indicate the modes of transmission of pathogenic and opportunistic organisms and their sources, including insect vectors responsible for transmission of infection;

(4) describe the mechnisms of immunity to infections;

(5) acquire knowledge on suitable antimicrobial agents for treatment of infections and scope of immunotherapy and different vaccines available for prevention of communicable diseases;

(6) apply methods of disinfection and sterilization to control and prevent hospital and community acquired infections

(7) recommend laboratory investigations regarding bacteriological examination of food, water, milk and air.

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) plan and interpret laboratory investigations for the diagnosis of infectious diseases and to correlate the clinical manifestations with the etiological agent;

(2) identify the common infectious agents with the help of laboratory procedures and use antimicrobial senitivity tests to select suitable antimicrobial agents;

(3) perform commonly employed bed-side tests for detection of infectious agents such as blood film for malaria, filaria, gram staining and Acid Fast Bacilli (AFB) staining and stool sample for ova cyst etc.

(4) use the correct method of collection, storage and transport of clinical material for microbiological investigations.

(c) INTEGRATION :

The student shall understand infectious diseases of national importance in relation to the clinical, therapeutic and preventive aspects.

(3) PHARMACOLOGY

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Pharmacology is to inculcate a rational and scientific basis of therapeutics.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) describe the pharmacokinetics and pharmacodynamics of essential and commonly used drugs;

(2) list the indications, contraindications, interactions and adverse reactions of commonly used drugs;

(3) indicate the use of appropriate drug in a particular disease with consideration to its cost, efficacy and safety for

(i) individual needs;

(ii) mass therapy under national health programmes.

(4) describe the pharmacokinetic basis, clinical presentation, diagnosis and management of common poisonings;

(5) list the drugs of addiction and recommend the management;

(6) classify environmental and occupational pollutants and state the management issues;

(7) indicate causations in prescription of drugs in special medical situations such as pregnancy, lactation, infancy and old age;

(8) integrate the concept of rational drug therapy in clinical pharmacology;

(9) state the principles underlying the concept of 'Essential Drugs';

(10) evaluate the ethics and modalities involved in the development and introduction of new drugs;

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) prescribe drugs for common ailments;

(2) recognise adverse reactions and interactions of commonly used drugs;

(3) observe experiments designed for study of effects of drugs, bioassay and interpretation of the experimental data;

(4) scan information on common pharmaceutical preparations and critically evaluate drug formulations;

(c) INTEGRATION :

Practical knowledge of use of drugs in clinical practice will be acquired through integrated teaching with clinical departments and pre clinical departments.

(4) FORENSIC MEDICINE INCLUDING TOXICOLOGY.

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Forensic Medicine is to produce a physician who is well informed about medicolegal responsibilities in practice of medicine. He/She will also be capable of making observations and inferring conclusions by logical deductions to set enquiries on the right track in criminal matters and connected medicolegal problems. He/She acquires knowledge of law in relation to medical practice, medical negligence and respect for codes of medical ethics.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) identify the basic medicolegal aspects of hospital and general practice;

(2) define the medicolegal responsibilities of a general physician while rendering community service either in a rural primary health centre or an urban health centre;

(3) appreciate the physician's responsibilities in criminal matters and respect for the codes of medical ethics;

(4) diagnose, manage and identify also legal aspects of common acute and chronic poisonings;

(5) describe the medicolegal aspects and findings of post-mortem examination in case of death due to common unnatural conditions and poisonings;

(6) detect occupational and environmental poisoning, prevention and epidemiology of common poisoning and their legal aspects particularly pertaining to Workmen's Compensation Act;

(7) describe the general principles of analytical toxicology.

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) make observations and logical inferences in order to initiate enquiries in criminal matters and medicolegal problems;

(2) diagnose and treat common emergencies in poisoning and manage chronic toxicity;

(3) make observations and interpet findings at post-mortem examination;

(4) observe the principles of medical ethics in the practice of his profession.

(c) INTEGRATION :

Department shall provide an integrated approach towards allied disciplines like Pathology, Radiology, Forensic Sciences, Hospital Administration etc. to impart training regarding medicolegal responsibilities of physicians at all levels of health care. Integration with relevant disciplines will provide scientific basis of clinical toxicology e.g. medicine, pharmacology etc.

(5) COMMUNITY MEDICINE :

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Community Medicine is to prepare them to function as

community and first level physicians in accordance with the institutional goals.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) describe the health care delivery system including rehabilitation of the disabled in the country;

(2) describe the National Health Programmes with particular emphasis on maternal and child health programmes, family welfare planning and population control;

(3) list epidemiological methods and describe their application to communicable and non-communicable diseases in the community or hospital situation;

(4) apply biostatistical methods and techniques.

(5) outline the demographic pattern of the country and appreciate the roles of the individual, family, community and socio-cultural milieu in health and disease;

(6) describe the health information systems;

(7) enunciate the principles and components of primary health care and the national health policies to achieve the goal of 'Health for All';

(8) identify the environmental and occupational hazards and their control;

(9) describe the importance of water and sanitation in human health;

(10) to understand the principles of health economics, health administration, health education in relation to community.

(b) SKILLS :

At the end of course, the student should be able to :

(1) use epidemiology as a scientific tool to make rational decisions relevant to community and individual patient intervention;

(2) collect, analyse, interpret and present simple community and hospital based data;

(3) diagnose and manage common health problems and emergencies at the individual, family and community levels keeping in mind the existing health care resources and in the context of the prevailing socio-cultural beliefs;

(4) diagnose and manage maternal and child health problems and advise a couple and the community on the family welfare planning methods available in the context of the national policies;

(5) diagnose and manage common nutritional problems at the individual and community level;

(6) plan, implement and evaluate a health educational programme with skill to use simple audio-visual aids;

(7) interact with other members of the health care team and participate in the organisation of health care services and implementation of national health programmes.

(c) INTEGRATION :

Develop capabilities of synthesis between cause of illness in the environment or community and individual health and respond with leadership qualities to institute remedial measures for this.

11. CLINICAL SUBJECTS OF PHASE II AND PHASE III

The teaching and training in clinical subjects will commence at the beginning of Phase II and continue throughout Phase III.

The clinical subjects will be taught to prepare the MBBS graduates to understand and manage clinical problems at the level of a practitioner. Exposure to subject matter will be limited to orientation and knowledge required of a general doctor. Maximum attention to the diagnosis and management of most common and important conditions encountered in general practice should be emphasised in all clinical subject areas. Instructions in clinical subjects should be given both in out patient and inpatient during clinical posting.

Each of the clinical departments shall provide integrated teaching calling on pre-clinical, para-clinical and other clinical departments to join in exposing the students to the full range of disciplines relevant to each clinical area of study. Problem approach will be emphasised based on basic social sciences and a continuation of clinical and laboratory syllabi to optimally understand and manage each clinical condition.

The course shall comprise of :

(1) MEDICINE AND ITS ALLIED SPECIALITIES :

(A) MEDICINE :

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Medicine is to have the knowledge, skills and behavioural attributes to function effectively as the first contact physician

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) diagnose common clinical disorders with special reference to infectious diseases, nutritional disorders, tropical and environmental diseases;

(2) outline various modes of management including drug therapeutics especially dosage, side effects, toxicity, interactions, indications and contra-indications;

(3) propose diagnostic and investigative procedures and ability to interpret them;

(4) provide first level management of acute emergencies promptly and efficiently and decide the timing and level of referral, if required;

(5) recognize geriatric disorders and their management

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) develop clinical skills (history taking, clinical examination and other instruments of examination) to diagnose various common medical disorders and emergencies;

(2) refer a patient to secondary and/or tertiary level of health care after having instituted primary care;

(3) perform simple routine investigations like haemogram, stool, urine, sputum and biological fluid examinations;

(4) assist the common bedside investigative procedures like pleural tap, lumbar puncture, bone marrow aspiration/biopsy and liver biopsy.

(c) INTEGRATION :

(1) with community medicine and physical medicine and rehabilitation to have the knowledge and be able to manage important current national health programmes, also to be able to view the patient in his/her total physical, social and economic milieu;

(2) with other relevant academic inputs which provide scientific basis of clinical medicine e.g. anatomy, physiology biochemistry, microbiology, pathology and pharmacology.

(B) PAEDIATRICS

Paediatrics including Neonatology :

The course includes systematic instructions in growth and development, nuritional needs of a child, immunization schedules and management of common diseases of infancy and childhood, scope of Social Paediatrics and counselling.

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Paediatrics is to acquire adequate knowledge and appropriate skills for optimally dealing with major health problems of children to ensure their optimal growth and development.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) describe the normal growth and development during foetal life, neonatal period, childhood and adolescence and outline deviations thereof;

(2) describe the common paediatric disorders and emergencies in terms of epidemiology, etiopathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, rational therapy and rehabilitation;

(3) state age related requirements of calories, nutrients, fluids, drugs etc. in health and disease;

(4) describe preventive strategies for common infectious disorders, malnutrition, genetic and metabolic disorders, poisonings, accidents and child abuse;

(5) outline national programmes relating to child health including immunisation programmes;

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) take a detailed paediatric history, conduct an appropriate physical examination of children including neonates, make clinical diagnosis, conduct common beside investigative procedures, interpret common laboratory investigation results and plan and institute therapy;

(2) take anthropometric measurements, resuscitate newborn infants at birth, prepare oral rehydration solution, perform tuberculin test, administer vaccines available under current national programmes, perform venesection, start an intravenous saline and provide nasogastric feeding;

(3) conduct diagnostic procedures such as lumbar puncture, liver and kidney biopsy, bone marrow aspiration, pleural tap and ascitic tap;

(4) distinguish between normal newborn babies and those requiring special care and institute early care to all newborn babies including care of preterm and low birth weight babies, provide correct guidance and counselling in breast feeding;

(5) provide ambulatory care to all sick children, identify indications for specialized/inpatient care and ensure timely referral of those who require hospitalization.

(c) INTEGRATION :

The training in paediatrics should prepare the student to deliver preventive, promotive, curative and rehabilitative services for care of children both in the community and at hospital as part of a team in an integrated form with other disciplines, e.g. Anatomy, Physiology, Forensic Medicine, Community Medicine and Physical Medicine and Rehabilitation.

(C) PSYCHIATRY

(i) GOAL :

The aim of teaching the undergradnate student in Psychiatry is to impart such knowledge and skills that may enable him to diagnose and treat common Psychiatric disorders, handle Psychiatric emergencies and to refer complications/unusual manifestations of common disorders and rare Psychiatric disorders to the specialist.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) comprehend nature and development of different aspects of normal human behaviour like learning, memory, motivation, personality and intelligence;

(2) recognize differences between normal and abnormal behaviour;

(3) classify psychiatric disorders;

(4) recognize clinical manifestations of the following common syndromes and plan their appropriate management of organic psychosis, functional psychosis, schizo-phrenia, affective disorders, neurotic disorders, personality disorders, psycho-physiological disorders, drug and alcohol dependence, psychiatric disorders of childhood and adolescence;

(5) describe rational use of different modes of therapy in psychiatric disorders.

(b) SKILLS :

The student shall be able to :

(1) interview the patient and understand different methods of communications in patient-doctor relationship;

(2) elicit detailed psychiatric case history and conduct clinical examination for assessment of mental status;

(3) define, elicit and interpret psycho-pathological simptoms and signs;

(4) diagnose and manage common psychiatric disorders;

(5) identify and manage psychological reactions and psychiatric disorders in medical and surgical patients in clinical practice and in community setting.

(c) INTEGRATION :

Training in Psychiatry shall prepare the students to deliver preventive, promotive, curative and rehabilitative services for the care of patients both in the family and community and to refer advance cases to a specialised Psychiatry/Mental Hospital. Training should be integrated with the departments of Medicine, Neuro-Anatomy, Behavioural Sciences and Forensic medicine.

(D) DERMATOLOGY AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES

(i) GOAL :

The aim of teaching the undergraduate student in Dermatology, Sexually Transmitted Diseases (STD) and Leprology is to impart such knowledge and skills that may enable him to diagnose and treat common ailments and to refer rare diseases or complications/unusual manifestations of common diseases, to the specialist.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course of Dermatology, Sexually Transmitted Diseases and Leprology, the student shall be able to :

(1) demonstrate sound knowledge of common diseases, their clinical manifestations, including emergent situations and of investigative procedures to confirm their diagnosis;

(2) demonstrate comprehensive knowledge of various modes of topical therapy;

(3) describe the mode of action of commonly used drugs, their doses, side-effects/toxicity, indications and contra-indications and interactions;

(4) describe commonly used modes of management including the medical and surgical procedures available for the treatment of various diseases and to offer a comprehensive plan of management for a given disorder.

(b) SKILLS :

The student shall be able to :

(1) interview the patient, elicit relevant and correct information and describe the history in a chronological order;

(2) conduct clinical examination, elicit and interpret physical findings and diagnose common disorders and emergencies;

(3) perform simple, routine investigative and laboratory procedures required for making the bed-side diagnosis, especially the examination of scrapings for fungus, preparation of slit smears and staining for AFB for leprosy patients and for STD cases;

(4) take a skin biopsy for diagnostic purposes;

(5) manage common diseases recognizing the need for referral for specialized care, in case of inappropriateness of therapeutic response.

(E) TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES :

(i) GOAL :

The aim of teaching the undergraduate student in Tuberculosis and chest Diseases is to impart such knowledge and skills that may enable him/her to diagnose and manage common ailments affecting the chest with the special emphasis on management and prevention of Tuberculosis and especially National Tuberculosis Control Programme.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course of Tuberculosis and Chest-diseases, the student shall be able to :

(1) demonstrate sound knowledge of common chest diseases, their clinical manifestations, including emergent situations and of investigative procedures to confirm their diagnosis;

(2) demonstrate comprehensive knowledge of various modes of therapy used in treatment of respiratory diseases;

(3) describe the mode of action of commonly used drugs, their doses, side-effects/toxicity, indications and contra-indications and interactions;

(4) describe commonly used modes of management including medical and surgical procedures available for treatment of various diseases and to offer a comprehensive plan of management inclusive of National Tuberculosis Control Programme.

(b) SKILLS :

The student shall be able to :

(1) interview the patient, elicit relevant and correct information and describe the history in chronological order;

(2) conduct clinical examination, elicit and interpret clinical findings and diagnose common respiratory disorders and emergencies;

(3) perform simple, routine investigative and office procedures required for making the bed side diagnosis, especially sputum collection and examination for etiologic organisms especially Acid Fast Bacilli (AFB), interpretation of the chest x-rays and respiratory function tests;

(4) interpret and manage various blood gases and PH abnormalities in various respiratory diseases;

(5) manage common diseases recognising need for referral for specialised care, in case of inappropriateness of therapeutic response;

(6) assist in the performance of common procedures, like laryngoscopic examination, pleural aspiration respiratory physiotherapy, laryngeal intubation and pneumo-thoracic drainage/aspiration.

(c) INTEGRATION :

The broad goal of effective teaching can be obtained through integration with departments of Medicine, Surgery, Microbiology, Pathology, Pharmacology and Preventive and Social Medicine.

(2) SURGERY AND ITS ALLIED SPECIALITIES

(A) SURGERY—including Paediatric Surgery :

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Surgery is to produce graduates capable of delivering efficient first contact surgical care.

(ii) OBJECTIVES :

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) describe etiology, pathophysiology, principles of diagnosis and management of common surgical problems including emergencies, in adults and children;

(2) define indications and methods for fluid and electrolyte replacement therapy including blood transfusion;

(3) define asepsis, disinfection and sterilization and recommend judicious use of antibiotics;

(4) describe common malignancies in the country and their management including prevention;

(5) enumerate different types of anaesthetic agents, their indications, mode of administration, contraindications and side effects.

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student should be able to :

(1) diagnose common surgical conditions both acute and chronic, in adult and children;

(2) plan various laboratory tests for surgical conditions and interpret the results;

(3) identify and manage patients of haemorrhagic, septicaemic and other types of shock;

(4) be able to maintain patent air-way and resuscitate :

(i) a critically injured patient;

(ii) patient with cardio-respiratory failure;

(iii) a drowning case;

(5) monitor patients of head, chest, spinal and abdominal injuries, both in adults and children;

(6) provide primary care for a patient of burns;

(7) acquire principles of operative surgery, including pre-operative, operative and post operative care and monitoring;

(8) treat open wounds including preventive measures against tetanus and gas gangrene;

(9) diagnose neonatal and paediatric surgical emergencies and provide sound primary care before referring the patient to secondary/tertiary centres;

(10) identify congenital anomalies and refer them for appropriate management.

In addition to the skills referred above in items (1) to (10), he shall have observed/assisted/performed the following :

(a) Incision and drainage of abscess;

(b) Debridement and suturing open wound;

(c) Venessection;

(d) Excision of simple cyst and tumours;

(e) Biopsy of surface malignancy;

(f) Catheterisation and nasogastric intubation;

(g) Circumcision;

(h) Meatotomy;

(i) Vasectomy;

(j) Peritoneal and pleural aspirations;

(k) Diagnostic proctoscopy ;

(l) Hydrocele operation ;

(m) Endotracheal intubation ;

(n) Tracheostomy and cricothyreid otomy ;

(o) Chest tube insertion.

(c) INTEGRATION :

The undergraduate teaching in surgery shall be integrated at various stages with different pre and para and other clinical departments.

(B) ORTHOPAEDICS :

(a) KNOWLEDGE :

The student shall be able to :

(1) explain the principles of recognition of bone injuries and dislocation ;

(2) apply suitable methods to detect and manage common infections of bones and joints ;

(3) identify congenital, skeletal anomalies and their referral for appropriate correction or rehabilitation ;

(4) recognize metabolic bone diseases as seen in this country ;

(5) explain etiogenesis, maifestations, diagnosis of neoplasm affecting bones.

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) detect sprains and deliver first aid measures for common fractures and sprains and manage uncomplicated fractures of clavicle, Colles's forearm, phallanges etc. ;

(2) use techniques of splinting, plaster, immobilization etc. ;

(3) manage common bone infections, learn indications for sequestration, amputations and corrective measures for bone deformities ;

(4) edvise aspects of rehabilitation for Polio, Cerbral Palsy and Amputation.

(c) APPLICATION :

Be able to perform certain orthopaedic skills, provide sound advice of skeletal and related conditions at primary or secondary health care level.

(d) INTEGRATION :

Integration with anatomy, surgery, pathology, radiology and Forensic Medicine be done.

(C) RADIO-DIAGNOSIS AND RADIOTHERAPY

(A) RADIODIAGNOSIS & IMAGING :

(i) GOAL :

The broad goal of teaching the undergreduate medical students in the field of Radio-diagnosis should be aimed at making the students realise the basic need of various radiodiagnostic tools in medical practice. They shall be aware of the techniques required to be undertaken in different situations for the diagnosis of various ailments as well as during prognostic estimations.

(ii) OBJECTIVES

(a) KNOWLEDGE :

The student shall be able to :

(1) understand basics of x-ray production, its uses and hazards ;

(2) appreciate and diagnose changes in bones—like fractures, infections, tumours and metabolic bone diseases ;

(3) identify and diagnose various radiological changes in disease conditions of chest and mediastinum, skeletal system, Gastro Intestinal Tract, Hepatobiliary system and Genito Urinary (G.U.) system ;

(4) learn about various imaging techniques, including isotopes Computerised Tomography (C.T.), Ultrasound, Magnetic Resonance Imaging (M.R.I.) and D.S.A.

(b) SKILLS

At the end of the course the student shall be able to :

(1) use basic protective techniques during various imaging procedures ;

(2) interpret common x-ray, radio-diagnostic techniques in various community situations ;

(3) advise appropriate diagnostic procedures in specialized circumstances to appropriate specialists.

(B) RADIOTHERAPY

(i) GOAL :

The broad goal of teaching the undergraduate medical students in the field of Radiotherapy is to make the students understand the magnitude of the ever-increasing cancer problem in the country. The students must be made aware about steps required for the prevention and possible cure of this dreaded condition.

(ii) OBJECTIVES

(a) KNOWLEDGE :

The student shall be able to :

(1) identify symptoms and signs of various cancers and their steps of investigations and management ;

(2) explain the effect of radiation therapy on human beings and the basic principles involved in it ;

(3) know about radio-active isotopes and their physical properties ;

(4) be aware of the advances made in radiotherapy in cancer management and knowledge of various radio therapeutic equipment while treating a patient.

(b) SKILL :

At the completion of the training programme, the student shall be able to :

(1) take a detailed clinical history of the case suspected of having a malignant disease ;

(2) assist various specialists in administration of anticancer drugs and in application and use of various radiotherapeutic equipment, while treating a patient.

(3) OTO-RHINO-LARYNGOLOGY :

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Otorhinolaryngology is that the undergraduate students have acquired adequate knowledge and skills for optimally dealing with common disorders and emergencies and principles of rehabilitation of the impaired hearing.

(ii) OBJECTIVES

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) describe the basic pathophysiology of common Ear, Nose and Throat (ENT) diseases and emergencies ;

(2) adopt the rational use of commonly used drugs, keeping in mind their adverse reactions ;

(3) suggest common investigative procedures and their interpretation.

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) examine and diagnose common Ear, Nose and Throat (ENT) problems including the premalignant and malignant disorders of the head and neck ;

(2) manage Ear, Nose and Throat (ENT) problems at the first level of care and be able to refer whenever necessary ;

(3) assist/carry out minor surgical procedures like ear syringing, ear dressings, nasal packing etc;

(4) assist in certain procedures such as tracheostomy, endoscopies and removal of foreign bodies.

(c) INTEGRATION :

The undergraduate training in Ear, Nose and Throat (ENT) will provide an integrated approach towards other disciplines especially Neuro sciences opthalmology and general surgery.

(4) OPHTHALMOLOGY

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of students in opthalmology is to provide such knowledge and skills to the student that shall enable him/her to practice as a clinical and as a primary eye care physician and also to function effectively as a community health leader to assist in the implementation of National Programme for the prevention of blindness and rehabilitation of the visually impaired.

(ii) OBJECTIVES

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall have knowledge of :

(1) common problems affecting the eye ;

(2) principles of management of major ophthalmic emergencies ;

(3) main systemic diseases affecting the eye ;

(4) effects of local and systemic diseases on patient's vision and the necessary action required to minimise the sequalae of such diseases ;

(5) adverse drug reactions with special reference to opthalmic manifestations ;

(6) magnitude of blindness in India and its main causes;

(7) national programme for control of blindness and its implementation at various levels ;

(8) eye care education for prevention of eye problems ;

(9) role of primary health centre in organization of eye camps ;

(10) organization of primary health care and the functioning of the ophthalmic assistant ;

(11) integration of the national programme for control of blindness with the other national health programmes ;

(12) eye bank organization ;

b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) elicit a history pertinent to general health and ocular status ;

(2) assist in diagnostic procedures such as visual acuity testing, examination of eye, Schiotz tonometry, Staining for Corneal pathology, confrontation perimetry, Subjective refraction including correction of presbyopia and aphaki direct ophthalmoscopy and conjunctival smear examination and Cover test ;

(3) diagnose and treat common problems affecting the eye ;

(4) interpret ophthalmic signs in relation to common systemic disorders ;

(5) assist/observe therapeutic procedures such as subconjunctival injection, corneal conjunctival foreign body removal, carbolic cautery for corneal ulcers, Nasolacrimal duct syringing and tarsorraphy ;

(6) provide first aid in major ophthalmic emergencies ;

(7) assist to organise community surveys for visual check up ;

(8) assist to organise primary eye care service through primary health centres ;

(9) use effective means of communication with the public and individual to motivate for surgery in cataract and for eye donation ;

(10) establish rapport with his seniors, colleagues and paramedical workers, so as to effectively function as a member of the eye care team ;

(c) INTEGRATION :

The undergraduate training in Ophthalmology will provide an integrated approach towards other disciplines especially Neuro sciences, Otorhino-laryngology, General Surgery and Medicine.

(5) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY :

Obstetrics and Gynaecology to include family welfare and family planning.

(i) GOAL :

The broad goal of the teaching of undergraduate students in Obstetrics and Gynaecology is that he/she shall acquire understanding of anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive system and gain the ability to optimally manage common conditions affecting it.

(ii) OBJECTIVES

(a) KNOWLEDGE :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) outline the anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive system and the common conditions affecting it ;

(2) detect normal pregnancy, labour, puerperium and manage the problems he/she is likely to encounter therein ;

(3) list the leading causes of maternal and perinatal morbidity and mortality ;

(4) understand the principles of contraception and various techniques employed, methods of medical termination of pregnancy, sterilisation and their complications ;

(5) identify the use, abuse and side effects of drugs in pregnancy, pre-menopausal and post-menopausal periods ;

(6) describe the national programme of maternal and child health and family welfare and their implementation at various levels ;

(7) identify common gynaecological diseases and describe principles of their managment ;

(8) state the indications, techniques and complications of surgeries like Caesarian section, laprotomy, abdominal and vaginal hysterectomy Fothergill's operation and vacuum aspiration for Medical Termination of Pregnancy (MTP),

(b) SKILLS :

At the end of the course, the student shall be able to :

(1) examine a pregnant women ; recognise high risk pregnancies and make appropriate referrals ;

(2) conduct a normal delivery, recognise complications and provide postnatal care ;

(3) resuscitate the newborn and recognise congenital anomalies ;

(4) advise a couple on the use of various available contraceptive devices and assist in insertion and removal of infra-uterine contraceptive devices.

(5) perform pelvic examination, diagnose and manage common gynaecological problems including early detection of genital malignancies ;

(6) Make a vaginal cytological smear, perform a post coital test and wet vaginal smear examination for *Trichomonas vaginalis, moniliasis* and gram stain for gonorrhoea ;

(7) interpretation of data of investigations like biochemical, histopathological radiological, ultrasound etc.

(c) INTEGRATION :

The student shall be able to integrate clinical skills with other disciplines and bring about coordination of family welfare programmes for the national goal of population control.

(d) GENERAL GUIDELINES FOR TRAINING :

(1) attendance of a maternity hospital or the maternity wards of a general hospital including (i) antenatal care (ii) the management of the puerperium and (iii) a minimum period of 5 months in-patient and out-patient training including family welfare planning ;

(2) of this period of clinical instruction, not less than one month shall be spent as a resident pupil in a maternity ward of a general hospital ;

(3) during this period, the student shall conduct at least 10 cases of labour under adequate supervision and assist in 10 other cases ;

(4) a certificate showing the number of cases of labour attended by the student in the maternity hospital and/or patient homes respectively, shall be signed by a responsible medical officer on the staff of the hospital and shall state ;

(a) that the student has been present during the course of labour and personally conducted each case, making the necessary abdominal and other examinations under the supervision of the certifying officer who shall describe his official position.

(b) that satisfactory written histories of the cases conducted including wherever possible antenatal and postnatal observations, were presented by the student and initialled by the supervising officer.

5. FAMILY WELFARE PLANNING :

Training in Family Welfare Planning shall be emphasized in all the three phases and during internship as per guidelines provided in Appendix A.

(6) COMMUNITY MEDICINE

The teaching and training of community medicine will continue during the first two semesters of phase III (clinical phase). The goals, objectives and skills to be acquired by the student has already been outlined in Phase II (Para—Clinical Phase).

CHAPTER—IV

12. EXAMINATION REGULATIONS

Essentialities for qualifying to appear in professional examinations.

The performance in essential components of training are to be assessed, based on :

(1) ATTENDANCE :

75% of attendance in a subject for appearing in the examination is compulsory provided he/she has 80% attendance in non lecture teaching, i.e. seminars, group discussions, tutorials, demonstrations, practicals, Hospital (Tertiary, Secondary, Primary) postings and bed side clinics, etc.

(2) INTERNAL ASSESSMENT :

(i) it shall be based on day to-day assessment (see note), evaluation of student assignment, preparation for seminar, clinical case presentation etc. ;

(ii) regular periodical examinations shall be conducted throughout the course. The question of number of examinations is left to the institution ;

(iii) day to day records should be given importance during internal assessment ;

(iv) weightage for the internal assessment shall be 20% of the total marks in each subject ;

(v) student must secure at least 50% marks of the total marks fixed for internal assessment in a particular subject in order to be eligible to appear in final university examination of that subject.

NOTE :

Internal assessment shall relate to different ways in which students participation in learning process during semesters is evaluated. Some examples are as follows ;

(i) Preparation of subject for students seminar.

(ii) Preparation of a clinical case for discussion.

(iii) Clinical case study/problem solving exercise.

(iv) Participation in Project for health care in the community (planning stage to evaluation).

(v) Proficiency in carrying out a practical or a skill in small research project.

(vi) Multiple choice questions (MCQ) test after completion of a system/teaching.

Each item tested shall be objectively assessed and recorded. Some of the items can be assigned as 'Home work/ Vacation work.

(3) UNIVERSITY EXAMINATIONS :

Theory papers will be prepared by the examiners as prescribed. Nature of questions will be short answer type/ objective type and marks for each part indicated separately.

Practicals/clinicals will be conducted in the laboratories or hospital wards. Objective will be to assess proficiency in skills, conduct of experiment, interpretation of data and logical conclusion. Clinical cases should preferably include common diseases not esoteric syndromes or rare disorders. Emphasis should be on candidate capability in eliciting physical signs and their interpretation.

Viva/oral includes evaluation of management approach and handling of emergencies. Candidate's skill in interpretation of common investigative data, x-rays, identification of specimens, ECG, etc. also is to be evaluated.

The examinations are to be designed with a view to ascertain whether the candidate has acquired the necessary knowledge, minimum skills alongwith clear concepts of the fundamentals which are necessary for him to carry out his professional day to day work competently. Evaluation will be carried out on an objective basis.

Question papers should preferably be of short structure/objective type.

Clinical cases/practicals shall take into account common diseases which the student is likely to come in contact in practice. Rare cases/obscure syndromes, long cases of neurology shall not be put for final examination.

During evaluation (both Internal and External) it shall be ascertained if the candidate has acquired the skills as detailed in Appendix-B.

There shall be one main examination in a year and a supplementary to be held not later than 6 months after the publication of its results. University Examinations shall be held as under :—

First Professional—In the second Semester of Phase I training, in the subjects of Anatomy Physiology and Bio-Chemistry.

Second Professional—In the Fifth Semester of Phase II training in the subjects of Pathology, Microbiology, Pharmacology and Frorensic Medicine.

Third Professional—Part I—In the Seventh Semester of Phase III, in the subjects of Ophthalmology, Oto-rhyno-laryngology and Community Medicine.

Third Professional—Part II—(Final Professional)—At the end of Phase III training in the subjects of Medicine, Surgery, Obstetrics & Gynaecology and Paediatrics.

NOTE :

Results of all university examinations shall be declared before the start of teaching for next semester.

(4) DISTRIBUTION OF MARKS TO VARIOUS DISCIPLINES :

(A) First Professional examination : (Pre-clinical- Subjects) :—

(a) Anatomy :

Theory—Two papers of 50 marks each

(One applied question of 10 marks in each paper) 100 marks

Oral (Viva)	20 Marks
Practical	40 marks
Internal Assessment (Theory-20 ; Practical-20)	40 marks
Total	200 marks

(b) Physiology including Biophysics

Theory—Two papers of 50 marks each

(One applied question of 10 marks in each paper) 100 marks

Oral (Viva)	20 marks
Practical	40 marks
Internal Assessment (Theory-20 ; Practical-20)	40 marks
Total	200 marks

(c) Biochemistry :

Theory-Two papers of 50 marks each

(One applied question of 10 marks in each paper) 100 marks

Oral (Viva)	20 marks
Practical	40 marks
Internal Assessment (Theory-20 ; Practical-20)	40 marks
Total	200 marks

Pass : In each of the subjects, a candidate must obtain 50% in aggregate with a minimum of 50% in Theory including orals and minimum of 50% in Practicals.

(B) SECOND PROFESSIONAL EXAMINATION :

(Para-clinical subjects) :

(a) Pathology :

Theory—Two papers of 40 marks each

(One applied question of 10 marks in each paper)	80 marks
Oral (Viva)	15 marks
Practical	25 marks
Internal assessment (Theory—15 ; Practical—15)	30 marks
Total	150 marks

(b) Microbiology :

Theory—Two papers of 40 marks each

(One applied question of 10 marks in each paper)	80 marks
Oral (Viva)	15 marks
Practical	25 marks
Internal assessment (Theory—15 ; Practical—15)	30 marks
Total	150 marks

(c) Pharmacology :

Theory—Two papers of 40 marks each containing one question on clinical therapeutics	80 marks
Oral (Viva)	15 marks
Practical	25 marks
Internal assessment (Theory—15 ; Practical—15)	30 marks
Total	150 marks

(d) Forensic Medicine :

Theory —one paper	
Oral(Viva)	10 marks
Practical/Clinicals	30 marks
Internal assessment (Theory—10 ; Practical—10)	20 marks
Total	100 marks

Pass : In each of the subjects, a candidate must obtain 50% in aggregate with a minimum of 50% in Theory including oral and minimum of 50% in Practicals/clinicals.

(C) THIRD PROFESSIONAL

(i) PART I

(Clinical subjects)

Part I : To be conducted during end period of seventh semester.

(a) Ophthalmology :

Theory —one paper

(should contain one question on pre clinical and para-clinical aspects, of 10 marks)

Oral(Viva)	10 marks
Clinical	30 marks
Internal assessment	20 marks
(Theory—10 ; Practical—10)	20 marks
Total	100 marks

Oto-Rhino-Laryngology :

Theory —one paper

(should contain one question on pre-clinical and para-clinical aspects, of 10 marks)

Oral(Viva)	10 marks
Clinical	30 marks
Internal assessment	20 marks
(Theory—10; Practical—10)	
Total	100 marks

(c) Community Medicine including Humanities ;

Theory : Two papers of 60 marks each	120 marks

(includes problem solving, pplied aspects of manngement at primary level including essential drugs, occupational (agro based) diseases, rehabilitation and social aspects of community).

Oral (Viva)	10 marks
Practical/Project evaluation	30 marks
Internal assessment	40 marks
(Theory : 20 Practical : 20) Total	200 marks

Pass : In each of the subjects, a candidate must obtain 50% in aggregate with a minimum of 50% in Theory including orals and minimum of 50% in Practicals/clinicals.

PART II

Each paper shall have two sections, Question requiring easy type answers may be avoided.

(a) Medicine :

Theory—Two papers of 60 marks each Paper I—General Medicine Paper II—General Medicine (including Psychiatry Dermatology and S.T.D.) (Shall contain one question on basic sciences and allied subjects)	120 marks
Oral (viva) Interpetation of X-ray ECG, etc	20 marks
Clinical (Bed side)	100 marks
Internal assessment	60 marks
Theory 30 : Practical 30) Total	300 marks

(b) Surgery :

Theory—Two papers of 60 marks each) Paper I—General Surgery (section 1) Orthopaedics (section 2) Paper II—General Surgery including Anaesthesiology, Dental diseases and Radiology. (Shall contain one question on basic sciences and allied subjects)	120 marks
Oral (Viva) Interpretation of Investigative data	20 marks
Clinical (Bed side) Internal assessment	100 marks
(Theory 30 ; Practical 30)	60 marks
Total	300 marks

Paper I of Surgery shall have one section in Orthopaedics. The questions on Orthopaedic Surgery be set and assessed by examiners who are teachers in the Orthopaedic surgery.

(c) Obstetrics and Gynaecology :

Theory—Two papers of 40 marks each Paper I—Obstetrics including social obstetrics. Paper II—Gynaecology, Family Welfare and Demography Shall contain one question on basic sciences and allied subjects)	80 marks
Oral (Viva) including record of delivery cases (20+10)	30 marks
Clinical	30 marks
Internal assessment	40 marks
(Theory 20, Practical 20)	40 marks
Total	200 marks

(d) Paediatrics : (including Neonatology) :

(Shall contain one question on basic sciences and allied subjects)

Oral (Viva)	10 marks
Clinical	30 marks
Internal assessmen	20 marks
(Theory 10, Practical 10)	20 marks
Total	100 marks

Pass : In each of the subjects a candidate must obtain 50% in aggregate with a minimum of 50% in Theory including orals and minimum of 50% in Practicals/clinicals.

13. APPOINTMENT OF EXAMINERS :

(1) No person shall be appointed as an examiner in any of the subjects of the Professional examination leading to and including the final Professional examinations for the award of the MBBS degree unless he has taken atleast five years previously, a doctorate degree of a recognised university or an equivalent qualification in the particular subject as per recommendation of the Council on teachers' eligibility qualifications and has had at least five years of total teaching experience in the subject concerned in a college affiliated to a recognized university at a faculty position.

(2) There shall be at least four examiners for 100 students, out of whom not less than 50% must be external examiners. Of the four examiners, the senior most internal examiner will act as the Chairman and co-ordinator of the whole examination programme so that uniformity in the metter of assessment of candidates is maintained where candidates appearing are more than 100, one additional examiner, for every additional 50 or part thereof candidates appearing, be appointed.

(3) Non medical scientist engaged in the teaching of medical students as whole time teachers, may be appointed examiners in their concerned subjects provided they possess requisite doctorate qualifications and five year teaching experience of medical students after obtaining their post-graduate qualifications. Provided further that the 50% of the examiners (internal & external) are from the medical qualification stream.

(4) External examiners shall not be from the same university and preferably be from outside the state.

(5) The internal examiner in a subject shall not accept external examinership for a college from which external examiner is appointed in his subject.

(6) A University having more than one college shall have separate sets of examiners for each college, with internal examiners from the concerned college.

(7) External examiners shall rotate at an interval of 2 years.

(8) There shall be a Chairman of the Board of paper-setters who shall be an internal examiner and shall moderate the questions.

(9) Except Head of the department of subject concerned in a college/institution, all others with the rank of reader or equivalent and above with requisite qualifications and experience shall be appointed internal examiners by rotation in their subjects; provided that where there are no posts of readers, then an Assistant Professor of 5 years standing as Assistant Professor may be considered for appointment as examiner.

CHAPTER-V

14 INTERNSHIP

(1) GENERAL

Internship is a phase of training wherein a graduate is expected to conduct actual practice of medical and health care and acquire skills under supervision so that he/she may become capable of functioning independently.

(2) SPECIFIC OBJECTIVES

At the end of the internship training, the student shall be able to :

(i) diagnose clinically common disease conditions encountered in practice and make timely decision for referral to higher level ;

ii) use discreetly the essential drugs, infusions, blood or its substitutes and laboratory services ;

(iii) manage all type of emergencies—medical, surgical obstetric, neonatal and paediatric, by rendering first level care ;

(iv) demostrate skills in monitoring of the National Health Programmes and schemes, oriented to provide preventive and promotive health care services to the community;

(v) develop leadership qualities to function effectively as a leader of the health team organised to deliver the health and family welfare service in existing socio-economic, political and cultural environment;

(vi) render services to chronically sick and disabled (both physical and mental) and to communicate effectively with patient and the community.

(3) Time allocation to each discipline is approximate and shall be guided more specifically by the actual experience obtained. Thus a student serving in a district or taluk hospital emergency room, may well accumulate skills in surgery, orthopaedics, medicine, Obstetrics and Gynaecology and Paediatrics during even a single night on duty. Responsible authorities from the medical college shall adjust the intern experience to maximize intern's opportunities to practice skills in patient care in rough approximation of the time allocation suggested.

(4) INTERNSHIP—TIME DISTRIBUTION

Compulsory

Community Medicine	3 months
Medicine	2 months
Surgery including Orthopaedics	2 months
Obst./Gynae. including Family Welfare Planning	2 months
Paediatric	15 days
Ophthalmology	15 days
Otorhinolaryngology	15 days
Casualty	15 days
Elective Postings	One month

Elective subjects:

Elective posting will include Two of the following for 15 days in each subject.

(i) Dermatology and Sexually Transmitted Diseases,

(ii) Psychiatry,

(iii) Tuberculosis and Respiratory Diseases,

(iv) Anaesthesia,

(v) Radio-diagnosis,

(vi) Physical Medicine and Rehabilitation,

(vii) Forensic Medicine and Toxicology,

(viii) Blood Bank and Transfusion Department.

(5) OTHER DETAILS:

(i) All parts of the internship shall be done as far as possible in institutions of India. In case of any difficulties, the matter may be referred to the Medical Council of India to be considered on individual merit.

(ii) Every candidate will be required after passing the final MBBS examination to undergo compulsory rotational internship to the satisfaction of the College authorities and University concerned for a period of 12 months so as to be eligible for the award of the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of surgery (MBBS) and full registration.

(iii) The University shall issue a provisional MBBS pass certificate on passing the final examination.

(iv) The State Medical Council will grant provisional registration to the candidate on production of the provisional MBBS pass certificate. The provisional registration will be for a period of one year. In the event of shortage or unsatisfactory work, the period of provisional registration and the compulsory rotating internship may be suitably extended by the appropriate authorities.

(v) The intern shall be entrusted with clinical responsibilities under direct supervision of senior medical officer. They shall not be working independently.

(vi) Interns will not issue a medical certificate or a death certificate or a medicolegal document under their signature.

(vii) In recognition of the importance of hands-on experience, full responsibility for patient care and skill acquisition, internship should be increasingly scheduled to utilize clinical facilities available in District Hospital, Taluka Hospital, Community Health Centre and Primary Health Centre, in addition to Teaching Hospital. A critical element of internship will be the acquisition of specific experiences and skill as listed in major:

Provided that where an intern is posted to District/Sub Divisional Hospital for training, there shall be a committee consisting of representatives of the college/university, the State Government and the District administration, who shall regulate the training of such trainee;

Provided further that for such trainee a certificate of satisfactory completion of training shall be obtained from the relevant administrative authorities which shall be countersigned by the Principal/Dean of college.

(viii) Adjustment to enable a candidate to obtain training in elective clinical subjects may be made.

(ix) Each medical college shall establish links with one entire district extending out-reach activities. Similarly, Reorientation of Medical Education (ROME) scheme may be suitably modified to assure teaching activities at each level of District health system which will be coordinated by Dean of the medical college.

(x) Out of one year, 6 months shall be devoted to learning tertiary care being rendered in teaching hospital/district hospital suitably staffed with well qualified staff, 3 months of secondary care in a small District or Taluka Hospital/Community Health Centre and 3 months in Primayr Health care out of which 2 months should be in Primary Health Centre with full attention to the implementation of National Health Programme at the Community level. One month of primary care training may be in the form of preceptorship with a practicing family physician or voluntary agency or other primary health care provider.

(xi) One year's approved service in the Armed Forces Medical Services, after passing the final MBBS examination shall be considered as equivalent to the pre-registration training detailed above; such training shall, as far as possible, be at he Base/General Hospital.

(6) ASSESSMENT OF INTERNSHIP:

(i) The Intern shall maintain a record of work which is to be verified and certified by the medical officer under whom he works. Apart from scrutiny of the record of work assessment and evaluation of training shall be undertaken by an objective approach using situation tests in knowledge, skills and attitude during and at the end of training. Based on the record of work and date of evaluation, the Dean/Principal shall issue certificate of satisfactory completion of training, following which the University shall award the MBBS degree or declare him eligible for it.

(ii) Satisfactory completion shall be determined on the basis of the following:—

(1) Proficiency of knowledge required for each case

SCORE 0-5

(2) The competency in skills expected to manage each case:

(a) Competency for performance of self performance

(b) of having assisted in procedures.

(c) of having observed.

SCORE 0-5

(3) Responsibility, punctuality, work up of case, involvement in treatment, follow-up reports.

Score 0-5

(4) Capacity to work in a team (Behaviour with colleagues, nursing staff and relationship with paramedicals).

Score 0-5

(5) Initiative, participation in discussions, research aptitude. Score 0-5

Poor/Fair/Below average/average/above average/excellent

0 1 2 3 4 5

A Score of less than 3 in any of above items will represent unsatisfactory completion of internship.

(7) Full registration shall only be given by the State Medical Council/Medical Council of India on the award of the MBBS degree by the university or its declaration that the candidate is eligible for it.

(8) Some guidelines in the implementation of the training programme are given below.

(9) INTERNSHIP—DISCIPLINE RELATED :

(i) COMMUNITY MEDICINE

Interns shall acquire skills to deal effectively with an individual and the community in the context of primary health care. This is to be achieved by hands on experience in the district hospital and primary health centre. The details of training are as under :—

(1) Community Health Centre/District Hospital/Attachment to General Practitioner :

(1) During this period of internship an intern must acquire

(a) clinical competence for diagnosis of common ailments, use of bed side investigation and primary care techniques ;

(b) gain information on 'Essential drugs' and their usage ;

(c) recognise medical emergencies, resuscitate and institute initial treatment and refer to suitable institution ;

(2) Undergo specific Government of India/Ministry of Health and Family Welfare approved training using Government of India prescribed training manual for Medical Officers in all National Health Programmes (e.g. child survival and safe motherhood—UIP, CDD, ARI, FP, ANC, safe delivery, Tuberculosis, Leprosy and others as recommended by Ministry of Health and Family Welfare :—

(a) gain full expertise in immunization against infectious disease ;

(b) participate in programmes in prevention and control of locally prevalent endemic diseases including nutritional disorders ;

(c) learn skills first hand in family welfare planning procedures ;

(d) learn the management of National Health Programmes.

(3) Be capable of conducting a survey and employ its findings as a measure towards arriving at a community diagnosis.

(4) (a) conduct programmes on health education.

(b) gain capabilities to use Audiovisual aids.

(c) acquire capability of utilization of scientific information for promotion of community health.

(5) Be capable of establishing linkages with other agencies as water supply, food distribution and other environmental/social agencies.

(6) Acquire quality of being professional with dedication resourcefulness and leadership.

(7) Acquire managerial skills, delegation of duties to paramedical staff and other health professionals.

(II) TALUQA HOSPITAL

Besides clinical skill, in evaluation of patient in the environment and initiation of primary care, an Intern shall :—

(1) effectively participate with other members of the health team with qualities of leadership ;

(2) make a community diagnosis in specific situations such as epidemics and institute relevant control measures for communicable diseases ;

(3) develop capability for analysis of hospital based morbidity and mortality statistics.

(4) use of essential drugs in the community with the awareness of availability, cost and side effects ;

(5) provide health education to an individual/community on :

(a) tuberculosis ;

(b) small family, spacing, use of appropriate contraceptives ;

(c) applied nutrition and care of mothers and children ;

(d) immunization ;

(e) participation in school health programme.

(III) PRIMARY HEALTH CENTRE

(1) Initiate or participate in Family composite health Care (birth to death), Inventory of events ;

(2) Participate in all the modules on field practice for community health e.g. safe motherhood, nutritional surveillance and rehabilitation, diarrhoea disorders etc. ;

(3) acquire competence in diagnosis and management of common ailments e.g. malaria, tuberculosis, enteric fever, congestive heart failure, hepatitis, meningitis, acute renal failure etc. ;

(4) acquire proficiency for Family Welfare Programmes (ante natal care, normal delivery, contraception care etc.).

(ii) GENERAL MEDICINE

(I) Interns shall acquire following training during their term :

(1) acquire competence for clinical diagnosis based on history, physical examination and relevant laboratory investigation and institute appropriate line of management ;

(2) this would include diseases common in tropics (parasitic, bacterial or viral infections, nutritional disorders, including dehydration and electrolyte disturbances) and system illnesses.

(II) The intern shall have assisted as a care team in intensive care of cardiac, respiratory, hepatic, neurological and metabolic emergencies.

(III) The intern shall be able to conduct the following Laboratory investigations :

(a) Blood : (Routine haematology smear and blood groups) ;

(b) Urine : (Routine chemical and microscopic) ;

(c) Stool ; (for ova/cyst and occult blood);

(d) Sputum and throat swab for gram stain or acid fast stain and

(e) Cerebro Spinal Fluid (CSF) for smear.

(IV) Conduct following diagnostic procedures :

(a) Urethral catheterisation ;

Protoscopy ;

Opthalmoscopy/Otoscopy ;

Indirect laryngoscopy ;

(b) therapeutic procedures ;

Insertion of Ryles Tube ;

Pleural ascetic tap, Cerebro Spinal Fluid (CSF) tap, installing of air way tube, Oxygen administration etc.

(V) Biopsy Procedures :

Liver, Kidney, Skin, Nerve, Lymph-node and muscle biopsy, Bone marrow aspiration, Biopsy of malignant lesion on surface, Nasal nerve/skin smear for leprosy.

(VI) (a) Familiarity with usage of life saving procedures : including use of aspirator, respirator and defibrillator.

(b) Competence in interpretation of different monitoring devices such as cardiac monitor, blood gas analysis etc.

(VII) Participate as a team member in total health care of an individual including appropriate follow-up and social rehabilitation.

(VIII) Other competencies as indicated in general objectives

(iii) PAEDIATRICS :

The details of the skills that an intern shall acquire during his/her tenure in the department of Paediatrics are as follows :

The intern shall be able to :

(1) diagnose and manage common childhood disorders including neonatal disorders and acute emergencies (enquiry from parents of sick children), examining a sick child and making a record of information ;

(2) carry out activities related to patient care such as laboratory work, investigative procedures and use of special equipments. The details are given as under :—

(a) diagnostic techniques : (including from femoral vein and umbilical cord), abscess, cerebrospinal fluid, urine, pleura and peritoneum and common tissue biopsy techniques ;

(b) techniques related to patient care : immunization, perfusion techniques feeding procedures tuberculin testing & breast feeding counselling ;

(c) use of equipment : vital monitoring, temperature monitoring, resuscitation at birth and care of children receiving intensive care ;

(3) screening of newborn babies and those with objective risk factors for any anomalies and steps for prevention in future ;

(4) plan in collaboration with parents and individual, collective surveillance of growth and development of new born babies, infants and children so that he/she is able to :

(a) recognise growth abnormalities ;

(b) recognise anomalies of psychomotor development ;

(c) detect congenital abnormalities ;

(5) assess nutritional and dietary status of infants and children and organise prevention, detection and follow up of deficiency disorders both at individual and community level such as :

(a) protein-energy malnutrition ;

(b) deficiencies of vitamins especially A,B C and D ;

(c) Iron deficiency ;

(6) institute early management of common childhood disorders with special reference to paediatric dosage and oral rehydration therapy.

(7) participate actively in public health programme oriented towards children in the community.

(iv) GENERAL SURGERY

An intern is expected to acquire following skills during his/her posting :

(A) Diagnose with reasonable accuracy all surgical illnesses including emergencies.

(B) (a) resuscitate a critically injured patient and a severe burns patient ;

(b) control surface bleeding and manage open wound ;

(C) (a) monitor patients of head, spine, chest, abdominal and pelvic injury ;

(b) institute first-line management of acute abdomen ;

(D) (a) perform venesection ;

(b) perform tracheostomy and endotracheal intubation ;

(c) catheterise patients with acute retention or perform trocar cystostomy,

(d) drain superficial abscesses,

(e) suturing of wound,

(f) perform circumcision,

(g) biopsy of surface tumours.

(h) perform vasectomy.

(v) CASUALTY :

The intern after training in Casualty must be able to :

(1) identify acute emergencies in various disciplines of medical practice ;

(2) manage acute anaphylactic shock ;

(3) manage peripheral-vascular failure and shock ;

(4) manage acute pulmonary oedema and Left Ventricular failure (L.V.F.) ;

(5) undertake emergency management of drowning poisonings and seizures ;

(6) undertake emergency management of bronchial asthma and status asthmaticus ;

(7) undertake emergency management of hyperpyrexia ;

(8) undertake emergency management of comatose patients regarding airways positioning, prevention of aspiration and injuries ;

(9) assess and administer emergency management of burns ;

(10) assess and do emergency management of various trauma victims ;

(11) identify medicolegal cases and learn filling up forms as well as complete other medicolegal formalities in cases of injury, poisoning, sexual offenses, intoxication and other unnatural conditions.

(vi) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY :

Technical skills that interns are expected to learn :

(1) diagnosis of early pregnancy and provision of antenatal care ;

(2) diagnosis of pathology of pregnancy related to

(a) abortions ;

(b) ectopic pregnancy ;

(c) tumours complicationing pregnancy ;

(d) acute abdomen in early pregnancy ;

(e) hyperemesis gravidarum ;

(3) detection of high risk pregnancy cases and suitable advise e.g. PIH, hydramanios, antepurtum haemorrhage, multiple pregnancies, abnormal presentations and intra-uterine growth retardation ;

(4) antenatal pelvic assessment and detection of cephalopelvic disproportion ;

(5) induction of labour and amniotomy under supervision ;

(6) management of normal labour, detection of abnormalities, postpartum hemorrhage and repair of perennial tears ;

(7) assist in forceps delivery ;

(8) assist in caesarean section and postoperative care thereof ;

(9) detection and management of abnormalities of lactation ;

(10) perform non-stress test during pregnancy ;

(11) per speculum, per vaginum and per rectal examination for detection of common congenital, inflammatory, neoplastic and traumatic conditions of vulva, vagina, uterus and ovaries ;

(12) medicolegal examination in Gynaecology and Obstetrics ;

(13) to perform the following procedures :—

(a) dilatation and curettage and fractional curettage ;

(b) endometrial biopsy ;

(c) endometrial aspiration ;

(d) pap smear collection ;

(e) Intra Uterine Contraceptive Device (IUCD) insertion ;

(f) minilap ligation ;

(g) urethral catheterisation ;

(h) suture removal in postoperative cases ;

(i) Cervical punch biopsy ;

(14) to assist in major abdominal and vaginal surgery cases in Obstetrics and Gynaecology.

(15) to assist in follow up postoperative cases of obstetrics and gynaecology such as :

(a) Colposcopy ;

(b) Second trimester Medical Termination of Pregnancy (MTP) procedures e.g. Emcredyl Prostaglandin instillations ;

(16) To evaluate and prescribe oral contraceptive.

(vii) OTO RHINO LARYNGOLOGY (E.N.T.)

(1) Interns shall acquire abiiify for a comprehensive diagnosis of common Ear, Nose and Throat (ENT) diseases including the emergencies and malignant neoplasma of the head and neck ;

(2) he/she shall acquire skills in the use of head mirror, otoscope and indirect laryngoscopy and first line of management of common Ear, Nose and Throat (ENT) problems ;

3. he/she shall be able to carry out minor surgical procedures such as :

(a) earsyringing, antrum puncture and packing of the nose for epistaxis,

(b) nasal douching and packing of the external canal,

(c) remove the foreign bodies from the nose and ear,

(d) observed or assisted in various endoscopic procedures and trachestomy ;

(4) an intern shall have participated as a team member in the community diagnosis e.g. Chronic Suppurative Otitis Media (CSOM) and be aware of national programme on prevention of deafness,

(5) he/she shall possess knowledge of various ENT rehabilitative programmes.

(viii) OPHTHALMOLOGY

An intern shall acquire following skills : —

(1) he/she shall be able to diagnose and manage common ophthalmological conditions such as : —

Trauma, Acute conjunctivitis, allergic conjunctivitis, xerosis, entropion, corneal ulcer, iridocyclitis, myopia, hypermetropia, cataract, glaucoma, ocular injury and sudden loss of vision ;

(2) he shall be able to carry out assessment of refractive errors and advise its correction ;

(3) he shall be able to diagnose ocular changes in common systemic disorders;

(4) he/she shall be able to perform investigative procedures such as :—

Tonometry, syringing, direct ophthalmoscopy, subjective refraction and fluorescein staining of cornea.

(5) he/she shall have carried out or assisted the following procedures :

(1) Subconjunctival injection;

(2) Ocular bandaging;

(3) Removal of concretions;

(4) Epilation and electroysis;

(5) Corneal foreign body removal;

(6) Cauterization of corneal ulcers;

(7) Chalazion removal;

(8) Entropion correction;

(9) Suturing conjuctival tears;

(10) Lids repair;

(11) Glaucoma surgery (assisted);

(12) Enucleation of eye in cadaver;

(6) he/she shall have full knowledge on avallable methods for rehabilitation of the blind.

(ix) ORTHOPAEDICS;

GOAL :

The aim of teaching the undergraduate student in Orthopaedics and Rehabilitation is to impart such knowledge and skills that may enable him to diagnose and treat common ailments. He shall have ability to diagnose and suspect presence of fracture, dislocation, acute osteomyelitis, acute poliomyelitis and common congential deformities such as congenital talipes equinovarus (CTEV) and dislocation of hip (CDH).

(A) THERAPEUTIC—An intern must know :

(a) Splinting (plaster slab) for the purpose of emergency splintage, definitive splintage and post operative splintage and application of Thomas splint;

(b) Manual reduction of common fractures-phalangeal, metacarpal, metatarsal and Colles's fracture;

(c) Manual reduction of common dislocations-interphalangeal, metacarpophalangeal, elbow and shoulder exdislocations;

(d) Plaster cast application for undisplaced fractures of arm, forearm, leg and ankle;

(e) Emergency care of a muliple injury patient;

(f) Precautions about transport and bed care of spinal cord injury patients.

(B) Skill that an intern should be able to perform under supervision :

(1) Advise about prognosis of poliomyelitis, cerebral palsy, CTEV and CDH;

(2) Advise about rehabilitation of amputees and muti lating traumatic and leprosy deformities of hand;

(C) An intern must have observed or preferably assisted at the following operations :

(1) drainage for acute osteomyelitis;

(2) sequestrectomy in chronic osteomyelitis;

(3) application of external fixation;

(4) internal fixation of fractures of long bones.

(x) DERMATOLOGY AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES

An inern must be able to :—

(1) conduct proper clinical examination; elicit and interpret physical findings, and diagnose common disorders and emergencies.

(2) perform simple, routine investigative procedures for making bedside diagnosis, specially the examination of scrapings for fungus, preparation of slit smears and staining for AFB for leprosy patient and for STD cases;

(3) take a skin biopsy for diagnostic purpose;

(4) manage common diseases recognizing the need for referral for speicalized care in case of inappropriateness of therapeutic response.

(xi) PSYCHIATRY :

An Intern must be able to :

(1) diagnose and manage common psychiatric disorders;

(2) identify and manage psychological reaction and psychiatric disorders in medical and surgical patients in clinical practice and community setting.

(xii) TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES :

An intern after training must be able to :—

(1) conduct proper clinical examination elicit and interpret clinical findings and diagnose common respiratory disorders and emergencies;

(2) perform simple, routine investigative procedures required for making bed side diagnosis specially sputum collection, examination for etiological organism like AFB, interpretation of chest X-rays and respiratory function tests;

(3) Interpret and manage various blood gases and pH abnormalities in various respiratory diseases;

(4) manage common diseases recognizing need for referral for specialized care in case of inappropriateness of therapeutic response;

(5) perform common procedures like laryngoscopy, pleural aspiration, respiratory physio-therapy, laryngeal intubation and pneumo-thoracic drainage aspiration.

(xiii) ANAESTHESIA :

After the internship in the department of Anaesthesiology an intern shall acquire knowledge, skill and attitude to :

(1) perform pre-anaesthetic check up and prescribe pre-anaesthetic medications;

(2) perform venepuncture and set up intravenous drip;

(3) perform laryngoscopy and endoracheal intubation;

(4) perform lumbar puncture, spinal anaesthesia and simple nerve blocks;

(5) conduct simple general anaesthetic procedures under supervision;

(6) monitor patients during anaesthesia and post-operative period;

(7) recognize and manage problems associated with emergency anaesthesia;

(8) maintain anaesthetic records;

(9) recognize and treat complication in post operative period;

(10) perform cardio-pulmonary brain resuscitation (C.P.B.R.) correctly, including recognition of cardiac arrest.

(xiv) RADIO-DIAGNOSIS :

An intern after training must be able identify and diagnose :

(1) all aspects of 'Emergency Room' Radiology like—

(a) all acute abdominal conditions;

(b) all acute traumatic condition with emphasis on head injuries;

(c) differentiation between Medical and surgical radiological emergencies;

2. Basic hazards and precautions in Radiodiagnostic practices.

(xv) PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION :

An intern is expected to acquire the following skills during his/her internship :—

(1) competence for clinical diagnosis based on detailed history and assessment of common disabiling conditions like poliomyelitis, cerebral palsy, hemiplegia, paraplegia, amputations etc.;

(2) participation as a team member in total rehabilitation including appropriate follow up of common disabling conditions.;

(3) principles and procedures of fabrication and repair of artificial limbs and appliances ;

(4) various therapeutic modalities ;

(5) use of self help devices and splints and mobility aids ;

(6) familiarity with accessibility problems and home making for the disabled ;

(7) ability to demonstrate simple exercise therapy in common conditions like prevention of deformity in polio, stump exercise in an amputee etc. ;

(xvi) FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY :

The intern is to be posted in the casualty department of the hospital while attached under Forensic Medicine Department with the following objectives :

(1) to identify medicolegal problems in a hospital and general practice ;

(2) to identify and learn medicolegal responsibilities of a medical man in various hospital situations ;

(3) to be able to diagnose and learn management of basic poisoning conditions in the community ;

(4) to learn how to handle cases of sexual assault ;

(5) to be able to prepare medico-legal reports in various medicolegal situations ;

(6) to learn various medico-legal post-mortem precedures and formalities during its performance by police.

APPENDIX 'A'

Curriculum in 'Family Welfare for the Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) Course

The curriculum may be considered under various pre and para clinical heads and the following details are worked out for each of the disciplines.

1. ANATOMY :

(1) Gross and microscopic anatomy of the male and female generative organs.

(2) The menstrual cycle.

(3) Spermatogenesis and Oogenesis.

(4) Fertilisation of the ovum.

(5) Tissue and organ changes in the mother in pregnancy.

(6) Embryology and Organanegenesis.

(7) Principles of Genetics.

(8) Applied anatomy of mechanical methods of preventing conception.

(a) in female—chemical contraceptive, pessaries, Intra-Uterine Contraceptive Device (IUCD), tubectomy etc.

(b) in male—condom, vasectomy etc.

2. PHYSIOLOGY :

(1) Physiology of reproduction.

(2) Endocrines and regulation of reproduction in the female.

(3) Endocrines and physiology of reproduction in the male.

(4) Physiology and Endocrinology of pregnancy, parturition and lactation.

(5) Nutritional needs of mother and child during pregnancy and lactation.

(6) The safe period-rhythm method of contraceptions.

(7) Principles of use of oral contraceptives.

3. PHARMACOLOGY :

(1) Mode of action and administration of :

(a) Chemical contraceptive

(b) Oral contraceptive.

(2) Contra indications for administration of contraceptives.

(3) Toxic effects of contraceptives

4. COMMUNITY MEDICINE:

(1) The need for family Welfare Planning.

(2) Organization of Family Welfare Planning service.

(3) Health Education in relating to Family Welfare Planning.

(4) Nutrition.

(5) Psychological needs of the mother, the child and the family.

(6) Demography and vital Statistics.

5. OBSTETRICS & GYNAECOLOGY :

(1) Contraceptive methods in male/female.

(a) Mechanical

A. Pessaries, Intra Uterine Contraceptive Device (IUCD), Condoms,

B. Tubectomy and Vasectomy.

(b) Chemical

(c) Oral

(d) Rhythm Method

(2) Demonstrations of use of Pessaries, IUCD Condoms and technique of tubectomy.

(3) Advice on family planning to be imparted to parents.

6. PAEDIATRICS :

(1) Problems of child health in relation to large family.

(a) Organization of pediatric services.

(b) Nutritional problems of mother and child.

(c) Childhood diseases due to overcrowding.

7. SURGERY :

Technique of Vasectomy.

I. Compulsory Internship :

Placement of a student for in-service training in a family welfare planning clinic for a period of at least one month.

II. Examinations :

It is necessary that questions on family welfare planning be introduced in the theory, practical and oral examination throughout the MBBS course.

The curriculum content has been indicated subjectwise. However, it would be more advantageous to the student for purpose of integrated learning and for understanding of the subject if family welfare planning instruction with the curriculum content indicated could be divided into two parts.

PART-I

Anatomy, Physiology, Biochemistry and Pharmacology :

There shall be close integration in the teaching of these subjects. It is suggested that during the early para-clinical years, two to three weeks may be set apart for instruction in Family Welfare Planning relating to these subjects; so that the student gets an overall understanding of the principles and practice of "Family Planning" within the limited time available for covering all the subjects of the medical course. The method suggested would save time and repetition of essential facts.

PART-II

This includes the later para clinical and clinical courses. The practical aspects of Family Welfare Planning methods should be emphasized. The programme of instruction shall be supervised by the Department of Obstetrics and Gynaecology. The department of Community Medicine, Internal Medicine, Psychiatry, Paediatrics and Surgery must be closely associated in imparting instruction relating to the problems arising for want of family welfare planning and the advantages to society and the individual which will be gained by adopting the measures suggested.

SEMINARS :

The medical colleges shall organise occasional seminars in which staff from all departments and the in-service trainees shall participate.

APPENDIX 'B'

A comprehensive list of skills recommended as desirable for Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) Graduate :

I. Clinical Evaluation :

(a) To be able to take a proper and detailed history.

(b) To perform a complete and thorough physical examination and elicit clinical signs.

(c) To be able to properly use the stethoscope, Blood pressure, Apparatus Auroscope, Thermometer, Nasal Speculum, Tongue Depressor, Weighing Scales, Vaginal Speculum etc.

(d) To be able to perform internal examination—Per Rectum (PR), Per Vaginum (PV) etc.

(e) To arrive at a proper provisional clinical diagnosis.

II. Bed side Diagnostic Tests :

(a) To do and interpret Haemoglobin (Hb), Total Count (TC), Erythrocytic Sedimentation Rate (ESR), blood smear for parasites, Urine examination/albumin/sugar/ketones/microscopic ;

(b) Stool exam for ova and cysts ;

(c) Gram staining and Ziehl-Nielsen staining for AFB ;

(d) To do skin smear for lepra bacilli ;

(e) To do and examine a wet film vaginal smear for Trichomonas ;

(f) To do a skin scraping and Potassium Hydroxide (KOH) stain for fungus infections;

(g) To perform and read Montoux Test.

III.ABILITY TO CARRY OUT PROCEDURES :

(a) To conduct CPR (Cardiopulmonary resuscitation) and First aid in newborns, children and adults.

(b) To give Subcutaneous (Sc)/Intramuscular (IM)/Intravenous (IV) injections and start Intravenous (IV) infusions.

(c) To pass a Nasogastric tube and give gastric lavage.

(d) To administer oxygen—by mask/catheter

(e) To administer enema

(f) To pass a urinary catheter—male and female

(g) To insert flatus tube

(h) To do pleural tap, Ascitic tap & lumbar puncture

(i) Insert intercostal tube to relieve tension pneumothorax

(j) To relieve cardiac tamponade

(k) To control external Haemorrhage

IV. ANAESTHETIC PROCEDURE :

(a) Administer local anaesthesia and nerve block

(b) Be able to secure airway potency, administer Oxygen by Ambu bag.

V. SURGICAL PROCEDURES :

(a) To apply splints, banages and Plaster of Paris (POP) slabs ;

(b) To do incision and drainage of abscesses ;

(c) To perform the management and suturing of superficial wounds ;

(d) To carry on minor surgical procedures, e.g. excision of small cysts and nodules, circumcision, reduction of paraphimosis, debridement of wounds etc. ;

(e) To perform vasectomy ;

(f) To manage anal fissures and give injections for piles.

VI. Mechanical Procedures

(a) To perform thorough antenatal examination and identify high risk pregnancies.

(b) To conduct a normal delivery ;

(c) To apply low forces and perform and suture episiotomies ;

(d) To insert and remove IUD's and to perform tubectomy.

VII. PAEDIATRICS :

(a) To assess new borns and recognise abnormalities and I.U. retardation;

(b) To perform Immunization ;

(c) To teach infant feeding to mothers ;

(d) To monitor growth by the use of 'road to health chart' and to recognize development retardation;

(e) To assess dehydration and prepare and administer Oral Rehydration Therapy (ORT);

(f) To recognise ARI clinically;

VIII. ENT PROCEDURES :

(a) To be able to remove foreign bodies;

(b) To perform nasal packing for epistaxis ;

(c) To perform tracheostomy;

IX. OPHTHALMIC PROCEDURES :

(a) To invert eye-lids ;

(b) To give Subconjunctival injection ;

(c) To perform appellation of eye-lashes ;

(d) To measure the refractive error and advise correctional glasses;

(e) To perform nasolacrimal duct syringing for potency.

X. DENTAL PROCEDURES :

To perform dental extraction.

XI. COMMUNITY HEALTH :

(a) To be able to supervise and motivate, community and para-professionals for corporate efforts for the health care;

(b) To be able to carry on managerial responsibilities, e.g. Management of stores, indenting and stock keeping and accounting;

(c) Planning and management of health camps ;

(d) Implementation of national health programmes

(e) To effect proper sanitation measures in the community, e.g. disposal of infected garbage, chlorination of drinking water ;

(f) To identify and institute control measures for epidemics including its proper data collection and reporting ;

XII. FORENSIC MEDICINE INCLUDING TOXICOLOGY

(a) To be able to carry on proper medico legal examination and documentation of injury and age reports.

(b) To be able to conduct examination for sexual offences and intoxications ;

(c) To be able to preserve relevant ancillary materials for medico legal examination ;

(d) To be able to identify important post-mortem findings in common un-natural deaths.

XIII. MANAGEMENT OF EMERGENCIES :

(a) To manage acute anaphylactic shock ;

(b) To manage peripheral vascular failure and shock ;

(c) To manage acute pulmonary oedema and LVF ;

(d) Emergency management of drowning, poisoning and seizures ;

(e) Emergency management of bronchial asthma and status asthmaticus ;

(f) Emergency management of hyperpyrexia ;

(g) Emergency management of comatose patients regarding airways, positioning prevention of aspiration and injuries ;

(h) Assess and administer emergency management of burns ;

APPENDIX 'C'

PRESCRIBED TEACHING HOURS AND SUGGESTED MODEL TIME TABLES :—

Following minimum teaching hours are prescribed in various disciplines :

A. PRE-CLINICAL SUBJECTS—(Phase-I-First and Second Semester)

Anatomy	650 Hrs.
Physiology	480 Hrs.
Biochemistry	240 Hrs.
Community Medicine	60 Hrs.

B. PARA-CLINICAL SUBJECTS—(Phase-II-5th to 7th Semester)

Pathology	300 Hrs.
Pharmacology	300 Hrs.
Microbiology	250 Hrs.
Community Medicine (including 8 weeks postings of 3 hrs. each)	200 Hrs.
Forensic Medicine	100 Hrs.

Teaching of para-clinical subjects shall be 4 hrs per day in 3rd Hrs Semester and 3 hrs per day in 4th and 5th Semesters (See attached Time Table).

C, CLINICAL SUBJECTS (Phase II and III-3rd to 9th Semesters)

1. Clinical postings as per chart attached.

2. Theory lectures, demonstrations and Seminars etc. in addition to clinical postings as under. The clinical lectures to be held from 4th Semester onwards (See attached Time Table).

*	Gen. Medicine	300 Hours
*	Paediatrics	100 Hours
*	T.B. and Chest	20 Hours
*	Psychiatry	20 Hours
*	Skin and STD	30 Hours
*	Community Medicine	50 Hours
*	Anaesthesia	20 Hours
*	Gen. Surgery	300 Hours
*	Orthopedics	100 Hours
*	Ophthalmology	100 Hours
*	E.N.T.	70 Hours
*	Radiology	20 Hours
*	Denstistry	10 Hours
*	Obst & gynae. inclusive	300 Hours

NOTE :

-This period of training is minimum suggested. Adjustments where required depending on availability of time be made.

-This period of training does not include university examination period.

-Extra time available be devoted to other Sub-specialities.

During Semesters 3 to 9 following clinical postings for each student, of 3 hrs. duration is suggested for various departments after introductory course in Clinical Methods in Medicine and surgery of 2 weeks each for the whole class.

Subject	3rd Semester (Weeks)	4th Semester (Weeks)	5th Semester (Weeks)	6th Semester (Weeks)	7th Semester (Weeks)	8th Semester (Weeks)	9th Semester (Weeks)	Total (Weeks)
General Medicine ***	6	—	4	—	4	6	6	26
Paediatries	—	2	—	2	2	4	—	10
T.B. and Chest	—	2	—	—	—	—	—	02
Skin and STD	—	2	—	2	—	2	—	06
Psychiatry	—	—	2	—	—	—	—	02
Radiology*	—	—	—	—	2	—	—	02
Gen. Surgery****	6	—	4	—	4	6	6	26
Orthopaedics**	—	—	4	4	—	—	2	10
Ophthalmology	—	4	—	4	—	—	2	10
E.N.T.	—	4	—	4	—	—	—	08
Obst. and Gyn.***** and Family Planing	2	4	4	—	4	4	6	24
Comm. Med.	4	4	—	4	—	—	—	12
Casualty	—	—	—	2	—	—	—	02
Dentistry	—	—	—	—	2	—	—	02
Total	18	22	18	22	18	22	22	142

Clinical methods in Medicine and Surgery for whole class will be for 2 weeks each respectively at the start of 3rd semester.

*This posting with include training in Radiodiagnosis & radiotherapy where existent.

**This posting includes exposure to Rehabilitation Physiotherapy.

***This posting includes exposure to laboratory medicine and infectious diseases.

****This posting includes exposure to dressing and Anaesthesia.

*****This include maternity training and Family medicine and the 3rd semester posting shall be in Family Welfare Planning.

PHASE-I

MODEL TIME-TABLE

(Subject to modification as per local situation)

First Semester;

Days/ Time	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4
Mon	Anat.	Anat.	Anat.	Anat.	L	Phys.	Phys.	Phys.
Tues	Anat.	Anat.	Anat.	Anat.	U	Phys.	Phys.	Phys.
Wed	Anat.	Anat.	Anat.	Bioch.	N	Bioch.	Bioch.	Bioch.
Thurs	Anat.	Anat.	Anat.	Phys.	C	Phys.	Phys.	Phys.
Fri	Anat.	Anat.	Anat.	Anat.	H	Bioch.	Bioch.	Bioch.
Sat	Anat.	Anat.	Anat.	Phys.		Phys.	Phys.	Phys.

Second Semester;

Days/ Time	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4
Mon	Phys.	Phys.	Phys.	Anat.	L	Anat.	Anat.	Anat.
Tues	Phys.	Phys.	Phys.	Anat.	U	Anat.	Anat.	Anat.
Wed	Bioch.	Bioch.	Bioch.	Bioch	N	Anat.	Anat.	Anat.
Thurs	Phys.	Phys.	Phys.	Phys.	C	Anat.	Anat.	Anat.
Fri	Bioch	Bioch	Bioch.	Anat.	H	Anat.	Anat.	Anat.
Sat	Phys.	Phys.	Phys.	Phys.		Anat.	Anat.	Anat.

NOTE:- Community Medicine lecture be arranged in consultation with other pre-clinical departments in the above timings.

Phase-II

Third Semester

Days/ Time	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4
Mon	Para Clinical Lectures		Clinical Postings		Para Clinical Lectures	L	Practicals	
Tues	Do.		Do.		Do.	U	Para-Clinical	
Wed	Do.		Do.		Do.	N	Do.	
Thurs	Do.		Do.		Do.	C	Do.	
Fri	Do.		Do.		Do.	H	Do.	
Sat	Do.		Do.		Do.		Do.	

Fourth and Fifth Semester

Days/ Time	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4
Mon	Lectures it Clinical Subjects		Clinical Postings		Lectures in Para-Clinical subjects	L	Practicals	
Tues	Do.		Do.		Do.	U	Para-Clinical	
Wed	Do.		Do.		Do.	N	Do.	
Thurs	Do.		Do.		Do.	C	Do.	
Fri	Do.		Do.		Do.	H	Do.	
Sat	Do.		Do.		Do.		Do.	

Phase III

Sixth, Seventh, Eight / Ninth Semester

Days/ Time	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4
Mon	Lectures in Clinical Subjects		Clinical Postings		Lectures or Demon-strations it Clinical Subjects	L	Practicals/ Demonstrations in Clinical Subjects	
Tues	Do.		Do.		Do.	U		
Wed	Do.		Do.		Do.	N	Do.	
Thus	Do.		Do.			C	Do.	
Fri	Do.		Do.		Do.	H	Do.	
Set	Do.		Do.		Do.		Do.	

Note:- These are suggested time tables. Adjustments where required, depending upon the availability of time and facility, be made.

APPENDIX-D

ASSOCIATED BOOKLETS

For proper training of students, the following booklets of Medical Council of India should be referred to.

(i) "Minimum Standard Requirement for a medical college for 100 admissions annually" as amended from time to time.

(ii) "Qualifications required for appointment of persons to the posts of teachers in medical colleges and attached Hospitals for graduate and post graduate teaching" as amended from time to time.

Dr. (Mrs.) M. Sachdeva
Secretary
Medical Council of India

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1997